रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/95 REGISTERED NO.—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1995 (माघ 1, 1916)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1995 (MAGHA 1, 1916)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	11
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	37
भाग I—खण्ड 3 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	81
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	35
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	35
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	41
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	9
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	11
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	37
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	81
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinance and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)— General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	35
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	35
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	41
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	9
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1995

सं० 1-प्रेज/95—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रामथेहजुवावा रालते,
पुलिस उप निरीक्षक,
उत्तरी कछार पहाड़ियां,
असम ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

22-4-1993 के अपराह्न को उप-निरीक्षक रामथेहजुवावा रालते को लांसनायक गोलपसीना सिंह, हवलदार/नायक अबेन्द्र दास, कांस्टेबल प्रदीप बोरदोलोई और ड्राईवर/हवलदार मानिक वर्मन को .303 की 9 राईफल और 495 बी० डी०आर गोला बारूद एकत्र करने के लिए 5 ए० पी० बटालियन मुख्यालय से बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र, डेरागांव भेजा गया । रास्ते में लगभग 5.45 बजे अपराह्न को हाथीखाली और मन्दरदिसा के मध्य एक स्थान पर उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन रुके पड़े हैं । स्थिति का जायजा लेने के लिए श्री रालते वाहन से नीचे उतरे और देखा कि कुछ बदमाश बन्दूक की नोक पर रुके हुए वाहनों के यात्रियों को लूट रहे हैं और लकड़ी के बड़े-बड़े लठ्ठों से सड़क पर अवरोधक खड़े किए हैं ।

पुलिस दल को देखने पर बदमाशों ने हथियारों के कुंदे से श्री रालते पर अचानक हमला किया । मुठभेड़ में श्री रालते ने अपनी 9 एम एम पिस्तोल से गोलियां चलायी और एक बदमाश को मार गिराया जबकि अन्य गोली लगने से जख्मी हो गए । किसी प्रकार से वे जंगल में भागने में सफल हो गए । उसके बाद, श्री रालते ने जख्मी होने के बावजूद अपने दल की मदद से लकड़ी के लठ्ठों को हटाया और उग्रवादियों द्वारा रोके गए सभी वाहनों को आजाद कराया ।

इस मुठभेड़ में, श्री रामथेहजुवावा रालते, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22-4-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 2 प्रेज/95—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शिव बालक राम,
पुलिस उप निरीक्षक,
थाना-सदर, जिला-पुरनिया ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

10 मई, 1990 को लगभग 1.30 बजे उप निरीक्षक शिव बालक राम जब राष्ट्रीय राजमार्ग सं 31 पर जब गस्ती ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा कि घातक हथियारों से लैस कुछ सशस्त्र डकैत खिरडा पुल पर सड़क यातायात को रोककर राजमार्ग पर डकैती डालने की योजना बना रहें हैं । सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए उप-निरीक्षक शिव बालक राम और उसका दल वहां से हट गए और 3-4 ट्रकों की आड़ में आधे घंटे बाद वापिस आए । डकैतों ने, पुलिस की उपस्थित से अनभिज्ञ, ट्रकों को लूटना शुरू किया । इस समय उप-निरीक्षक और उसकी पार्टी ने डकैतों को ललकारा, जो 10-11 थे । डकैतों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलायी । उप निरीक्षक शिव बालक राम ने अपने आदमियों को मोर्चा सम्भालने और गोलियों का जवाब देने का आदेश दिया और स्वयं अपनी सर्विस रिवाल्वर से डकैतों पर गोलियां चलायी । इस मुठभेड़ में उप-निरीक्षक गोली लगने से जख्मी हो गए लेकिन विचलित हुए बगैर वे डकैतों पर गोलियां चलाते रहे । लगभग दो घंटें तक गोलीबारी हुई । श्री शिव बालक राम के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी दो डकैतों को मारने में सफल हुई और एक को घटनास्थल पर ही

गिरफ्तार किया गया। जबकि अन्य भागने में सफल हो गए। डकैतों से स्वदेशी अग्नि-शस्त्र और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री शिव बालक राम, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10-5-1990 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 3-प्रेज/95:—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री प्रशोक कुमार सिंह,
पुलिस-सहायक उप-निरीक्षक,
थाना कलवाही,
जिला मधुबनी, बिहार।

श्री बाल कृष्ण राय,
कांस्टेबल,
थाना कलवाही,
जिला मधुबनी, बिहार।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

9 मार्च, 1992 को 12.45 बजे अपराह्न के आस-पास सर्वश्री ए० के० सिंह, सहायक उप-निरीक्षक और बी० के० राय, कांस्टेबल को सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र डकैत, प्रधान डाकघर के वाहक सिपाही से पिस्तौल की नोक पर डाक थैला, जिसमें नकदी थी, लूटकर एक मारूति वाहन में पूर्व दिशा की तरफ भाग गये हैं। इन पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मोटर साइकिल पर, भाग रहे डकैतों का पीछा किया। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, पुलिस पार्टी को एक वैन दिखाई पड़ी और मारूति वैन के आगे मोटर-साइकिल खड़ी कर उसे रोकने की कोशिश की। डकैत वैन से उतर गये और पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सहायक उप निरीक्षक, सिंह ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से जवाब दिया और एक डकैत को गोली मारी जो घटनास्थल पर ही गिर गया। अपने साथी को गिरते हुए देखकर दूसरे डकैतों ने सुरक्षा के लिये भागना शुरू किया। कांस्टेबल बाल कृष्ण ने भाग रहे डकैतों का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया और दोनों के बीच हुई हाथापाई में कांस्टेबल के सिर पर चोट आयी। इसी समय, गोलीबारी की आवाज सुनकर और कांस्टेबल द्वारा चिल्लाने पर, नजदीक के खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों की मदद से पुलिस पार्टी ने एक को छोड़कर भाग रहे सभी डकैतों को पकड़ लिया, और डाक थैले को कब्जे में कर लिया, जिसमें लगभग 57,000 रु० थे। अपराधियों से तीन देशी पिस्तौल और कुछ कारतूस भी बरामद किये गये।

इस घटना में जिन दो डकैतों को गोली लगी थी उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया, तीन को गिरफ्तार किया गया जबकि एक भागने में सफल हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री प्रशोक कुमार सिंह सहायक उप-निरीक्षक और बाल कृष्ण राय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 मार्च, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक,

सं० 4-प्रेज/95:—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती है:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम दर्शन चौबे,
कांस्टेबल,
जी० आर० पी० एस० बक्सर, बिहार।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20-5-1993 को लगभग 1.15 बजे कांस्टेबल, राम दर्शन चौबे को सूचना मिली कि बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 1 के दक्षिणी किनारे पर कुछ अपराधी मौजूद हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ तुरन्त कार्रवाई की। उन्होंने पाया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 1 पर तीन व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में खड़े हैं। कांस्टेबल द्वारा पूछताछ करने पर, संदिग्ध व्यक्तियों ने भागना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए कांस्टेबल चौबे ने छलांग लगाई और भाग रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे विदेशी पिस्तौल छीन ली लेकिन अपराधी ने दूसरी पिस्तौल निकाली और कांस्टेबल चौबे के पेट पर अचानक गोली मारी। जख्मी होने के बावजूद कांस्टेबल चौबे, कांस्टेबल पांडे और कुछ यात्रियों की पहुंचने तक अपराधी के साथ भिड़ते रहे और

अन्ततः उसे गिरफ्तार किया । गिरफ्तार अपराधी की शिनाख्त योगेश कुमार ओझा के रूप में की गई जबकि भाग गये दो व्यक्तियों की शिनाख्त रमेश यादव और दिनेश यादव के रूप में की गई। योगेश कुमार ओझा ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने दो साथियों के साथ उसी रात को चोरी की थी।

2. गिरफ्तार किये गये अपराधी से दो देशी पिस्तौल, 26,800 रु० की राशि और कुछ वस्तुएं बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री राम दर्शन चौबे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस, और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20-5-1995 में दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 5-प्रेज/95—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अनुराग गुप्ता,
पुलिस सहायक अधीक्षक,
पटना शहर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

श्री अनुराग गुप्ता पुलिस सहायक अधीक्षक, पटना शहर को 27 जुलाई, 1993 को सूचना मिली कि भथानी ताल चैतपुर मुहल्ला निवासी बबलू नामक व्यक्ति के घर पर सशस्त्र अपराधियों का गिरोह एकत्र है । वे अपने 2 सुरक्षा गार्डों, कांस्टेबल विश्वनाथ सिंह और हवलदार मुमताज खान के साथ तुरंत घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति बबलू महतो के मकान के सामने संदेहास्पद परिस्थितियों में गार्ड ड्यूटी पर खड़े हैं। पुलिस को देखने पर, दोनों अपने साथियों को सावधान करने के लिए मकान के अन्दर गए । श्री गुप्ता, बबलू महतो के मकान के दरवाजे की तरफ गए और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । अपराधियों ने सहायक उप-निरीक्षक पर गोली चलायी जो बाल-बाल बच गए । इससे श्री गुप्ता विचलित नहीं हुए, वे तुरंत बबलू महतो के घर की तरफ गए । श्री गुप्ता ने अपराधियों को आत्म-समर्पण करने के लिए कहा । अपराधियों ने बड़े नजदीक से पुलिस सहायक-अधीक्षक पर 2 चक्र गोलियां चलाकर जवाब दिया । श्री गुप्ता ने दरवाजे से गोली चलायी, जिससे एक अपराधी जख्मी हो गया । अपराधी पुलिस पार्टी पर गोली चलाते रहे । श्री गुप्ता ने उन पर दूसरी बार गोली चलायी, । जब श्री गुप्ता तीसरे चक्र को चलाने की कोशिश कर रहे थे तो अपराधी ने एक गोली चलायी जो श्री गुप्ता के दाहिने हाथ में लगी और उसके रिवाल्वर की मूठ टूट गई । गम्भीर रूप से जख्मी होने और रिवाल्वर क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद श्री गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सुरक्षा गार्डों को अपराधियों पर गोलियां चलाने को हुक्म दिया । विश्वनाथ सिंह ने अपने सर्विस रिवाल्वर से दो गोली चलायी और हवलदार मुमताज खान ने अपनी स्टेनगन से तीन चक्र गोलियां चलायी । गोलीबारी के कारण, लोग वहां पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने बबलू महतो के घर को चारों दिशाओं से घेर लिया । अपराधियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा गार्ड को पीछे छोड़कर, श्री गुप्ता चिकित्सा उपचार के लिए गए । इस मुठभेड़ में 5 अपराधी मारे गए और 3 गिरफ्तार किए गए । अपराध स्थल से 10 सक्रिय बम, 4 देशी पिस्तौल, 9 सक्रिय कारतूस, 10 खोल, तीन पिलेट, एक मारूति वाहन और एक हीरो होंडा मोटर-साइकिल बरामद की गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री अनुराग गुप्ता, पुलिस सहायक अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 6-प्रेज/95—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री विजय सिंह सम्बयाल,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला—कठुआ,
जम्मू और कश्मीर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

3 सितम्बर, 1992 को श्री सम्बयाल, पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी को, जिसमें शस्त्रों से लैस 4 कांस्टेबल सहित दो सहायक निरीक्षक, संसार चन्द और मो० अल्ताफ थे, सरथल क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरथल भेजा गया, जहां पर एक पुलिस चौकी

जिसमें एक हैड-कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल थे, पहले ही कार्य कर रही थी ।

4/5-9-1992 की रात को लगभग 23.00 बजे 8/10 आतंकवादियों के ग्रुप ने अत्याधुनिक हथियारों से उस पुलिस चौकी पर अचानक हमला किया जिसमें सहायक निरीक्षक संसार चन्द, हैड कांस्टेबल लक्ष्मण दास और कांस्टेबल अज्जुक गनी घटनास्थल पर ही मारे गये और कांस्टेबल बालकार श्याम प्रकाश और पुलिस उप-अधीक्षक श्री सम्बयाल जख्मी हुए । पुलिस बल ने गोलीबारी का जवाब दिया और रात भर तीव्र मुठभेड़ होती रही । पुलिस उप अधीक्षक सम्बयाल ने जख्मी होने के बावजूद कांस्टेबल बलवन्त सिंह से ए० के० 47 राइफल ली और एक उग्रवादी को मार गिराया, जिसकी शिनाख्त बरवेज अहमद के रूप में की गई और दूसरे को जख्मी कर दिया जिसे उसके साथी ले गये । श्री सम्बयाल द्वारा समय पर की गई जवाबी कार्रवाई से उग्रवादी पीछे हटने पर मजबूर हो गये । मारे गये उग्रवादी से एक ए० के 56 राईफल एक पिस्तौल और कुछ गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री विजय सिंह सम्बयाल, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि के कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 05-9-1992 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 7-प्रेज 95:—राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चन्द्रपा
पुलिस सहायक निरीक्षक,
मैसूर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पद प्रदान किया गया है :—

7 अप्रैल, 1990 को लगभग 4.45 बजे अपरान्ह को चन्द्रपा, सहायक निरीक्षक, एक पार्टी जिसमें 4 सहायक निरीक्षक, 1 रेंज वन अधिकारी और 4 कांस्टेबल थे, को वीरप्पन और उसके गिरोह को पकड़ने के लिये तैनात किया गया । जब वे होम-नकल गोपीनाथम रोड से वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाया कि पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से सड़क में व्यवधान खड़ा किया गया है । श्री चन्द्रपा, सहायक निरीक्षक ने अपने कार्मिकों को जीप से बाहर कूदने के लिए कहा । वीरप्पन और उसके गिरोह ने बाहर कूद रहे पुलिस अधिकारियों पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी । श्री चन्द्रपा गोली लगने से जख्मी हो गय लेकिन इसके बावजूद वे जीप से बाहर कूदे और देखा कि चार पुलिस अधिकारी (3 सहायक निरीक्षक और एक कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी होकर अन्दर गिरे पड़े हैं और उन्होने दम तोड़ दिया है । गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद, सहायक निरीक्षक चन्द्रपा ने राइफल ली और जीप के पिछले पहियें के नजदीक मोर्चा सम्भाला और बदमाशों पर गोलियां चलाना शुरू किया, जबकि सहायक निरीक्षक, श्री अर्स ने जीप के आगे के भाग से गोलियां चलानी शुरू की । पुलिस द्वारा की गई प्रतिकारात्मक कार्रवाई से वीरप्पन और उसके गिरोह के सदस्य भागने पर मजबूर हो गये ।

उसके बाद श्री चन्द्रपा, सहायक निरीक्षक ने जख्मी होने के बावजूद, श्री अर्स सहायक निरीक्षक की सहायता से शवों/घायलों को जीप में रखा ।

इस मुठभेड़ में श्री चन्द्रपा ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 07-4-1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 8-प्रेज/ 95—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० डी० भागे, (मरणोपरांत)
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक,
एस० आर० पी० एफ०, ग्रेड-II, पुणे ।

श्री एस० आर० थल्वी
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल,
एस० आर० पी० एफ, ग्रेड -II, पुणे ।

श्री डी० आर० धूरी,
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल
एस० आर० पी० एफ० ग्रेड-II पुणे ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

20-6-1991 को लगभग 8.00 बजे एक पुलिस पार्टी जिसमें एस० आर० पी० एफ० के जवानों की एक पलाटून, जिसका नेतृत्व श्री एस०डी० भागे, पुलिस निरीक्षक एस० आर० पी० एफ०, ग्रुप-II, पुणे, कर रहे थे (सर्वश्री एस० आर० यल्वी और डी० आर० धुरी कांस्टेबल सहित) नक्सलवादियों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए नक्सलवाद से प्रभावित गांवों की जांच करने के लिए गयी । पुलिस पार्टी दो टोनर वाहनों और एक जीप में लगभग 10.00 बजे जूरी नाले पर पहुंची । चूंकि 5 टोनर वाहनों को नाले के पार ले जाना कठिन था, अतः 5 टोनर वाहनों को उपयुक्त संरक्षण के साथ नाले के पास ही छोड़ दिया गया । श्री भागे अन्यों के साथ जीप में गए । वे 9 एम० एम० पिस्तोल, .455 रिवाल्वर .303 राईफलों और एक स्टेनगन से लैस थे पुलिस पार्टी ने पहले कोटामी गांव में छानबीन की और उसके बाद गांव-कोन्डवी और पैंदी में छानबीन की जब पुलिस पार्टी जूरी नाले को वापस लौट रही थी तो उस पर 15 नक्सलवादियों के एक ग्रुप ने लगभग 13.30 बजे घात लगाई । प्रथम हमले में जीप के ड्राइवर और श्री भागे के पेट और छाती में गोली लगी । जीप के ड्राइवर ने जख्मों के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । जख्मी होने के बावजूद, श्री भागे और अन्य पुलिस कार्मिकों ने सड़क के दाहिनी तरफ एक गहरे खेत में मोर्चा संभाला और नक्सलवादियों की तरफ गोली चलायी । गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद श्री भागे ने अपनी 9 एम०एम० पिस्तोल से 6 राउण्ड गोलियां चलायी । वे आखिरी सांस तक अन्य पुलिस कार्मिकों को नक्सलवादियों पर लगातार गोलियां चलाते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहे ।

इसी प्रकार से कांस्टेबल शिवजी यल्वी और कांस्टेबल दिलीप धुरी भी नक्सलवादियों की गोलियों से गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे लेकिन अपने जीवन की परवाह न करते हुए वे नक्सलवादियों पर गोलियां चलाते रहे । गम्भीर रूप से जख्मी होने और काफी खून बह जाने के बावजूद ये युवा पुलिस कार्मिकों गोलियों का जवाब देते रहे । उन्होंने, पुलिस कार्मिकों के शस्त्र और गोलाबारूद को हड़पने के नक्सलवादियों के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया । हालांकि कांस्टेबल यल्वी को अत्यधिक दर्द हो रहा था और गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उसका चलना-फिरना कम हो गया था, उसने अपने साथियों से घावों को ढकने का अनुरोध किया और तब तक नक्सलवादियों पर गोलियां चलाते रहे तब तक वे भाग खड़े नहीं हुए ।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री एस० डी० भागे, सशस्त्र पुलिस निरीक्षक, श्री एस आर० यल्वी, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और श्री डी० आर० धुरी, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20-6-1991 से दिया जाएगा ।

गिरिश प्रधान,
निदेशक

सं० 9-प्रेम/95—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० एल० देशमुख
सहायक पुलिस निरीक्षक
बृहत्तर बम्बई ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

18-5-1993 को लगभग 15.35 बजे एच० यू० खान नामक एक व्यक्ति खार पुलिस स्टेशन में आया और उसने बताया को दो आदमियों ने कमांडो होटल के सामने उसे घेर लिया था और रिवाल्वर की नोक पर उससे 10,000/- रुपयों की मांग की । उन्होंने उसका पर्स और कार भी छीन ली । यह सूचना मिलने पर सहायक पुलिस निरीक्षक श्री एस० एल० देशमुख, दो अन्य के साथ घटना स्थल पर गए । लगभग 16.05 बजे श्री देशमुख ने, दो सवारियों सहित लूटी गई कार को देखा । उन्होंने तुरन्त कार का पीछा किया । कार के ड्राइवर को देखकर श्री देशमुख ने उसे जान मार्शल मेंडोंका नामक एक कुख्यात अपराधी के रूप में पहचान लिया । श्री देशमुख ने उनसे कार रोकने के लिए कहा लेकिन वे तेजी से गाड़ी भगा ले गए । भागते हुए, जॉन के साथी ने पुलिस दल पर दो गोलियां चलाई । पर बड़ी तेज गति से भीड़ भरी बस्ती से गाड़ी चलाकर ले गए । इसी बीच "यू" टर्न लेते समय जॉन की कार एक मारूति कार से टकरा गई । पुलिस की जीप ने भी जॉन की कार में पीछे से टक्कर मारी । इसके बाद और उसका साथी हाथों में रिवाल्वर लिए नीचे उतर पड़ा । श्री देशमुख और उनका दल भी जीप से नीचे उतर पड़ा । जॉन ने अपने रिवाल्वर से पुलिस दल पर तीन गोलियां चलाई । श्री देशमुख ने आत्मरक्षा में अपनी सर्विस रिवाल्वर से जॉन पर तीन गोलियां चलाई जिनमें से दो जॉन को लगी और वह गिर पड़ा । इसी बीच दूसरा अपराधी सघन यातायात और इधर-उधर भागते लोगों की आड़ में बचकर भाग गया । घायल अपराधी जॉन को आभा अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । तलाशी के दौरान मृत अपराधी से .32 बोर का एक बाक निर्मित रिवाल्वर, दो भरे और तीन खाली कारतूसों सहित, बरामद किया गया । कार में से एक चाकू भी बरामद किया गया । मारा गया अपराधी चैन झपटने, अपहरण, लूटपाट, डकैती और हत्या के प्रयास आदि की 33 वारदातों में शामिल था ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० एल० देशमुख, सहायक पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18-5-1993 से दिया जाएगा ।

गिरिश प्रधान,
निदेशक

सं० 10-प्रेज/95—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० एल० कदम,
सहायक पुलिस निरीक्षक,
बृहत्तर बम्बई ।

श्री बी० टी० राउत,
हैड कांस्टेबल,
बृहत्तर बम्बई ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

31 मार्च, 1993 को लगभग 11.00 बजे श्री एस० एस० वलीशेट्टी, डी० सी० बी० की यूनिट 5, सी० आई० डी०, बम्बई को सूचना मिली कि निसार अहमद शेख नामक एक कुख्यात अपराधी लगभग 15.00 बजे चैम्बूर में आशीष थियेटर के पास आने वाला है । सर्वश्री एस० एल० कदम, बी० टी० राउत और अन्य के साथ श्री वलीशेटटी ने, तीन विभिन्न दिशाओं से क्षेत्र को कवर करने के लिए तीन दल बनाए । लगभग 14.00 बजे सभी अधिकारी और कार्मिक आशीष थियेटर के पास पहुंच गए और पोजीशन ले ली । सर्वश्री वलीशेट्टी, एस० एल० कदम और बी० टी० राउत वाले पहले दल ने दक्षिणी दिशा में टी० सी० एफ० गेट के अन्दर पोजीशन ली । दूसरे दल ने आर० सी० रोड के साथ पैट्रोल पम्प के निकट और तीसरे दल ने आशीष थियेटर के पास पोजीशन ली ।

15.45 बजे के लगभग दल संख्या 3 के एक उप-निरीक्षक ने अपराधी के आगमन का संकेत दिया और दूसरे दलों को सावधान कर दिया । पुलिस की मौजूदगी का आभास पाकर अपराधी निसार अहमद शेख और उसका साथी आर० सी० एफ० फैक्टरी की ओर भागने लगा । दोनों अपराधी अपने हाथों में रिवाल्वर लिये हुए थे जिनका रुख श्री वलीशेट्टी वाले पुलिस दल की ओर था । सर्वश्री वलीशेट्टी और उनके दल ने अपनी पहचान प्रकट कर दी और अपराधियों को आत्म समर्पण के लिए ललकारा/चेतावनी के बावजूद अपराधियों ने सर्वश्री वलीशेट्टी, कदम और राउत की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया ।

इस पर सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम ने अपने रिवाल्वर निकाले और अपराधियों की गोलीबारी से स्वयं को बचाकर उन पर गोलियां चलाई । गोलीबारी में अपराधी निसार अहमद को गोलियां लग गई । निसार अहमद को गिरता देखकर उसका साथी यातायात की आड़ में आर० सी० एफ० कॉलोनी की ओर भागा । सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम के पीछे आ रहे श्री राउत ने भी अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियों से स्वयं को बचाया और अपराधियों को पकड़ लेने की कोशिश की । अन्य दो दल जो निसार अहमद और उसके साथी के पीछे आ रहे थे दौड़ते हुए आर० सी० एफ० गेट के अन्दर आ गए और निसार के साथी का पीछा करने लगे जोकि आर० सी० एफ० कालोनी की ओर भागा था और बच गया था । श्री कदम घायल निसार अहमद के पास गए और उसे निहत्था कर दिया जबकि सर्वश्री वलीशेट्टी और राउत ने दूसरे अपराधी का पीछा करना शुरू किया । चूंकि वह अपराधी गायब हो गया था इसलिए सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम तथा राउत ने तुरंत ही घायल निसार अहमद को राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया । दो भरे और 4 खाली कारतूसों सहित एक देशी रिवाल्वर मृत अपराधी के पास से बरामद हुआ । मृत अपराधी बकोला और कुर्ला पुलिस थानों में अनेक मामलों में शामिल था ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० एल० कदम, सहायक पुलिस निरीक्षक और बी० टी० राउत, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 1993 से दिया जाएगा ।

विरोध प्रधान,
निदेशक

सं० 11-प्रेज-95—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० एस० वलीशेट्टी,
पुलिस निरीक्षक,
बृहत्तर बम्बई ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

31 मार्च, 1993 को लगभग 11.00 बजे श्री एस० एस० वलीशेट्टी, डी० सी० बी० की यूनिट-5, सी० आई० डी, बम्बई को सूचना मिली कि निसार अहमद शेख नामक एक कुख्यात अपराधी लगभग 15.00 बजे चैम्बूर में आशीश थियेटर के पास आने वाला है । सर्वश्री एस० एल० कदम

बी० टी० राउत और अन्य के साथ श्री वलीशेट्टी ने, तीन विभिन्न दिशाओं से क्षेत्र को कवर करने के लिए तीन दल बनाए। लगभग 14.00 बजे सभी अधिकारी और कार्मिक आशीष थियेटर के पास पहुंच गए और पोजीशन ले ली। सर्वश्री वलीशेट्टी, एस० एल० कदम और बी० टी० राउत वाले पहले दल ने दक्षिणी दिशा में टी० सी० एफ० गेट के अन्दर पोजीशन ली। दूसरे दल ने आर० सी० रोड के साथ पेट्रोल पम्प के निकट और तीसरे दल ने आशीष थियेटर के पास पोजीशन ली।

15.45 बजे के लगभग दल संख्या 3 के एक उप निरीक्षक के अपराधी के आगमन का संकेत दिया और दूसरे दलों को सावधान कर दिया। पुलिस की मौजूदगी का आभास पाकर अपराधी निसार अहमद शेख और उसका साथी आर० सी० एफ० फैक्टरी की ओर भागने लगा। दोनों अपराधी अपने हाथों में रिवाल्वर लिए हुए थे जिनका रूख श्री वलीशेट्टी के नेतृत्व वाले पुलिस दल की ओर था। सर्वश्री वलीशेट्टी और उनके दल ने अपनी पहचान प्रकट कर दी और अपराधियों को आत्म समर्पण के लिए ललकारा। चेतावनी के बावजूद अपराधियों ने सर्वश्री वलीशेट्टी, कदम और राउत की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस पर सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम ने अपने रिवाल्वर निकाले और अपराधियों की गोलीबारी से स्वयं को बचाकर उन पर गोलियां चलाई। गोलीबारी में अपराधी निसार अहमद को गोलियां लग गई। निसार अहमद को गिरता देखकर उसका साथी यातायात की आड़ में आर० सी० एफ० कालोनी की ओर भागा। सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम पीछे आ रहे श्री राउत ने भी अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियों से स्वयं को बचाया और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। अन्य दो दल जो निसार अहमद और उसके साथी के पीछे आ रहे थे दौड़ते हुए आर० सी० एफ० गेट के अन्दर आ गए और निसार के साथी का पीछा करने लगे जोकि आर० सी० एफ० कालोनी की ओर भाग था और बच गया था। श्री कदम घायल निसार अहमद के पास गए और उसे निहत्था कर दिया जबकि सर्वश्री वलीशेट्टी और राउत ने दूसरे अपराधी का पीछा करना शुरू किया। चूंकि वह अपराधी गायब हो गया था इसलिए सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम तथा राउत ने तुरंत ही घायल निसार अहमद को राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। दो भरे और 4 खाली कारतूसों सहित एक देशी रिवाल्वर मृत अपराधी के पास से बरामद हुआ। मृत अपराधी चकोला और कुर्ला पुलिस थानों में अनेक मामलों में शामिल था।

इस मुठभेड़ में श्री एस० एस० वलीशेट्टी, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 12 –प्रेज/95– राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री के० विकीतूल, अंगमी, (मरणोपरांत)
पुलिस उप-निरीक्षक,
कोहिमा।

श्री पुदीकीरवी अंगमी, (मरणोपरांत)
हैड-कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री विप्रूवेल अंगमी, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री नीरिसायी चाकेसांग, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री एन० के० धितोशी सेमा, (मरणोपरांत)
नायक,
कोहिमा।

श्री मनोज कुमार थापा, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री मीमा आकुम आओ, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री केवेल्हो चाकेसांग, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कोहिमा।

श्री लालेन किनेन, (मरणोपरांत)
पुलिस उप-निरीक्षक,
कोहिमा।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 अगस्त 1991 को एक पुलिस दल जिसमें एक ए० एस० आई० दो हवलदार, एक लांस नायक और ग्यारह कांस्टेबल थे और जो उप-निरीक्षक के० विकेतोल अंगमी की कमान में था, को नागालैण्ड के तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष की एस्कार्ट ड्यूटी पर तैनात किया गया । प्रातः लगभग 11.35 बजे जब विधान सभाध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दीमापुर से मोन की ओर जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर लाहोरीजान के पास सड़क के किनारे स्थित जंगल की ओर से कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा स्वचालित हथियारों से घात लगाकर हमला किया गया । मुठभेड़ में वी० आई० पी० की जान बचाते समय उप-निरीक्षक विकेतोल अंगमी और आठ अन्य पुलिस कर्मी, जो पायलट और एस्कार्ट ड्यूटी पर थे, घटना स्थल पर ही मारे गए तथा तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री के० विकीतुल अंगमी, उप-निरीक्षक; श्री पी० के० अंगमी, हैड कांस्टेबल; श्री वी० अंगमी, कांस्टेबल; श्री एन० चाकेसांग, कांस्टेबल; श्री एन० के० जी० सेमा, नायक; श्री लल्लेन किगेन, उप-निरीक्षक; श्री एम० के० थापा, कांस्टेबल;; श्री एल० ए० आओ, कांस्टेबल; और श्री के० चाकेसांग, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 अगस्त 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 13—प्रेस/95—राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जी० टी० रेंगमा,
कांस्टेबल,
2 बटालियन,
एन० ए० पी० एलीचेन,
नागालैण्ड ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

8 मई, 1992 को ड्यूटी पर गश्त करते समय लगभग 15.00 बजे श्री एच० के० सेमा, निरीक्षक के नेतृत्व के अधीन पुलिस दल पर, अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुछ यू० जी० एन० एस० सी० एन० उपद्रवियों ने हमला कर दिया । एक आक्रमणकारी ने एम—22 स्वचालित राइफल से गोली चलाकर इंस्पेक्टर सेमा और 6 अन्य पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया । दो घायल पुलिसकर्मियों और चार सिविलियनों ने घावों के कारण दम तोड़ दिया गोली के गंभीर घावों के बावजूद इंसपेक्टर सेमा ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों पर लगातार गोली चलाना जारी रखा । कांस्टेबल रेंगमा ने भी एक नाले में पोजीशन ले ली और एक उपद्रवी पर गोली चलाई जिससे वह तुरन्त ही मारा गया । इन अधिकारियों के इस बहादुरी पूर्ण कार्य ने अन्य उपद्रवियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया ।

मारे गए उपद्रवी के पास से एक एम—22 सब मशीनगन और दो मैगजीन तथा 31 गोलियां बरामद की गई; मारे गए उपद्रवी की पहचान बाद में एन० एस० सी० एन० के तेम्यूमोंबा के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री जी० टी० रेंगमा, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 14—प्रेस 95—राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एच० के० सेमा,
पुलिस निरीक्षक,
थाना मोकोकचुंग,
नागालैण्ड ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

एच० के० सेमा के नेतृत्व वाला पुलिस दल, 8 मई, 1992 को लगभग 15.00 बजे जब गश्त लगा रहा था तो उन पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस, एन० एस० सी० एन० के कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा हमला कर दिया गया । एक आक्रमणकारी द्वारा एम—22 स्वचालित राईफल से गोलियां चलाकर, निरीक्षक सेमा तथा छः अन्य पुलिस कार्मिकों

को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया । जख्मी हुए दो पुलिस कार्मिकों तथा 4 सिविलियनों को जख्मों के कारण मृत्यु हो गयी । गोली लगने से गंभीर जख्म होने के बावजूद निरीक्षक सेना ने अपनी पिस्तौल बाहर निकाली और आगे बढ़ रहे उपद्रवियों पर लगातार गोलियां चलाते रहे । कांस्टेबल रेंगमा ने भी एक नाले में मोर्चा लगाया और उपद्रवियों पर गोलियां चलाकर एक को वहीं पार गिराया । इन अधिकारियों के वीरतापूर्ण कारनामे ने अन्य उपद्रवियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया ।

मारे गए उपद्रवी, जिसकी बाद में एन० एस० सी० एन० के तेम्सूमोंग्बा के रूप में शिनाख्त की गई, से दो मैगजीनों सहित एक एम–22 सब-मशीन गन तथा गोली-बारूद के 31 नग बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री एच० के० सेना, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 15-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री तलविन्दर सिंह,
हैड-कांस्टेबल,
पुलिस अधीक्षक (शहर) के बन्दूकधारी,
अमृतसर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 अप्रैल, 1992 को पुलिस अधीक्षक (शहर) अमृतसर, को सूचना प्राप्त हुई कि खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स के दो खूंखार आतंकवादी थाना लोपोके, जिला–अजोला, के अधीन एक गुरुद्वारे में अत्याधुनिक हथियारों से लैस छिपे हुए हैं। उनकी योजना एक बस का अपहरण करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मार डालने की थी । तुरन्त पुलिस अधीक्षक (शहर) अमृतसर अपने दल बल सहित उस स्थान पर पहुंच गए और उस स्थान पर मोर्चा संभाल लिया जहां से वह सम्पूर्ण अभियान का प्रचालन प्रभावकारी ढंग से कर सकते थे । फिर उन्होंने अभियान की योजना तैयार की और अभियान का कार्य श्री तलविन्दर सिंह सहित तीन पुलिस कार्मिकों को सौंपा । उन तीनों ने उग्रवादियों की वेश–भूषा धारण की और गुरुद्वारे पहुंच कर सेवादारों से अपने साथियों के बारे में पूछताछ की । उनको बताया गया कि वे एक चमन सिंह नामक व्यक्ति के बैठक की ओर गए हैं । इस पर, वे खेतों में से होते हुए चमन सिंह के फार्म हाउस पहुंच गए । वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उग्रवादी भूतपूर्व सरपंच के फार्म हाउस पर गए हैं । वहां पहुंचने पर, श्री तलविंदर सिंह कमरे के अंदर गए जब कि अन्य दो को कमरे के बाहर तैनात कर दिया गया । जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो दोनों उग्रवादियों को कमरे में बैठे हुए देखा, तो उससे वे सतर्क हो गए और उन्होंने (उग्रवादियों ने) पूछा कि वह कौन हैं ? इस पर श्री तलविंदर सिंह ने स्वयं को बी० टी० एफ० के० का स्वयं-भू ले० जनरल खाली बताया और कहा कि वह गिरोह के किसी कार्य से वहां आए हैं। इस पर उन्होंने श्री तलविंदर सिंह को बताया कि वे एक बस का अपहरण करके अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को मार डालने की योजना बना रहे हैं । श्री तलविंदर सिंह ने उन्हें बताया कि निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने के कारण उग्रवादी संगठन स्वयं को आम जनता से अलग-थलग करते जा रहे हैं । तब उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें थाना लोपोके के थाना प्रभारी की हत्या करनी चाहिए, परन्तु भारी सुरक्षा व्यवस्था और सेना की तैनाती को ध्यान में रखते हुए दोनों उग्रवादी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए । तब श्री तलविंदर सिंह ने (दिवंगत) श्री जोगिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक, जो कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मारे गए थे, का उदाहरण दिया । इस पर उग्रवादी योजना से सहमत हो गए और उन्होंने उनसे आगे की योजना तैयार करने के लिए उनके साथ बातचीत के लिए बैठने को कहा । इस दौरान, अन्य दोनों पुलिस कर्मियों ने कमरे के बाहर मोर्चा संभाला लिया था । प्लान का आभास होते ही दोनों उग्रवादियों ने पुलिस कर्मियों पर गोली चलानी शुरू कर दी । पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी गोलीबारी की और यह मुठभेड़ 30 मिनट तक चलती रही । मौका पाते ही श्री तलविंदर सिंह ने अपने शस्त्र से दोनों उग्रवादियों पर गोलियां चला दीं जिससे बलविंदर सिंह उर्फ जोधा जालंधरी घटनास्थल पर ही मारा गया जब कि दूसरा घायल हुआ उग्रवादी कमरे से बाहर आया और पास के गेहूं के खेतों की ओर भागा । इस पर, श्री तलविंदर सिंह ने वायरलैस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (शहर) अमृतसर को संदेश भेज दिया। सूचना प्राप्त होते ही, वे घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र को घेर लिया जो घायल आतंकवादी छिपा हुआ था । लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही और उसके बाद आतंकवादी की ओर से हो रही गोलीबारी रुक गई । फिर उस क्षेत्र की तलाशी ली गई और एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया, जिसकी बाद में शिन्दर सिंह उर्फ भांजा उर्फ छोटा छिंगाड़ा के रूप में

पहचान की गई । तलाशी लेने पर मृत उग्रवादी से दो ए० के०–47 राईफलें बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री तलविंदर सिंह, हैड-कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 16—प्रेस/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गुरदीप चन्द (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
जिला–फरीदकोट

श्री गुरप्यार सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला—फरीदकोट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

18–11–1992 को पुलिस उपाध्यक्ष, मुक्तसर और उप-निरीक्षक राजिन्दर सिंह, थाना प्रभारी, थाना–मुक्तसर, को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ खूंखार उग्रवादी गांव खुण्डा हलाल में बख्तावर सिंह नामक एक व्यक्ति के कपास के खेतों में छिपे हुए हैं । उपलब्ध बल सहित वे वहां तुरन्त पहुंच गए और कपास के खेतों की तलाशी लेनी शुरू कर दी । पुलिस उपाध्यक्ष, मलोट और थाना प्रभारी, कोट भाई, को उस स्थान पर बल सहित पहुंचने के लिए भी वायरलैस द्वारा संदेश भेजा गया पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) और पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) के नेतृत्वाधीन एक सैनिक टुकड़ी तथा पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व बल सहित उस स्थान पर पहुंच गए । संपूर्ण बल को विभिन्न दलों में विभाजित कर दिया गया तथा बुलेट-प्रूफ जिप्सियों की मदद से तलाशी लेनी शुरू कर दी । जब उप-निरीक्षक राजिन्दर सिंह के नेतृत्वाधीन वाला पुलिस दल कपास के खेत में घुसा तो ए० के०–47 राईफल द्वारा गोलियां चलाते हुए जिप्सियों की ओर बढ़ते हुए एक उग्रवादी को देखा गया । पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण उग्रवादी मारा गया । इस दौरान, सर्व श्री गुरदीप चन्द, गुरप्यार सिंह और बलजिन्दर सिंह कांस्टेबलों सहित पुलिस उपाधीक्षक, मोगा, उस स्थान पर पहुंच गए । जिस समय यह पुलिस दल कपास के खेतों के समीप खड़ा हुआ था, तो उन पर उग्रवादियों द्वारा गोलियां चलाई गईं । बुलेट प्रूफ जिप्सी वाला पुलिस दल गोलियां चलाता हुआ उग्रवादियों की ओर आगे चलता गया । मोगा के पुलिस उपाधीक्षक ने उग्रवादियों को समर्पण कर देने का आदेश दिया परन्तु उग्रवादी ने मोर्चा संभाला लिया और वाहन के इंजन पर एक धमाका किया जिससे वाहन का इंजन चलना बंद हो गया । उग्रवादी तब जिप्सी के बोनट पर चढ़ गया और उसने वाहन के अन्दर गोलियां चला दीं । इस पर कांस्टेबल बलजिन्दर सिंह जिप्सी से बाहर कूद कर आए और अपनी ए० एल० आर० राईफल के बट से उग्रवादी के सर पर वार किया परन्तु बट टूट गया उग्रवादी ने एक और धमाका किया । इस पर श्री राजिन्दर सिंह उग्रवादी पर टूट पड़े और उसके साथ हाथापाई में उलझ गए । इस दौरान, सर्वश्री गुरदीप चन्द और गुरप्यार सिंह भी नीचे उतर आए और उन्होंने मोर्चा ले लिया । इस समय खेत के दूसरी ओर से गोली चलनी शुरू हो गई और जिसके परिणामस्वरूप 'सर्वश्री गुरप्यार सिंह, गुरदीप चन्द और बलजिन्दर सिंह घायल हो गए । ऐसा होते देख उप-निरीक्षक राजिन्दर सिंह ने अपने रिवाल्वर से उग्रवादी पर गोली चलाई और उसको मार गिराया । तब उप-निरीक्षक राजिन्दर सिंह ने सभी घायल कांस्टेबलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया । तभी अचानक दो उग्रवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी । घावों के बावजूद सभी घायल कांस्टेबलों ने जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों के निकट पहुंचने में सफल हो गए । उन्होंने दोनों उग्रवादियों को वहां मृत पड़े हुए देखा । तत्पश्चात् एक अन्य उग्रवादी ने सर्वश्री गुरदीप चन्द, गुरप्यार सिंह और बलजिन्दर सिंह पर एक हथगोला फेंका और उन पर भारी गोलीबारी की । ऐसा होते देख, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) बुलेट प्रूफ जिप्सी में सवार होकर घायल कांस्टेबलों के पास उनको कवरिंग फायर प्रदान करते हुए वहां गए और उनको वहां से बाहर लाकर अस्पताल भेज दिया । तथापि, कांस्टेबल गुरप्यार सिंह और कांस्टेबल गुरदीप चन्द ने अस्पताल जाते हुए घावों के कारण दमतोड़ दिया ।

करीब 4.30 बजे (अपराह्न) पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) के नेतृत्वाधीन कपास के खेतों की पुनः तलाशी लेना शुरू किया गया । दो उग्रवादियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करना शुरू कर दिया तथा पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की । यद्यपि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल रेड्डी बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, फिर भी कांस्टेबल रेड्डी ने एक उग्रवादी को मार गिराया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण दूसरा उग्रवादी मारा गया । मुक्तसर के पुलिस उपाधीक्षक तथा थाना कोट भाई के थाना प्रभारी कवरिंग फायर के बीच विपरीत दिशा में गए और उग्रवादियों पर गोलीबारी की । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका । पुलिस दल ने भी उग्रवादियों पर गोलीबारी की और हथगोला

फेंका। जब उग्रवादियों की ओर से होने वाली गोलीबारी रुक गई तो उग्रवादियों के दो और शव बरामद किए गए।

इस अवसर पर, फरीदकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने बल का पुनर्गठन किया और इसको चार दलों में बांट दिया। दलों ने बुलेट-प्रूफ वाहनों से तलाशी लेना शुरू कर दिया। उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा। पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की। उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोली चलना बंद हो गया और क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो अन्य शव बरामद किए गए। इस प्रकार, इस मुठभेड़ में कुल दस उग्रवादी मारे गए। इसके बाद तलाशी लेने पर घटनास्थल से 5 एसाल्ट राईफलों, एक राकेट लांचर, दो छड़ बम, तीन .12 बोर की बन्दूकें, दो .303 बोर की राईफलें तथा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री गुरदीप चन्द और गुरप्यार सिंह, कांस्टेबलों ने, उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 नवम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 17-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री साहिब सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
थाना—काथू नांगल,
जिला—मजीठा।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

21-3-1992 को मजीठा के पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) को सूचना मिली कि अमरीक सिंह सुपुत्र जोगिन्दर सिंह, जिसका उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, को थाना सदर अमृतसर के गांव फतेहगढ़ सुकेरचाक में रखा गया है। पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10वीं बटालियन के पुलिस कर्मियों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह और नायक जैमिनी दत्त का एक पुलिस दल, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) कर रहे थे, ने गांव को घेर लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। करीब 14.30 बजे जिस समय पुलिस दल मंजीत सिंह और उसका भाई मस्सा सिंह के घर को घेरने की प्रक्रिया में थे, तो वहां छिपे हुए उग्रवादियों ने संवेदनशील हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। जिस समय गोलीबारी चल रही थी, उस समय पुलिस पंजाब के दो अन्य कांस्टेबलों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नायक जैमिनी दत्त अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों की ओर बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए पुलिस कार्मिकों को देख उग्रवादियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया के दौरान कांस्टेबल साहिब सिंह को गोलियां लगने से गहरे घाव हो गए और वह नीचे गिर गए परन्तु इसके बावजूद भी उनकी अचूक गोलीबारी ने उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया। नायक दत्त ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर बड़े ही साहस के साथ अमरीक सिंह की जान बचाई। इस बीच, अन्य उग्रवादी बीच की दीवार को पार करके मस्सा सिंह के घर के अन्दर घुस गया, और अन्दर से कुन्डी लगा कर पुलिस दल पर एक खिड़की से गोली चलाने लगा। इस बीच कमुक वहां पहुंच गई और उसने स्थिति की मुआयना करने के बाद उस कमरे में हथगोले फेंकने का निर्णय लिया जहां उग्रवादी छिपा हुआ था। नायक जैमिनी दत्त अपनी जान को जोखिम में डालकर उस खिड़की तक रेंगते हुए गए जहां से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और उस कमरे के अन्दर एक हथगोला फेंक दिया, परन्तु जब इससे वांछित परिणाम न मिला तो श्री दत्त ने छत से कमरे के अन्दर हथगोला फेंकने का फैसला किया। श्री दत्त मकान की छत पर चढ़ गए, छत में छिद्र किए और कमरे के अन्दर चार हथगोले फेंक दिए जिसके फलस्वरुप उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई। कमरे की तलाशी लेने पर, एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया जिसकी बाद में जसपाल सिंह जस्सा, के रूप में पहचान की गई। घटनास्थल से एक ए० के०-47 राईफल और उसकी 3 मैगजीनें, एक माऊजर तथा ए० के०-47 राईफल के 12 राउण्ड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री साहिब सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मार्च, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक,

सं० 18-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरदीप सिंह, (मरणोपरान्त)
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
बटाला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान कया गया।

दिनांक 21-9-92 को मोर पुलिस थाने के अधीन इलाके में कुछ खूंखार आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तुरन्त, पुलिस दलों को संगठित किया गया और कमाल स्वाज और राजगढ़ कूबे गांव के क्षेत्र को घेर लिया गया और आतंकवादियों को खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और जिस समय श्री मेजर सिंह, पुलिस उपाध्यक्ष, के नेतृत्व वाला दल, जिसमें श्री गुरदीप सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक, शामिल थे, कमाल निवासी एक भाग सिंह नामक व्यक्ति के ट्यूबवैल के "कोठा" के निकट पहुंचे तो वहां पर छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। पुलिस दल ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाबी गोलीबारी की। आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच भी सहायक उप-निरीक्षक गुरदीप सिंह आतंकवादियों के निकट पहुंचने में सफल हो गए। तीन घंटों तक एक भीषण मुठभेड़ होती रही। मुठभेड़ के दौरान श्री सिंह को गोलियों से गहरे घाव हो गए। फिर भी अंतिम सांस लेने तक वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे। इस मुठभेड़ के दौरान, तीन आतंकवादी, जिनकी शिनाख्त हरबंस सिंह, डा० गुरमेल सिंह और जसबीर सिंह के रूप में की गई, मारे गए, तथा निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया :—

(i)	3×3 राईफल्स	2
(ii)	अप्रयुक्त कारतूस 3×3	29
(iii)	315 राईफलें	1
(iv)	315 बोर के खाली कारतूस	8

इस मुठभेड़ में श्री गुरदीप सिंह, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 19-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम पाल सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
(प्रचालन),
संगरूर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27-9-1992 को श्री राम पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक, (प्रचालन), संगरूर, ने थाना सदर, संगरूर, के मस्तूआना नामक इलाके में एक तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई। जिस समय वे गन्ने के खेतों की तलाशी ले रहे थे, तो तलाशी दल ने गन्ने के खेतों के बीच में कुछ वैयक्तिक वस्तुएं रखी हुई देखी। श्री राम पाल सिंह ने उस क्षेत्र की पूरी तलाशी लेने की योजना बनाई। करीब 2.00 बजे अपराह्न जिस समय श्री सिंह अपने बन्दूकधारियों और के० रि० पु० बल की 5 टुकड़ियों सहित कपास के खेतों की ओर बढ़ रहे थे, तो खेतों में छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री सिंह और दल के अन्य कर्मियों ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाबी गोलीबारी की। आतंकवादियों ने तलाशी दल पर हथगोले फेंके जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 5 कार्मिकों को हथगोले के फटने से घाव हो गए। श्री सिंह ने भारी गोलाबारी के बीच तुरन्त अपना मोर्चा बदला और आतंकवादी के करीब पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने तब आतंकवादियों पर गोलीबारी प्रभावकारी ढंग से की। आतंकवादियों ने श्री सिंह और उनके दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कांस्टेबल पट्टी राम मारा गया। श्री सिंह एक बार फिर से आतंकवादियों के मोर्चे के निकट पहुंचने और खेतों से हथगोला फेंकने में सफल हो गए। जिस समय हथगोला फटा, तो आतंकवादी बचाव कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस पर, श्री सिंह तुरन्त दूसरे स्थान की ओर लुढ़क कर गए और आतंकवादी पर हथगोला फेंका और गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मारा गया।

लगभग दो घंटों के बाद, गोलीबारी रुक गई। तब तक अंधेरा हो चुका था। अतः श्री सिंह ने घेरेबंदी को और कड़ा बना दिया। अगले दिन (28-9-1992) बड़े सवेरे श्री सिंह ने अपने बंदूकधारियों सहित, बुलेट-प्रूफ ट्रैक्टर की सहायता से खेतों की तलाशी ली और दो आतंकवादियों के शव बरामद किए। इस प्रक्रिया के दौरान, श्री सिंह ने भीतरी घेरे से एक आतंकवादी के बच कर निकल भागने की संभावना को भांप लिया, और वह धान के खेत में खोजते हुए संदिग्ध दिशा की ओर बढ़ गए। जिस समय वे खेतों की तलाशी ले रहे थे, तो धान के खेतों में छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी

दल पर गोलीबारी की। अपने बंदूकधारियों सहित श्री सिंह ने मोर्चा लेकर आतंकवादी पर गोलियां चलाई और इस प्रकार इस आतंकवादी को भी मार डाला।

तीनों आतंकवादियों की शिनाख्त कौर सिंह, लखविन्दर सिंह उर्फ लक्खा और निर्मल सिंह उर्फ निम्मा के रूप की गई। तलाशी लेने पर, एक जी० पी० एम० बंदूक, एक 7.62 राईफल, एक ए० के०-47 राईफल और बड़ी संख्या में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस घटना स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोट की कर्तव्य परायणता, का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 20-प्रेज/95--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहम्मद मुस्तफा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
फिरोजपुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

1-12-1992 को श्री मोहम्मद मुस्तफा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर को थाना मक्खू क्षेत्र में आतंकवादियों के एक गिरोह की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई। दो अन्य सिविल वर्दी धारकों सहित श्री मुस्तफा चद्दरों में छिपाई हुई अपनी एसाल्ट राईफलों सहित संदिग्ध स्थान पर आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के उद्देश्य से वहां गये। स्वयं पुष्टि करने के बाद, वह सी० आई० ए० मुख्यालय लौट आए। तत्पश्चात पुलिस दलों ने उस क्षेत्र को घेर लिया तथा वे आतंकवादी दो समूहों में बैठे हुए अचानक घिर गए जिसमें से एक दल ट्यूबवैल वाले कमरे के पास बैठा हुआ था तथा दूसरा दल गन्ने के खेत में अन्दर घुस कर बैठा हुआ था। अचानक पुलिस दल को देखकर उन्होंने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। श्री मुस्तफा ने स्थिति का मूल्यांकन किया और एक छोटा आक्रमणकारी दल तैयार किया। चार कांस्टेबलों वाले दल, जिसमें बलबीर सिंह और नासिर अली शामिल थे, का नेतृत्व श्री मुस्तफा कर रहे थे। आक्रमणकारी दल की सहायता करने और उनको कवरिंग फायर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दो अन्य दल भी तैयार किए गए। आक्रमणकारी दल ने पहले आतंकवादियों से टक्कर लेने का फैसला किया जो कि साथ के कच्चे नाले में और ट्यूबवैल के कमरे में छिपे हुए थे। श्री मुस्तफा अपनी टीम सहित उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए जहां से वे आतंकवादियों पर वार कर सकते थे। पुलिस को देखते ही आतंकवादियों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी। कांस्टेबल बलबीर सिंह और कांस्टेबल नासिर अली सहित श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर गोली चलाई तथा 20 मिनट के अंदर ही दोनों नाले में छिपे आतंकवादी मारे गए। फिर इस दल ने अपना मोर्चा बदला और ट्यूबवैल कमरे में छिपे हुए आतंकवादियों पर गोली चलाई। यह आभास करते हुए कि इस स्थान से वे आतंकवादी पर वार नहीं कर सकते, इस दल ने तीन सदस्यों को उसी स्थान पर तैनात छोड़कर श्री मुस्तफा कांस्टेबल बलबीर सिंह सहित, ट्यूबवैल के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। इस बात का अहसास करते हुए कि आतंकवादियों की बंदूकों को केवल ट्यूबवैल में एक ओर बनी खिड़की से अन्दर हथगोले फेंक कर ही शान्त किया जा सकता है, श्री मुस्तफा ने कांस्टेबल बलबीर सिंह को दूसरे पुलिस दल से हथगोले लाने का निर्देश दिया। श्री मुस्तफा ने स्वयं साईड खिड़की से हथगोले अंदर फेंके। करीब आधे घंटे के बाद उन्होंने 4-5 हथगोले पुनः कमरे में अंदर फेंके। उसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई। श्री मुस्तफा और श्री बलबीर कमरे के अन्दर गए और उन्होंने वहां चार आतंकवादियों के शव पाये। इस दौरान, अन्य कुमुक और नाईट लाईटिंग डिवाईसिज तथा बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर्स वहां पहुंच गए। चारों ओर तैनात ट्रैक्टरों और जिप्सियों की हैड-लाईटें जलाकर संपूर्ण क्षेत्र में उजाला कर दिया गया। जिस समय श्री मुस्तफा उन व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, तो खेतों में से दो आतंकवादी उठे और भाग कर तथा पश्चिमी छोर की तरफ से पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस उपाधीक्षक, जीरा, के नेतृत्व वाले दल ने उस तरफ से तुरन्त कार्रवाई की और दोनों आतंकवादियों को मार डाला।

2.12.92 को करीब 1.00 बजे पूर्वाह्न, श्री मुस्तफा ने अन्य अधिकारियों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा की और उस पर वर्षा की और प्रातः स्थिति से धीरे-धीरे पीछे हटने और गन्ने के खेतों में आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। लगभग आधे घंटे तक पूर्ण शांति रही। उसके बाद कुछ आतंकवादियों ने रेंग कर खेतों से बच कर भागने की कोशिश की। पुलिस दलों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई। आतंकवादियों ने एक छोटा नाली के सामने मोर्चा ले लिए और जवाब में गोलीबारी की। एक घंटे से अधिक समय तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। अन्ततः श्री मुस्तफा और उनके दल के सदस्यों को सभी आतंवकवादियों को मार डालने में सफलता मिली, जिनकी संख्या बाद में पांच निकली। तब श्री मुस्तफा अपने दल से अलग होकर गन्ने के खेत से बंध के साथ-साथ होकर पूर्वोत्तर

मोड़ पर आ गए। इस दौरान, एक पुलिस कर्मी ने कुछ आतंकवादियों की गतिविधियों को देखा। जिप्सी की हैड-लाईट की रोशनी में उनकी गतिविधियां दिखाई दे रही थी। श्री मुस्तफा ने एक बुलेटप्रूफ जिप्सी के पीछे मोर्चा ले लिया और आतंकवादियों को आत्म समर्पण कर देने के लिए चेतावनी दी परन्तु उन्होंने उसका जवाब स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करके दिया। श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर गोली चलाई और उन दोनों को मार डाला।

श्री मुस्तफा घेरे गए क्षेत्र में अपने कर्मिकों की सतर्कता का पता लगाने के लिए गए, जोकि रात भर जागते रहे थे तथा कार्रवाई करते रहे थे।

करीब 4.45 बजे पूर्वाह्न पुलिस कर्मियों द्वारा गन्ने के खेत में एक बार फिर हथगोले फेंके गए तथा गन्ने के खेतों में पुलिस कर्मिकों द्वारा चुने हुए स्थानों पर गोलीबारी की गई ताकि आतंकवादियों की उपस्थिति की रोकथाम की जा सके। उसके बाद श्री मुस्तफा ने पुलिस उपाध्यक्ष और एक निरीक्षक के साथ ट्रैक्टर स्वयं चलाया। बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर ने एक चक्कर लगाया और एक स्थान पर दो आतंकवादियों ने उससे बच कर भागने का प्रयास किया क्योंकि उनको इस बात का डर महसूस हुआ था कि कहीं वे ट्रैक्टर के नीचे कुचले न जाएं। उनको पुलिस उपाध्यक्ष और निरीक्षक द्वारा अपनी बंदूकों से मार दिया गया। करीब 7.30 बजे पूर्वाह्न, क्षेत्र की पूरी तलाशी ली गई और गन्ने के खेत से एक और आतंकवादी का शव बरामद किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 19 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। और अधिक तलाशी लेने पर घटनास्थल से 7 ए० के० राईफलें और उनकी 15 मगजीनें, 1 एस० एल० आर० और उसकी एक मैगजीन, 2 मैगजीनों सहित एक स्टेन गन, दो .303 राईफलें, एक .315 बोर की राईफल, एक 7.62 की बोल्ड एक्शन राईफल, एक .455 विदेश निर्मित रिवाल्वर, एक .32 बोर रिवाल्वर, एक .30 बोर की पिस्तौल, 1 डी.बी.बी.एल. गन, 3 एस.बी.बी.एल. बन्दूकें दो स्टिक बम, 8 कि० ग्रा० विस्फोटक सामग्री, आठ एच० ई०—36 हथगोले और बड़े मात्रा में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस घटनास्थल से बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद मुस्तफा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 21-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री सतीश कुमार शर्मा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जालंधर।

श्री हरमेल सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
(ग्रामीण), जालंधर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1992 को, श्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, को सूचना मिली कि सशस्त्र आतंकवादियों का एक दल थाना-फिल्लौर, नूरमहल और गोराए, नामक क्षेत्रों में मारुति कार में घूम रहे हैं। विशेष नाका और गश्त लगाने की योजना बनाई गई।। करीब 5.30 बजे पूर्वाह्न, श्री हरमेल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, के नेतृत्व में एक नाका दल ने गांव-आरायन के निकट त्रि-कैनाल जंकशन पुल पर घात लगाई तो उन्होंने गांव अकालगढ़ा की ओर से दो मारुति कारों को आते देखा। जैसे ही कारें नाकादल के निकट पहुंची, तो उन्हें रुकने का संकेत दिया गया। कार के चालकों ने तुरन्त अपनी कारों को एक ओर मोड़ लिया और उसके अंदर बैठे लोग बिजली की फुर्ती से कार से बाहर आए और पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से धमाके किए। क्योंकि पुलिस नाका दल पहले से ही मोर्चा संभाले बैठें हुआ था, तो वे पहला आक्रमण झेल गए और उन्होंने आत्म-सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस पर आतंकवादी विभिन्न दिशाओं में भागने लगे और उन्होंने गन्ने के खेतों में मोर्चा ले लिया इस घटना के बारे में वायरलैस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी संदेश भेज दिया गया। तत्पश्चात्, इस बात का आभास करते हुए कि आतंकवादी घटनास्थल से भागने की कोशिश न करें, श्री हरमेल सिंह ने आतंकवादियों पर गोली चलाने का अपने साथियों को निर्देश दिया ताकि वह बचकर न भाग सकें। दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। इस बीच, थाना फिलौर के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक, जालंधर, भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

सूचना प्राप्त होने पर श्री सतीश कुमार शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। श्री शर्मा ने स्थिति का मूल्यांकन किया और विभिन्न दलों को वहां से बचकर भाग निकलने के सभी रास्तों को युक्तिपूर्ण ढंग से कवर कर लेने का निर्देश दिया। हैड-कांस्टेबल इन्दरजीत सिंह सहित श्री शर्मा उस ट्यूबवैल की ओर बढ़ गए जहां से पुलिस दल पर गोलियां चलाई जा रही थीं जिससे कि अन्य आतंकवादी वहां से बच कर न भाग सकें। इस आतंकवादी को निष्क्रिय

करना अनिवार्य था ताकि अन्य आतंकवादी बच कर भाग न सकें । श्री हरमेल सिंह की कवरिंग फायर के अधीन श्री शर्मा ट्यूबवैल की ओर बढ़ गए । आतंकवादी के पास पहुंचने के लिए सर्व/श्री शर्मा और इन्द्रजीत सिंह ने एक लम्बा रास्ता तय किया, पर तब तक आतंकवादी ने अपनी स्थिति कई बार बदल ली थी । जब वे आतंकवादी के निकट पहुंचे, तो आतंकवादी ने उनकी गतिविधियों को देख लिया और उन पर हथगोले फेंके । आतंकवादी द्वारा फेंके गये हथगोले फट गए परन्तु सर्व/श्री शर्मा और इन्द्रजीत सिंह ने मोर्चा ले लिया था और बिना घायल हुए बच गए । इसके बाद, श्री शर्मा ट्यूबवैल वाले कमरे की छत पर चढ़ गए और अपनी ए०के०-47 राईफल से अचूक गोली चला कर उसको मार डाला ।

श्री हरमेल सिंह और हैड-कॉस्टेबल जगतार सिंह बांई ओर से उन तीनों आतंकवादियों की मोर्चाबन्दी को तोड़ने के लिए आगे बढ़े जो पुलिस कर्मियों पर जी० पी० एम० जी० और ए०के०-47 राईफलों से गोलियां चला रहे थे । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर जी० पी० एम०जी० से एक बड़ा धमाका किया । सर्व/श्री हरमेल सिंह और जगतार सिंह एक ओर लुढ़क गए और इस प्रकार उन्होंने जी० पी०एम० जी० से किए गए धमाके से स्वयं को बचा लिया । दोनों ने जी० पी० एम० जी० से किए गए धमाके से बचने के बाद मोर्चा ले लिया और अपनी राईफलों से गोलियां चलाकर उस आतंकवादी को शांत कर दिया जो अपनी जी० पी० एम० जी० से गोलियां चला रहा था । सर्व/श्री हरमेल सिंह और जगतार सिंह ने तब एक धमाका करके दूसरे आतंकवादी को मार डाला जिसने पास में ही मोर्चा लिया हुआ था । थाना प्रभारी फिल्लौर और उनके दल द्वारा एक आतंकवादी मार डाला गया ।

तत्पश्चात्, आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई । इलाके की तलाशी ली गई और छह आतंकवादियों के शव बरामद किए गए । इसके आग तलाशी लेने पर, घटनास्थल से ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी०, 2 ए० के०-47 राईफलें और उनकी 5 मैगजीनें, .38 बोर की एक रिवाल्वर, एक राकेट लांचर और राकेट तथा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सतीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा हरमेल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अक्तूबर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 22-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री निर्मल सिंह (मरणोपरांत)
हैड़कांस्टेबल,
3 री कमांडो बटालियन,
काथूनांगल ।

श्री सुखबीर सिंह (मरणोपरांत)
हैड-कांस्टेबल,
3 री कमांडो बटालियन,
काथूनांगल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

5 जनवरी, 1993 को, थाना काथूनांगल में सूचना प्राप्त हुई कि खूंखार उग्रवादी बलविन्दर सिंह उर्फ गुलाब अपने साथियों सहित गांव अब्दुल में कुलदीप सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है । एक पुलिस की टुकड़ी जिसमें जिला पुलिस और तीसरी बटालियन के कमांडो सहित (जिनमें सर्व श्री बलवंत सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, निर्मल सिंह, हैडकांस्टेबल और सुखबीर सिंह, हैडकांस्टेबल भी शामिल थे) थाना प्रभारी तुरन्त गांव की ओर रवाना हो गए । वहां पहुंचने पर जिस घर में उग्रवादियों के छिपे होने की सूचना थी, उस घर को उन्होंने घेर लिया । दो पुलिस कर्मी घर की छत पर चढ़ गए और उन्होंने उग्रवादियों को बाहर निकल आने और समर्पण कर देने के लिए ललकारा । इस पर उग्रवादियों ने पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सहायक उप-निरीक्षक बलवंत सिंह, सर्वश्री सुखबीर सिंह, निर्मल सिंह और धर्मपाल, हैड-कांस्टेबल सहित घर के मुख्य द्वार पर तैनात थे ताकि उग्रवादी बच कर भाग न सकें । पुलिस दल ने आत्मसुरक्षा में तुरन्त गोली चलाई और कुमुक भी मंगाई ।

इस बीच, दो उग्रवादी गलियारे में से मुख्य द्वार की ओर दौड़ते हुए बाहर की ओर आए ताकि बच कर भाग सकें । सहायक उप-निरीक्षक बलवंत सिंह और हैड-कांस्टेबल दोनों उग्रवादियों के सामने आए और उनके साथ गोली-बारी की । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण सर्वश्री बलवंत सिंह और सुखबीर सिंह को गोलियों के लगने से घाव हो गए । तथापि, अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने उग्रवादियों के साथ मोर्चा लगाकर लड़ाई की और दोनों को मार डालने में सफलता प्राप्त की । हैड-कांस्टेबल सुखबीर सिंह ने अपने घावों के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि सहायक उप-निरीक्षक बलवंत सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए ।

इस दौरान, एक खिड़की से गोलियां चलनी जारी रहीं । आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोली-बारी इतनी भीषण

थी कि कोई भी व्यक्ति आगें बढ़ने का साहस नहीं कर सका । कांस्टेबल निर्मल सिंह जोकि मुख्य द्वार पर मोर्चा संभाले हुए थें, खिड़की तक पहुंचने में सफल हो गए । वहां पहुंचने पर, श्री निर्मल सिंह ने एक उग्रवादी को वहां देखा और उस पर गोली चलाई । इसके साथ-साथ उग्रवादी ने भी निर्मल सिंह पर गोलियां चलाई । इस प्रक्रिया के दौरान, हैड-कांस्टेबल निर्मल सिंह को गोली लगने से गहरे घाव हो गए, फिर भी वे उग्रवादी पर तब तक गोली चलते रहे जब तक कि वह गिर नहीं गए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलियां चलानी रुक गई । तलाशी लेने पर उग्रवादियों के तीन शव बरामद किए गए । मृत उग्रवादियों की बाद में बलविन्दर सिंह उर्फ गुलाब (बब्बर खालसा गिरोह का ले० जनरल), जसवंत सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुहागा के रूप में पहचान की गई । और अधिक तलाशी लेने पर घटनास्थल से एक जी० पी० एम० जी०, एक ए० के०–47 राईफल और एक एस० एल० आर० तथा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए । इस मुठभेड़ में सर्वश्री धर्मपाल और जसबीर सिंह, कांस्टेबलों को भी चोटें लगीं, तथा उन दोनों को पारी से पहले पदोन्नति दे दी गई । जिन अन्य पुलिस कार्मिकों ने मुठभेड़ में भाग लिया था उन्हें पदोन्नति/प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री निर्मल सिंह और सुखबीर सिंह, हैड-कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता दिखायी ।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 23–प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री परमजीत सिंह गिल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मजीठा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

27 अप्रैल, 1992 को थाना काथू नंगल के थाना प्रभारी को कोटली ढोले शाह नामक गांव में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । उन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ अधीक्षक श्री परमजीत सिंह गिल, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) श्री बंगा और पुलिस अधीक्षक (मुख्या०) श्री एच० एस० रन्धावा को सूचित किया । वे सभी अधिकारी अपने-अपने बन्दूकधारियों के साथ और के० रि० पु० बल के कार्मिकों को लेकर छिपने के स्थान पर पहुंच गए । कोटली ढोले शाह गांव पहुंचकर श्री गिल ने अभियान की कमान संभाली और अधिकारियों सहित विभिन्न दलों को सुरिन्दर सिंह नामक व्यक्ति के घर को, जो गांव के बीचों बीच स्थित था घेर लेने का आदेश दिया ।

घेराबंदी पूरी हो जाने के बाद श्री गिल उस मकान की छत पर चढ़ गए जिसमें उग्रवादी छिप हुए थें । उन्होंने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा लेकिन उग्रवादियों ने श्री गिल की ओर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । उन्होंने तुरंत ही अपने दल के कार्मिकों को जबाबी गोलाबारी करने का आदेश दिया । सेना और राष्ट्रीय राईफल्स को भी सूचना दे दी गई थी और वे घटना स्थल पर पहुंच गए थे । उग्रवादियों ने पक्के कमरे में पोजिशन ली हुई थी इसलिए सुरक्षा बलों की गोलीबारी प्रभावी साबित नहीं हो रही थी । श्री गिल ने रणनीति बदली और अपने बंदूकधारियों को छत में छेंद करने का आदेश दिया । श्री गिल की देखरेख में जब वे छेंद कर रहे थें तभी एक बार फिर गोलियों की बौछार मकान के छिद्रों और दरवाजों से होकर आई । तब उग्रवादियों को बांधें रखने के लिए श्री गिल ने उस कमरे में हथगोले फेंके । गोलीबारी और हथगोले फेंकने की इस प्रक्रिया में मजीठा के पुलिस अधीक्षक (आपरेशन), उनके बंदूकधारी और दो सैनिक उस समय घायल हो गए जब वे उग्रवादियों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे । उपचार के लिए उन्हें तुरंत ही अमृतसर स्थित अस्पताल ले जाया गया ।

इसके बाद श्री गिल और उनके दल ने अपनी पोजिशन बदली और बड़ें जोर से सभी दिशाओं से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई तथा हथगोले फेंके । मुठभेड़ में हिस्सा ले रहे सभी कार्मिकों को मार्गदर्शन देते हुए वे बहुत बहादुरी से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे । लगभग 4.00 बजें सायं के समय पंजाब पुलिस, के० रि०पु० बल और सैन्य कार्मियों द्वारा अनेक हथगोले फेंके जाने के कारण घरेलू सामान में आग लग गई । कुछ समय के पश्चात, उग्रवादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई । श्री गिल ने स्वयं ही हमले का नेतृत्व किया और घर के सभी कमरों की तलाशी ली । तलाशी के दौरान उग्रवादियों की तीन लाशें बरामद हुई जिनकी पहचान हरदेव सिंह उर्फ कालिया (बी० टी० एफ० के० का स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल) ज्ञान सिंह उर्फ चाचा और जगत सिंह उर्फ जागा के रूप में हुई । वे कई हत्याओं और अन्य उग्रवादी अपराधों के लिए जिम्मेदार थें । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से 2 ए० के० –47 राइफलें, एक माउजर पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री परमजीत सिंह गिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 24-प्रेज /95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बलबीर सिंह,
कांस्टेबल,
फिरोजपुर ।

श्री नासिर अली,
कांस्टेबल,
फिरोजपुर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1 दिसम्बर, 1992 को फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुहम्मद मुस्तफा को थाना-मलख के क्षेत्र में आतंकवादियों के एक गिरोह की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली । आतंकवादियों की मौजूदगी की जांच करने के लिए श्री मुस्तफा, दो अन्य के साथ सादा वस्त्रों में, अपनी एसाल्ट राइफलों को चादरों में छिपाकर संदिग्ध क्षेत्र में गए । स्वयं पुष्टि करने के बाद वे सी आई० ए० मुख्यालय वापस आ गए । इसके बाद पुलिस दलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों को बेखबर अवस्था में दो गुटों में—एक को एक नलकूप के कमरे के पास और दूसरे को थोड़ा अन्दर की ओर एक गन्ने के खेत में बैठा पाया । पुलिस को देखकर वे इधर-उधर भागने लगे । श्री मुस्तफा ने स्थिति का जायजा लिया और छोटे आक्रमण दल का गठन किया । चार कांस्टेबलों वाली टीम का नेतृत्व श्री मुस्तफा स्वयं कर रहे थे जिसमें बलबीर सिंह और नासिर अली भी शामिल थे । कवरिंग फायर देने और आक्रमण दल की सहायता करने के लिए दो अन्य दल भी बनाए गए । आक्रमण दल ने सबसे पहले उन आतंकवादियों का मुकाबला करने का निश्चय किया जो नलकूप वाले कमरे के अन्दर और निकटवर्ती कच्चे नाले में शरण लिए हुए थे । श्री मुस्तफा, अपने दल के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए जहां से वे आतंकवादियों पर हमला कर सकते थे । पुलिस को देखकर आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । कांस्टेबल बलबीर सिंह और कांस्टेबल नसिर अली के साथ श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों की ओर गोलियां चलाई जिससे 20 मिनट के अन्दर ही नाले में मौजूद तीन आतंकवादी मारे गए । उसके बाद इस दल ने पोजिशन बदली और नलकूप वाले कमरे में छिपे आतंकवादियों की ओर गोलियां चलाई । वह महसूस करके कि इस पोजिशन से आतंकवादियों को मारा नहीं जा सकेगा, कांस्टेबल बलबीर सिंह सहित श्री मुस्तफा नलकूप के पीछे पहुंचने में कामयाब हो गए और अपने दल के बाकी तीन सदस्यों को उसी मोर्चे पर छोड़ गए । यह अनुमान लगाकर कि आतंकवादियों की बंदूकों को शान्त करने का एक ही उपाय है कि नलकूप के अगल-बगल वाली खिड़कियों से होकर हथगोले फेंके जाएं, श्री मुस्तफा ने कांस्टेबल बलबीर सिंह को आदेश दिया कि वे दूसरे पुलिस दल से हथगोले ले आएं । श्री मुस्तफा ने स्वयं बगल की खिड़की से हथगोले फेंके । लगभग आधे घण्टे के बाद उन्होंने फिर से 4-5 हथगोले कमरे के अन्दर फेंके । इसके बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई, श्री मुस्तफा और बलबीर सिंह नलकूप वाले कमरे में पहुंचे और वहां उन्होंने 4 आतंकवादियों को मरा पड़ा देखा । इसी बीच और कुमुक तथा रात में उजाला करने वाले उपकरण तथा बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर घटना स्थल पर पहुंच गए । ट्रैक्टरों और जिप्सियों को चारों ओर खड़ा करके उनकी हैड लाइट जलाकर सारे क्षेत्र को पूरी तरह प्रकाशित कर दिया गया । जब श्री मुस्तफा इन प्रबन्धों में व्यस्त थे तभी दो आतंकवादी खेत से निकले और भाग खड़े हुए तथा उन्होंने पश्चिमी ओर से घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया । उस तरफ जीरा के उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तैनात पुलिस दल ने तुरंत ही प्रतिक्रिया की और दो आतंकवादियों को गोलियों से ढेर कर दिया ।

लगभग 1.00 बजे प्रातः श्री मुस्तफा ने अन्य अधिकारियों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा और चर्चा की और अपनी पोजिशन से थोड़ा पीछे हटकर, गन्ने के खेतों में आतंकवादियों की हलचलों को देखने का निश्चय किया । लगभग 1 घण्टे तक पूरी तौर पर शान्ति बनी रही । इसके बाद कुछ आतंकवादी खेतों से रेंगकर बाहर निकलने लगे । पुलिस दलों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई । आतंकवादियों ने एक छोटी नाली की ऊँची उठी पटरी के पीछे पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी की । दोनों ओर से लगभग एक घण्टे तक गोलियां चलती रही । अंततः श्री मुस्तफा और उनके साथी उन सभी को मार डालने में सफल हो गए जोकि बाद में संख्या में पांच पाए गए । इसके बाद श्री मुस्तफा अपने दल को छोड़कर बंध के किनारे के गन्ने के खेत के पूर्वोत्तर कोने की ओर आए । इसी बीच एक पुलिस कर्मी ने कुछ आतंकवादियों की हलचल देखी । ये आतंकवादी जिप्सी की हैड लाइटों के प्रकाश में मुश्किल से नजर आ रहे थे । श्री मुस्तफा ने एक बुलेट प्रुफ जिप्सी के पीछे पोजिशन ले ली और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण

की चेतावनी दी लेकिन उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाकर इसका जबाव दिया। श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और थोड़ी ही देर में उन दोनों को मार गिराया।

श्री मुस्तफा, अपने आदमियों की चौकसी का पता लगाने के लिए घेराबंदी वाले सारे क्षेत्र के चारों तरफ घूमे जोकि पूरी रात जागे हुए थें और कार्रवाई में रत थें। प्रातः लगभग 4.45 बजें आतंकवादियों की मौजूदगी की जांच करने के लिए पुलिस कर्मियों ने गन्ने के खेतों में हथगोले फेंकने और चुनिंदा गोलीबारी करने का एक और चक्र चलाया। इसके बाद श्री मुस्तफा स्वयं एक पुलिस उपाधीक्षक और एक निरीक्षक के साथ एक ट्रैक्टर चलाकर ले गए। बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ने एक चक्कर लगाया और एक स्थान पर दो आतंकवादियों ने इस डर से भागने का प्रयास किया कि कहीं वे ट्रैक्टर के नीचे आकर कुचले न जाएं। पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक ने उन्हें गोलियां मारकर धराशाही कर दिया। लगभग 7.30 बजें प्रातः पूरी तरह तलाशी ली गई और गन्नें के खेंत में एक अन्य आतंकवादी की लाश पाई गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 19 आतंकवादी इस मुठभेंड़ में मारे गए। आगें तलाशी के दौरान 15 मैगजीनों सहित 7 ए० के०–47 राइफलें, एक मैगजीन सहित एक एस० एल० आर०, 2 मैगजीनों सहित एक स्टेनगन, 303 की दो राइफलें, .315 बोर की एक राइफल, एक 7.62 बोल्ट एक्शन राइफल, .455 बोर का विदेशी रिवाल्वर, एक .32 बोर का रिवाल्वर, एक .30 बोर की पिस्तौल, एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक, 3 एस० बी० बी० एल० बंदूकें 2 स्टिक बम, 8 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, एच० ई० 36 के 8 हथगोलें और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूस मुठभेंड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेंड़ में सर्वश्री बलबीर सिंह, कांस्टेंबल और नासिर अली, कांस्टेंबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दियें जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 दिसम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 25–प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री हरदीप सिंह ढिल्लों,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अमृतसर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एच० एस० ढिल्लों को सूचना मिली कि अति कट्टर आतंकवादी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ कमांडर सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा चाचोवलिया को थाना धारन्दा के क्षेत्र में घूमते देखा गया था। इस सूचना के बाद उन्होंने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। 3 जनवरी, 1994 को लगभग 10.15 बजे रात को श्री ढिल्लों को सूचना मिली कि स्वचालित हथियारों से लैस तीन आतंकवादी, रानिके और चोगावां गांवों के क्षेत्र में घूम रहे हैं। अपने बन्दूकधारी के साथ श्री ढिल्लों उस क्षेत्र की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी रानिके गांव पहुंचने का संदेश प्रसारित कर दिया। थाना धरिन्दा के थाना प्रभारी की ओर से सबसे पहले प्रत्युत्तर मिला और वे जोगावां गांव के चौराहे पर अमृतसर अटारी जी० टी० रोड पर आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आकर मिल गए। जैसे ही वे लोग रानिके गांव के नाले के पुल पर पहुंचे वैसे ही नाले की पटरी और घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने पुलिस वाहनों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की एक बौछार श्री ढिल्लों की जिप्सी के अग्रभाग से टकराई। श्री ढिल्लों और उनका बंदूकधारी तुरंत ही सक्रिय हो गए, उन्होंने नाले की जी० टी० रोड साइड की पटरी के पीछें पोजिशन ले ली और जवाब में गोली चलाई। उग्रवादियों ने अपने आपको नाले की चोगावां की ओर वाली पटरी के पीछें खाई में छिपा रखा था और वे स्वचालित हथियारों से गोली चला रहे थें तथा हथगोले भी फेंक रहे थें। श्री ढिल्लों और उनका दल लक्ष्य पर मार नहीं कर पा रहा था। श्री ढिल्लों पटरी के साथ-साथ लगभग 20 गज तक, आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच आगें बढ़ें और उन्होंने थाना धरिन्दा के थाना प्रभारी को अपने मोर्चे से आतंकवादियों पर लगातार गोली चलाते रहने का आदेश दिया। दो कांस्टेंबल श्री ढिल्लों के पीछें-पीछें गए और वहां से इस दल ने उग्रवादियों पर गोली चलाई। श्री ढिल्लों और उनके दल द्वारा की गई गोलीबारी भी प्रभावकारी साबित नहीं हुई। स्थिति का अनुमान लगाते हुए श्री ढिल्लों ने अपनी पोजीशन से हटने और नाले की सूखी तलहटी में जाकर नाले की दूसरी ओर पहुंचने का निश्चय किया जहां से उग्रवादी पुलिस पर गोली चला रहे थें। श्री ढिल्लों ने थाना धरिन्दा के थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वे उग्रवादियों को उलझाए रखें। वे बिना किसी की जानकारी में आए नाले की सूखी तलहटी में उतरकर उसके दूसरी ओर पहुंच गए। वे चुपचाप, सरकण्डों की आड़ लेते हुए उग्रवादियों की ओर धीरे-धीरे सरकने लगें। अपने पीछें किसी गतिविधि का आभास पाकर एक उग्रवादी पीछें घूमा और उसने अपनी जी० पी० एम० जी० से एक बर्स्ट फायर किया जो श्री ढिल्लों के करीब से गुजर गया। श्री ढिल्लों ने अपनी कारबाइन से गोलियों की बौछार की जो उग्रवादी के चेहरे और छाती पर लगी और वह उग्रवादी वहीं ढेर हो गया। मारे गयें आतंकवादी की

शिनाख्त बाद में, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा चाहोवालिया के रूप में हुई जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की माझा जोन का चीफ था और एक कट्टर उग्रवादी था । वह हत्या, बम विस्फोट, अर्द्ध-सैनिक बलों पर घात लगाकर हमला करने के 35 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार था । तथापि, अन्य दो उग्रवादी अंधेरे की आड़ में भाग जाने में सफल हो गए । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक जी० पी० एम० जी०, 2 ड्रम मैगजीन, 2 हथगोले, 10 मीटर कोरडेक्स वायर, 10 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर, डाइनामाइट की 20 छड़ें और लगभग 200 जिन्दा/खाली कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री हरदीप सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 26-प्रेज/95--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री इंदरजीत सिंह,
हैड कांस्टेबल,
जालन्धर ।

श्री जगतार सिंह
हैड कांस्टेबल,
जालन्धर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15 अक्तूबर, 1992 को श्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि सशस्त्र आतंकवादियों का एक समूह थाना-फिल्लौर, नूरमहल और गुराए के क्षेत्रों में मारुति कारों में घूम रहा है । विशेष नाका और गश्त की व्यवस्था की गई । गांव कांग-अरायन के पास तीन नहरों के जंक्शन वाले पुल पर घात लगाए हुए नाका दल ने, जिसका नेतृत्व श्री हरमेल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक कर रहे थे, लगभग 5.30 बजे प्रातः अकालपुरा गांव की ओर से आती हुई दो मारुति कारों को देखा । जब यह कारें नाका पार्टी के पास पहुंची तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया । कारों के ड्राइवरों ने तुरंत ही अपनी कारों को एक तरफ मोड़ लिया और उसमें बैठे लोग बड़ी तेजी से नीचे उतर पड़े तथा उन्होंने नाका दल पर अपने स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी । चूंकि नाका दल पहले से ही पोजिशन लिए हुए था, इसलिए पहले आक्रमण को झेल गया और आत्मरक्षा में उन्होंने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी । आतंकवादी विभिन्न दिशाओं में भागे और उन्होंने गन्ने के खेतों में पोजीशन ले ली । वायरलैस पर इस घटना का संदेश वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया गया । इसके पश्चात् श्री हरमेल सिंह ने यह महसूस करते हुए कि आतंकवादी मुठभेड़ स्थल से भागने का प्रयास कर रहे हैं, अपने दल को आदेश दिया कि वह आतंकवादियों पर गोलियां चलाएं ताकि वे बचकर न भाग सकें । दोनों ओर से हुई गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए । इसी बीच फिल्लौर के थानाध्यक्ष तथा जालन्धर के पुलिस अधीक्षक भी घटना स्थल पर पहुंच गए ।

सूचना पाकर श्री सतीश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे । श्री शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न दलों को युक्तिपूर्वक आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि सभी संभावित बचाव रास्तों को कवर किया जा सके । हैड कांस्टेबल इंदरजीत सिंह के साथ श्री शर्मा नलकूप की ओर बढ़े जिधर से एक आतंकवादी, अन्य आतंकवादियों को बचकर भाग निकलने का अवसर देने के लिए पुलिस बल पर गोलियां चला रहा था । इस आतंकवादी को खत्म करना बहुत जरूरी था जिससे अन्य आतंकवादी बचकर न भाग सकें । श्री हरमेल सिंह के कवरिंग फायर की छाया में श्री शर्मा ट्यूबवेल की ओर बढ़े । आतंकवादी के पास पहुंचने के लिए सर्वश्री शर्मा और इंदरजीत सिंह ने काफी लम्बी दूरी तय की, आतंकवादी तब तक कई बार अपनी पोजीशन बदल चुका था । जब वे आतंकवादी के पास पहुंचे तो आतंकवादी ने उनकी हलचल को देख लिया और उन पर हथगोले फेंके । आतंकवादी द्वारा फेंके गये दोनों हथगोले फटे लेकिन सर्वश्री शर्मा और इंदरजीत सिंह ने पोजीशन ले ली और सुरक्षित बच गए । इसके बाद श्री शर्मा नलकूप के कमरे की छत पर चढ़ गए और निशाना साधकर आतंकवादी पर अपनी ए० के०-47 राइफल से गोलियां चलाई और उसे मार डाला ।

श्री हरमेल सिंह और हैड कांस्टेबल जगतार सिंह बाईं ओर से उन तीनों आतंकवादियों को घेरने के लिए आगे बढ़े जो पुलिस कर्मियों पर जी० पी० एम० जी० और ए० के०-47 राइफलों से, ऊंची खड़ी फसल में से गोलियां चला रहे थे । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर जी० पी० एम० जी० का एक लम्बा बर्स्ट फायर किया । सर्वश्री हरमेल और जगतार सिंह एक ओर को लुढ़क गए और इस प्रकार उन्होंने जी० पी० एम० जी० से चलाए गए बर्स्ट फायर से अपने आपको बचाया । दोनों ने ही जी० पी० एम० जी० की कठिन गोलीबारी को पार किया, पोजीशन ली और जी० पी० एम० जी० से गोली चलाने वाले आतंकवादी को अपनी राइफलों से गोलियां चलाकर मार डाला । सर्वश्री हरमेल सिंह और जगतार सिंह ने तब एक बर्स्ट फायर किया और

दूसरे आतंकवादी को भी मार डाला जिसके कि पास में ही पोजीशन ली हुई थी । एक आतंकवादी को थाना, फिल्लौर के थानाध्यक्ष और उनके दल ने मार डाला ।

इसके बाद आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई । क्षेत्र की तलाशी ली गई और 6 आतंकवादियों के शव बरामद किए गए । आगे तलाशी लेने पर ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी, 5 मैगजीनों सहित 2 ए० के० 47 राइफलें, एक .38 बोर रिवाल्वर, एक 7.65 एम० एम० राइफल, रॉकेट सहित एक रॉकेट लांचर और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूस, मुठभेड़ स्थल से बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री इन्दरजीत सिंह और जगतार सिंह, हैड कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अक्तूबर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 27-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उपकी वीरता के लिए पुलिस पदक गैलेंट्री प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजबीर सिंह,
सहा० उप-निरीक्षक, पुलिस
(अब उप-निरीक्षक)
जिला फरीदकोट ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1 जनवरी, 1993 को फरीदकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को थाना जैतो क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली । अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सहा० उप-निरीक्षक राजबीर सिंह, सी० आई० ए० स्टाफ, फरीदकोट ने के० रि० पु० बल कार्मिकों वाला एक विशेष पुलिस दल बनाया और थाना जैतो के क्षेत्र में गांव मालन और चैनियां की ओर गश्त की ड्यूटी पर चले । जब पुलिस दल नाले के पास पहुंचा तो उन्होंने एक आदमी को बांई तरफ से आते देखा । श्री राजबीर सिंह ने उस व्यक्ति की पहचान की जांच करने के लिए अपनी जीप को रोका लेकिन उस आदमी ने तुरन्त ही अपनी रिवाल्वर से गोली चलानी शुरू कर दी । स० उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और अन्य पुलिसकर्मी जीप से उतर आए और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया । आतंकवादी ने भी नाले में पोजीशन ले ली । पुलिस दल रेंगकर आगे बढ़ा और उन्होंने भी रणनीतिक रूप से पोजीशन ले ली । ए० एस० आई० राजबीर सिंह ने आतंकवादी को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा लेकिन उसने फिर से पुलिस दल पर गोली चला दी । गोलीबारी के आदान-प्रदान में एक गोली ए० एस० आई० राजबीर सिंह के दाहिने हाथ पर लगी । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री सिंह ने अपना हथियार अपने बाएं हाथ में ले लिया और अपनी पार्टी को, हमलावर को घेर लेने का आदेश दिया । आतंकवादी ने नजदीक से पुनः पुलिस दल पर गोली चलाई । ए० एस० आई० राजबीर सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जवाबी गोलीबारी की और अपने आदमियों से हमलावर पर हथगोला फेंकने के लिए कहा । तथापि, इससे आतंकवादी को कोई हानि नहीं पहुंची । उसके बाद ए० एस० आई० राजबीर सिंह बंदर की तरह रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचे । आतंकवादी ने ए० एस० आई० राजबीर सिंह पर निशाना साधा लेकिन उसके द्वारा गोली चलाए जा पाने से पहले श्री सिंह ने आतंकवादी पर गोली चला दी जिसके कारण आतंकवादी घायल हो गया और एक गड्ढे में गिर पड़ा । आतंकवादी ने तत्पश्चात् कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और मर गया । मारे गए आतंकवादी की शिनाख्त बाद में राजबीर सिंह उर्फ जस्सी उर्फ बच्छी के रूप में की गई । वह खालिस्तान कमांडो फोर्स (पंजवार गुट) का एक कट्टर आतंकवादी था और उसके सिर पर पांच लाख रूपये का इनाम था । वह हत्या, छीना-झपटी और फिरौती आदि के जघन्य अपराधों से संबंधित 39 मामलों में अन्तर्ग्रस्त था । तलाशी के दौरान मृत आतंकवादी से दो जिन्दा कारतूसों सहित .32 बोर की एक रिवाल्वर बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री राजबीर सिंह, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जनवरी, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 28-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एच० एस० रंधावा,
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
मजीठा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

27 जुलाई, 1992 को थाना लोपोके के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य गांव कालोवाल के फार्म हाउस में छिपे हुए थे । वे बल के साथ वहां पहुंच गए और तलाशी शुरू कर दी । जब पुलिस दल मेवा सिंह जाट के फार्म हाउस के पास तलाशी ले रहा था तो उन्होंने एसाल्ट राइफलों से लैस तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा । पुलिस दल को देखकर दो उग्रवादी फार्म के पश्चिम की ओर खेत में गायब हो गए जबकि तीसरा उग्रवादी पूर्व की ओर स्थित "चरी" के खेत में घुस गया । पुलिस बल के साथ थाना लोपोके के थानाध्यक्ष ने उस उग्रवादी का पीछा किया जो चरी के खेत में छिपा हुआ था और बाकी दो उग्रवादियों का पीछा उप निरीक्षक और उनके दल ने किया । इसी बीच पुलिस दल ने गांव को घेर लिया और मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को वायरलेस पर सूचित करके और कुमुक की मांग की गई ।

इस सूचना के प्राप्त होने के बाद मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मजीठा के पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) श्री एच०एस० रंधावा और श्री आर० एस० एच० एस० सहोता सैकेण्ड-इन-कमांड, के अधीन के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन तथा कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह सहित बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए । वहां पहुंचकर पुलिस दलों ने आतंकवादी को आत्म समर्पण के लिए ललकारा लेकिन उसने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी कर दी । स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाते हुए यह निश्चय किया गया कि आतंकवादी का मुकाबला बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर से किया जाए । पुलिस अधीक्षक श्री रंधावा बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर पर चढ़े और खेत में घुस पड़े जहां पर कि उग्रवादी छिपा हुआ था लेकिन उग्रवादी ने ट्रैक्टर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । अपनी निजी सुरक्षा और संरक्षा की चिंता न करते हुए श्री रंधावा ने उग्रवादी पर जवाबी गोली चलाई और वह श्री रंधावा की प्रभावी गोलीबारी से मारा गया ।

पहले उग्रवादी को मारने के बाद उन शेष दो उग्रवादियों की तलाश के लिए पुलिस दल कालोवाल गांव में गया जो मुठभेड़ स्थल से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए थे। पुलिस दल को देखकर उग्रवादियों ने गोलियां चलाईं । इसी बीच उग्रवादी अनूप सिंह नामक व्यक्ति के घर में घुस गए और पुलिस दल पर गोली चलाते रहे । के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन के सैकेण्ड-इन-कमांड श्री सहोता ने उग्रवादियों को घर में घुसता देखकर और यह अनुमान लगाकर कि आतंकवादी ने अच्छा मोर्चा (खाई में) लिया हुआ है और किसी भी भारी मात्रा में की गई गोलीबारी से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा हथगोले फेंकने का निश्चय किया । कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह और अन्य कर्मियों के साथ श्री सहोता भारी गोलीबारी और अपने बल के कवर फायर के बीच आगे बढ़े, पश्चिमी ओर की दीवारों के पीछे पोजीशन ली और कार्यवाही में 3 हथगोले फेंके जिससे आतंकवादियों को कमरों के अन्दर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा । कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह के साथ श्री सहोता छत पर चढ़ गए, चढ़कर मोर्चा लिया और आतंकवादियों को एक कमरे में ही घेर देने के लिए उन पर गोलियां चलाईं, हथगोले फैंकने के लिए श्री सहोता और श्री त्रिभुवन सिंह ने छत में छेद किए लेकिन छत में छेद करने का काम पूरा हो जाने के बाद आतंकवादी ने उसमें एसाल्ट राइफल की नली घुसेड़कर श्री सहोता और छत पर मौजूद उनके आदमी पर गोली चला दी । तीन हथगोले फेंके जाने पर आतंकवादी एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और हथगोले खत्म हो जाने पर कांस्टेबल त्रिभुवन ने भारी गोलीबारी के बीच अपना जीवन दांव पर लगाकर घेरा डालने वाले दल से और हथगोले लाकर कमरे के अन्दर तीन अन्य हथगोले डाल दिए तथा साथ ही साथ कमरे के अन्दर गोली चलाकर आतंकवादी को घायल कर दिया । कुछ समय के बाद श्री सहोता और कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह कमरे को निरापद करने के लिए नीचे उतर आए और इसी प्रक्रिया में घायल आतंकवादी ने श्री सहोता पर गोली चला दी, श्री सहोता दूसरे ओर से झुक गए और अपनी ए० के० 47 से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की शिनाख्त कश्मीर सिंह उर्फ शेरा जो कि 200 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और दूसरे की पहचान बब्बर खालसा के एक कट्टर आतंकवादी अमरीक सिंह के रूप में हुई । 4 मैगजीन और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूसों सहित ए० के० 47 श्रेणी की दो राइफलें मृत आतंकवादियों के पास से बरामद हुई । तथापि तीसरा आतंकवादी खड़ी फसल की आड़ में बचकर भाग जाने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री एच० एस० रंधावा, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27-7-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 29-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री नरेन्द्र भार्गव,
पुलिस अधीक्षक (खुफिया),
जिला फतेहगढ़ साहिब ।

श्री गुरदेव सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक
जिला फतेहगढ़ साहिब ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

गांव-गागखाल में आंतकवादी बलदेव सिंह हावड़ा और उसके ग्रुप की गतिविधियों के बारे में 9-8-1993 को सूचना मिली । श्री गुरदेव सिंह पुलिस उप-अधीक्षक ने यह सूचना श्री नरेन्द्र भार्गव पुलिस अधीक्षक, खुफिया फतेहगढ़ साहिब को भेंजी और इस बीच वे उपलब्ध बल के साथ, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के चार सेक्शनों सहित, जिसमें सलुंसे, कान्सटेंबल थें, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और गन्ने के खेत में चारों तरफ घेरा डाला, जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे । जैसे ही पुलिस पार्टियों ने क्षेत्र की तलाशी शुरू की, आतंकवादियों ने अचानक पुलिस पार्टियों पर गोलाबारी शुरू कर दी । श्री भार्गव, अतिरिक्त बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद, गांव गागखाल के क्षेत्र की छानबीन करने का निर्णय लिया । उन्होंने पुलिस बल को 7 पार्टियों में विभाजित किया और गांव-सिद्धपुर की तरफ से छानबीन करनी शुरू कर दी । जैसे ही श्री भार्गव और श्री गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टियां गन्ने के खेत के नजदीक पहुंची आतंकवादियों ने पुलिस पार्टियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । श्री भार्गव ने पुलिस पार्टियों को तुरंत जमीन पर लेटकर मोर्चा सम्भालने और आत्म-रक्षा में गोली चलाने का निर्देश दिया । जबकि श्री भार्गव और श्री गुरदेव ने भी आतंकवादियों पर गोलियां चलायी। इस गोलीबारी के दौरान पंजाब पुलिस के दो कार्मिक जो आगे के मोर्चे पर थे, गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । इस मौके पर, श्री सालुंखे ने उन आतंकवादियों पर गोलियां चलायीं, जिन्होंने पुलिस घेरेबन्दी को तोड़ने की कोशिश की थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने साथियों को, जख्मी व्यक्तियों को वहां से ले जाने के लिए कहा । श्री भार्गव और श्री गुरदेव सिंह स्वचालित हथियारों से हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर रेंगते हुए जख्मी पुलिस कार्मिकों के पास गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए और तत्काल अस्पताल में पहुंचाया । श्री सालुंखे ने तब तक आतंकवादियों को उलझाये रखा, लेकिन जैसे ही वे प्रभावकारी गोलीबारी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदे, उन पर आतंकवादियों द्वारा ए० के०-56 राईफलों से चलायी जा रही गोलियां लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन वे तब तक डटे रहे जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया (रास्ते में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया) । श्री भार्गव ने स्थिति का जायजा लेते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ साहिब को सूचित किया और बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर भेंजने का अनुरोध किया और इसी बीच उन्होंने श्री गुरदेव सिंह के साथ अपनी ए० के०-47 राईफलों से गोलियों का जवाब दिया । बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर पहुंचने पर, श्री भार्गव, श्री गुरदेव सिंह और श्री रघुबीर सिंह अन्य कार्मिकों के साथ बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर पर चढ़े और गन्ने के खेतों में गए । जैसे ही ट्रेक्टर खेत में दाखिल हुआ, वहां छिपे आतंकवादियों ने ट्रेक्टर पर भारी गोलीबारी की, जिससे ट्रेक्टर का टायर फट गया और ट्रैक्टर को गतिहीन कर दिया और ट्रेक्टर पर सवार कार्मिकों को गोलियां लगीं । श्री रघुबीर सिंह ने देखा कि ए० के०-56 राईफल से लैस एक आतंकवादी, बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर के एक किनारे पर आड लिए हुए है । श्री घुबीर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, ट्रैक्टर से बाहर कूदा और आतंकवादी से भिड़ गए ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके । श्री रघुबीर सिंह, बड़ी बहादुरी के साथ आतंकवादी से भिड़ा लेकिन आतंकवादी श्री रघुबीर सिंह की पकड़ से अचानक निकल गया । आतंकवादी ने अपनी ए० के०-56 राईफल से श्री रघुबीर सिंह पर गोलियां चलायी, जिससे वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । गम्भीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद श्री रघुबीर सिंह ने अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादी पर धावा बोला, जबकि अन्य कार्मिकों ने भी आतंकवादी पर गोलियां चलायीं और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । श्री रघुबीर सिंह ने, जो गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे, जख्मों के कारण दम तोड़ दिया । मृतक आतंकवादी की शिनाख्त दीदार सिंह उर्फ दारो के रूप में की गई जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था । मृतक आतंकवादी से एक ए० के०-56 असाल्ट राईफल, 3 मैगजीन और सक्रिय कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री नरेन्द्र भार्गव, पुलिस अधीक्षक और श्री गुरदेव सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अगस्त, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 30-पेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जसमिन्दर सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
संगरूर

श्री सुखविन्दर सिंह,
कांस्टेबल,
संगरूर

श्री सालवन्त सिंह,
कांस्टेबल,
संगरूर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

11-6-1993 को लगभग प्रातः 5.00 बजे श्री जसमिन्दर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संगरूर को सूचना मिली कि गांव-भौर, थाना-सुनाम, जिला संगरूर के क्षेत्र में कुछ आतंकवादी

घूम रहे हैं। उन्होंने, श्री रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) और पुलिस अधीक्षक (खुफिया) को तुरन्त गांव में पहुंचने का निदेश दिया। वहां पहुंचने पर श्री जसमिन्दर सिंह ने तीन पार्टियां गठित कीं, एक पार्टी स्वयं अपनी कमान में, दूसरी को पुलिस अधीक्षक (खुफिया) और तीसरी को श्री रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) की कमान में। एक बल को तैनात करने के बाद तीन दिशाओं से तलाशी अभियान शुरू किया गया और कुमुक भी बुलायी गयी। पहली पार्टी के कांस्टेबल बलवन्त सिंह ने एक सशस्त्र व्यक्ति को एक घर में घुसते देखा। श्री जसमिन्दर सिंह ने पार्टी को उस घर को घेरने का आदेश दिया और अन्य को भी उस स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक (खुफिया) और उसकी पार्टी को मकान की छत पर तैनात किया गया। श्री जसमिन्दर सिंह और श्री रामपाल सिंह मकान की तलाशी लेने के लिए बायीं और दाहिनी दिशा से घर में घुसे। जब हमलावर ग्रुप आगे बढ़ा तो आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की, जिसका जबाब दिया गया। श्री जसमिन्दर सिंह ने बेतार पर एल०एम०जी० से गोलियां चलाने का निदेश दिया। आतंकवादियों ने दोनों हमलावर ग्रुपों पर खिड़कियों से अचानक दो हथगोले फेंके, जिसके परिणामस्वरूप सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह और कांस्टेबल सालवन्त सिंह, हथगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए। श्री जसमिन्दर सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह के साथ एक खम्बे के पीछे सामरिक महत्व के स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां से उन्होंने प्रभावकारी गोलीबारी की। श्री रामपाल सिंह, लुढ़कते हुए मकान के दूसरे तरफ खिड़की के नजदीक उपयुक्त आड़ पर पहुंचे। श्री जसमिन्दर सिंह ने सभी ग्रुपों को गोलीबारी जारी रखने और दोनों हमलावर ग्रुपों को हथगोलों की आपूर्ति करने का निदेश दिया। गोलीबारी की आड़ में सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह कांस्टेबल, सालवन्त सिंह और सुखविन्दर सिंह दोनों कमरों की खिड़कियों की तरफ गए जहां से गोलियां आ रही थीं। जब वे ग्रुप आगे बढ़ रहे थे तो आतंकवादियों ने पुनः गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल सुखविन्दर सिंह जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद वे आगे बढ़े और खिड़की के नजदीक पहुंचे। श्री जसमिन्दर सिंह ने खिड़की से कमरे में हथगोले फेंके। आतंकवादियों ने पुनः गोलियां चलायीं लेकिन श्री जसमिन्दर सिंह ने कमरे में हथगोले फेंक दिए। इसी बीच श्री रामपाल सिंह, गोलीबारी के बीच दूसरे कमरे के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने खिड़की से हथगोला फेंका। श्री जसमिन्दर सिंह भी कमरे के नजदीक पहुंचे और खिड़की से दो और हथगोले कमरे में फेंके। कुछ समय बाद जब हथगोलों की धूल और धुआं छंट गया तो सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह कांस्टेबल सालवन्त सिंह और कांस्टेबल सुखविन्दर सिंह कमरे में दाखिल हुए और वहां उन्हें आतंकवादियों के दो शव मिले, जिनकी शिनाख्त बाद में हरचरण सिंह उर्फ भामला और बलवन्त सिंह उर्फ बलबीर सिंह उर्फ काकू के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान एक ए०के०–47 असाल्ट राईफल, एक ·315 बोर राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोलाबारूद भी बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सुखविन्दर सिंह और सालवन्त सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 31-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वर्मा सिंह,
हैड–कांस्टेबल,
पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) का गनमैन
रोपड़

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15-3-1993 को दो आतंकवादियों ने कुराली में एक शराब की दुकान पर गोलियां चलायी और स्कूटर पर थाना–मोरिन्डा की तरफ भाग गए। यह सूचना मिलने पर श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), रोपड़ ने अपने गनमैन (हैड–कांस्टेबल वर्मा सिंह सहित) के साथ आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आस–पास के अधिकारियों को निदेश दिए गए। श्री बसरा अपनी पार्टी के साथ गांव–खाबर और गोब्लन के मध्य "कच्ची" सम्पर्क सड़क पर गए। रास्ते में श्री बसरा ने देखा कि सामने से दो व्यक्ति मोटर–साईकिल पर आ रहे हैं। पुलिस को देखने पर उन्होंने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और खेतों की तरफ भाग गए। श्री बसरा तुरन्त अपनी जिप्सी से नीचे उतरे और उन्होंने भाग रहे आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया। जब श्री बसरा ने उन्हें रुकने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोली चलानी शुरू कर दी। श्री बसरा ने अपने गनमैनों को दो पार्टियों में विभाजित किया। एक पार्टी का नेतृत्व उन्होंने स्वयं संभाला और दूसरे का नेतृत्व हैड-कांस्टेबल वर्मा सिंह को दिया और उन्हें भाग रहे आतंकवादियों को घेरने का निदेश दिया। इस समय तक, आतंकवादी गन्ने के खेतों में चले गए थे और उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी और भागने की भी कोशिश की। स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री बसरा गन्ने के खेतों में गए और अपनी गोलीबारी से एक आतंकवादी को उलझाए रखा। इसी बीच दूसरा आतंकवादी गन्ने के खेतों से बाहर भाग गया। श्री बसरा ने वर्मा सिंह की पार्टी से दूसरे आतंकवादी का पीछा करने के लिए कहा। जैसे ही श्री बसरा की पार्टी आगे बढ़ी आतंकवादी ने उस पर गोली चलायी। जब पार्टी आतंकवादी से

15—20 गज की दूरी पर थीं तो आतंकवादी ने एक हथगोला फेंका लेकिन पुलिस कार्मिक जख्मी होने से बच गए क्योंकि उन्होंने समय से मोर्चा संभाल लिया था। इस संवेदनशील स्थिति में भी श्री बसरा ने एक छोटे से रेत के टीले के पीछे मोर्चा संभाला। विचलित हुए बिना, श्री बसरा आतंकवादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और अपने कार्मिकों को निदेश दिया कि वे आतंकवादी को गोलियों से उलझाए रखें। यह महसूस करने पर कि उसे घेरा जा रहा है आतंकवादी ने आस—पास के गन्ने के खेतों की तरफ भागने की हताश कोशिश की। श्री बसरा आतंकवादी के पीछे भागे और उस पर कूद पड़े और उनके बीच हाथापाई हुई लेकिन आतंकवादी अपने आपको आजाद कराने में सफल हो गया और उसने भागने की कोशिश की। इस पर श्री बसरा ने आतंकवादी पर गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया।

श्री वर्मा सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी दूसरे आतंकवादी के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गयी। उस समय तक थाना मौरिन्डा के स्टेशन हाऊस आफिसर के नेतृत्व वाला दल सामने से आया। इस पर आतंकवादी ने पीछे भागने की कोशिश की। यह देखते हुए श्री वर्मा सिंह ने भाग रहे आतंकवादी के रास्ते में मोर्चा संभाला। जब श्री वर्मा सिंह आतंकवादी से 15-20 कदम की दूरी पर थे तो आतंकवादी ने अपनी रिवाल्वर से उन पर गोली चलायी। श्री वर्मा सिंह ने तेजी से हरकत की और एक दिशा में कूद पड़े। अपने आपको बचा लिया। उसके बाद श्री वर्मा सिंह ने आतंकवादी पर वापस गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया।

मृतक आतंकवादी की शिनाख्त मेजर खान उर्फ मेजर सिंह उर्फ मंजी (ले. जनरल, बब्बर खालसा इन्टरनेशनल का एक सूचीबद्ध खूंखार आतंकवादी और जो श्री मनचन्दा निदेशक, आकाशवाणी, पटियाला की हत्या सहित अनेक हत्याओं में अन्तर्ग्रस्त था और इकबाल सिंह उर्फ बाला (एक सूचीबद्ध खूंखार आतंकवादी) के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान मृतक आतंकवादी से एक पिस्तौल, एक रिवाल्वर, 4 स्टिक ग्रेनेड और एक स्कूटर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री वर्मा सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15-3-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 32-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बलवन्त सिंह,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
तृतीय कमान्डो बटालियन,
कठूनंगल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

5-1-1993 को एस. एच० ओ०, पुलिस स्टेशन कठूनंगल को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात उग्रवादी बलविंदर सिंह उर्फ गुलाबा अपने साथियों के साथ गांव अब्दुल में कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है। एस एच० ओ० पुलिस टुकड़ी जिसमें जिला पुलिस और तृतीय बटालियन के कमान्डो (सर्व/श्री बलवन्त सिंह, सहायक-उप-निरीक्षक, निर्मल सिंह, हैड कांस्टेबल और सुखबीर सिंह, हैड कांस्टेबल थे) सहित तुरन्त गांव गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने उस घर को घेर लिया, जिसमें उग्रवादियों के छिपे होने की सूचना थी। दो पुलिस कार्मिक मकान की छत पर चढ़े और उन्होंने अन्दर रह रहे व्यक्तियों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर, उग्रवादियों ने आधुनिक हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सहायक उप-निरीक्षक बलवन्त सिंह ने, सर्व/श्री सुखबीर सिंह, निर्मल सिंह और धर्मपाल हैड कांस्टेबल के साथ मकान के मुख्य द्वार को निशाने में ले लिया ताकि उग्रवादियों को भागने से रोका जा सके। पुलिस पार्टी ने आत्म रक्षा में तत्काल गोली का जवाब दिया और कुमुक भी मंगायी गयी।

इसी बीच दो उग्रवादी बाहर आए और भागने के प्रयास में बरामदे से भागते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। सहायक उप-निरीक्षक बलवन्त सिंह और हैड कांस्टेबल सुखबीर सिंह दोनों उग्रवादियों के सामने आए और उन पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सर्व/श्री बलवन्त सिंह और सुखबीर सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए। तथापि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने उग्रवादियों के साथ घमासान लड़ाई लड़ी और उन दोनों को मारने में सफल हो गए। हैड कांस्टेबल सुखबीर सिंह की उसी स्थान पर जख्मों के कारण मृत्यु हो गयी जहां पर सहायक उप-निरीक्षक बलवन्त सिंह भूमि पर बेहोश गिर गए थे।

इस बीच, एक खिड़की से मकान के अन्दर से गोली चलती रही। आतंकवादी की गोलीबारी की सघनता इतनी अधिक थी कि किसी व्यक्ति ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच घटनास्थल पर कुमुक भी पहुंच गई। हैड कांस्टेबल निर्मल सिंह जिसने मुख्य दरवाजे पर मोर्चा संभाल रखा था, खिड़की के नजदीक पहुंचने पर श्री निर्मल सिंह ने एक उग्रवादी को देखा और उस पर गोली चलायी। साथ ही साथ उग्रवादी ने भी निर्मल सिंह पर गोली चलायी। इस कार्यवाही के दौरान हैड कांस्टेबल निर्मल सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन वे जब तक गोलियां

चलाते रहे जब तक वे गिर न पड़े और दम तोड़ दिया। उसके बाद उग्रवादियों की तरफ से भी गोली चलना बंद हो गया। तलाशी के दौरान उग्रवादियों के तीन शव बरामद किए गए। मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में बलजिन्दर सिंह उर्फ गुलाबा (ले० जनरल बब्बर खालसा संगठन) जसवन्त सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुहागा के रूप में की गई। आगे जांच-पड़ताल करने पर, मुठभेड़ के स्थान पर एक जी पी एम जी, एक ए के०-47 राइफल और एक एस० एल०आर० सहित बड़ी मात्रा में खाली/सक्रिय कारतूस बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में सर्व/श्री धर्मपाल और बलबीर सिंह कांस्टेबल भी जख्मी हो गए और दोनों को पारी से पहले पदोन्नति दी गई। अन्य पुलिस कार्मिकों को जिन्होंने मुठभेड़ में सक्रिय भाग लिया, पदोन्नति/प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए गए।

इस मुठभेड़ में श्री बलवन्त सिंह, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5-1-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 33-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राजेन्द्र सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन-सदर मुक्तसर।

श्री बलजिन्दर सिंह,
कांस्टेबल,
जिला फरीदकोट।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

18-11-1992 को पुलिस उप अधीक्षक, मुक्तसर और उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन—सदर मुक्तसर को सूचना मिली कि गांव खुडा हलाल के बख्तावर सिंह के कपास के खेतों में कुछ खूंखार उग्रवादी छिपे हुए हैं। वे उपलब्ध बल के साथ तुरन्त वहां पहुंचे और कपास के खेतों की तलाशी शुरू कर दी। मलोत के पुलिस उप अधीक्षक और कोटभाई के थाना प्रभारी को भी बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के लिए बेतार संदेश भेजे गए। सम्पूर्ण बल को विभिन्न पार्टियों में विभाजित किया गया और बुलैट प्रूफ जिप्सियों की मदद से तलाशी कार्य शुरू किया। जब उप-निरीक्षक, राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी कपास के खेतों में गयी तो देखा गया कि एक उग्रवादी अपनी ए०के०-47 राईफल से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाता हुआ जिप्सियों की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस पार्टी ने भी जवाब में गोलियां चलायी। गोलीबारी में एक उग्रवादी मारा गया। इसी बीच मोगा के पुलिस उप अधीक्षक, सर्वश्री गुरदीप चन्द, गुरुद्वारे सिंह और बलजिन्दर सिंह कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जब यह पार्टी कपास के खेतों के नजदीक पहुंची तो उग्रवादियों द्वारा उन पर गोलियां चलायी गयीं। पार्टी बुलेट प्रूफ जिप्सी में गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने देखा कि एक उग्रवादी गोलियां चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। मोगा के पुलिस उप-अधीक्षक ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उग्रवादियों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने वाहन के इंजन पर गोलियों की बौछार कर दी, जो बन्द हो गया। उग्रवादी जिप्सी के बोनट पर चढ़ गया और वाहन के अन्दर गोली चलायी। इस पर कांस्टेबल बलजिन्दर सिंह जिप्सी से कूद पड़े, अपनी एस० एल० आर० के मूठ का निशाना उग्रवादी के सिर की तरफ किया लेकिन मूठ टूट गया। उग्रवादी ने गोलियों की एक और बौछार की। श्री राजेन्द्र सिंह ने उग्रवादी को दबोच लिया और उसे हाथापाई में उलझाए रखा। इसी बीच सर्वश्री गुरदीप चन्द और गुरुद्वारे सिंह नीचे आए और मोर्चा संभाला। उसी समय खेत की दूसरी तरफ से गोलियां चलायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप सर्वश्री गुरुद्वारे सिंह, गुरदीप चन्द और बलजिन्दर सिंह जख्मी हो गए। यह देखकर, उप-निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने अपनी रिवाल्वर से उग्रवादी पर गोलियां चलायी और उसे गोली से मार दिया। उसके बाद उप-निरीक्षक, राजेन्द्र सिंह ने सभी जख्मी कांस्टेबलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। अन्य उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। जख्मी होने के बावजूद, सभी जख्मी कांस्टेबलों ने गोलियां चलायी और उग्रवादियों के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने पाया कि दोनों उग्रवादी मर चुके हैं। उसके बाद अन्य उग्रवादियों ने सर्वश्री गुरदीप चन्द, गुरुद्वारे सिंह और बलजिन्दर सिंह पर एक हथगोला फेंका और उन पर भारी गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप दो कांस्टेबलों को दुबारा गंभीर चोटें आ गयी। यह देखने पर पुलिस अधीक्षक (मनसा), गोलीबारी की आड़ में बुलैटप्रूफ जिप्सी में जख्मी कांस्टेबलों के पास गए और उन्हें बाहर लाए और उन्हें अस्पताल भेजा। यद्यपि कांस्टेबल गुरुद्वारे सिंह और गुरदीप चन्द ने अस्पताल जाते समय रास्ते में जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

सांय लगभग 4.30 बजे, पुलिस अधीक्षक (खुफिया) के पर्यवेक्षण में कपास के खेतों की तलाशी पुनः शुरू की गयी। दो उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की और पुलिस पार्टी ने गोलियों का जवाब दिया। जिला रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल रेशमी ने एक उग्रवादी को मार गिराया। हालांकि वे गंभीर रूप से जख्मी थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गयी। दूसरा उग्रवादी गोलीबारी के दौरान मारा गया। पुलिस-उप अधीक्षक, मुक्तसर और एस०एच०ओ०, पुलिस स्टेशन कोट-भाई गोलीबारी की आड़ में विपरीत दिशा की ओर बढ़े और उग्रवादियों पर गोलियां

चलायी । उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर एक हथगोला फैंका पुलिस पार्टी ने भी हथगोला फैंका और उग्रवादियों पर गोलियाँ चलायी । जब उग्रवादियों की तरफ से गोली चलनी बंद हो गयी तो दो शव बरामद हुए ।

इस समय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फरीदकोट, घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया । उन्होंने बल को पुनः संगठित किया और 4 पार्टियों में बांटा । पार्टियों ने बुलेट प्रूफ वाहनों में तलाशी लेनी शुरू की । उग्रवादी वाहनों पर गोलियां चलाते रहे । पुलिस पार्टियों ने भी गोलियों का जवाब दिया । उसके बाद उग्रवादियों की तरफ से गोली चलनी बन्द हो गई और क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद किए गए । इस प्रकार से मुठभेड़ में कुल 10 उग्रवादी मारे गए । आगे तलाशी लेने पर, मुठभेड़ के स्थान से 5 असाल्ट राईफलें, एक राकेट लांचर, दो छर्रा बम तीन .12 बोर गन दो .303 बोर राईफलें और बड़ी मात्रा में सक्रिय/खाली कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, और श्री बलजिन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 नवम्बर 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 34-प्रेज/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एस० पी० एस० बसरा
पुलिस अधीक्षक,
प्रचालन,
रोपड़ ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15-3-1993 को, कुराली में, दो आतंकवादियों ने एक शराब की दुकान पर गोलियां चलाई और एक स्कूटर पर थाना मोरिन्डा की तरफ भाग गए । इस सूचना के मिलने पर श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) रोपड़, ने अपने गन मेन (हैड कांस्टेबल बर्मा सिंह सहित) के साथ, आतंकवादियों को तलाशना शुरू कर दिया । साथ लगने वाले इलाकों के अधिकारियों को भी, आतंकवादियों को रोकने के निर्देश दे दिए गए । श्री बसरा, अपनी पार्टी सहित, खवड़ा और गोसलान गांवों के बीच के कच्चे मार्ग पर गए । रास्ते में, श्री बसरा ने विपरीत दिशा से दो व्यक्तियों को एक स्कूटर पर आते हुए देखा । पुलिस को देखते ही, वे स्कूटर को छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए । तत्काल ही, श्री बसरा अपनी जिप्सी से उतरे तथा भाग रहे आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया । श्री बसरा ने उन्हें रुकने के लिए ललकारा तो उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । श्री बसरा ने अपने गन मैनों को दो भागों में विभाजित किया तथा एक को कमान खुद संभाली तथा दूसरे की हैड कांस्टेबल बर्मा सिंह ने, और उन्हें भाग रहे आतंकवादियों का घेरा डालने का निर्देश दिया । इस समय आतंकवादी गन्ने के खेतों में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी तथा भागने की कोशिश की । स्थिति का जायजा लेने के बाद, श्री बसरा गन्ने के खेतों में घुस गए और अपनी गोलीबारी से एक आतंकवादी को उलझाए रखा । इसी बीच दूसरा आतंकवादी गन्नें के खेतों से बाहर भाग गया । श्री बसरा ने, श्री बर्मा सिंह वाले दल को दूसरे आतंकवादी का पीछा करने का आदेश दिया । जैसे ही श्री बसरा वाली पार्टी आगे बढ़ी तो आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी । पुलिस दल जिस समय आतंकवादी से 15-20 गज दूर था तो आतंकवादी ने एक हथगोला फैंका किन्तु सही समय पर मोर्चा संभालने के कारण पुलिस कार्मिक जख्मी होने से बच गए । ऐसी नाजुक स्थिति में भी श्री बसरा ने एक छोटे से रेत के टीले के पीछे मोर्चा लगाया । अपना धीरज खोए बिना, श्री बसरा आतंकवादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ और अपने कार्मिकों को आदेश दिया कि आतंकवादी को गोलीबारी में उलझाए रखें । अपनी घेराबंदी किए जाने की गंध पाकर, आतंकवादी ने अंतिम उपाय के रूप में पास के गन्ने के खेत की ओर भागने का प्रयास किया । श्री बसरा आतंकवादी के पीछे भागे और उसे दबोच लिया, उनके बीच हाथापाई होने लगी परन्तु आतंकवादी अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया और उसने भागने की कोशिश की । इस पर श्री बसरा ने आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया ।

श्री बर्मा सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी, दूसरे आतंकवादी तक पहुंचने में कामयाब हो गयी । इसी समय मोरिन्डा थाने के थाना प्रभारी दूसरी दिशा से वहां पहुंच गए । इस पर आतंकवादी ने पीछे हटने का प्रयास किया । यह देखकर, श्री बर्मा सिंह ने, आतंकवादी के भागने के रास्ते पर मोर्चा लगाया । श्री बर्मा सिंह, जब आतंकवादी से लगभग 15-20 गज की दूरी पर थे तो आतंकवादी ने अपने रिवाल्वर से उन पर गोलियां चलाई । श्री बर्मा सिंह ने बड़ी फुर्ती दिखलायी और एक तरफ छलांग लगा दी और खुद को बचा लिया । उसके बाद श्री बर्मा सिंह ने आतंकवादी पर तत्काल जवाबी गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया ।

मारे गए आतंकवादी की बाद में, मेजर खान उर्फ मंजर सिंह उर्फ भाजी (बब्बर खालसा इन्टर नेशनल का लेफ्टिनेन्ट जनरल, खूंखार आतंकवादियों की सूची में से एक तथा आकाशवाणी, पटियाला के निदेशक श्री मनचन्दा की हत्या सहित अनेक हत्याओं में शामिल) तथा इकबाल सिंह उर्फ बाला (गैर कट्टर आतंकवादियों की सूची में से एक) के रूप में शिनाख्त की गई । मृत आतंकवादियों की तलाशी के दौरान, उनसे एक पिस्तौल, एक रिवाल्वर, 4 स्प्लिंटर स्टिक हथगोले तथा एक स्कूटर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस, और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 35-पी०/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक को बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम पाल सिंह, (तृतीय बार)
पुलिस अधीक्षक,
प्रचालन,
संगरूर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 11-6-1993 को लगभग 5.00 बजे सुबह, संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री जसमिन्दर सिंह को सूचना मिली कि जिला संगरूर के थाना सुनाम के अन्तर्गत, गाँव-नौर के इलाके में कुछ आतंकवादी घूम रहे हैं। उन्होंने तुरन्त ही, श्री राम पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) तथा पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) को गाँव में पहुंचने का निर्देश दिया। वहाँ पहुंचने पर, श्री जसमिन्दर सिंह ने तीन दल बनाए एक की कमान उन्होंने खुद संभाली, दूसरे की पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) ने तथा तीसरे की कमान रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) ने । दलों को तैनात करने के बाद, तलाशी अभियान शुरू किया गया तथा और कुमुक की मांग भी की गई। पहली पार्टी के कांस्टेबल सालवन्त सिंह ने एक मकान में हथियारबंद आदमी को घुसते हुए देखा। श्री जसमिन्दर सिंह ने अगली पार्टी को मकान का घेरा डालने का निर्देश दिया तथा अन्य पार्टियों को वहाँ पहुंचने के लिए कहा पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) और उनके दल को मकान की छत पर तैनात किया गया। श्री जसमिन्दर सिंह और श्री रामपाल सिंह घर की तलाशी लेने के लिए बाईं और दाईं दिशा से घर में घुसे। आक्रामक समूह जब और आगे बढ़े तो आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसका प्रत्युत्तर दे दिया गया। श्री जसमिन्दर सिंह ने भी एल० एम० जी० से गोलीबारी शुरू करने के लिए बायर लैस से निर्देश दिया। अचानक, आतंकवादियों ने दोनों आक्रामक समूहों पर, खिड़की के रास्ते दो हथगोले फैंके जिनके परिणामस्वरूप सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह तथा कांस्टेबल सालवन्त सिंह गोलियां लगने से जख्मी हो गए। श्री जसमिन्दर सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह के साथ एक खम्बे के पीछे एक सामरिक महत्व की जगह पर पहुंचने में कामयाब हो गए और प्रभावकारी गोलीबारी शुरू कर दी। रामपाल सिंह लुढ़कते हुए घर के दूसरी तरफ, खिड़की के नजदीक पहुंच गए। श्री जसमिन्दर सिंह ने सभी ग्रुपों को लगातार गोलियां चलाने और दोनों आक्रामक ग्रुपों को हथगोलों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। कवरिंग फायर के अन्तर्गत सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह तथा सुखविन्दर, दोनों कमरों की उन खिड़कियों की तरफ आगे बढ़े जहाँ से कि गोलियां आ रही थीं। जैसे ही ये ग्रुप आगे बढ़े तो आतंकवादियों ने पुनः गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस प्रक्रिया में कांस्टेबल सुखविन्दर सिंह जख्मी हो गए। इसके बावजूद, वह आगे बढ़ते हुए और खिड़की के नजदीक पहुंच गए। श्री जसमिन्दर सिंह ने खिड़की के रास्ते कमरे के अन्दर हथगोले फेंके। आतंकवादियों ने पुनः गोलीबारी की, किन्तु जसमिन्दर सिंह ने कमरे के अन्दर हथगोले फेंक दिए। इसी बीच दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में, श्री रामपाल सिंह, दूसरे कमरे के पास पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने खिड़की के रास्ते एक हथगोला अन्दर फैंका श्री जसमिन्दर सिंह भी कमरे के नजदीक पहुंच गए और खिड़की के रास्ते दो और हथगोले अंदर फैंके। कुछ देर के बाद, जब हथगोलों की धूल और धुआं शांत हो गया तो सर्वश्री जसमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह तथा कांस्टेबल सुखविन्दर सिंह ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें आतंकवादियों के दो शव मिले जिनकी बाद में हरचरन सिंह उर्फ भोला तथा बलवन्त सिंह उर्फ बलबीर सिंह उर्फ काकू के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान एक ए० के० 47-असाल्ट राईफल, एक .315 बोर की राईफल के साथ ही भारी संख्या में गोलाबारूद भी बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 36-प्रेज/95--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरजीत सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
(पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत)
जिला—फरीदकोट ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

फरीदकोट के पुलिस उप-अधीक्षक (पुलिस अधीक्षक-गुप्तचर के रूप में कार्यरत) को एक विशेष सूचना मिलने पर, उन्होंने दिनांक 28-2-93 को लगभग 10.30 बजे रात को बाबरी-खन्ना लिंक रोड पर जेतू में एक नाले के पुल पर घात लगाई। पुलिस दल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक का नेतृत्व श्री सुरजीत सिंह ने तथा दूसरे का सी० आई० ए० फरीदकोट के सहायक-उप-निरीक्षक द्वारा किया गया। 1-3-1993 को लगभग 2.45 बजे तड़के, एक स्कूटर पर दो अज्ञात युवकों को देखा गया और जब श्री सुरजीत सिंह द्वारा उन्हें रूकने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने जवाबी गोलीबारी की। श्री सुरजीत सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े। यह देखकर आतंकवादियों ने, श्री सुरजीत सिंह पर हथगोले फैंके, किन्तु अत्यन्त चौकसी से वे अपने को बचा गए तथा पुल की आड़ ले ली और अपनी ए० एल० आर० से गोलियों की बौछार करके एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। तथापि अन्य दो आतंकवादी फसल तथा अंधेरे की आड़ लेकर भागने में सफल हो गए। मारे गए आतंकवादी की बाद में बलविन्दर सिंह उर्फ डाक्टर उर्फ नेका, बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के स्वयंभू डिप्टी चीफ, के रूप में शिनाख्त की गई उसने 500 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या की थी और वह अत्यन्त खूंखार, वांछित आतंकवादियों में से एक था। मुठभेड़ स्थल से, तलाशी के दौरान, 2 मैगजीनों सहित एक ए० के०-47 राईफल, 5 राईफल हथगोले, 70 चले हुए/बिना चले हुए कारतूस तथा एक स्कूटर बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरजीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मार्च, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 37-प्रेज/95--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राजेश प्रताप सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
बिजनौर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7.5.92 को सर्किल आफिसर, धामपुर को सूचना मिली कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादी बारापुर पुलिस सर्किल में गांव चाहूरवाला में उपस्थित हैं, जिन्होंने बरारपुर पुलिस सर्किल के अन्तर्गत गांव-हाईवाला में सरदार महेंद्र सिंह के घर पर डाका डाला और महिलाओं के सोने के आभूषण लूटे और पांच साल के बच्चे को जबरन उठा ले गए और 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की है और फिरौती वसूल करने के लिए सतनाम सिंह के घर पर आने की सम्भावना है। यह सूचना प्राप्त होने पर शेरकोट, बरारपुर, कालागढ़, अफजलगढ़, नैथोर हल्दपुर, नूरपुर के एस० ओ० और आतंकवाद-विरोधी दस्ते को पुलिस चौकी पर हेरावली पर एकत्रित होने का निर्देश दिया गया। बल को 6 पार्टियों में विभाजित किया गया और सतनाम के मकान के इर्द-गिर्द सामरिक महत्व के स्थानों और मार्गों पर तैनात किया गया। लगभग 9.00 बजे अत्याधुनिक तीन आतंकवादी एक बच्चे के साथ सतनाम सिंह के घर के नजदीक आए और पूछा कि बच्चे के मां-बाप फिरौती की रकम के साथ आए हैं। नकारात्मक उत्तर देने पर उन्होंने गालीयाँ दी और सतनाम को गम्भीर परिणामों की धमकी दी। पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन आतंकवादियों ने "खालिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाए और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायीं। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में गोलियां चलायीं जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी जख्मी हो गया और शेष आतंकवादी जंगल की तरफ भाग गए जहां उनका सामना अन्य पुलिस पार्टियों से हुआ और गोलीबारी हुई। इसी बीच श्री राजेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक बिजनौर घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई की कमांड सम्भाली। स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री हरि सिंह ने स्वयं पार्टी का नेतृत्व किया और पुलिस कार्मिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और घेरे को छोटा किया ताकि आतंकवादी भाग न सकें।

इसी बीच आतंकवादी श्री काके के मकान के नजदीक पहुंचे श्री सिंह जो काफी नजदीक थे, आगे बढ़े और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। लेकिन आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां चलायीं। श्री सिंह गोली से बच गए और आगे बढ़े। पुलिस पार्टी ने 9 एम० एम० कारबाईन से गोली चलायी, जिससे एक आतंक-

वादी मारा गया, जबकि अन्य दो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मृतक आतंकवादी से एक ए० के०-47 राईफल, तीन मैगजीन, 45 सक्रिय कारतूस और मकान से लूटे गए स्वर्ण-आभूषण बरामद किए गए और बच्चे को सही सलामत बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राजेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 07-5-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 38-प्रेज/95—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम आश्रय सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
जिला—खीरी।

श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला—खीरी।

श्री सोम नाथ दूबे,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला—खीरी।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

8-1-93 को लगभग 8 बजे अपराह्न श्री राम आश्रय सिंह, सी० के० निगासन, सर्वश्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, एस० एच० निगासन और सोम नाथ दूबे, एस० एच० ओ०, सिताई और 8 कांस्टेबल, सर्विस हथियारों से लैस होकर, उस क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए झाला में छानबीन कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि सरदूल सिंह, उसका लड़का नलकोयर सिंह और दो अन्य खूंखार आतंकवादी, आधुनिक हथियारों से लैस होकर, झाला के सरदार सरदूल सिंह के घर में उपस्थित हैं। यह सूचना मिलने पर श्री राम आश्रय सिंह ने पुलिस पार्टी को सावधान किया और उपलब्ध बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया। पहली पार्टी ने जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे, तीन कांस्टेबलों के साथ पश्चिमी दिशा पर मोर्चा सम्भाला, दूसरी पार्टी, जिसका नेतृत्व श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह कर रहे थे, ने तीन कांस्टेबलों के साथ पूर्वी दिशा पर मोर्चा सम्भाला जबकि तीसरे दल ने जिसका नेतृत्व श्री सोम नाथ दूबे कर रहे थे, ने दो कांस्टेबलों के साथ सरदार सरदूल सिंह, के झाला की दक्षिणी दिशा में मोर्चा सम्भाला जहां पर आतंकवादी उपस्थित थे। तीन पार्टियां धीरे-धीरे झाला की तरफ बढ़ीं और उसे तीनों दिशाओं से घेर लिया। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो एक कांस्टेबल को छींक आ गई, जिसके परिणामस्वरूप झाला के अन्दर आतंकवादी सर्तक हो गए और उन्होंने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी।

श्री राम आश्रय सिंह ने आतंकवादियों को चेतावनी दी कि उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपने आपको पूरी तरह पुलिस के घेरे में घिरा हुआ पाकर और यह आभास करते हुए कि भागने के बहुत कम अवसर हैं, आतंकवादियों ने गोलियां चलानी बंद कर दी और अपने हथियारों के साथ झाला से बाहर आ गये। श्री राम आश्रय सिंह, श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, और श्री सोम नाथ दूबे के साथ, अपने जीवन की परवाह न करते हुए और पूरी तरह यह जानते हुए कि सशस्त्र आतंकवादी किसी भी समय गोलियां चला सकते हैं, आगे बढ़े और दो आतंकवादियों को पकड़ लिया, जबकि अन्य दो आतंकवादी। अंधेरे का फायदा उठाकर नजदीक के गन्ने के खेतों में भाग गए। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की शिनाख्त मलकीयत सिंह और बलकार सिंह के रूप में की गई। वे पंजाब और उत्तर प्रदेश में अनेक जघन्य हत्याओं में अन्तर्गस्त थे। तलाशी के दौरान 6 कारतूस के साथ एक भरी हुई .38 बोर रिवाल्वर और 20 सक्रिय कारतूसों के साथ एक एच० बी० बी० एल० नग बरामद की गई। दो आतंकवादी जो भाग गए थे, की शिनाख्त सरदूल सिंह और लखबीर सिंह बिट्टू के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राम आश्रय सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक; वाई० पी० सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक और एस० एन० दूबे पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 39-प्रेज/95--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
जिला--लखीमपुर खीरी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
स्टेशन आफिसर,
थाना मैलानी,
जिला--खीरी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

27 जुलाई, 1993 को लगभग प्रातः 8.45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि के० सी० एफ० का कुख्यात आतंकवादी, सुखविन्दर सिंह, जो तीन अन्य आतंकवादियों के साथ अगस्त 1992 में लखनऊ जेल से भाग गया था और जो जून 1993 में मैगलगंज में 11 व्यक्तियों की हत्या का जिम्मेवार है, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मैलानी जंगल में छुपा हुआ है । यह सूचना प्राप्त होने पर, श्री ओ० पी० सिंह, पुलिस अधीक्षक, अन्य कार्मिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और विशाल घने जंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों को सामरिक दृष्टि से चार पार्टियों में विभाजित किया। योजना के अनुसार श्री ओ० पी० सिंह को पहली पार्टी का नेतृत्व करना था, जिसको आगे की तरफ से हमला करना था दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री सुरेन्द्र सिंह, एस० ओ० मैलानी, और तीसरी पार्टी का नेतृत्व एस० ओ० पलिया और अन्यों का नेतृत्व एस० ओ० मैगलगंज द्वारा किया गया । इन पार्टियों को कार्रवाई योजना के बारे में समझाया गया और ये पार्टियां आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर पहुंचीं । जब श्री ओ० पी० सिंह और उनका दल आगे बढ़ा तो आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं। श्री ओ० पी० सिंह ने अपने कार्मिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आतंकवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने इसका जवाब गोलियों की बौछार से दिया । तथापि श्री सिंह बच गए और वे अपने कार्मिकों को हमला करने के लिए उत्साहित करने के साथ-साथ अपनी ए० के०-47 राईफल से लगातार गोलियां चलाते रहे । जब श्री ओ० पी० सिंह आतंकवादियों के नजदीक बढ़ते हुए अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे तो, श्री सुरेन्दर सिंह, उप-निरीक्षक ने, जो आतंकवादियों की उत्तरी दिशा की तरफ थे, उन पर दबाव बनाए रखा । चारों तरफ से पुलिस पार्टियों द्वारा घिरे आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलियां चलाना जारी रखते हुए भागने का निराशाजनक प्रयास किया । आतंकवादियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी से विचलित न होते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह, उप-निरीक्षक ने, गोलीबारी करते हुए और आतंकवादियों की तरफ बढ़ना जारी रखते हुए उन पर दबाव बनाए रखा । साथ ही श्री सिंह आतंकवादियों की तरफ आगे बढ़ते रहे । आतंकवादियों पर काफी दबाव था । इसके परिणामस्वरूप लगभग 45 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होने के बाद आतंकवादियों की तरफ से गोली चलनी बंद हो गयी । कुछ समय तक इन्तजार करने के बाद, श्री ओ० पी० सिंह ने पुलिस कार्मिकों को उस क्षेत्र की छानबीन करने का आदेश दिया और लगभग 50 गज की दूरी पर एक आतंकवादी को मृत पाया गया जिसके कब्जे से एक .9 एम० एम० की भरी हुई पिस्तौल बरामद की गयी । मृतक के पास से एक .303 बोर की राईफल मिली । मृतक आतंकवादी की शिनाख्त बाद में सुखविन्दर सिंह उर्फ पंजाबी, एक कुख्यात आतंकवादी के रूप में की गयी जिसके लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने नगद इनाम की घोषणा कर रखी थी । अन्य आतंकवादी जंगल और लम्बी घास की आड़ में भागने में कामयाब हो गए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक और श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 40-प्रेज/95--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं ---

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
गाजियाबाद ।

श्री हर्षवर्धन सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
गाजियाबाद ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

11 मार्च, 1993 की रात को लगभग 1.05 बजे पूर्वाह्न को गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी० के० गुप्ता को सूचना मिली कि तीन बदमाश, जिनमें से दो शस्त्रों से लैस थे और जो आतंकवादी लग रहे थे, गाजियाबाद में देखे गए । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री गुप्ता ने बदमाशों को पकड़ने के लिए छानबीन अभियान चलाने के लिए पुलिस स्टेशनों के सभी प्रभारी अधिकारियों को तुरन्त संदेश भेजा । श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निरीक्षक ने जिन्हें सूचना मिली थी, पुलिस स्टेशन साहिबाबाद की सभी चौकियों को बिना समय गवाए सख्त सतर्कता और सभी वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया । यह निर्देश भेजने के बाद वे श्री हर्षवर्धन सिंह उप-निरीक्षक, एक अन्य उप-निरीक्षक, एक हैडकांस्टेबल और 6 कांस्टेबलों के साथ एक सरकारी जीप में मोहन नगर की तरफ गए और हिन्डन पुल की तरफ बढ़े । जैसे ही जीप जी० टी० रोड पर बिक्री-कर चौकी के नजदीक पहुंची, श्री शर्मा ने एक स्कूटर पर सवार तीन आदमियों को देखा जो करीहवा की तरफ गए । यह वही स्कूटर (यू० पी०-14 ख–2418) था जिसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया था । श्री शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी कि उसने आतंकवादियों को देख लिया है और जब उन्होंने देखा कि पुलिस की जीप उनके नजदीक पहुंच रही है तो स्कूटर सवारों ने पुलिया के नजदीक स्कूटर रोका और भागना शुरू किया । श्री हर्षवर्धन सिंह, उप निरीक्षक और अन्य कार्मिक जीप से उतरे और कांस्टेबलों को सड़क के किनारे मोर्चा सम्भालने के निर्देश दिए । अन्य दो अधिकारी बदमाशों के पीछे भागे । जब बदमाशों ने देखा कि श्री शर्मा और श्री सिंह उनका पीछा कर रहे हैं तो वे एक झाड़ में छिप गए और श्री शर्मा और श्री सिंह पर गोलियां चलाने लगे ।

संदेश मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल के साथ तत्काल मुठभेड़ के स्थान पर गए । श्री वी० के० गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया और कमान्ड अपने हाथ में लेने के बाद, दक्षिणी दिशा में अतिरिक्त बल तैनात किया जबकि उत्तरी दिशा में उन्होंने स्वयं मोर्चा संभाला । इस प्रकार से उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी दिशा से बदमाशों को घेर लिया, जबकि पूर्वी दिशा अभी भी खुली थी । सभी कार्मिकों को लगातार गोलीबारी करके उग्रवादियों पर दबाव बनाए रखने का निर्देश देने के बाद, श्री वी० के० गुप्ता अपने सुरक्षा गार्ड के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन को भारी खतरे की तरफ ध्यान न देते हुए रेंगते हुए, पूर्वी दिशा की तरफ बढ़े और चारों दिशाओं की घेराबंदी पूरी कर ली । बदमाश प्रत्येक दिशा में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे । क्योंकि उनके भागने के रास्ते बंद हो गए थे और छिपने का स्थान छोड़कर जाने का मतलब था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी क्योंकि वे श्री शर्मा और श्री सिंह के निशाने के अन्दर थे जिन्होंने उनके काफी नजदीक मोर्चा संभाला हुआ था और श्री शर्मा की जीप की रोशनी के भीतर थे श्री वी० के० गुप्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा श्री हर्षवर्धन सिंह अपने जीवन के प्रति इस खतरे की परवाह न करते हुए कि वे बदमाशों के सामने पड़ सकते हैं और उनकी गोलियों का निशाना बन सकते हैं, उपलब्ध आड़ में छिपते-छिपाते बदमाशों के नजदीक पहुंचे । एक उग्रवादी ने यह आभास होने पर कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है ऊंची आवाज में कहा कि उनके पास ए० के०–47 राईफल हैं और यदि पुलिस ने गोलीबारी बंद नहीं की तो वे बल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं । इस चेतावनी से विचलित न होते हुए श्री गुप्ता, श्री शर्मा और श्री सिंह बदमाशों के नजदीक बढ़ते रहे और श्री गुप्ता ने उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिए कहा अन्य कोई विकल्प न देखते हुए बदमाशों ने गोलियां चलाना बंद कर दिया और आत्म-समर्पण करने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए । श्री गुप्ता, श्री शर्मा और श्री सिंह जिन्होंने बदमाशों के बहुत करीब मोर्चा लगा रखा था, बदमाशों पर झपट पड़े, उन्हें निशस्त्र और गिरफ्तार कर लिया । तीन बदमाशों की शिनाख्त मंगल सिंह, हरदीप सिंह, तरसेम लाल के० एल० एफ० के के० सी० पंजवाला गिरोह के सदस्यों के रूप में की गई । उनसे दो कारतूसों सहित एक ए के –47 राईफल और दो मैगजीने, 19 कारतूसों के साथ 12 बोर की एक डी० बी० बी० एल० गन भी बरामद की गई । 5 मार्च, 1993 को अन्य फैक्टरी से खंजांची से लूटे गए 1 लाख रु० भी उनसे बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक और हर्षवर्धन सिंह पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य, वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मार्च 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 41 – प्रेस/95–राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कृष्ण गोपाल शर्मा (मरणोपरांत)
उप निरीक्षक, सिविल पुलिस
जिला नैनीताल ।

श्री जगपाल सिंह (मरणोपरांत)
कांस्टेबल, सिविल पुलिस
जिला नैनीताल ।

श्री श्रीकृष्ण (मरणोपरांत)
कांस्टेबल, सिविल पुलिस
जिला नैनीताल

श्री कुशल पाल सिंह (मरणोपरांत)
कांस्टेबल–सिविल पुलिस
जिला नैनीताल

श्री प्रदीप कुमार (मरणोपरांत)
कांस्टेबल, सिविल पुलिस
जिला – नैनीताल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28–2–92 को थाना–सितारगंज के उप–निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा को निकटवर्ती जंगल में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। यह सूचना मिलने के तुरंत बाद श्री शर्मा अपने साथ कांस्टेबल जगपाल सिंह कृष्ण, कुशलपाल सिंह और प्रदीप कुमार को लेकर, शास्त्रों से लैस होकर सूचना की जांच करने के लिए चल पड़े। रास्ते में पुलिस दल ने सिविल ड्रैस पहन ली और स्वराज माजदा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े ताकि अपनी वास्तविक पहचान गुप्त रख सकें। उनके साथ श्री रोहित सिंह और श्री सरजूमाहनी नामक दो सिविलियन भी थे इस प्रकार वे आतंकवादियों की तलाश में आगे बढ़े। पुलिस दल बंकुइया से होकर नानक नगरी क्षेत्र की ओर बढ़ा, गूजरों के झालों पर गया और उनसे पूछताछ करने पर यह पता लगा कि लगभग 7–8 संदिग्ध उग्रवादी, जिनमें केशधारी और सहजधारी सिख दोनों ही शामिल हैं, उस क्षेत्र में कुछ औरतों और एक कुत्ते के साथ घूमते देखे गए हैं। सूचना की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस दल और कुमुक मंगाने के लिए वापस लौट रहा था। लगभग 0130 बजे जब वे गूजरों के झालों से होकर गुजर रहे थे तो अचानक पेड़ों के पीछे से वैन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तुरंत ही श्री शर्मा ने अपने कार्मिकों को वैन से कूद पड़ने और मोर्चा संभाल लेने का आदेश दिया तथा आतंकवादियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। इससे विचलित हुए बिना आतंकवादियों ने "खालिस्तान जिन्दाबाद" का नारा लगाया और पुलिस दल को चारों ओर से घेर कर उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी आतंकवादियों पर गोलियां चलाई जिससे कुछ आतंकवादी घायल हो गए जिन्हें उनके साथी तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर ले गए। अचानक यह नोटिस किया गया कि आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 10–12 तक पहुंच गई है। अपने आपको कम संख्या में पाकर और स्थिति की गंभीरता का अनुभव करके श्री शर्मा ने अपने साथियों की धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और आतंकवादियों को दूर रखने के लिए उनकी ओर सीधी गोलीबारी की परन्तु आतंकवादी चूंकि स्वचालित हथियारों से लैस थे इसलिए अपनी सीमित गोलीबारी क्षमता के साथ पुलिस दल आतंकवादियों की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया और आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन साहसपूर्वक बलिदान कर दिया। सभी पांच पुलिस कर्मियों और दो सिविलियनों को मारकर और मृत पुलिस कर्मियों के हथियार लेकर आतंकवादी जंगल में भाग गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उप निरीक्षक, श्री जगपाल सिंह, कांस्टेबल, श्री श्रीकृष्ण, कांस्टेबल, श्री कुशल पाल सिंह, कांस्टेबल और श्री प्रदीप कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 42–प्रेज–95—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री उमा शंकर शुक्ला (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला–बुलन्दशहर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12–6–93 को डिबाई के थाना प्रभारी को यह सूचना प्राप्त हुई कि दानपुर गांव में एक कुख्यात गैंग मौजूद है जिसे डिम्बर के भवन को जबरदस्ती खाली कराने के लिए किराए पर बुलाया गया है और यह भी कि यदि इसमें कोई प्रतिरोध किया जाता है तो वह गिरोह श्री राजू गौतम तथा उनके परिवार की सम्पत्ति को लूट लेगा तथा उनकी हत्या कर देगा। यह सूचना मिलने के बाद तुरंत ही डिबाई के थानाध्यक्ष ने कांस्टेबल उमा-शंकर शुक्ला सहित अन्य उपलब्ध पुलिस बल एकत्र किया और लगभग 10.00 बजे प्रातः वहां पहुंच गए तथा उन्हों ने वहां उक्त गिरोह को मौजूद पाया। पुलिस दल ने गिरोह को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन आत्मसमर्पण की बजाए गिरोह ने अचानक ही पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और वे गोलीबारी करते हुए अस्पताल की ओर भागे । पुलिस दल ने अपना संयम और आत्मविश्वास बनाए रखा और अपराधियों का पीछा किया । अपने जीवन को दांव पर लगाकर कांस्टेबल शुक्ला ने एक अपराधी का पीछा करके उसे अस्पताल के बरामदे में पकड़ लिया लेकिन छीना–झपटी में अपराधी ने एक 9 एम० एम० की पिस्तौल निकाली और कांस्टेबल के सिर में गोली मार दी।, अपराधी ने कांस्टेबल को गोली मारकर स्वयं को छुड़ा लिया और भागकर दलबीर सिंह नामक व्यक्ति के क्वार्टर में शरण

ली, एक चार दीवारी के पीछे पोजीशन लेकर उसने पुलिस दल पर गोली चलाई। पुलिस दल ने भी अपराधी पर गोली चलाई और वहीं पर ढेर कर दिया। मारे गए अपराधी की शिनाख्त बाद में पप्पू सुनार के रूप में हुई। बचकर भाग गए अन्य अपराधियों की पहचान देवेन्द्र कनुआ और अशोक शर्मा के रूप में हुई जबकि अन्य दो की पहचान न की जा सकी। पप्पू के पास से एक मैगजीन सहित 9 एम०एम० की एक पिस्तौल बरामद हुई। अपराधियों द्वारा प्रयुक्त एक मारुति कार और एक स्कूटर भी घटनास्थल से बरामद किया गया। कांस्टेबल शुक्ला ने बाद में घायलवस्था में दम तोड़ दिया और अपने कर्तव्य पालन में अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री उमा शंकर शुक्ला, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12-6-1993 से जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 43-प्रेज 95—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरीश राम आर्य,
प्लाटून कमांडर
35 वीं बटालियन, पी० ए० सी०
लखनऊ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री हरीश राम आर्य प्लाटून कमांडर 35वीं बटालियन, पी० ए० सी० को बम निरोधक दस्ते में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। 24-1-91 को सूचना मिली कि मुख्य मंत्री के निवास-परिसर में कुछ बम मौजूद हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही सुरंत श्री आर्य को उस स्थान पर दस्ते के साथ जाकर बमों को हटाने के लिए उनके अधिकारियों द्वारा भेजा गया। उस स्थल पर पहुंचकर श्री आर्य ने स्थिति का जायजा लिया और अपने-सह-कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए कहा। इसके बाद श्री आर्य एक-एक करके बमों को सड़क तक ले आए और उनमें से एक बम को निष्क्रिय कर दिया। जब वे अगले बम को निष्क्रिय करने का काम कर रहे थे तो यह बम अचानक फट गया और इससे शेष बचे अन्य बमों में भी विस्फोट होना शुरू हो गया। श्री आर्य गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि अन्य सहकर्मी, जो सुरक्षित दूरी पर मौजूद थे, उन्हें हल्की चोटें आईं। श्री आर्य, मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहे और समय पर बमों को निष्क्रिय करके उन्होंने जानमाल की भारी क्षति होने से बचा ली और साथ ही, सारा धमाका/धक्का अपने ऊपर ले लिया। विस्फोट बहुत गंभीर था। श्री आर्य को लगी चोटों के कारण उनकी बांई बांह को, कोहनी के ऊपर से काटना पड़ा।

इस मामले में लगभग 2 वर्ष की देरी हो गई है। राज्य सरकार ने देरी को माफ करने का अनुरोध किया है; यह देरी, विभिन्नस्तरों पर पूर्ण जांच-पड़ताल किए जाने से हुई।

इस घटना में श्री हरीश राम आर्य, प्लाटून कमांडर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियमों 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24-1-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 44-प्रेज 95—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री भवतोष पाल
पुलिस उप निरीक्षक
बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल

श्री प्राण गोपाल डान
पुलिस उप निरीक्षक
बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल

श्री अब्दुल मन्नान मलिक
कांस्टेबल
बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

2-8-1992 को बांकुड़ा जिले के थाना-ओंडा के कार्यभारी उप निरीक्षक भवतोष पाल को सूचना मिली कि मिदनापुर जिले के खड़गपुर शहर में अपराध करने के बाद कुछ सशस्त्र अपराधी एक मारुति कार में बांकुड़ा की ओर बहुत तेज गति से आ रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए श्री भवतोष पाल ने तुरंत ही एक योजना बनाई। उप निरीक्षक पी० जी० डान और कांस्टेबल अब्दुल मन्नान मलिक सहित अपने पुलिस दल के साथ उन्होंने ओंडा पर एक "मार्ग अवरोध" बनाया और

सड़क के किनारे पोजीशन ले ली। ग्राम्यजनों को भी उस स्थान से दूर रखने की सावधानी बरती गई ताकि कहीं ऐसा न हो कि दोनों ओर से गोलीबारी में कोई ग्राम्यजन घायल हो जाए या मारा जाए। लगभग 23-15 बजे उपर्युक्त मारुति उस "मार्ग अवरोध" के पास पहुंची और वहां पुलिसकर्मियों को देखकर अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। श्री भवतोष पाल ने अपने साथियों को जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया और स्वयं उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से कार पर गोलियां चलाई। श्री पी० जी० डान की छाती में गोली लगने से घाव हो गया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। कांस्टेबल मलिक द्वारा निशाना साधकर चलाई गई गोली से कार का अगला टायर फट गया। अपराधियों ने पुनः पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आत्मविश्वास खोए बिना पुलिस दल ने उस वाहन पर गोली चलाना जारी रखा। कार के अन्दर बैठे अपराधियों ने कार का दरवाजा खोलकर निकल भागने की कोशिश की। अपने पुलिस बल के साथ उप-निरीक्षक भवतोष पाल उन पर झपट पड़े और उनमें से दो को पकड़ लिया। वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे और बाद में घायलावस्था में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। मुठभेड़ स्थल से ए० के०-47 श्रेणी की दो राइफलें, ए० के०-47 राइफल की 217 गोलियां .30 कार्बाइन की दो गोलियां और 6600 रु० भी बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री भवतोष पाल पुलिस उप-निरीक्षक; पी० जी० डान पुलिस उप-निरीक्षक और ए एम० मलिक कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 03-8-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 45-प्रेज 95—राष्ट्रपति, असम रायफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री कर्ण बहादुर थापा
नायब सूबेदार
23, असम रायफल्स

श्री बेलाराम सरमा
राइफलमैन
23, असम रायफल्स

श्री रोबेट संगमा
राइफलमैन
23, असम रायफल्स

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 मई, 1993 को नायब सूबेदार कर्ण बहादुर थापा को राम कुमार राजापाड़ा नामक गांव में ए० टी० टी० एफ० विद्रोहियों की तलाशी एवं गिरफ्तारी के लिए गश्त पार्टी ले जाने का आदेश दिया गया। वे तुरंत ही अपने दल के साथ मिशन पर चल पड़े और अपने ग्रुप को उन्होंने दो टीमों में विभाजित किया एक का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व हवलदार सी० बी० पुन कर रहे थे। दो अन्य राइफलमैनों के साथ नायब सूबेदार थापा ने ए०टी०टी०एफ० विद्रोहियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई किए जाने से पहले ही विद्रोही ऊंचे-ऊंचे बांस और हाथी घास का फायदा उठाते हुए बचकर भागने में सफल हो गए। तथापि, झोंपड़ी में छिपे एक उग्रवादी को नायब सूबेदार थापा और राइफलमैन संगमा द्वारा घेर लिया गया। नायब सूबेदार थापा ने उस विद्रोही को आत्म-समर्पण कर देने के लिए ललकारा जबकि राइफलमैन संगमा उस विद्रोही पर झपट पड़ा और उससे एक भरी 303 राइफल छीन ली। छापा मारने वाले दल के अचानक आक्रमण से विद्रोही को जंगल में भाग जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

2. भागते हुए विद्रोही का पीछा करते हुए छापा दल पर जंगल में छिपे हुए विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। नायब सूबेदार थापा की अधीनस्थ टीम ने जवाबी गोलीबारी करके विद्रोहियों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। दोनों ओर से गोलियां चलने की आवाज सुनकर दूसरी टीम भी गोलीबारी वाले स्थल की ओर बढ़ी। राइफलमैन बेला राम सरमा ने, जो अपने दल का अगुवा था, भागते हुए विद्रोहियों के पदचिह्न देखे। राइफलमैन सरमा ने देखा कि एक विद्रोही निचली तरफ के एक ढलान पर से, जिसपर कि उग्रवादी फिसल कर गए थे, आगे बढ़ती हुई टुकड़ी पर गोली चलाने के लिए निशाना साध रहा था। बिना समय गंवाए राइफलमैन सरमा ने विद्रोही पर गोली चलाई लेकिन वह बाल-बाल बच गया और अपनी 303 बोर की भरी हुई राइफल पीछे छोड़कर घने जंगल में बचकर भाग गया। राइफलमैन सरमा ने वह राइफल हवलदार पुन को सौंप दी। नायब सूबेदार थापा और उनकी टीम ने पीछा करना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप एक विद्रोही को गोली लगी और वह पकड़ा गया। उस क्षेत्र की सम्पूर्ण तलाशी लेने पर, 303 की दो राइफलें, दो देशी पिस्तौलें, एक देशी बंदूक, गोलीबारूद, विस्फोटक और करेंसी बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री कर्ण बहादुर थापा, नायब सूबेदार बेलाराम सरमा राइफलमैन और रोबेट संगमा राइफलमैन ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 04-5-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 46-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुनील कुमार शर्मा,
कांस्टेबल,
182 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28 फरवरी, 1992 को बड़े सवेरे पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), जालन्धर ने गांव बीड बस्तियों को अचानक घेरने और तलाशी लेने के आदेश दिए। इस प्रयोजन हेतु सीमा सुरक्षा बल की एक कम्पनी जिसमें एस० के० शर्मा और करणदेव सिंह, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी तथा कुछ पुलिस कर्मी शामिल थे, तैनात किया गया । सीमा सुरक्षा बल की पूरी कम्पनी को बाहरी घेरे में तैनात किया गया । 25 पुलिस कार्मिकों वाला एक तलाशी दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी को इमारत की तलाशी लेने के कार्य के लिए तैनात किया गया ।

गांव के सभी पुरुषों को गुरुद्वारे के अन्दर एकत्र किया गया । करीब 08.00 बजे सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट को पुलिस बल के एक सहायक उप-निरीक्षक द्वारा सूचना दी गई गुरुद्वारा के समीप लाल रंग वाली एक तीन मंजिली इमारत में कुछ आतंकवादी छिप हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सात कर्मियों सहित सहायक कमांडेंट उस इमारत की ओर जल्दी से गए जहां आतंकवादी छिपे हुए थे । वहां पहुंचने पर उन्होंने इमारत को घेर लिया और इमारत की तलाशी लेने को कहा । इस बीच सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने भूतल पर एक कमरे में दो व्यक्तियों को देखा । इस पर, ए० के०-47 राईफल हाथ में लिए एक आतंकवादी प्रथम मंजिल पर चढ़ कर तेजी से आया और उसने सीमा सुरक्षा बल के दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । ऐसा होते देख केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ जवान और कुछ पुलिस कर्मी साथ वाली इमारतों की छतों पर कूद गए और दीवार की ओट ले ली । आतंकवादियों ने उन पर कुछ धमाके किए परन्तु इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । सहायक कमांडेंट ने दीवार के छिद्र में से अपनी पिस्तौल द्वारा दो राउण्ड चलाए परन्तु इससे भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी जान को जोखिम में होते देख आतंकवादी सीढ़ियों के द्वारा नीचे भाग गए ।

उनमें से एक आतंकवादी इमारत से बाहर निकल कर आया और पानी के कच्चे नल की बनी दीवार को छलांग लगा कर पार करने का उसने प्रयास किया जहां कांस्टेबल करनदेव सिंह घेरा बनाए हुए ड्यूटी पर तैनात थे । उन्होंने आतंकवादी को दबोच लिया । हाथापाई के दौरान, आतंकवादी द्वारा ए० के०-47 से चलाया गया एक धमाका श्री करनदेव सिंह के घुटने और गले में लगा जिससे वे बेहोश हो गए । आतंकवादी ने श्री करनदेव सिंह की एस० एल० आर० छीन ली और दीवार से कूद कर खुले गन्ने और गेहूं के खेतों में छिप गया । तब आतंकवादी गन्ने की फसल से बाहर निकलकर आया और बाहर के घेरे की ओर भागा जहां कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा सीमा सुरक्षा बल के तीन कांस्टेबलों सहित मोर्चा लिए हुए थे । आतंकवादी ने कांस्टेबल शर्मा पर गोली चलाई । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, अपनी एस०एल० आर० से कांस्टेबल शर्मा ने आतंकवादी पर गोली चलाई । परन्तु आतंकवादी ने अपनी ए० के०-47 राईफल से सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोली चलाना जारी रखा । श्री शर्मा, हताश हुए उग्रवादी के साथ आमने-सामने होकर बड़े ही साहसपूर्ण ढंग से गोलीबारी करते रहे । उन्होंने आतंकवादी द्वारा बनाए गए रास्ते का उसको लाभ नहीं उठाने दिया । बड़े ही कौशलपूर्ण ढंग से बाहरी घेरे में तैनात कार्मिकों ने, साहसी कांस्टेबल शर्मा के नेतृत्व में, आतंकवादी को मार गिराया । दूसरा आतंकवादी इमारत के अन्दर मारा गया । मारे गए दोनों आतंकवादियों की बाद में रंजीत सिंह उर्फ बिट्टू तथा मंजीत सिंह भल्ला के रूप में पहचान की गई । तलाशी के दौरान घटना स्थल से एक ·315 बोर की राईफल और बड़ी मात्रा में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सुनिल कुमार शर्मा, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 47-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कश्मीरा सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14/15 अक्तूबर, 1992 की मध्य रात्रि को सीमा सुरक्षा बल की 8वीं बटालियन के सैनिकों द्वारा गांव शालबग से उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया । 02.30 बजे (15-10-1992) तक गांव को घेर लिया गया ।

एक तलाशी दल जब गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो एक व्यक्ति को चोरी-छिपे इधर-उधर जाते देखा गया । सीमा सुरक्षा बल के दल ने घर को घेर कर वहां से तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया । पूछताछ करने पर पकड़े गए उग्रवादियों में से एक उग्रवादी ने बताया कि उनके कुछ साथी सिंध नदी के उस पार शालबग रेत की कच्ची भूमि में एक हाउस-बोट में छिपे हुए हैं । हाउस-बोट का पता लग जाने के बाद सहायक कमांडेंट श्री अजीज खान अपने दल सहित हाउस-बोट के निकट गए । उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । कांस्टेबल कश्मीरा सिंह ने जवाबी गोलीबारी की और एक उग्रवादी को मार गिराया । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण कांस्टेबल कश्मीरा सिंह के पेट में गोली लगने से घाव हो गए । घावों के बावजूद भी, उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और उग्रवादियों पर गोलियां चलाना जारी रखा और अन्ततः एक और उग्रवादी को मार गिराने में सफल हो गए । बाद में श्री कश्मीरा सिंह ने घावों के कारण दम तोड़ दिया ।

श्री अजीज खान ने स्थिति का मूल्यांकन करके एल० एम० जी० उठाई और मोटर बोट पर प्रभावकारी गोलीबारी करके उग्रवादियों को शांत कर दिया और वे वहां से वापस भागने के लिए मजबूर हो गए । इस मुठभेड़ में कुल चार खूंखार उग्रवादी पकड़े गए और दो उग्रवादी मारे गए । तलाशी लेने के दौरान एक 5 ए० के०-56 राईफलें और उनकी मैगजीनें, एक .12 बोर की बंदूक, एक मज्जल लोडिंग गन और ए० के०-56 राईफल के 116 राउण्ड अप्रयुक्त गोला बारूद घटना स्थल से बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री कश्मीरा सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अक्तूबर 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 48-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एम० एस० चौहान,
उप कमांडेंट,
82वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री भवानी शंकर,
सहायक कमांडेंट,
82वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री हरदेवा राम, (मरणोपरान्त)
सूबेदार,
82वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया ।

14/15 जनवरी, 1994 की मध्य रात्रि को संगरूर जिले के अन्तर्गत थाना-सौरा के अधीन इलाहीबाग नामक क्षेत्र के सामान्य इलाके में एक संयुक्त तलाशी/खोजी अभियान चलाया गया । करीब 07.30 बजे जब एक तलाशी दल एक तीन मंजिले घर में घुसा तो उग्रवादियों ने हथगोले फेंके और स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई, जिसमें एक कांस्टेबल को छर्रे लगने से घाव हो गए तथा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया । तत्पश्चात्, सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों और घर में छिपे उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई । उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए घर पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया । श्री एम० एस० चौहान, उप कमांडेंट और श्री भवानी शंकर, सहायक कमांडेंट के नेतृत्वाधीन दल ने एक सीढ़ी की सहायता से मकान की पहली मंजिल में प्रवेश किया तथा दूसरा दल, जिसका नेतृत्व सूबेदार हरदेवा राम कर रहे थे, ने घर के भूतल में प्रवेश किया । घर में प्रवेश करने पर सूबेदार हरदेवा राम उग्रवादियों के आमने सामने हो गए । परन्तु उन्होंने डरे बिना उग्रवादियों को समर्पण कर देने के लिए ललकारा । इस प्रक्रिया में सीढ़ियों में छिपे उग्रवादियों द्वारा किए गए एक धमाके से वह घायल हो गए और मारे गए ।

जिस समय श्री चौहान घर में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर घर की छत में छिपे उग्रवादियों द्वारा गोलियों की बौछार की गई । इस पर उन्होंने जवाबी गोलीबारी की और उन्होंने एक उग्रवादी को मार डाला तथा इस प्रक्रिया में उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से उनके जबड़े में गहरे घाव हो गए । इस बीच, श्री भवानी शंकर, जो कि श्री चौहान का पीछा कर रहे थे, ने घायल अधिकारी को पूरा समर्थन दिया और दूसरे उग्रवादी को मार डालने में सफल हो गए परन्तु इस बीच उनकी दाहिनी बांह में घाव हो गए । तब दोनों घायल अधिकारी उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच स्वयं बाहर निकलकर आ गए और उन्हें फिर बेस अस्पताल ले जाया गया ।

अंधेरा हो जाने के कारण घेर पर धावा बोलने का काम स्थगित कर दिया गया परन्तु घर की पूरी रात कड़ी निगरानी की गई। घर पर पूरा प्रभावकारी ढंग से काबू पाने के लिए सेना से कुमुक भी बुला ली गई। दोनों ओर से पूरी रात तथा अगली सुबह तक गोलीबारी जारी रही। 16-1-1994 की सुबह, एक उग्रवादी ने सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों से बच कर भाग निकलने की कोशिश की परन्तु गोलीबारी होने के कारण वह मारा गया। अन्ततः घर पर धावा बोला गया और तीन उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। तलाशी लेने पर तीन ए० के०-56 राइफलें, एक 9 मि० मी० की पिस्तौल, पिस्तौल की 2 मैगजीनें तथा गोला बारूद के 79 राउण्ड घटना स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम० एस० चौहान, उप कमांडेंट, भवानी शंकर, सहायक कमांडेंट और हरदेवा राम सूबेदार ने उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 49-प्रेज/95—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री जी० एस० बल,
कमांडेंट,
19वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल;
बारामूला।

श्री अरविन्दर सिंह,
उप-कमांडेंट,
सेक्टर मुख्यालय,
सीमा सुरक्षा बल
बारामूला।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

19-3-1994 को सूचना प्राप्त हुई कि उग्रवादियों के एक आत्मघाती दस्ते द्वारा गांव मंजसीर और गुरसीर में एक गुप्त बैठक की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल की 19वीं बटालियन के कमांडेंट श्री जी० एस० बल द्वारा घेरा डालने और तलाशी अभियान चलाने की एक योजना बनाई गई। करीब 0715 बजे दोनों गांवों को घेर लिया गया। जब सैनिक दक्षिणी बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो उग्रवादियों ने उन पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। चूंकि अधिकांश गोलीबारी मंजसीर गांव से की गई थी, इसलिए उस क्षेत्र से उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए श्री बल ने कमांडो अभियान चलाया। अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए तीन दल बनाए गए। पहला दल जिसमें सूबेदार ओ० एन० पाठक तथा कमांडो प्लाटून के 7 कार्मिक थे, का नेतृत्व श्री जी० एस० बल ने किया जिसने दक्षिण-पूर्वी दिशा को कवर किया, दूसरे दल का नेतृत्व श्री अरविन्दर सिंह ने किया और उसने उत्तरी दिशा को कवर किया तथा तीसरा दल जिसने बच कर भागने के रास्तों को कवर किया था, का नेतृत्व 73वीं बटालियन के उप-कमांडेंट द्वारा किया गया।

करीब 1330 बजे तीनों दल संदिग्ध घरों के करीब गए, परन्तु तब तक उग्रवादी अपने छिपने के स्थानों को छोड़कर पशु बांधने के स्थान की पूर्णतः सुरक्षित छत पर जा कर मोर्चा ले चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ते हुए दोनों पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर कर दीं। सर्वश्री बल और अरविन्दर सिंह के नेतृत्वाधीन दलों पर हो रही गोलीबारी बिना रुके चलती रही। युक्तिपूर्ण ढंग से गोली चलाते हुए आगे बढ़ते रहने की तरकीब अपनाते हुए दोनों दल उग्रवादियों के छिपने के स्थान की ओर आगे बढ़ते गए। दोनों दल उग्रवादियों के छिपने के स्थान के 25-30 गज के घेरे में पहुंचने में सफल हो गए और पशुओं के रखने के स्थान के निकट के मकानों में मोर्चा संभाल लिया। श्री बल वाले दल ने दक्षिण पूर्व वाले मकान में मोर्चा संभाल लिया जबकि श्री अरविन्दर सिंह वाले दल ने उत्तरी छोर वाले मकान में मोर्चा संभाल लिया। सूबेदार ओ० एन० पाठक और कांस्टेबल तरन जीत सिंह ने खिड़की के पास श्री बल के साथ-साथ मोर्चा ले लिया, जिन्होंने उग्रवादियों पर की जाने वाली गोलीबारी का नेतृत्व करना था। इसी प्रकार श्री अरविन्दर सिंह ने एक एल० एम० जी० के जोड़े सहित खिड़की पर मोर्चा ले लिया। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा गोलीबारी किए जाने के कारण उग्रवादियों ने बच कर भागने का प्रयास करते हुए उस खिड़की पर एक हथगोला फेंका जहां श्री बल खड़े थे, परन्तु एक साहसिक और तुरन्त की गई कार्रवाई में उन्होंने हथगोले को खाली हाथों से रोक लिया, फलस्वरूप हथगोला बाहर खाली स्थान में गिरा और फट गया। इस प्रकार श्री बल ने पूरे दल के सदस्यों के जीवन की रक्षा की। अचानक गोलियों का एक बड़ा धमाका खिड़की पर आकर लगा परन्तु सौभाग्यवश वे तीनों बच गए। इससे घबराए बिना श्री बल ने कांस्टेबल तरनजीत सिंह की ओर से गोली बारी करना जारी रखा।

इस बीच, श्री अरविन्दर सिंह ने देखा कि उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोलियां उस खिड़की पर लग रही हैं जहां से श्री बल उग्रवादियों पर गोलियां चला रहे थे। जब तक उनके पास असला खतम हो चुका था, तो उन्होंने उग्रवादियों को मार गिराने के लिए हलकी मशीन गन उठा ली थी। अब ही गोलियों की एक बौछार उनकी ओर आई, जो कि मकान की दीवार पर लगी तथा श्री अरविन्दर सिंह बाल-बाल बच

गए। इन गोलियों में से एक गोली उसके पेट में दाहिनी ओर से होकर निकल गई। उग्रवादियों की गोलियों से घबराए बिना, श्री अरविन्दर सिंह ने अपनी हलकी मशीनगन से भारी गोलीबारी शुरू की जिसके फलस्वरूप उग्रवादियों की ओर से होने वाली गोलीबारी रुक गई। यद्यपि उग्रवादियों की ओर से चल रही गोलियां रुक गई थीं, फिर भी इस बात का पता नहीं था कि उग्रवादी मारे गए हैं अथवा वे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनको मारा जा सके। अतः श्री बल ने इसकी आगे जांच करने का निर्णय किया। सूबेदार ओ० एन० पाठक और कांस्टेबल तरनजीत सिंह सहित श्री बल बाहर निकल कर आए और संविध घर की ओर बढ़े। श्री अरविन्दर सिंह को एल० एम० जी० वाले दल सहित उत्तर-दिशा से उग्रवादियों के मोर्चे का पता लगाने को कहा गया। शेष सैनिक कार्मिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। चारों व्यक्ति "गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ते जाओ" की तकनीक अपनाते हुए उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई होते न देखकर वे तीनों एक दूसरे की गतिविधि को कवर करते हुए शेड की छत पर चढ़ गए और वहां पर उग्रवादियों के तीन शव पाए जिनकी बाद में अब्दुल रशीद डर (एम० एम० गुट की एक बटालियन का कमांडर), मो० अकबर शाह और शौकत अहमद गोरू के रूप में पहचान की गई। तलाशी के दौरान, तीन ए० के०-56 राईफलें, ए० एम० श्रेणी की मैगजीनें, 1 वायरलैस सैट (सोनी), एक चीनी हथगोला; 5 विद्युतीय डिटोनेटर्स और बड़ी मात्रा में प्रयुक्त/अप्रयुक्त कारतूस घटनास्थल से बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जी० एस० बल, कमांडेंट और अरविन्दर सिंह, उप-कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 मार्च, 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 50-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरनाम सिंह विर्क,
कमांडेंट
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

23-11-93 को जिस समय सीमा सुरक्षा बल के दल द्वारा सोपोर के गांव मंजसीर और गुरसीर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था उस समय गांव गुरसीर में बने हुए पक्के मकानों में छिपे हुए उग्रवादियों ने तलाशी दल पर उच्च विस्फोटक शक्ति वाले हथगोले फेंके और भारी गोलीबारी की। गोलीबारी की आवाज सुनकर, सीमा सुरक्षा बल की 73वीं बटालियन के कमांडेंट श्री जी० एस० विर्क, अभियान का निर्देशन करने के लिए तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गए। उग्रवादियों ने जिन्हें आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया था, आत्म समर्पण करने की बजाय भारी गोलीबारी शुरू कर दी और हथगोले फेंके। छिपने के स्थान से उग्रवादियों को खदेड़ने के उद्देश्य से श्री विर्क ने गोलियां चलाने के साथ-साथ उच्च शक्ति वाले हथगोले फेंकने का निर्देश दिया। बचकर भाग निकलने के प्रयास में एक उग्रवादी अपनी ए० के०-56 राईफल द्वारा तलाशी दल पर गोलियां चलाता हुआ बाहर आया। उसने श्री विर्क को मो निशाना बनाया और अधिकारी की दोनों भुजाओं के ऊपरी भाग को गोलियों से गम्भीर रूप से घायल कर दिया। श्री विर्क ने हिम्मत नहीं हारी और उग्रवादी पर तुरन्त जवाबी गोलीबारी करके उसको घटनास्थल पर ही मार गिराया। मारे गए उग्रवादी की बाद में मोहम्मद डर, कोड "दारा" के रूप में पहचान की गई, जोकि एक खूंखार उग्रवादी था और हरकत-उल-जिहाद-ई-इस्लामी नामक उग्रवादी गिरोह का स्वयंभू-एरिया कमांडर था।

इस मुठभेड़ में श्री गुरनाम सिंह विर्क, कमांडेंट ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23-11-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 51-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सोम बहादुर लेपचा,
हैड कांस्टेबल,
71वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

सीमा सुरक्षा बल की 71वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल सोम बहादुर लेपचा की देख-रेख में दो टुकड़ियां 6-3-1992 को थाना कलानूर में, कलानूर कस्बे में और उसके आस-पास गश्त/नाका ड्यूटी के लिए भेजी गई थीं। एक दल गुरदासपुर—डी० बी० एन० रोड पर नाका ड्यूटी पर और दूसरा दल सी० सु० बल और पुलिस के 5 कार्मिकों के साथ श्री लेपचा के नेतृत्व में—कलानूर कस्बे की बाहरी परिधि में स्थित गली से जो बाल्मीकी मोहल्ला से होकर गुजरती है, होकर गश्त ड्यूटी पर जा रहा था। लगभग 21.45 बजे जब गश्ती दल बाल्मीकी मोहल्ले में स्थित एक मकान के पास पहुंचा तो उन्होंने एक डेरे की जांच करने का निश्चय किया जहां पर एक बल्ब जल रहा था। जब पुलिसकर्मी डेरे में सोरे ... लोगों को जगा रहे थे तभी पूरे पुलिस बल पर उग्रवादियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई। उग्रवादी उस स्थान से केवल 15-20 गज की दूरी पर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उग्रवादियों की पहली गोली श्री लेपचा के बाएं हाथ की हथेली में लगी और उसे छेदती हुई निकल गई जिससे उनके हाथ से खून बहने लगा। श्री लेपचा ने तुरन्त ही डेरे के एक ओर की दीवाल के पास फायरिंग पोजीशन ले ली और उग्रवादियों की दिशा में अपनी मशीन-कारबाइन से 3-4 बर्स्ट फायर किए। उन्होंने अपने दल को भी आड़ लेने और उग्रवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस कर्मियों ने उग्रवादियों के मोर्चे की ओर भारी गोलीबारी की। त्वरित और बहादुरी पूर्ण कार्रवाई करते हुए भी लेपचा ने 15 चक्र गोलियां चलाईं और आतंकवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जिससे आतंकवादियों द्वारा लगाई गई घात छिन्न-भिन्न हो गई। सी० सु० बल कर्मियों द्वारा भारी गोलीबारी के दबाव में उग्रवादी वहां से बहुत अफरा-तफरी में पीछे हटे। पीछे हटते हुए उन्होंने राकेट लांचर से एक राकेट दागा और गश्ती दल पर एक स्टिक बम भी फेंका ताकि अधिकाधिक लोग हताहत हों। इसी बीच अन्य आतंकवादियों ने भी अपने स्वचालित हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी की ताकि वे बचकर भाग सकें लेकिन अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री लेपचा और उनके पुलिस बल ने प्रभावी गोलीबारी करके आतंकवादियों को सिर उठाने का अवसर नहीं दिया।

इस बीच 71वीं बटालियन सी० सु० बल के उप-कमांडेंट ने अपनी टुकड़ी सहित, सेना के एक कर्नल ने अपने बल के साथ पूरे क्षेत्र को घेर लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला पुलिस अधीक्षक (अभियान) उप-पुलिस अधीक्षक, कलानूर भी मौके पर पहुंच गए। लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों ओर से भारी गोलीबारी होती रही। गोलीबारी रुकने के बाद पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई, आतंकवादियों के दो शव बरामद हुए जिनकी शिनाख्त अवतार सिंह उर्फ तारी, तथाकथित खालिस्तान लिबरेशन आर्मी (मनोचहल गुट) का लैफ्टिनेंट जनरल और मलविन्दर सिंह उर्फ गोगा के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक जी० पी० एम० जी०, एक .30 बोर की रिवॉल्वर, एक राकेट लांचर, एक स्टिक बम, एक एफ० एम० ट्रांस रिसीवर (जापान निर्मित) और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री सोम बहादुर लेपचा, हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 06-3-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 52-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कर्णदेव सिंह,
कांस्टेबल,
64वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

28-2-1992 को भोर के समय जालन्धर के पुलिस अधीक्षक (आपरेशन्स) ने बीड़ बस्सियां गांव में अचानक घेराबंधी और तलाशी अभियान चलाने का आदेश दिया। इस उद्देश्य के लिए कांस्टेबल एस० के० शर्मा, और कर्ण देव सिंह सहित सी० सु० बल की एक कम्पनी, के० रि० पु० बल की एक टुकड़ी और कुछ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। सी० सु० बल की पूरी टुकड़ी को बाहरी घेर पर लगाया गया। 25 पुलिस कर्मियों और के० रि० पु० बल की एक टुकड़ी वाले एक तलाशी दल को मकानों की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया।

गांव के सभी पुरुषों को गुरुद्वारा भवन में एकत्र किया गया। लगभग 8.00 बजे पुलिस के एक सहा० उप-निरीक्षक ने सी० सु० बल के सहायक कमांडेंट को सूचित किया कि कुछ आतंकवादी, गुरुद्वारे के पास स्थित, लाल रंग वाली एक दो मंजिली इमारत में छिपे हुए हैं। सहायक कमांडेंट, सी० सु० बल के सात कार्मिकों के साथ उस मकान की ओर दौड़े जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने मकान को घेर लिया और मकान की तलाशी का आदेश दिया। इसी बीच सी० सु० बल के कार्मिकों ने भूतल के एक कमरे

में दो आदमियों को देखा। इस पर, उन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो ए० के० 47 राइफल लिए हुए था, पहली मंजिल की ओर भागा और उसने सी० सु० बल के दलों पर गोली चला दी। इस पर के० रि० पु० बल के और पुलिस के कुछ कार्मिक पास वाले मकान पर कूदे और वहीं पर उन्होंने कवर ले लिया। आतंकवादियों ने उन पर कुछ बर्स्ट फायर किए लेकिन वे प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। सहायक कमांडेंट ने दीवाल में बने छेदों से होकर अपनी पिस्तौल से दो गोलियां चलाईं लेकिन इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी जान को खतरा देखकर आतंकवादी सीढ़ियों से होकर मकान के नीचे उतर गए।

एक आतंकवादी मकान से बाहर भागा, उसने एक अस्थायी "वाटर पाइंट" के पास से दीवार को फांदने का दुस्साहसिक प्रयास किया, वहां पर कांस्टेबल कर्णदेव सिंह घेराबंदी पर तैनात था वह आतंकवादी पर झपटा। संघर्ष के दौरान आतंकवादी ने अपनी ए० के० 47 राइफल से एक बर्स्ट फायर किया जोकि कांस्टेबल कर्णदेव सिंह के गर्दन और मर्दन पर लगा जिससे वह अचेत हो गया। आतंकवादी ने श्री कर्णदेव सिंह की एस० एल० आर० छीन ली, दीवाल को फांद कर गेहूं और गन्ने की खड़ी फसल में छिप गया। इसके बाद आतंकवादी गन्ने के खेत से बाहर आया, बाहरी घेरे की ओर दौड़ा जहां पर सी० सु० बल के तीन अन्य कांस्टेबलों के साथ कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा मोर्चा लिए हुए थे। आतंकवादी ने कांस्टेबल शर्मा पर गोली चलाई। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसने अपने एस० एल० आर० से आतंकवादी पर गोली चलाई। आतंकवादी अपनी ए० के० 47 राइफल से सी० सु० बल की टुकड़ी पर गोली चलाता रहा। श्री शर्मा ने उस साहसिक शस्त्र संघर्ष में दुःसाहसिक उग्रवादी को उलझाए रखा। उसने, घेरे में अपनी तैनाती के पास खाली स्थान का लाभ आतंकवादी को नहीं उठाने दिया। बहुत ही सिद्धहस्त तरीके से बाहरी घेरे पर तैनात कार्मिकों ने कांस्टेबल शर्मा की भीषण गोलीबारी की छाया में आतंकवादी को मार गिराया। दूसरा आतंकवादी मकान के अन्दर ही मारा गया। मारे गए दोनों आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में रणजीत सिंह उर्फ बिट्टू तथा मंजीत सिंह भल्ला के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक ए० के० 47 राइफल, एक .315 बोर की राइफल और भारी संख्या में जिन्दा/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री कर्णदेव सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28-2-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 53-प्रेज/95--राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० के० जुत्शी,
उप-कमांडेंट/जे० ए० डी० (ओ० पी० एस०)
एस० एच० क्यू०,
सीमा सुरक्षा बल,
आई० एस० डी०, अनन्तनाग।

श्री मांगे राम,
उप-निरीक्षक (अब सूबेदार),
153 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

25/26 जून, 1993 की रात को, निसार अहमद भट, निवासी अनन्तनाग अल-उमर गिरोह का एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी जो रात को सामान्यतः घर पर ही ठहरता है, को पकड़ने के लिए एक योजना बनायी गयी। मकान को घेरा गया और उप-निरीक्षक मांगे राम मुख्य दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाया। चूंकि अन्दर से कोई जवाब नहीं आया अतः दरवाजे को धक्का मार कर खोला गया। पार्टी घर में दाखिल हुई और उसने भूतल की तलाशी ली। उन्हें वहां कोई नहीं मिला। उसके बाद उप-निरीक्षक मांगे राम ने हैड-कांस्टेबल बलजीत सिंह और अन्य के साथ प्रथम तल की तलाशी लेने का निर्णय लिया। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर गोलियां चलायीं और हथगोले फेंके। इस हमले में उप-निरीक्षक मांगे राम, हैड-कांस्टेबल बलजीत और एक कांस्टेबल गोली/हथगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए।

उप-निरीक्षक मांगे राम और अन्य जो घर के अन्दर फंस गए थे, ने भूतल पर ही मोर्चा सम्भाला। गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उप-निरीक्षक मांगे राम ने हौसला नहीं छोड़ा और यह सुनिश्चित किया कि कुमुक पहुंचने तक उग्रवादी भाग न सकें। उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी और प्रभावकारी गोलीबारी के बावजूद उप-निरीक्षक मांगे राम और हैड-कांस्टेबल बलजीत सिंह ने मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों को भागने नहीं दिया। गम्भीर रूप से जख्मी होने और अत्यधिक खून बह जाने से उप-निरीक्षक मांगे राम बाद में बेहोश हो गए। उन्हें हैड-कांस्टेबल बलजीत सिंह और मकान के अन्दर फंसे 2 अन्य कार्मिकों ने वहां से निकाला।

कुछ समय बाद, सीमा सुरक्षा बल की 153वीं बटालियन के कमांडेन्ट के नेतृत्व में श्री एस०के० जुत्शी जे०

ए०डी० (ओ०पी०एस०) सहित कुमुक मुठभेड़ स्थल पर पहुंची। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने एम०एम० जी०/एल०एम०जी० की गोलीबारी के आड़ में सीमा सुरक्षा बल के जख्मी/फंसे कार्मिकों को निकालने लिए एक योजना बनायी। श्री जुत्सी ने एल०एम०जी० से उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की और उन्हें हतोत्साहित करने में सफल हो गए। वे आगे बढ़े और एल०एम०जी० को दूसरे स्थान पर रखा, ताकि एल०एम० जी० कार्मिक उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी कर सके और अन्दर फंसे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को बाहर निकाला जा सके। श्री जुत्सी अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़े और मकान के आगे के हिस्से में जख्मी पड़े कार्मिकों को निकालने में कामयाब हो गए। जब वे, सीमा सुरक्षा बल के जख्मी/फंसे कार्मियों को निकालने के कार्य में लगे थे तो उग्रवादी रुक-रुक कर गोलियां चलाते रहे और हथ-गोले भी फेंके। परिणामस्वरूप 4 कार्मिक, हथगोले की छिलरनो से जख्मी हो गए। सभी जख्मी व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां कांस्टेबल हीरेन राय को मृत घोषित किया गया और कांस्टेबल पप्पू सिंह ने बाद में 27 जून, 1993 को जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। इस कार्रवाई में कुल 4 उग्रवादी मारे गए और मुठभेड़ के स्थान से 3 ए०के०-56 राईफलें, 3 मैगजीनें और 17 राउण्ड गोलियां बरामद की गयीं

हैड-कांस्टेबल, बलजीत सिंह जख्मी होने और अत्यधिक खून बह जाने के बाद भी तब तक उग्रवादियों पर लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक यह अभियान पूरा हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० के० जुत्सी, उप-कमांडेन्ट और मांगे राम, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जून, 1993 से दिया जाएगा

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 54-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षाबल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुलाब सिंह,
कांस्टेबल, (मरणोपरान्त)

86 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22-8-1993 को एक गश्ती दल, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और आंध्र प्रदेश पुलिस थी, जिला आदिलाबाद के कागजनगर सब-डिवीजन में गांव सरसाला के नजदीक जंगल क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। जब गश्तीदल क्षेत्र की छानबीन कर रहा था तो एक सुरंग फट गयी। सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल दयाराम और गुलाब सिंह गम्भीर रूप से जख्मी हो गए (बाद में दोनों ने जख्मों के कारण दम-तोड़ दिया)। तथापि गुलाब सिंह की कुछ सांसे चल रही थीं। पुन: होश में आने पर कांस्टेबल गुलाब सिंह ने अपने को मोर्चे के अनुरूप सम्भाला और उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की। हालांकि वे गम्भीर रूप से जख्मी थे लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को कांस्टेबल दया राम की राईफल नहीं ले जाने दी। गुलाब सिंह, कांस्टेबल ने इन असामाजिक तत्वों को इस प्रकार से उलझाए रखा कि वे गश्ती दल के दूसरे जख्मी व्यक्ति को मार नहीं सकें। इस प्रकार से अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों की जान बचाने में वह सहायक हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री गुलाब सिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22-8-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 55 प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुभाष चन्द्र पाल,
कांस्टेबल,

95 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

7 अप्रैल, 1993 को सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी को, जिसमें कांस्टेबल सुभाष चन्द्र पाल सहित 46 कार्मिक थे, श्रीनगर शहर को घेरने और तलाशी लेने की कार्रवाई के लिए तैनात किया गया। जब पार्टी सोलिना बाजार से होते हुए एक 7-टन वाहन में जा रही थी तो उग्रवादियों ने वाहन के पीछे के हिस्से में एक हथगोला फेंका। हथगोला कांस्टेबल सुभाष चन्द्र पाल के नजदीक, वाहन के फर्श पर गिरा। सुभाष चन्द्र पाल ने अपनी जान की

जोखिम में डाल कर बिजली की गति से हथगोला उठाया और उस वाहन से बाहर फैंका। इस तेज कार्रवाई से उसने वाहन में बैठे अपने साथियों की जान बचायी। तथापि सुभाष चन्द्र पाल का दाहिना हाथ, गोले के टुकड़ों के कारण मामूली रूप से जख्मी हो गया। वाहन में यात्रा कर रहे सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिक बच गए।

इस मुठभेड़ में श्री सुभाष चन्द्र पाल कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 07-4-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 56-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री के० आर० पटेल,
कमांडेंट,
21वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 20/21 सितम्बर, 1993 की मध्य रात को, श्री नगर शहर के बाहरी किनारे के रावल पौरा इलाके में एक घेराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के संचालन के लिए सीमा सुरक्षा बल की 21वीं बटालियन के श्री के० आर० पटेल के नेतृत्व में 82वीं बटालियन की एक कम्पनी भी लगाई गयी थी। 21 अगस्त, 1993 को लगभग 03.45 बजे, क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। तलाशी अभियान शुरू करने से पहले, श्री पटेल ने, घेराबंदी के लिए तैनात की गई टुकड़ियों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। निरीक्षण के दौरान, श्री पटेल, हड्डी और जोड़ के अस्पताल के पीछे पहुंचे और उन्होंने, पुराने एयर पोर्ट रोड की ओर जाने के लिए बगीचे के बीच से, छोटा रास्ता तय करने का निर्णय लिया। कुछ दूर चलने के बाद, टुकड़ियों द्वारा कुछ व्यक्तियों की हलचल देखी गयी। तत्काल ही पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया और एक नायक जो कि श्री पटेल के पास ही थे, ने संदिग्ध व्यक्तियों के छिपने के ठिकाने की ओर इशारा किया। श्री पटेल ने, दो-तीन लोगों को घनी लम्बी घास वाली एक संकरी तथा गहरी सूखी नहर में सरकते हुए देखा। श्री पटेल नहर की ओर आगे बढ़े तथा उन्हें ललकारा किन्तु उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप श्री पटेल ने भी जवाबी गोलियां चलाई और दो उग्रवादियों को वहीं मार गिराया। उसके बाद उन्होंने एक और उग्रवादी को देखा जो एक हथगोला फेंकने की कोशिश में था। तत्काल ही, श्री पटेल, अपनी ए० के०-47 राईफल से गोली चलाते हुए उस उग्रवादी से भिड़ गए और तीसरे उग्रवादी को भी मार गिराया। उग्रवादी के हाथ में हुए हथगोले के विस्फोट के परिणामस्वरूप एक और उग्रवादी को मौत का शिकार होना पड़ा जो कि उस उग्रवादी के बिल्कुल पास ही था।

मुठभेड़ स्थल से, तलाशी के दौरान, 2 ए० के०-56 राइफलों, 1 ए० के०-47 राईफल, 1 हथ गोला फैंकने वाली मशीन, 5 राइफल हथगोलों तथा भारी संख्या में चले हुए बिना चले हुए कारतूसों सहित उग्रवादियों के चार शव बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री के० आर० पटेल, कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 57-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री जी० एस० विर्क,
कमांडेंट,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।
श्री मनोहर लाल
लांस नायक (अब नायक),
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

सीमा सुरक्षा बल की 73वीं बटालियन के कमांडेंट श्री गुरनाम सिंह विर्क को सूचना मिली कि उग्रवादियों का एक गिरोह, गांव संगरामा के दक्षिणी बगीचों में इकठ्ठा होगा और तारीख 30 अगस्त, 1993 को बड़े सवेरे ही वे उस इलाके में, बड़े पैमाने पर विघटनकारी गतिविधियां करने वाले हैं। श्री विर्क ने उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने

पर धावा बोलने का निर्णय लिया । 30 अगस्त, 1993 को 05.30 बजे ही प्रभावकारी घेराबंदी कर दी गई । उत्तरी और पश्चिमी बाजू की पार्टियों को उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया जबकि एक सहायक कमांडेंट की कमान वाली कमाण्डो पार्टी को, दक्षिणी बाजू से उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने की छानबीन करने का निर्देश दिया गया ।

लगभग 0615 बजे जब घेराव दल पश्चिमी बाजू से उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने की ओर आगे बढ़ रहा था तो उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी । श्री मनोहर लाल, लांस नायक जो कि एल० एम० जी० ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, बांए पैर में उग्रवादियों की गोली लगने से जख्मी हो गए । इसके बावजूद, उन्होंने तुरन्त ही एक लाभकारी मोर्चा संभाल लिया और उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी करके उनमें से दो को वहीं मार गिराया । इसी समय दूसरी सीमा सुरक्षा बल पार्टी के कार्मिकों ने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी करके उन्हें खामोश कर दिया ।

इसी बीच, श्री विर्क ने स्थिति का जायजा लिया तथा पार्टियों का पुनः समायोजन किया । जब श्री विर्क दक्षिण दिशा की ओर गए तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियों की भारी बौछार की । श्री विर्क ने देख लिया कि उग्रवादियों ने अपने आप को उबड़-खाबड़ जमीन में छिपाया हुआ है । श्री विर्क अपनी टुकड़ियों के पास गए और पश्चिमी बाजू को रोकने के लिए दो पार्टियों को लगाया तथा श्री विर्क, खुद कमांडों दस्ते के साथ, पूर्व दिशा में एक अनुकूल जगह पर स्थित हो गए और दो कमांडों पलाटून वाले दस्ते के एक असिस्टेंट कमांडेंट को, उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर पूर्वोत्तर दिशा से धावा बोलने के लिए कहा । इस अवधि के दौरान श्री मनोहर लाल लगातार, उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी करते रहे । इसी बीच घेराबंदी को और अधिक मजबूत किया गया, तथा भागने के सभी रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया । उसके बाद, अपने कमांडों दस्ते के साथ असिस्टेंट कमांडेंट ने, उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर पूर्वोत्तर दिशा से धावा बोल दिया । जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों की तरफ से गोलियां चलना बंद हो गई । मुठभेड़ स्थल से, तलाशी के दौरान 5 ए० के०–56 राईफलों, 8 मैगजीनों तथा भारी मात्रा में गोली बारूद सहित उग्रवादियों के 8 शव बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जी० एस० विर्क, कमांडेंट तथा मनोहर लाल, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये वीरता पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 अगस्त, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 58–प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री के० सलीम, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
112वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री के० लोथा, (मरणोपरान्त)
नायक,
112वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री पवितो सेमा,
कांस्टेबल,
112वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 8 दिसम्बर, 1993 को, कांस्टेबल, के० सलीम की कमान में, सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी को अधुनातो चौकी से जूम्हे बोतो तक का रास्ता खोलने के काम पर लगाया गया था चूंकि जूम्हे बोतों में सीमा सुरक्षा बल के एक काफिले को जाना था जिसमें बल के उप महा-निरीक्षक तथा एक कमांडर भी सफर कर रहे थे । सीमा सुरक्षा बल की रोड ओपनिंग पार्टी पर काफी नजदीक, करीब 20/30 गज की दूरी से अज्ञात बंदूक-धारियों द्वारा भारी गोली-बारी की जाने लगी । अज्ञात बंदूक-धारियों ने, सीमा सुरक्षा बल के वाहनों पर भी हथगोले फेंके, सीमा सुरक्षा बल की पार्टी के चार सदस्यों को घटना स्थल पर ही मार दिया गया शेष को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया तथा वाहनों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया । हैड कांस्टेबल के० सलीम, नायक, के० लोथा तथा कांस्टेबल पी० सेमा ने गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद, जवाबी गोलीबारी की और अज्ञात बंदूक-धारियों को दूर रखा तथा उन्हें सीमा सुरक्षा बल के वाहनों के नजदीक आने से, उस समय तक रोके रखा जब तक कि अन्य जीवित बचे व्यक्ति बाहर कूद कर मोर्चा न संभाल लें । इन पुलिस कार्मिकों के बहादुर कारनामे ने, जख्मी हुए अन्य सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के अमूल्य जीवन को तथा उनके द्वारा ले जाए जा रहे उन शस्त्र और गोली बारूद को बचा लिया जिसे कि अज्ञात बंदूक-धारी छीन कर ले जा रहे थे । बाद में, सर्व/श्री के० सलीम तथा के० लोथा की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में श्री के० सलीम, हैड कांस्टेबल, श्री के० लोथा, नायक तथा श्री पवितो सेमा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 दिसम्बर, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 59-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री बलकार सिंह,
सूबेदार,
83वीं बटालियन,
सी० सु० बल ।

श्री डी० बी० राणा,
हैड कांस्टेबल,
83वीं बटालियन,
सी० सु० बल ।

श्री चंचल सिंह,
कांस्टेबल,
83वीं बटालियन,
सी० सु० बल ।

श्री रामेश्वर यादव,
कांस्टेबल,
83वीं बटालियन,
सी० सु० बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 25 जून, 1993 को, सीमा सुरक्षा बल के सूबेदार बलकार सिंह की एक छह कमान के अन्तर्गत थाना प्रभारी तथा एक सिविल गाईड समेत तीन पुलिस कर्मिकों सहित एक सीमा सुरक्षा बल पार्टी को, आशुधार में छिपे जाने वाले उग्रवादियों का सफाया करने के लिए तैनात किया गया । आशुधार पहुंचने पर, सूबेदार बलकार सिंह ने क्षेत्र का विश्लेषण किया और आशुधार की एक ऊंची पहाड़ी की दक्षिणी दिशा में, सीमा सुरक्षा बल के एक हिस्से को तैनात कर दिया । बाकी पार्टी मुख्य झोंपड़ी के नजदीक पहुंच गई । स्थानीय लोगों को एक केन्द्रीय स्थल पर इकट्ठा होने को कहा गया और उसके बाद थाना प्रभारी तथा पुलिस कर्मिकों ने झोंपड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर दिया । यह संतुष्टि होने पर कि इन झोंपड़ियों में कोई उग्रवादी नहीं छिपा हुआ है, दक्षिणी पहाड़ी पर तैनात की गई सीमा सुरक्षा बल पार्टी को वहां से हटा लिया गया । जैसे ही सीमा सुरक्षा बल पार्टी वहां से हटी वैसे ही उग्रवादियों ने आशुधार के उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम से सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर अपनी ए० के० 47/56, एल० एम० जी० यू० एम० जी० स्नीपर राइफल तथा राकेट प्रक्षेपकों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी । सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों ने मोर्चा संभाला और तुरन्त प्रत्युत्तर दिया । संख्या में कम होने के बावजूद, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक बहादुरी से लड़े । एक लांस नायक के साथ सूबेदार बलकार सिंह ने 2 इंची मोर्टार से उग्रवादियों पर बमबारी की । इस प्रक्रिया में वे दोनों गोलियां लगने से जख्मी हो गए । उग्रवादियों ने भी, श्री बलकार सिंह और उनकी पार्टी को वहां से हटा देने के लिए, दो राकेट दागे । भीषण रूप से लड़ी गयी इस मुठभेड़ में, सीमा सुरक्षा बल के दस जवान शहीद हुए और पांच गंभीर रूप से जख्मी हो गए । हताहतों तथा शस्त्रों और गोली बारूद को वहां से हटाने का कार्य करने की योजना सूबेदार बलकार सिंह ने बनाई और उन्होंने इस कार्य को सफलता पूर्वक निष्पादित किया । कांस्टेबल रामेश्वर यादव, जोकि तलाशी दल के सदस्य थे, ने मोर्चा संभाला और जवाबी गोली चलाई । यह देखने पर, कि उग्रवादियों ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और गोलियां चला रहे हैं, श्री यादव एल० एम० जी० चौकी तक रेंगते हुए गए, और एल० एम० जी० पर कार्मिक की तैनाती करके उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की । श्री यादव तथा चार अन्य सीमा सुरक्षा बल कार्मिक, आशुधार क्षेत्र से, अपने हथियार तथा गोलीबारूद के साथ घायल कम्पनी कमांडर को युक्तिपूर्वक ले जाने में सफल हो गए ।

आशुधार की दक्षिण दिशा में, हैड कांस्टेबल डी० बी० राणा तथा कांस्टेबल चंचल सिंह जो उग्रवादियों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी का सामना कर रहे थे, उग्रवादियों को गंभीर रूप से हताहत करके प्रभावी चोट पहुंचा रहे थे । कांस्टेबल चंचल सिंह ने अपनी एल० एम० जी० से गोली चलाकर प्रत्युत्तर दिया और उग्रवादियों की ओर से हो रही गोलीबारी को खामोश करने में सफल हो गए । दोनों ओर से हो रही अनुवर्ती गोलीबारी में श्री चंचल सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए । इसके बावजूद, वे वीरता-पूर्वक डटे रहे और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने एक लाभकारी जगह पर छलांग लगाई और उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की । इस मुठभेड़ में 8 से 10 उग्रवादी मारे गए तथा 7 से 8 जख्मी हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री बलकार सिंह, सूबेदार, डी० एस० राणा, हैड कांस्टेबल, चंचल सिंह कांस्टेबल तथा रामेश्वर यादव कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जून, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 60-प्रेज/95—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सतपाल सिंह (मरणोपरान्त)
डिप्टी कमांडेन्ट
97वीं बटालियन
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री मान सिंह मीणा, (मरणोपरान्त)
असिस्टेंट कमांडेंट,
97 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 22 जनवरी 1994 को श्री सतपाल, डिप्टी कमांडेन्ट तथा श्री एम० एस० मीणा असिस्टेंट कमांडेन्ट को सूचना प्राप्त हुई कि सीमा सुरक्षा बल तथा 97 वीं बटालियन के कार्मिकों की उग्रवादियों के साथ गांव लार के डाबा मोहल्ला के किसी मकान में मुठभेड़ चल रही है । श्री मीणा, जो मुठभेड़ स्थल के पास ही थे, उपलब्ध बल को अपने साथ लेकर तुरन्त ही घटना स्थल की ओर चल पड़े । इसके साथ ही श्री सतपाल ने अपने कमाण्डो कार्मिकों को संगठित किया और उनके (श्री मीणा) पीछे-पीछे चल पड़े । वहां पहुंचने पर स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री सतपाल ने मकान की छत पर मोर्चा लगाया । श्री मीणा ने अपने कार्मिकों सहित मकान की उत्तर दिशा में मोर्चा संभाला और अपने एल० एम० जी० ग्रुप के साथ उन्होंने उग्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री मीणा, चारों ओर से हो रही गोलियों की बरसात की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और अनुकूल स्थिति में पहुंचने में कामयाब हो गए तथा छिपे उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी । अचानक एक उग्रवादी ने अपने स्वचालित हथियार से श्री मीणा को निशाना बनाते हुए गोलियों की काफी लम्बी बौछार की । एक गोली, श्री मीणा की राईफल की मैग्जीन में लगी जिससे वह निष्प्रभावी हो गई । इसके बावजूद श्री मीणा भागते हुए उग्रवादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे किन्तु तभी एक दूसरे उग्रवादी ने श्री मीणा पर काफी नजदीक से गोली चलाई और उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । श्री मीणा की ओर उग्रवादियों को भागते देखकर, श्री सतपाल मोर्चे से बाहर निकले और उग्रवादियों पर गोलियां चलाकर एक "भाड़े के विदेशी सैनिक" को मार गिराया । तथापि अन्य उग्रवादी जो पास के मकान में घुसने में कामयाब हो गया था ने अपने स्वचालित हथियार से लम्बी गोलीबारी करके श्री सतपाल को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । घातक रूप से जख्मी होने के बावजूद श्री सतपाल ने गोली चलाकर एक उग्रवादी को जख्मी कर दिया । घायल उग्रवादी ने भागने की कोशिश की तो श्री सतपाल ने उस घायल उग्रवादी का पीछा किया परन्तु जख्मों और अधिक रक्त स्राव के कारण वे और आगे नहीं बढ़ सके और धरती पर गिर पड़े । उसके बाद, श्री सतपाल को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया किन्तु जख्मों के कारण उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गयी । तलाशी के दौरान 2 ए० के० राइफलों 3 मैग्जीनों तथा एक वी० एच० एफ० सेट सहित उग्रवादियों के दो बैग बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सतपाल सिंह डिप्टी कमांडेन्ट तथा श्री एम० एस० मीणा असिस्टेंट कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान ।
निदेशक

सं० 61-प्रेज/95-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अरविन्दर सिंह,
डिप्टी कमांडेंट,
सीमान्त मुख्यालय,
सीमा सुरक्षा बल,
बारामूला ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

एक सूचना प्राप्त हुई कि बारामूला जिले के हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयं-भू बटालियन कमांडर, सुरक्षा बलों के खिलाफ श्रेणी बद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाने के लिए दिनांक 11 मई, 1994 को देर रात गांव चुनार के नजदीक एक सेब के बगीचे में एक बैठक करने वाले हैं । 19 वीं 73 वीं तथा 65 वीं बटालियनों की कमांडो टुकड़ियों से

एक विशेष तलाशी अभियान तथा जे० ए० डी० टीम की योजना बनाई गई । बल को चार ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया । बल के दो ग्रुपों का नेतृत्व श्री अरविन्दर सिंह द्वारा किया गया । श्री अरविन्दर के नेतृत्व वाले ग्रुप तथा 65 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट वाला ग्रुप, उनके छिपने के ठिकाने के नजदीक पहुंच गया जबकि अन्य दो ग्रुपों ने भागने के रास्तों को कवर करने के लिए सड़क पर घात लगाई । जब कि श्री अरविन्दर सिंह वाली पार्टी और दूसरी पार्टी उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने के नजदीक आयी तो वहां पहुंचते ही उन पार्टियों पर उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी । टुकड़ियों ने तुरन्त मोर्चा संभाला । श्री अरविन्दर सिंह को उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर, बांई दिशा से धावा बोलने को कहा गया । अन्य पार्टी ने आगे बढ़ रहे ग्रुप को कवरिंग फायर प्रदान की । श्री अरविन्दर सिंह और उनके दल के कार्मिकों ने उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर धावा बोल दिया । झोंपड़ी के नजदीक आहट महसूस करने पर, वहां छिपे उग्रवादियों ने टुकड़ियों पर हथगोले फेंके और हमलावर दलों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । इसके परिणामस्वरूप, एक गोली, श्री अरविन्दर सिंह की बांई छाती की ओर उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और दो अन्य जवानों को गोली लगने से मामूली जख्म हुए । इसके बावजूद निडर रहते हुए, श्री अरविन्दर सिंह, तीन कमाण्डों के साथ झोंपड़ी की तरफ बढ़ते रहे । अन्ततः श्री अरविन्दर सिंह एक खिड़की से एक हथगोला अंदर की ओर फेंकने में कामयाब हो गए । तथापि, हथगोले के फटने से पहले ही, श्री अरविन्दर सिंह ने एक उग्रवादी को खिड़की से कूद कर बाहर आते देखा । उन्होंने उसे तुरन्त घटना स्थल पर ही मार गिराया । मारे गए उग्रवादी की बाद में गुलाम मौहम्मद पारे, कूट नाम-नईम सिद्दिकी, हिजबुल-मुजाहिदीन के बटालियन कमांडर-ज-डिवीजनल पब्लिसिटी-चीफ के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान, घटना स्थल से, 6 मेगजीनों सहित एक ए० के०-56 राईफल, ए०के०-56 की 15 गोलियां, ए० के० श्रेणी के चले हुए/बिना चले हुए 66 कारतूस, एक पिस्तोल तथा दो प्लास्टिक हथगोले बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री अरविन्दर सिंह/डिप्टी कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मई, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 62-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अशोक कुमार झा, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
113वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल,
किश्तवाड़ (जम्मू व कश्मीर)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 5-12-1993 को लगभग 0645 बजे, उग्रवादियों ने, पहाड़ की चोटी से, अपने स्वचालित हथियारों से मुगल मैदान में स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादियों का, लगभग 500 गज क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों पर फैलाव था । सभी सन्तरियों ने अपने-अपने बंकरों तथा खाईयों से बदले में जवाबी गोलीबारी की। सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिक जो कि बैरकों तथा कमरों में थे, ने भी अपनी-अपनी खाईयों/बंकरों में मोर्चा संभाल लिया । गोलियों की आवाज सुनकर, कार्यवाहक कम्पनी कमाण्डर, निरीक्षक अशोक कुमार झा अपनी टुकड़ियों का हौसला बढ़ाने तथा नियंत्रण करने के लिए अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपने कमरे के सामने एक खाई में मोर्चा ले लिया। जिस क्षण श्री झा बाहर आए, सभी उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोली, कान के नीचे उनकी गर्दन में लगी । गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद पूर्ण समर्पण भाव के साथ, वे खाई तक गए और अपनी ए० के०-47 राईफल से दो गोलियां चलाईं तथा उसके बाद अत्यधिक रक्त स्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार उन्होंने उग्रवादियों से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अत्याधिक संकट की नाजुक घड़ी में, उन्होंने अपनी टुकड़ियों को प्रेरणाप्रद नेतृत्व किया और सीमा सुरक्षा बल चौकी को, उग्रवादियों द्वारा कब्जा किए जाने के प्रयास को विफल कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० झा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 05-12-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 63–प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:–

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ओ० एन० पाठक
सूबेदार,
सेक्टर, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय
बारामूला ।

श्री तरनजीत सिंह
कांस्टेबल,
19वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 19–3–1994 को सूचना मिली कि एक ही जगह स्थित दो गांवों, मंजसीर तथा सुरसीर में, उग्रवादियों का एक आत्मघाती दस्ता, एक गुप्त बैठक करने जा रहा है । श्री जी० एस० बाल कमाडेन्ट, 19वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक घेराव तथा तलाशी अभियान की योजना बनाई गई । लगभग 07.15 बजे दोनों गांवों की घेराबन्दी कर दी गई । सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियां जिस समय, दक्षिणी बाहरी किनारे पर पहुंची तो उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया । चूंकि अधिकांश गांव मंजसीर की ओर से आई थी, तो श्री बाल ने उस क्षेत्र से उग्रवादियों को भगाने के लिए एक कमांडो का अभियान चलाया । अभियान के सफल संचालन के लिए, तीन समूह बनाए गए, एक ग्रुप का नेतृत्व श्री जी० एस० बाल द्वारा सूबेदार ओ० एन० पाठक और कमांडो पलटून के 7 कार्मिकों के साथ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से घेरा डालने के लिए किया गया, दूसरे का, उत्तरी दिशा को घेरने के लिए, श्री अरविन्दर सिंह द्वारा तथा भागने के रास्तों के लिए तीसरे ग्रुप का नेतृत्व, 73वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट द्वारा किया गया ।

लगभग 13.30 बजे, सभी तीनों ग्रुप उस संदिग्ध मकान के नजदीक पहुंच गए किन्तु वास्तव में उग्रवादी अपने छिपने के ठिकानों को छोड़ चुके थे और उन्होंने गऊशाला की मजबूत छत पर मोर्चा लगा लिया था । उन्होंने (उग्रवादियों) आगे बढ़ रहे दोनों ग्रुपों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । गोलियां, सर्वश्री बाल तथा अरविन्दर के नेतृत्व वाले ग्रुपों को निशाना बनाते हुए चलायी जा रही थीं । दोनों ग्रुप "गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने का तरीका अपनाते हुए उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़ते रहे । दोनों ही ग्रुप 25.30 गज तक पहुंचने में कामयाब हो गए और गऊशाला से लगे मकान के अन्दर पहुंच गए । श्री बाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने मकान के दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर्चा संभाल लिया जबकि श्री अरविन्दर सिंह की पार्टी ने पूर्व की दिशा में मोर्चा संभाला । सूबेदार ओ० एन० पाठक तथा कांस्टेबल तरनजीत सिंह ने श्री बाल की ओर की खिड़की के नजदीक मोर्चा संभाला जिन्हें कि उग्रवादियों पर गालियां चलाने का निर्देश दिया गया था । इसी प्रकार अरविन्दर सिंह ने अपनी एक जोड़ी एल० एम० जी० के साथ खिड़की के पास मोर्चा संभाला । आतंकवादियों पर, जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की गोलियां बरसानी शुरू हुई, भागने की आपाधापी में उन्होंने एक हथगोला उस खिड़की की ओर फेंका जहां कि श्री बाल खड़े हुए थे, किन्तु उन्होंने अपनी चुस्त और साहसिक कार्रवाई से उस हथगोले को अपने नंगे हाथों से बाहर की ओर उछाल दिया जिसके परिणाम स्वरूप वह बाहर गिरा और फट गया । इस प्रकार श्री बाल ने अपनी पूरी पार्टी की जान बचाई । अचानक खिड़की पर काफी देर तक गोलियों की बौछार होती रही किन्तु सौभाग्य से तीनों ही बाल बाल बच गए । इस सबसे निडर रहते हुए, श्री बाल ने कांस्टेबल तरनजीत सिंह की ओर से गोलियां चलाना जारी रखा ।

इसी बीच, श्री अरविन्दर सिंह ने देखा कि जहां से श्री बाल उग्रवादियों पर गोलियां चला रहे थे, उस खिड़की पर उग्रवादियों ने गोलियों की बौछार की है । इस समय, उसका गोलाबारूद समाप्त हो चुका था, और उसने उग्रवादियों का सफाया करने के लिए अपनी एल० एम० जी० संभाल ली । अचानक, गोलियों की एक बौछार उसकी ओर आई, जो मकान की दीवार से टकराई और श्री अरविन्दर सिंह बाल-बाल बच गए । इन गोलियों में एक उसकी पेट से रगड़ती हुई निकल गई । उग्रवादियों की गोलियों की परवाह न करते हुए, श्री अरविन्दर सिंह ने अपनी एल० एम० जी० से गोलियों की भारी बौछार शुरू कर दी जिसके परिणाम स्वरूप उग्रवादियों की तरफ से हो रही गोलीबारी बन्द हो गई । यद्यपि उग्रवादियों की ओर से गोलियां चलना बन्द हो चुकी थीं, किन्तु इस बात का पता नहीं था कि—वे मारे जा चुके हैं या वे सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को मारने के लिए बाहर निकलना चाहते हैं । इसलिए श्री बाल ने आगे की जांच करने का निर्णय लिया । वे सूबेदार ओ० एन० पाठक तथा कांस्टेबल तरनजीत सिंह के साथ बाहर आए, और संदिग्ध मकान पर पहुंच गए । उत्तरी दिशा से, श्री अरविन्दर सिंह से, एल० एम० जी० ग्रुप के साथ उग्रवादियों की स्थिति का पता लगाने को कहा गया । शेष टुकड़ियों से भी सावधान रहने को कहा गया । सभी चारों व्यक्ति "गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने" की तरकीब का अनुसरण करते हुए सावधानी पूर्वक उस छप्पर तक पहुंच गए । कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, वे एक दूसरे की गतिविधि को छिपाते हुए छत पर चढ़ गए, वहां उग्रवादियों के तीन शव पाए गए, जिनकी बाद में अब्दुल रशीद दार (एच० एम० गिरोह का एक बटालियन कमाण्डर), मो० अकबर शाह तथा गौहर अहमद गौरू के रूप में शिनाख्त की गई । तलाशी के दौरान घटना स्थल से 3 ए० के० 56 राइफलें, ए० एम० श्रेणी की 7 मैगजीनें 1 वायरलैस सेट (सोनी), 1 चीनी हथगोला, 5 विद्युत डेटोनेटर तथा भारी संख्या में चले हुए/बिना चले हुए कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री ओ० एन० पाठक, सूबेदार तथा तरनजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 मार्च 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 64-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री तेज बहादुर चन्द,
सहायक कमांडेंट,
117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री फकीर चन्द, (मरणोपरान्त)
लांस नायक,
117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री गोप कुमार,
कांस्टेबल,
117वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 3-12-1993 को लगभग 12.30 बजे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की चौकी गुप्त गंगा के नजदीक उग्रवादी ग्रुपों की आपस में गोलियां चलाए जाने की घटना घटित हो गयी। बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर, श्री टी० बी० चन्द, सहायक कमांडेंट, अपनी चौकी के 19 कार्मिकों (लांस नायक फकीर चन्द तथा कांस्टेबल गोप कुमार सहित) को लेकर उग्रवादियों को पकड़ने के लिए चल पड़े। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को आते हुए देखकर उग्रवादी निशात क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के उत्तर में पहाड़ी की तलहटी में घने बगीचे में भाग गए। इसके बाद श्री टी० बी० चन्द ने एक समूह को पहाड़ी के ढलान को कवर करने का निर्देश दिया तथा खुद उग्रवादियों को विश्व विद्यालय की तरफ से भागने से रोकने के लिए अन्य कार्मिकों सहित हरबान नहर के साथ-साथ बढ़े। उन्होंने, पश्चिम दिशा से उग्रवादियों को घेरने के लिए और कुमुक भेजने के हेतु "एफ" कम्पनी के कमांडेंट को भी निर्देश दिया।

श्री टी० बी० चन्द और उनका दल जब विभिन्न खंडों में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व में पहुंचे तो पहाड़ी की ढलान से उन पर भारी गोलीबारी होने लगी। श्री चन्द ने अपने कार्मिकों को तत्काल मोर्चा संभालने और जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। स्थिति को परखने के बाद, उग्रवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय करने और उन्हें भागने से रोकने के लिए 2 इंची मोर्टार से बमबारी की गई। इसके बाद, श्री चन्द ने पार्टी को दो भागों में बांट दिया और एक भाग को उत्तर पश्चिम दिशा से पहाड़ी की ओर चलने तथा चढ़ने का आदेश दिया। दूसरे भाग को आगे बढ़ रहे दल की रक्षा के लिए कवरिंग फायर देने का आदेश दिया। इसी समय, चन्दीरा स्थित टुकड़ियों ने हरबान की तरफ से पहाड़ी पर चढ़ कर पूर्वोत्तर से उग्रवादियों का घेरा डाल दिया चूंकि, उग्रवादी चारों तरफ से घिर चुके थे इसलिए आखरी हथियार के रूप में उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की पार्टियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने जवाबी गोलीबारी की। इस भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उग्रवादियों को पकड़ने के लिए श्री चन्द दोनों दलों को साथ लेकर, पूर्व तथा पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़े। उग्रवादियों ने आगे बढ़ रही टुकड़ियों पर भारी गोली बारी शुरू कर दी कांस्टेबल गोप कुमार ने आतंकवादियों में से एक को मार गिराया जो कि एक पहाड़ी के पीछे से गोलियां चला रहा था। इसी समय कुछ गोलियां श्री गोप कुमार, कांस्टेबल के पेट में लगीं। श्री चन्द बाल बाल बच गए। गंभीर रूप से घायल और विपुल रक्त स्राव के बावजूद कांस्टेबल गोप कुमार ने उग्रवादियों पर उस समय तक गोलियां चलाना जारी रखा जब तक कि उन्हें बेस अस्पताल के लिए ले जाया गया।

सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो उग्रवादी पहाड़ी के पीछे से गोलियां चला रहे थे, उनको लांस नायक फकीर चन्द द्वारा उलझाए रखा गया। जब श्री फकीर चन्द अपनी एल०एम०जी० की मैगजीन बदल रहे थे तो एक गोली उनकी दांई छाती में लगी अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उन्होंने जवाब में अपनी एल० एम० जी० से उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की श्री फकीर चन्द के अचूक निशाने के परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया। तत्पश्चात, श्री फकीर चन्द की जख्मों के कारण मृत्यु हो गयी। लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होती रही। उसके बाद उग्रवादियों की तरफ से गोली चलना बंद हो गया। तलाशी के दौरान घटना स्थल से उग्रवादियों के 10 शव, 7 ए० के० 56 राइफलें और 9 एम० एम० की तीन चीनी पिस्तौलें तथा भारी संख्या में विभिन्न बोर के चले हुए/बिना चले हुए कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री तेज बहादुर चन्द, सहायक कमांडेंट, फकीर चन्द, लांस नायक तथा गोप कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 दिसम्बर, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 65-प्रेज/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री बलजीत सिंह,
हैड कांस्टेबल,
153वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

25/26 जून, 1993 की मध्य रात को, अल उम गिरोह के एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी निसार अहमद भट्टा,

निवासी अनन्तनाग, को जोकि सामान्यतः रात के समय अपने घर पर ही ठहरता था, पकड़ने के लिए एक छापा मारने की योजना बनाई गई। घर की घेराबन्दी कर दी गई और मांगे राम उपनिरीक्षक ने मुख्य द्वार पर पहुंच कर दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर, दरवाजे को धकेल कर खोल दिया गया। पुलिस दल मकान में घुस गया और भूतल की तलाशी शुरू कर दी। वहां उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद, हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह तथा अन्यों के साथ, उपनिरीक्षक मांगे राम ने पहली मंजिल का निरीक्षण करने का निर्णय किया। जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर गोलियां चलाईं तथा हथगोले फेंके। इस हमले में, उपनिरीक्षक मांगेराम, हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह तथा एक कांस्टेबल गोली/हथगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए।

घर में फंसे उपनिरीक्षक मांगे राम तथा अन्य, भूतल पर मोर्चा लगाने में कामयाब हो गए। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उपनिरीक्षक मांगे राम ने धीरज नहीं खोया और सुनिश्चित किया कि कुमुक के पहुंचने तक उग्रवादी भागने न पाएं। उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी और प्रभावी गोलीबारी के बावजूद, उपनिरीक्षक, मांगे राम तथा हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह लगातार अपने मोर्चों पर अड़े रहे और उन्होंने एक भी उग्रवादी को भागने नहीं दिया। बाद में गंभीर जख्मों तथा भारी रक्तस्राव के कारण उपनिरीक्षक मांगे राम पूर्णतः मूर्छित हो गए। उसे तथा घर में फंसे अन्यों को हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह द्वारा बाहर निकाल लिया गया।

कुछ देर के बाद, श्री एस० के० जुत्शी, जे० ए० डी० (प्रचालन) सहित सीमा सुरक्षा बल की 153 वीं बटालियन के कमांडेन्ट के नेतृत्व वाली कुमुक मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गई। स्थिति का मुआयना करने के बाद उन्होंने एम० एम० जी०/एल० एम० जी० की सुरक्षात्मक गोलीबारी की छत्र छाया में, घायल/फंसे हुए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को ढूंढने के अभियान की योजना बनाई। श्री जुत्शी ने एल० एम० जी० से, उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की और उन्हें पंगु बनाने में सफल हो गए। वे आगे बढ़े और एल० एम० जी० को पुनः तैनात किया जिससे एल० एम० जी० बल उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी कर सके और अन्दर फंसे हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को मुक्त कराया जा सके। श्री जुत्शी अपनी पार्टी सहित आगे बढ़े, और मकान के सामने पड़े घायल व्यक्तियों को पीछे की ओर ले आने में कामयाब हो गए। जब वे सीमा सुरक्षा बल के घायल/फंसे हुए कार्मिकों को पीछे ले आने की प्रक्रिया में थे तो उग्रवादी रुक-रुक कर गोलीबारी करते रहे और हथगोले भी फैंके। परिणाम स्वरूप, चार कार्मिक गोलियां लगने से जख्मी हो गए। सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया जहां कांस्टेबल मीरसिंह को मृत घोषित कर दिया गया तथा कांस्टेबल पप्पू सिंह की बाद में 27 जून, 1993 को जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। इन अभियानों में कुल मिलाकर चार उग्रवादी मारे गए तथा मुठभेड़ स्थल से 3 ए० के० 56 राइफलें, 3 मैगजीनें तथा 17 गोलियां बरामद की गईं।

हैड कांस्टेबल श्री बलजीत सिंह यद्यपि जख्मी थे और उनके अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था तो भी वे तब तक उग्रवादियों से लड़ते रहे जब तक कि सम्पूर्ण अभियान समाप्त नहीं हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री बलजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जून, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 66-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रघुबीर सिंह, (मरणोपरांत)
नायक,
96 वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

श्री वी० एस० सालुंखे, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
96वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

9 अगस्त, 1993 को आतंकवादी बलदेव सिंह छावड़ा और उसके गुट के गगरवाल गांव में देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। खम्मानो के उप पुलिस अधीक्षक श्री गुरुदेव सिंह ने यह सूचना फतेहगढ़ साहिब के पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) श्री नरिन्दर भार्गव के पास भेज दी और स्वयं भी, नायक रघुबीर सिंह और कांस्टेबल वी० एस० सालुंखे और अन्य कार्मिकों वाली के० रि० पु० बल की चार टुकड़ियों सहित उपलब्ध बल के साथ उस स्थान के लिए रवाना हो गए; वहां पहुंच कर उन्होंने गन्ने के खेतों के चारों ओर घेरा डाल लिया जहां उग्रवादी फंसे हुए थे। जैसे ही पुलिस बलों ने क्षेत्र की तलाशी लेना आरम्भ किया, आतंकवादियों ने अचानक ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।

अतिरिक्त कुमुक के साथ श्री भार्गव मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने गगरवाल गांव के क्षेत्र की तलाशी लेने का निश्चय किया । उन्होंने पुलिस बल को 7 दलों में बांटा और सिद्धपुर गांव की ओर से तलाशी शुरू कर दी । श्री भार्गव और श्री गुरुदेव सिंह के अधीन पुलिस दल जैसे ही गन्ने के खेतों के नजदीक पहुंचा, आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री भार्गव ने तुरंत ही पुलिस दलों को निर्देश दिया कि वे लेटकर मोर्चा लें और आत्मरक्षा में गोली चलाएं जबकि श्री भार्गव और श्री गुरुदेव सिंह ने भी आतंकवादियों पर गोलियां चलाई । दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान सामने की पंक्ति में मोर्चा लिए पंजाब पुलिस के दो कार्मिक गंभीर रूप से घायल हो गए । इसी समय श्री सालुंके ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने अपने साथियों को सावधान किया कि वे घायलों को उठा कर ले जाएं । स्वचालित हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी का सामना करते हुए अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर श्री भार्गव और श्री गुरुदेव सिंह घायल पुलिस कार्मिकों की ओर रेंगकर गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अस्पताल भिजवाया । तब तक श्री सालुंके ने आतंकवादियों को रोके रखा लेकिन अधिक प्रभावी गोलीबारी के लिए जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कूदे तब उन्हें आतंकवादियों की ए० के० 56 राइफल की गोलियां लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए परन्तु उन्होंने तब तक अपना मोर्चा नहीं छोड़ा जब तक उन्हें अस्पताल के लिए वहां से नहीं ले जाया गया (घायलावस्था में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई) । स्थिति का अनुमान लगाकर श्री भार्गव ने फतेहगढ़ साहिब के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित किया और उनसे बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया तथा इस बीच श्री गुरुदेव सिंह के साथ वे अपनी ए० के० 47 राइफलों के साथ आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते रहे । बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर आ जाने के बाद अन्य कार्मिकों के साथ श्री भार्गव, श्री गुरुदेव सिंह और श्री रघुबीर सिंह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों पर चढ़ गए तथा गन्ने के खेतों में घुस गए । जैसे ही ट्रैक्टर खेतों में घुसे, वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी कर दी जिसके परिणाम स्वरूप टायर फट गए और ट्रैक्टर एक जगह खड़े रह गए, ट्रैक्टर के अन्दर बैठे कार्मिकों को गोलियां लगीं । श्री रघुबीर सिंह ने देखा कि एक आतंकवादी, ए० के० 56 राइफल लिए हुए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर के एक ओर छिपा हुआ है । श्री रघुबीर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया और ट्रैक्टर के बाहर कूद पड़े तथा आतंकवादी को गिरफ्तार कर लेने के उद्देश्य से उसके साथ गुंथ गया । श्री रघुबीर सिंह ने बहादुरी से उस आतंकवादी से लोहा लिया लेकिन वह अचानक ही श्री रघुबीर सिंह की पकड़ से छूट गया । आतंकवादी ने अपनी ए० के० 56 राइफल से श्री रघुबीर सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए । घायलावस्था में होने के बावजूद श्री रघुबीर सिंह ने इस बीच अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादी पर हमला किया जबकि अन्य कार्मिकों ने भी आतंकवादी पर गोलियां चलाईं और उसे वहीं ढेर कर दिया । गंभीर रूप से घायल हो गए श्री रघुबीर सिंह ने बाद में घायलावस्था में ही दम तोड़ दिया । मृत आतंकवादी की पहचान दीदार सिंह उर्फ दारी के रूप में हुई जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था । 3 मैगजीनों और भरे कारतूसों सहित एक ए० के० 56 राइफल मृत आतंकवादी के पास से बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री रघुबीर सिंह, नायक और श्री बी० एस० सालुंके, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अगस्त, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 63—प्रेज/95—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एम० एल० मीणा,
उप कमांडेंट,
100वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री कालू राम काढ़, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल/ड्राइवर,
100वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

9-8-92 को लगभग 12.45 बजे, जिला संगरूर के थाना लेहरागागा के अन्तर्गत गांव गोबिन्दपुरा जवाहरवाला में तीन कट्टर आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई । इस सूचना के प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री एम० एल० मीणा, उप कमांडेंट (आपरेशंस) 100वीं बटालियन, के० रि० पु० बल लेहरागागा की ओर गए और उन्होंने के० रि० पु० बल तथा पंजाब पुलिस द्वारा एक मिला-जुला अभियान चलाने की योजना बनाई । कांस्टेबल/ड्राइवर कालू राम सहित श्री एम० एल० मीणा, उप कमांडेंट के अधीन पुलिस बल

को गांव के पश्चिमी ओर की सड़क की घेराबंदी करने के लिए तैनात किया गया लेकिन पुलिस दल पश्चिमी दिशा की सड़क पर पहुंच भी नहीं पाया था कि गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी। श्री मीणा ने अपने दल के पांच कर्मियों को पश्चिमी ओर की सड़क के एक छोर पर मोर्चा लेने भेज दिया और स्वयं वे दूसरे छोर पर गए और वहां मोर्चा लिया। एसाल्ट राइफलें लिए तथा गोलाबारूद की जैकेट पहने दो आतंकवादी पश्चिमी ओर की सड़क से आकर मिलने वाली एक छोटी गली में से होकर पुलिस दल की ओर दौड़ते हुए आए। वहां इन्तजार करता हुआ पुलिस दल आतंकवादियों की ओर दौड़ा और उन्होंने आतंकवादियों पर एस० एल० आर० से गोलियां चला दीं। यह देखकर आतंकवादी वापस भागे और एक दीवार के पीछे ओझल हो गए और जैसा कि पूर्वानुमान था, वे आतंकवादी पश्चिमी ओर की सड़क पर स्थित एक मकान के गेट पर आए तथा गोलियां चलाने लगे लेकिन इस बीच में पुलिस दल ने अपना मोर्चा बदल लिया था और उन्होंने वहीं से आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की। सड़क के दूसरे छोर पर मोर्चा संभाले श्री मीणा ने आतंकवादियों को देखा और अपनी कार्बाइन से उन्होंने आतंकवादियों पर गोलियों की बौछार कर दी। आतंकवादी गेट की दीवार के पीछे छिप गए और कुछ मिनट बाद ए० के० 56 राइफल से श्री मीणा की दिशा में गोली चलाते हुए एक आतंकवादी बाहर आया तथा उसने वहां से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन श्री मीणा ने मोर्चा नहीं छोड़ा जिसके कारण आतंकवादी को, घेराबंदी तोड़ने की कोशिश छोड़ देनी पड़ी और वह एक अन्य घर के गेट में घुस जाने के लिए भागा वहां पर उसने कांस्टेबल कालूराम को देखा जिसने गेट के बिल्कुल नजदीक मोर्चा लिया हुआ था। श्री मीणा ने भी यह देखा और इस पर उन्होंने कांस्टेबल कालूराम को गोली चलाने के लिए कहा तथा खुद भी अपनी कार्बाइन से आतंकवादी की ओर गोली चलाने लगे। आतंकवादी और कांस्टेबल कालू राम ने एक साथ ही एक दूसरे पर गोली चलाई लेकिन इस प्रक्रिया में कांस्टेबल कालूराम के पेट में गोली लग गई। घायल हो जाने के बावजूद ही कालूराम ने सावधानी से निशाना साधकर आतंकवादी पर गोली चलाई जो उसकी छाती में लगी और वह वहीं ढेर हो गया। कांस्टेबल कालूराम को सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर दूसरे आतंकवादी की तलाश शुरु की गयी, जिससे चारा काटने वाली मशीन के चारों-पायों के बीच में छिपा हुआ पाया गया। श्री मीणा ने आतंकवादी पर गोली चलाई और आतंकवादी ने श्री मीणा पर गोली दाग दी। गोली श्री मीणा की बांई कोहनी ओर बांई ओर की कमर के पास लगी। जोर से खून बहने के बावजूद श्री मीणा ने आतंकवादी की ओर पुनः गोली चलाई और उसे मार डाला। दोनों मृत आतंकवादियों की पहचान यादविन्दर सिंह (पिंका), लेफ्टिनेंट जनरल और एरिया कमांडर, खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स और बलविंदर सिंह (मुरजन मीणी) के रूप में की गई जिनके पास से दो ए०के० 56 राइफलें और 6 मैगजीनें बरामद हुई। बाद में कांस्टेबल कालू राम काड़ की मृत्यु, चोटों के कारण हो गई जबकि श्री मीणा को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

इस मुठभेड़ में श्री एम०एल० मीणा, उप कमांडेंट और श्री कालू राम काड़, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 अगस्त, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 68—प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पुष्कर दत्त जोशी
कांस्टेबल,
18वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 5 अक्तूबर, 1991 को डी कम्पनी की एक टुकड़ी एक नायक के नेतृत्वाधीन, जिसमें कांस्टेबल पुष्कर दत्त जोशी और पंजाब पुलिस के कार्मिक शामिल थे, करीब 23.30 बजे गांव नांगल में गश्त लगा रही थी। रुकावट के रूप में कांस्टेबल पुष्कर दत्त जोशी सहित एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने कदमों की चाप अपनी ओर आती हुई सुनी। नेतृत्व कर रहे कांस्टेबल ने तुरन्त अपनी टार्च से उस ओर प्रकाश किया तो 4—5 व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा। कांस्टेबल जोशी ने उनको रुक जाने के लिए ललकारा परन्तु उन लोगों ने पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस दल के सभी सदस्यों ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया परन्तु अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना कांस्टेबल जोशी ने उसी क्षण फुर्ती से बिना कोई समय गंवाए अथवा दूसरी सुरक्षा पंक्ति की प्रतीक्षा किए बिना ही जवाबी गोलियां चलाई, अन्यथा काफी महत्वपूर्ण समय नष्ट हो सकता था तथा प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करने के लिए मोर्चा खोजने मे विलम्ब हो सकता था। दोनों ओर से गोली बारी किए जाने के परिणामस्वरूप एक गोली कांस्टेबल जोशी के पेट के निचले भाग में लग गई और वे नीचे गिर गए। गम्भीर रूप से घायल होने और अत्याधिक रक्त स्राव होने के बावजूद भी उन्होंने गोली चलाना जारी रखा, जिस कारण एक आतंकवादी घटना

स्थान पर ही मारा गया तथा अन्य अंधेरे में बचकर भाग निकले। मारा गया आतंकवादी बाद में पहचाना गया जो कि के० सी० एफ० के पाला गिरोह का एक सदस्य था। गोली लगने के कारण हुए घाव के कारण कांस्टेबल जोशी छह माह से अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े रहे।

इस मुठभेड़ में श्री शंकर दत्त जोशी, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 1995

सं० 69-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ऊषा शंकर,
सहायक कमांडेंट,
80वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

28 जून, 1993 को श्री रोहित चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला, को सूचीबद्ध खूखांर उग्रवादी शमशेर सिंह उर्फ-शेरा और अमरजीत सिंह उर्फ बिल्ला के थाना हरगोविन्दपुर के अंतर्गत श्री हरगोविन्दपुर के अन्तर्गत श्री बखशीश सिंह नामक एक व्यक्ति के ट्यूबैल में छिपे होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के पुलिस कर्मियों सहित जिसमें श्री आर० ऊषा शंकर, सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भी शामिल थे, को साथ लेकर श्री चौधरी तुरन्त उस स्थान की ओर गए। उस क्षेत्र का घेरा डाल लेने के बाद, श्री दिलावर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, पंजाब पुलिस और श्री आर० ऊषा शंकर, सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्यूबवैल की ओर बढ़े। वे ज्योंहि ट्यूबवैल के निकट पहुंचे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई। पुलिस कार्मिकों द्वारा भी गोलीबारी का जवाब गोलीबारी करके दिया गया। श्री ऊषा शंकर, सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बुरी तरह घायल हो गए। गोलियों के लगने से बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद श्री ऊषा शंकर उग्रवादियों पर गोलियां चला कर अपने कार्मिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। श्री रोहित चौधरी द्वारा श्री ऊषा शंकर को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर लाया गया। इस मुठभेड़ में दोनों उग्रवादी मारे गए। इसी मुठभेड़ के लिए पंजाब सरकार ने श्री रोहित चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला, के नाम की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा श्री दिलावर सिंह पुलिस उपाधीक्षक के नाम की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की है। केन्द्रीय पुलिस पुरस्कार समिति ने राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

इस मुठभेड़ में श्री ऊषा शंकर, सहायक कमांडेंट, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जून, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1995

सं० 70-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहम्मद यूसुफ
लांस नायक,
73 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11-3-93 को करीब पूर्वाह्न, 9-30 बजे गांव रहीमपुर के निकट के क्षेत्र में के० सी० एफ० (पंजवार) गुट के सदस्य के मौजूद होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पंजाब पुलिस और के० रि० पुलिस बल के कार्मिकों का एक पुलिस दल, जिसमें कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ शामिल थे, उस क्षेत्र में पहुंच गए और फार्म हाऊस की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस बीच, श्री यूसुफ ने पास के श्री सुरिन्दर सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस से तीन सशस्त्र आतंकवादियों को भागते हुए देखा। भागते हुए आतंकवादियों को देखकर श्री यूसुफ ने उनको बीच में रोक कर पकड़ने का प्रयास किया परन्तु आतंकवादियों द्वारा शुरु की गई, भारी गोली बारी ने उन्हें ऐसा करने से वंचित कर दिया। आतंकवादियों ने "गोली चलाओ और भागो" की युक्ति अपनाई परन्तु इससे विचलित हुए बिना श्री यूसुफ ने

तब तक उनका पीछा करना जारी रखा जब तक कि वे अलग अलग दिशाओं में भाग नहीं गए। उपलब्ध बल को साथ लेकर उस क्षेत्र का आंशिक घेरा डाल लिया गया और कुमुक बुलाने के लिए संदेश भेज दिया गया। इस दौरान, आंशिक रूप से डाले गए घेरे का लाभ उठाकर एक आतंकवादी ने बच कर भाग निकलने का प्रयास किया। श्री यूसुफ ने लगभग डेढ़ कि० मी० तक आतंकवादी का पीछा किया और उसको घायल कर दिया जो अन्तत: साधु सिंह के घर में जा छिपा। पुलिस ने फार्म हाऊस की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जिस समय फार्म हाउस के पिछले भाग में तलाशी ली जा रही थी तो सूखे सरकण्डों में छिपा हुआ आतंकवादी बाहर निकल कर आया और अपनी ए० के० –47 राईफल्स से धमाका किया। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक नायक घटनास्थल पर ही मारा गया जबकि अन्य कान्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य पुलिस कर्मियों सहित अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए और मौत का सामना करते हुए श्री यूसुफ ने आतंकवादियों को घेर लिया, जिसने एक कमरे में आश्रय लिया हुआ था। श्री यूसुफ ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों पर गोली चलाकर उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। गन्ने की फसलों की आड़ में अन्य दो आतंकवादी बच कर भाग गए। मृत आतंकवादी की बाद में बलजिंदर सिंह बिन्दा के रूप में पहचान की गई, जो कि के० सी० एफ० (पंजवार) ग्रुप का एक अत्यन्त खूंखार आतंकवादी था तथा उसके कब्जे से 1 ए० के०—47 राईफल्स एक .30 माउजर पिस्तौल, एक छड़ बम और बड़ी मात्रा में ए० के०–47 दर्जे के शस्त्र बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद यूसुफ लांस नायक के उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11–3–1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 71–प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० बरला,
लांस नायक,
43वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

श्री भूप सिंह,
कांस्टेबल,
75वीं बटालियन,
के० रि० पु० बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

थाना झबल के अन्तर्गत, गांव गिल वैचें तथा बाकीपुर में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के आधार पर दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को एक तलाशी अभियान की योजना बनाई गई। लांस नायक ए० बरला तथा कांस्टेबल भूप सिंह सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पार्टियों सहित स्थानीय पुलिस लगभग 07.20 बजे जब गांव गिल वैचें के बेहक की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी को देखते ही तीन संदिग्ध लोगों ने भागना शुरू कर दिया। के० रि० पु० बल पार्टी ने तुरन्त, उन्हें रुकने के लिए ललकारा, रुकने के बजाय, वे पलटे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दी तथा खेतों की तरफ विभिन्न दिशाओं में भाग गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने उपलब्ध बल सहित घेरा डाल दिया और वायरलेस पर ओर कुमुक की मांग की। इस सूचना के मिलते ही, 75वीं बटालियन के कमांडेंट, कुमुक सहित उस स्थान पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेने के बाद बल को पांच समूहों में बांट दिया और खेतों तथा बेहकों की गहरी छानबीन/तलाशी लेने को कहा। लांस नायक ए० बरला तथा कांस्टेबल भूप सिंह सहित एक पार्टी अन्य कार्मिकों के साथ, गांव गिल वैचें के श्री कुलदीप सिंह के बेहक की ओर बढ़ रही थी तो एक बेहक में छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की और हथगोले फेंके। लांस नायक बरला तथा कांस्टेबल भूप सिंह, भारी गोलीबारी से अविचलित हुए बिना अत्याधिक साहस के साथ "गोलियां चलाते हुए तथा दांव पेच बदलते हुए" बेहक की तरफ बढ़े और चार दीवारी के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए तथा पोजीशन ले ली। इस प्रक्रिया में, स्वचालित हथियारों से की जा रही बौछारों से वे दोनों आश्चर्यजनक ढंग से बाल-बाल बचे। इसी समय विभिन्न दिशाओं में चार बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों ने भी दबाव डाला। यह देखकर, आतंकवादियों ने ट्रैक्टरों की तरफ रूख बदला और हथगोले फेंके। एल० एम० जी० से लैस लांस नायक बरला इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़े और दरवाजे तक पहुचने में सफल हो गए तथा होशियारी से मोर्चा संभाल लिया जबकि कांस्टेबल भूप सिंह अपने जीवन की परवाह न करते हुए बेहक की ऊपरी छत पर गए, एक छेद किया और अन्दर एक हथगोला फैंका तथा फुर्ति से वापिस आकर लांस नायक बरला के नजदीक मोर्चा संभाल लिया। इसी समय दो आतंकवादी अपनी जान बचाने की खातिर आगे बढ़ रही टुकड़ियों को डराने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए बाहर की ओर भागे। आतंकवादियों को बाहर आते हुए देखकर लांस नायक बरला तथा कांस्टेबल भूप सिंह जोकि आतंकवादियों के बहुत नजदीक मोर्चा संभाले हुए थे, ने

क्रमश: अपनी-अपनी एल० एम० जी० तथा एस० एल० आर० से गोलियों की बौछार कर दी जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों में से एक तो आंगन में ही गिर गया जबकि दूसरा चार दीवारी फांदकर खेतों की तरफ कूद गया। दूसरे आतंकवादी की ओर बढ़ रहे बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ने उस पर गोलियां बरसायी और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला। जब आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलाना बंद हो गया तो खेत तथा बेहक की गहन तलाशी ली गयी, तो बेहक के कमरे में एक और शव पाया गया। मारे गए तीन आतंकवादियों की, सुरिन्दर सिंह उर्फ दाना शहिद, मंजीन्दर सिंह उर्फ जिंदा तथा गुरदेव सिंह उर्फ देवा के रूप में शिनाख्त की गई। मृतकों से टेलीस्कोप युक्त दो मैगजीनों सहित एक डेकनोव स्नीफर राईफल, एक ए० के०-47 राईफल, एक ए० के० 54 राईफल, 8 मैगजीनें, 1 ग्रेनेड लांचर तथा बिना चले कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री ए० बरला, लांस नायक तथा श्री भूप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 72-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री आर० एस० एच० एस० सहोता,
सेकेन्ड-इन-कमांड,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री त्रिभुवन सिंह,
कांस्टेबल,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27 जुलाई, 1992 को थाना लोपोके के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य गांव कालोवाल के फार्म हाउस में छिपे हुए थे। वे बल के साथ वहां पहुंच गए और तलाशी शुरू कर दी। जब पुलिस दल मेवा सिंह जाट के फार्म हाउस के पास तलाशी ले रहा था तो उन्होंने एसाल्ट राइफलों से लैस तीन संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। पुलिस दल को देखकर दो उग्रवादी फार्म के पश्चिम की ओर खेत में गायब हो गए जबकि तीसरा उग्रवादी पूर्व की ओर स्थित "चरी" के खेत में घुस गया। पुलिस बल के साथ थाना लोपोके के थानाध्यक्ष ने उस उग्रवादी का पीछा किया जो चरी के खेत में छिपा हुआ था और बाकी दो उग्रवादियों का पीछा उप निरीक्षक और उनके दल ने किया। इसी बीच पुलिस दल ने गांव को घेर लिया और मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को वायरलैस पर सूचित करके और कुमक की मांग की गई।

इस सूचना के प्राप्त होने के बाद मजीठा के वरिष्ठ अधीक्षक, मजीठा के पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) श्री एच० एस० रंधावा और श्री आर० एस० एच० एस० सहोता सैकेण्ड-इन-कमांड, के अधीन के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन तथा कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह सहित बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर पुलिस दलों ने आतंकवादियों को आत्म समर्पण के लिए ललकारा लेकिन उसने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी कर दी। स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाते हुए यह निश्चय किया गया कि आतंकवादी का मुकाबला बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से किया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री रंधावा बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पर चढ़े और खेत में घुस पड़े जहां पर कि उग्रवादी छिपा हुआ था लेकिन उग्रवादी ने ट्रैक्टर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अपनी निजी सुरक्षा और संरक्षा की चिंता न करते हुए श्री रंधावा ने उग्रवादी पर जबाबी गोली चलाई और वह श्री रंधावा की प्रभावी गोलीबारी से मारा गया।

पहले उग्रवादी को मारने के बाद उन शेष दो उग्रवादियों की तलाश के लिए पुलिस दल कालोवाल गांव में गया जो मुठभेड़ स्थल से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए थे। पुलिस दल को देखकर उग्रवादियों ने गोलियां चलाई। इसी बीच उग्रवादी अनूप सिंह नामक व्यक्ति के घर में घुस गए और पुलिस दल पर गोली चलाते रहे। के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन के सैकेण्ड-इन-कमांड श्री सहोता ने उग्रवादियों को घर में घुसता देखकर और यह अनुमान लगाकर कि आतंकवादी ने अच्छा मोर्चा (खाई में) लिया हुआ है और कितनी भी भारी मात्रा में की गई गोलीबारी से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा, हथगोले फेंकने का निश्चय किया। कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह और अन्य कर्मियों के साथ श्री सहोता भारी गोलीबारी और अपने बल के कवर फायर के बीच आगे बढ़े, पश्चिमी ओर की दीवारों के पीछे पोजीशन ली और कम्पाउण्ड में 3 हथगोले फेंके जिससे आतंकवादियों को कमरों के अन्दर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह के साथ श्री सहोता छत पर चढ़ गए, लेटकर मोर्चा लिया और आतंकवादियों को एक कमरे में ही घेर देने के लिए उन पर गोलियां चलाई, हथगोले फेंकने के लिए श्री सहोता और श्री त्रिभुवन सिंह ने छत में छेद किए

लेकिन छत में छेद करने का काम पूरा हो जाने के बाद आतंकवादी ने उसमें एसाल्ट राइफल की नली घुसेड़कर श्री सहोता और छत पर मौजूद उनके आदमी पर गोली चला दी । तीन हथगोले फेंके जाने पर आतंकवादी एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और हथगोले खत्म हो जाने पर कांस्टेबल त्रिभुवन ने भारी गोलीबारी के बीच अपना जीवन दांव पर लगाकर घेरा डालने वाले दल से और हथगोले लाकर कमरे के अन्दर तीन अन्य हथगोले डाल दिए तथा साथ ही साथ कमरे के अन्दर गोली चलाकर आतंकवादी को घायल कर दिया । कुछ समय के बाद श्री सहोता और कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह कमरे को निरापद करने के लिए नीचे उतर आए और इसी प्रक्रिया में घायल आतंकवादी ने श्री सहोता पर गोली चला दी, श्री सहोता दूसरी ओर से झुक गए और अपनी ए० के० 47 से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की शिनाख्त कश्मीर सिंह उर्फ शीरा जोकि 200 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और दूसरे की पहचान बब्बर खालसा के एक कट्टर आतंकवादी अमरीक सिंह के रूप में हुई । 4 मैगजीन और भारी मात्रा में भरे/खाली कारतूसों सहित ए० के० 47 श्रेणी की दो राइफलें मृत आतंकवादियों के पास से बरामद हुई । तथापि तीसरा आतंकवादी खड़ी फसलों की आड़ में बचकर भाग जाने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आर० एस० एच० एस० सहोता, सेकेण्ड-इन-कमांड, तथा त्रिभुवन सिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 73-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री बी० एस० चौहान,
सेकेण्ड-इन-कमाण्ड,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 26 जून, 1991 को लगभग 0730 बजे जब श्री बी० एस० चौहान, कमांडेंट, अपनी कम्पनी का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने स्वचालित हथियारों की गोलीबारी की आवाज सुनी । जांच करने पर पाया गया कि—थाना प्रभारी, गोविन्द बाल, जो कि गांव खान छावरी के फार्म हाउसों की तलाशी ले रहे थे, उनका सामना आतंकवादियों से हो गया था और उन पर गोलीबारी हो रही थी । इस सूचना के मिलते ही, श्री चौहान, श्री ओम प्रकाश, निरीक्षक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद, लांस नायक सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पलाटूनों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी । श्री चौहान ने स्थिति का जायजा लेकर कमान संभाल ली किन्तु इसी समय, आतंकवादियों, जिन्होंने जोगिन्दर सिंह के फार्म हाउस में मोर्चा लिया था, पुलिस दल पर गोलियां चलाई । जब श्री चौहान तथा उनके आदमियों ने जवाबी गोलीबारी की और फार्म हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया, तो आतंकवादी चुपके से फार्म हाउस से निकल गए और एक छोटे घने पेड़ पोधों के झुर-मुट में मोर्चा संभाल लिया, जिसने आतंकवादियों को प्राकृतिक कवच प्रदान कर दिया ।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आतंकवादियों पर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया गया जो कि स्वचालित हथियारों से गोलियां चला रहे थे । श्री सोमनाथ तथा श्री रघुनाथ प्रसाद बहुत खतरा उठाते हुए उस झुरमुट के नजदीक गए और गोलियों की बोछार में हथगोले फेंके, किन्तु इससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकला और पुनः एक बार किए गए ऐसे ही प्रयास से भी कोई नतीजा नहीं निकला । श्री चौहान ने, श्री सोमप्रकाश तथा श्री रघुनाथ को आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया तथा खुद प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए विपरीत दिशा में बढ़े । श्री सोम प्रकाश जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, आतंकवादियों के ठिकाने की ओर बढ़े जिनके पीछे-पीछे श्री रघुनाथ थे, किन्तु जैसे ही वे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, उन पर गोलियों की वर्षा हुई, जिससे श्री सोम प्रकाश की दांई बाहु के ऊपरी हिस्से में जख्म हो गया । जख्मी होने के बावजूद उसने आतंकवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से एक को मार गिराया । श्री सोम प्रकाश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया । चूंकि आतंकवादी खाई में अच्छी तरह छिपे हुए थे इसलिए बार-बार हथगोले फेंकने से भी वांछित परिणाम नहीं निकला, इसलिए आतंकवादियों को बाहर निकलने को बाध्य करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया । श्री चौहान ने अपने रक्षा कर्मी के साथ आंसू गैस सहित बुलेट प्रूफ वाहन लिए और आतंकवादियों के काफी नजदीक पहुंच गए तथा आतंकवादियों पर लम्बी दूरी/कम दूरी की गोलियां बरसायी । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लिया जिससे एक हैड कांस्टेबल के पैर में जख्म हो गया । इस प्रयास के भी असफल हो जाने के बाद, बोतल बम (मोटोटोव काकेटेल) फेंकने के बाद, एच० ई०-36 हथगोले तथा आंसू गैस के गोले फेंकने का निर्णय लिया गया । जब श्री चौहान विपरीत दिशा से अपने बुलेट प्रूफ

वाहन से वहां पहुंचे तो श्री रघुनाथ, उपरोक्त झुरमुट के पास, दो अन्य कांस्टेबलों के साथ पहुंच गए । जैसे कि योजना थी, बोतल बम हथगोले एक साथ ही फेंके गए । आतंकवादियों के मोर्चे में आग लग गई और आतंकवादी बाहर निकल आए तथा श्री चौहान, लांसनायक रघुनाथ और उनकी पार्टी पर गोलियां चलाई जिससे श्री रघुनाथ के बांए कंधे पर गहरी चोट लगी । श्री चौहान, लांसनायक रघुनाथ तथा उनकी पार्टी ने आतंकवादियों के निकलने के रास्ते पर मोर्चा लगा लिया और प्रभावकारी जवाबी गोली-बारी करके दूसरे आतंकवादी को मार डाला । जब आतंकवादियों की ओर से कुछ देर तक गोलीबारी नहीं हुई तो पुलिस पार्टी उस स्थान की तलाशी लेने गई और आतंकवादियों के दो शव बरामद किए, जिनकी बाद में जसबीर सिंह टांडा तथा अवतार सिंह भंगू, दोनों के० एल० एफ० के कट्टर आतंकवादी, के रूप में शिनाख्त की गई । एक ए० के०–47 राईफल, 4 मैगजीनों सहित एक ए० के०–74 राईफल तथा बिना चले/खाली कारतूस भी बरामद किए गए । यह मठभेड़ लगभग 6 घंटे तक चली ।

इस मठभेड़ में श्री बी० एस० चौहान, सैकण्ड-इन-कमाण्ड ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जून, 1991, से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 74–प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री जैमिनी दत्त,
नायक,
10वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

21 मार्च, 1992 को मजीठा के पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) को सूचना मिली कि अमरीक सिंह सुपुत्र जोगिन्दर सिंह, जिसका उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, को थाना सदर अमृतसर के गांव फतेहगढ़ सुकेरचाक में रखा गया है । पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10वी बटालियन के पुलिस कर्मियों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह और नायक जैमिनी दत्त का एक पुलिस दल, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक प्रचालन) कर रहे थे, ने गांव को घेर लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी । करीब 1430 बजे जिस समय पुलिस दल मंजीत सिंह और उसका भाई मस्सा सिंह के घर को घेरने की प्रक्रिया में थे, तो वहां छिपे हुए उग्रवादियों ने संवेदनशील हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस दल ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी । जिस समय गोली-बारी चल रही थी, उस समय पंजाब के दो अन्य कांस्टेबलों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नायक जैमिनी दत्त अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों की ओर बढ़ गए । आगे बढ़ते हुए पुलिस कार्मिकों को देख उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस प्रक्रिया के दौरान कांस्टेबल साहिब सिंह को गोलियां लगने से गहरे घाव हो गए और वह नीचे गिर गए परन्तु इसके बावजूद भी उनकी अचूक गोलीबारी ने उनमें से एक उग्रवादी को मार गिराया । नायक दत्त ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर बड़े ही साहस के साथ अमरीक सिंह की जान बचाई । इस बीच, अन्य उग्रवादी बीच की दिवार को पार करके मस्सा सिंह के घर के अन्दर घुस गया, और अंदर से कुण्डी लगा कर पुलिस दल पर एक खिड़की से गोली चलाने लगा । इस बीच कुमक वहां पहुंच गई और उसने स्थिति का मुआयना करने के बाद उस कमरे में हथगोले फेंकने का निर्णय लिया जहां उग्रवादी छिपा हुआ था । नायक जैमिनी दत्त अपनी जान को जोखिम में डाल कर उस खिड़की तक रेंगते हुए गए जहां से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और उस कमरे के अन्दर एक हथगोला फेंक दिया, परन्तु जब इससे वांछित परिणाम न मिला तो श्री दत्त ने छत से कमरे के अन्दर हथगोला फेंकने का फैसला किया । श्री दत्त मकान की छत पर चढ़ गए, छत में छिद्र किए और कमरे के अन्दर चार हथगोले फेंक दिए जिसके फलस्वरूप उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई । कमरे की तलाशी लेने पर, एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया जिसकी बाद में जसपाल सिंह जस्सा, के रूप में पहचान की गई । घटनास्थल से एक ए० के०–47 राईफल और उसकी 3 मैगजीने, एक माइनर तथा ए० के०–47 राईफल के 12 राउण्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री जैमिनी दत्त, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तगत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मार्च, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 75-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री प्रभाती भाई,
नायक,
79वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री अल्लुअप्पा राव,
कांस्टेबल,
79वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री विनोद कुमार,
कांस्टेबल,
79वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री शम्भू हेम्बराम,
कांस्टेबल,
79वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री शेष मणि मिश्रा,
कांस्टेबल,
79वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12 मई, 1988 को अमृतसर जिले के थाना व्यास के अधीन गांव शाहपुर/टकापुर में एक संयुक्त अभियान चलाया गया और विभिन्न कम्पनियों से सैनिकों को बाबा बकाला सेक्टर में तैनात किया गया जिसमें 79 वीं बटालियन की एक टुकड़ी भी शामिल थी जिसके अन्दर नायक प्रभाती भाई और कांस्टेबल अल्लुअप्पा राव, विनोद कुमार, शम्भू हेम्बराम तथा शेष मणि मिश्रा शामिल थे, को टकापुर और दयालबाग के बीच बहने वाली सिंचाई नहर के साथ-साथ लगी कच्ची सड़क पर गश्त लगाने की ड्यूटी पर तैनात किया गया ताकि तलाशी लेने/छापा मारे जाने के दौरान आतंकवादियों को बच कर भागने को रोका जा सके ।

करीब 06.45 बजे, जब गश्ती दल दयाल बाग पुल से वापस आया तो उन्होंने तीन सिक्ख युवकों को गांव शाहपुर की ओर संदिग्ध ढंग से जाते हुए देखा । तुरन्त श्री प्रभाती भाई अपने कर्मियों सहित गांव शाहपुर की ओर गए । पुलिस कर्मियों को देखकर, आतंकवादियों ने गेहूं के खेतों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया । पुलिस दल को दो दलों में विभाजित कर दिया गया—पहला दल जिसमें कांस्टेबल शेष मणि मिश्रा और कांस्टेबल अल्लअप्पा राव थे, ने आतंकवादियों का पीछा बांई ओर से करना शुरू कर दिया तथा दूसरा दल जिसका नेतृत्व नायक प्रभाती भाई कर रहे थे और जिसमें कांस्टेबल विनोद कुमार और शम्भू हेम्बराम शामिल थे, उस कच्ची सड़क पर दौड़े जो गांव शाहपुर की ओर जाती थी, ताकि आतंकवादियों को दाईं ओर से पकड़ा जा सके । इसी समय एक आतंकवादी पीछे की ओर मुड़ा और ए० के०-47, चीन में बनी एसाल्ट राईफल से कांस्टेबल शेष मणि मिश्रा और अल्लअप्पा राव पर गोली चलानी शुरू कर दी । विचलित हुए बिना, दोनों कांस्टेबलों ने गोलीबारी का जवाब गोली चला कर दिया और निडर होकर आगे बढ़ते गए । आतंकवादियों और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के बीच रुक-रुक कर गोलियां चलती रहीं । आतंकवादियों ने "गोली चलाओ और आगे बढ़ो" की युक्ति अपनाई और जल्दी-जल्दी अपना स्थान गेहूं के घने खेतों में बदलते रहे जिससे उनको एक प्रकार का आरक्षी कवर मिलता रहा । इस दौरान, श्री प्रभाती भाई और उनके दल ने शाहपुर के मेवा सिंह के फार्म हाउस के निकट के खेतों में "टैक्टिकल पोजीशन" ले-कर आतंकवादियों को घेर लिया था । दोनों ओर से पुलिस दलों द्वारा घिरते देख आतंकवादियों ने घेराबंदी को तोड़ने का असफल प्रयास करते हुए दोनों पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । दोनों पुलिस दल, यद्यपि आतंकवादियों की गोलीबारी का सीधा निशाना बने हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जानों को जोखिम में डालते हुए कांस्टेबल अल्लुअप्पा राव और कांस्टेबल शेष मणि मिश्रा ने एक ओर से तथा नायक प्रभाती भाई, कांस्टेबल शम्भू हेम्बराम और कांस्टेबल विनोद कुमार दूसरी ओर से आगे बढ़े और काफी कम दूरी से गोली चलाई, जिस फलस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए और तीसरा आतंकवादी बचकर भाग निकलने में सफल हो गया । मृत दोनों आतंकवादियों की पहचान बलकार सिंह और कुलदीप सिंह के रूप में की गई जिनके कब्जे से एक ए० के०-47 राईफल और एक 9 मि० मी० की पिस्तौल तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रभाती भाई, नायक, अल्लुअप्पा राव, कांस्टेबल, विनोद कुमार, कांस्टेबल, शम्भू हेम्बराम, कांस्टेबल, और एस० एम० मिश्र, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 मई, 1988 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 76-प्रेज/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सोम प्रकाश,
पुलिस निरीक्षक,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री रघुनाथ प्रसाद,
लांसनायक,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 26 जून, 1991 को लगभग 0730 बजे जब श्री बी० एस० चौहान, कमांडेंट, अपनी कम्पनी का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने स्वचालित हथियारों की गोलीबारी की आवाज सुनी । जांच करने पर, पाया गया कि—थाना प्रभारी, गोविन्द बाल, जो कि गांव खान छाबरी के फार्म हाउसों की तलाशी ले रहे थे, उनका सामना आतंकवादियों से हो गया था और उन पर गोलीबारी हो रही थी । इस सूचना के मिलते ही, श्री चौहान, श्री ओम प्रकाश, निरीक्षक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद, लांस नायक सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पलाटून के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी । श्री चौहान ने स्थिति का जायजा लेकर कमान संभाल ली किन्तु इसी समय, आतंकवादियों, जिन्होंने जोगिन्दर सिंह के फार्म हाउस में मोर्चा लिया था, पुलिस दल पर गोलियां चलाईं । जब श्री चौहान तथा उनके आदमियों ने जवाबी गोलीबारी की और फार्म हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया, तो आतंकवादी चुपके से फार्म हाउस से निकल गए और एक छोटे घने पेड़ पौधों के झुर-मुट में मोर्चा संभाल लिया, जिसने आतंकवादियों को प्राकृतिक कवच प्रदान कर दिया ।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आतंकवादियों पर हथगोले फेंकने का निर्णय लिया गया जो कि स्वचालित हथियारों से गोलियां चला रहे थे । श्री सोमनाथ तथा श्री रघुनाथ प्रसाद बहुत खतरा उठाते हुए उस झुरमुट के नजदीक गए और गोलियों की बौछार में हथगोले फेंके, किन्तु इससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकला और पुनः एक बार किए गए ऐसे ही प्रयास से भी कोई नतीजा नहीं निकला । श्री चौहान ने, श्री सोमप्रकाश तथा श्री रघुनाथ को आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया तथा खुद प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए विपरीत दिशा में बढ़े । श्री सोम प्रकाश जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, आतंकवादियों के ठिकाने की ओर बढ़े जिनके पीछे-पीछे श्री रघुनाथ थे, किन्तु जैसे ही वे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, उन पर गोलियों की वर्षा हुई, जिससे श्री सोम प्रकाश की दाईं बांह के ऊपरी हिस्से में जख्म हो गया । जख्मी होने के बावजूद उसने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और उनमें से एक को मार गिराया । श्री सोम प्रकाश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया । चूंकि आतंकवादी खाई में अच्छी तरह छिपे हुए थे इसलिए बार-बार हथगोले फेंकने से भी वांछित परिणाम नहीं निकला, इसलिए आतंकवादियों को बाहर निकालने को बाध्य करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया । श्री चौहान ने अपने रक्षा कर्मी के साथ आंसू गैस सहित बुलेट प्रूफ वाहन लिए और आतंकवादियों के काफी नजदीक पहुंच गए तथा आतंकवादियों पर लम्बी दूरी/कम दूरी की गोलियां बरसायीं । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लिया जिससे एक हैड कांस्टेबल के पैर में जख्म हो गया । इस प्रयास के भी असफल हो जाने के बाद, बोतल बम (मोटोटोव काकेटेल) फेंकने के बाद, एच०ई०–36 हथगोले तथा आंसू गैस के गोले फेंकने का निर्णय लिया गया । जब श्री चौहान विपरीत दिशा से अपने बुलेट प्रूफ वाहन से वहां पहुंचे तो श्री रघुनाथ उपरोक्त झुरमुट के पास, दो अन्य कांस्टेबल के साथ पहुंच गए, जैसी कि योजना थी, बोतल बम/हथगोले एक साथ ही फेंके गए । आतंकवादियों के मोर्चे में आग लग गई और आतंकवादी बाहर निकल आए तथा श्री चौहान, लांसनायक रघुनाथ और उनकी पार्टी पर गोलियां चलाईं जिससे श्री रघुनाथ के बाएं कन्धे पर गहरी चोट लगी । श्री चौहान, लांसनायक रघुनाथ तथा उनकी पार्टी ने आतंकवादियों के निकलने के रास्ते पर मोर्चा लगा लिया और प्रभावकारी जवाबी गोलीबारी करके दूसरे आतंकवादी को मार डाला । जब आतंकवादियों की ओर से कुछ देर तक गोलीबारी नहीं हुई तो पुलिस पार्टी उस स्थान की तलाशी लेने गई और आतंकवादियों के दो शव बरामद किए, जिनकी बाद में जसबीर सिंह टांडा तथा अवतार सिंह, भंगू, दोनों के०एल०एफ० के कट्टर आतंकवादी के रूप में शिनाख्त की गई । एक ए०के०–47 राईफल, 4 मैगजीनों सहित एक ए०के०–74 राईफल तथा बिना चले खाली कारतूस भी बरामद किए गए । यह मुठभेड़ लगभग 6 घंटे तक चली ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सोम प्रकाश, पुलिस निरीक्षक एवं रघुनाथ प्रसाद, लांस नायक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक के बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26-6-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 77-प्रेज/95—राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ए० के० शर्मा
उप-निरीक्षक,
रेलवे पुलिस बल,
पश्चिमी रेलवे,
आसनसोल,
रेल मंत्रालय

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

25-6-93 को करीब 7.30 बजे, 10-12 अपराधियों के स्वचालित घातक हथियारों से लैस होकर इलैक्ट्रिक टी०आर०एस० गेज में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई, जोकि बिजली से चलने वाले लोको संख्या डब्लू० ए० जी०-ए०-21073 इंजन से मंहगे कलपुर्जों की चोरी करने के लिए वहां आए थे। इस सूचना के प्राप्त होते ही श्री ए० के० शर्मा, उप-निरीक्षक/रेलवे पुलिस बल, अपना दायित्व लेकर उस स्थान की ओर गए तो उनका सामना बैटरियां और केबल निकाल रहे अपराधियों के साथ हुआ। सुरक्षा बलों को देख कर कुछ अपराधी भाग खड़े हुए, जबकि उनमें से चार अपराधी इंजन के अन्दर जाकर छिप गए। श्री शर्मा ने रेलवे पुलिस बल के स्टाफ से इंजन का घेरा डाल लेने और अपराधियों से आत्मसमर्पण कर देने के लिए कहा। इसके बदले अपराधियों ने आर०पी०एफ० कर्मियों पर कमरे में से गोलियां चलाई और बम फेंके। इसके परिणामस्वरूप, श्री शर्मा और दो कांस्टेबलों को हल्की चोटें लग गईं। इस मौके पर, श्री शर्मा ने एक साहसिक कार्य करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाला और एक इंजन के केबिन के ऊपर चढ़ कर इंजन के शीशे के ऊपर से अन्दर की ओर अपने रिवाल्वर से गोली चलाई। उसके बाद तुरन्त वे उस इंजन के केबिन में घुस गए और अपराधियों पर जल्दी-जल्दी एक के बाद एक करके लगातार गोलियां चलाई। अपने रिवाल्वर की सभी गोलियां खाली करने के बाद, इंजन के बाहर मोर्चा लिए हुए अपने साथी से उन्होंने एक और हथियार मांग कर अपराधियों पर गोलियां चलाना जारी रखा। श्री शर्मा के साहसिक हमले को देखकर अपराधियों ने इंजन से बाहर कूद कर बच कर भाग जाने का प्रयास किया। बाहर मोर्चा संभाले हुए सुरक्षा बलों के कार्मिकों ने तुरंत अपराधियों पर गोलियां चलाई और उनको मार डाला। कुल मिलाकर चार अपराधी मारे गए जिनकी शिनाख्त (1) मौहम्मद कलीम पिलुआ (2) हबीबुर रहमान (3) मौ० मुकतर और (4) मौ० नौशाद, के रूप में की गई। उनके पास से तीन पाईप गन, 8 अप्रयुक्त कारतूस तथा जीवित बम बरामद किए गए। इस गिरोह ने केबल, रूट प्लेट्स और इंजन के अन्य अत्याधुनिक कलपुर्जों की चोरी इलैक्ट्रिक टी०आर०एस० गेज से कई बार की थी।

इस मुठभेड़ में श्री ए०के० शर्मा, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष वेतनवृद्धि भत्ता भी दिनांक 25-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर, 1994

संकल्प

फा० सं० ई-11011/17/94-हिंदी-4—राजस्व एवं व्यय विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के संकल्प सं० ई-11011/2/92-हिं०-4 के अनुक्रम में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

(क) क्रम संख्या-11 की प्रविष्टि "श्री वेदप्रकाश वैदिक" के स्थान पर "श्री वेदप्रताप वैदिक" पढ़ा जाए।

(ख) क्रम सं० 20 की प्रविष्टि "महानिदेशक आयकर निदेशालय (गवेषणा सांख्यिकी प्रकाशन एवं जनसम्पर्क) के स्थान पर 'आयकर महानिदेशक (प्रशा०) नई दिल्ली" पढ़ा जाए।

(ग) क्रम सं० 28 के बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक "बहादुरशाह जफर मार्ग", नई दिल्ली को "सदस्य" के रूप में सम्मिलित किया जाए।

(घ) अवर सचिव (प्रशा०) राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली "सदस्य-सचिव" के रूप में ही अनुक्रमांक 29 पर आएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा निदेशक, समिति के सभी

सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन० एन० मखर्जी
अपर सचिव (प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

(सी० जी० एफ० डेस्क)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994

संकल्प

सं० ग्रेनाइट 3(51)/94-सी० जी० एफ०—भारत सरकार ने ग्रेनाइट इंडस्ट्री डेवलपमेंट पैनल का निम्नलिखित संरचना के रूप में इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करने का निर्णय किया है :—

1. श्री वीरामणि, जेम ग्रेनाइट्स, मद्रास। —अध्यक्ष
2. निदेशक (सी० एफ० डेस्क) औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली। —सदस्य
3. श्री राघव चन्द्रा, डी० एस० (एफ० टी० एम० एंड ओ०), वाणिज्य मंत्रालय —सदस्य
4. श्री डी० वी० सिंह, निदेशक, खान मंत्रालय —सदस्य
5. श्री वाई० एस० शहरावत, उप-सचिव, राजस्व विभाग (टी० आर० वी०) —सदस्य
6. निदेशक, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य
7. श्री वाई० आर० शाह, ओरियन्टल सेलेक्ट ग्रेनाइट्स प्रा० लि० बंगलौर। —सदस्य
8. श्री सुनावास बासा, एवरसाइन ग्रेनाइट्स, कृष्णम। —सदस्य
9. श्री ई० उत्तम कुमार, डेक्कन ग्रेनाइट्स लि०, हैदराबाद। —सदस्य
10. श्री के० सुब्बा रेड्डी, पल्लव ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज, मद्रास। —सदस्य
11. श्री रमेश बोहरा, फतेह ग्रेनाइट एंड मार्बल्स प्रा० लि०, जालौर, राजस्थान। —सदस्य
12. श्री विनय पोद्दार, अध्यक्ष, आल इंडिया ग्रेनाइट एंड स्टोन एसोसिएशन, पोद्दार ग्रेनाइट्स, बंगलौर। —सदस्य
13. श्री आर० पी० भुनभुनवाला, ग्रेपको ग्रेनाइट्स लि०, कलकत्ता। —सदस्य
14. श्री अतुल शर्मा, पीताम्बर ग्रेनाइट्स प्रा० लि०, झांसी (उ० प्र०)। —सदस्य
15. श्री ए० के० अग्रवाल, राजस्थान उद्योग, जोधपुर। —सदस्य
16. श्री रमन शाह, एम० एन० शाह मशीनरी प्रा० लि०, बम्बई। —सदस्य
17. श्री सत्यनारायण खेतान, अनिल स्टोन एंड इंडस्ट्रीज लि०, जयपुर (राजस्थान) —सदस्य
18. श्री विवेक मिश्रा, प्रिसिशन मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल इक्युपमेंट कं०, पुणे। —सदस्य
19. के० के० एस० अल्वेरेस, अल्वरेस एंड थामस, मंगलौर। —सदस्य
20. आर० द्वारकानाथ, बंगलौर। —सदस्य
21. श्री उदय कुमार, फ्लैट नं० 411, संगम अपार्टमेंट, श्रीकृष्णा नगर, फेज-2, पटना-25 —सदस्य

22. श्री के० के० लाल, —सदस्य
पार्टनर,
हिन्दुस्तान वाक्स मैन्यु० कं०
12, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकार,
रांची-1

23. श्री आर० सी० सिन्हा, —सदस्य
वैशाल नव निर्माण प्रा० लि०,
अभय भवन,
(4था मंजिल),
फोरेजर रोड,
पटना-1

24. श्री के० के० शील, —सदस्य-सचिव
डेस्क अधिकारी (सी जी एफ डेस्क),
औ० वि० विभाग,
नई दिल्ली ।

विचारणीय विषय :

1. उद्योग की क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और शीघ्र विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाना ।

2. वर्तमान प्रौद्योगिकी स्थिति का अध्ययन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए उद्योग की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय सुझाना ।

3. निर्यात बढ़ाने के लिए ग्रेनाइट उत्पादों की निर्यात क्षमता का पता लगाने और उत्पाद, कच्चे माल, संघटकों आदि के रूप में आयात प्रतिस्थापनों को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक कार्यकलापों को भी सुझाना ।

4. उच्च-तकनीक के उत्पादों के लिए कच्चे माल की संभावना का पता लगाने के लिए उद्योग में अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों के बारे में सुझाव देना ।

5. कोई अन्य विषय जिसे उक्त पैनल द्वारा ग्रेनाइट उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाए ।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

उर्मिला भारद्वाज,
निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1994

फा० सं० 1149/90-सी० टी० एम०—भारत सरकार ने रूई सलाहकार बोर्ड को जो मूलतः अक्तूबर, 1958 में स्थापित किया गया था और बाद में समय-समय पर पुनर्गठित किया गया था, पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है ।

अब पुनर्गठित बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1. वस्त्र आयुक्त, अध्यक्ष
भारत सरकार,
वस्त्र मन्त्रालय,
बम्बई ।

2. संयुक्त सचिव, सदस्य
वस्त्र मंत्रालय में रूई के प्रभारी,
नई दिल्ली ।

3. संयुक्त सचिव (व्यापार) सदस्य
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

राज्य सरकार

4 से 6.
मध्य प्रदेश, सदस्य
पंजाब तथा कर्नाटक राज्यों के कृषि के प्रभारी
सचिव (निदेशक) ।

उपजकर्ता

7. श्री नागेन्द्र सिंह, सदस्य
पोखरन हाउस,
पी० डब्ल्यू० डी० रोड,
जोधपुर,
राजस्थान ।

8. श्री मुकुन्द रेड्डी, सदस्य
पेडापल्ली,
करीमनगर (जिला),
आन्ध्र प्रदेश ।

9. श्री शंकर लाल गुरु, सदस्य
ऊंझा,
जिला महसाना,
(गुजरात) ।

उद्योग

10. अध्यक्ष, सदस्य
भारतीय रुई मिल्स परिसंघ,
बम्बई ।

11. अध्यक्ष, सदस्य
अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल्स परिसंघ लिमिटेड,
बम्बई, ।

12. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन,
नई दिल्ली ।

13. अध्यक्ष,
दक्षिण भारत कताईकर्ता संघ,
कोयम्बटूर (तमिलनाडु) ।

व्यापार

14. अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
भारतीय कपास निगम लि०,
बम्बई ।

15. प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ लि०,
बम्बई ।

16. अध्यक्ष, सदस्य
पूर्वी भारत रूई संघ,
बम्बई ।

17. अध्यक्ष, सदस्य
अखिल भारतीय सहकारी रुई परिसंघ लि०,
अहमदाबाद ।

ओटाई तथा प्रैसिंग क्षेत्र

18. गिनर्स संघ के अध्यक्ष, सदस्य
पंजाब परिसंघ ।

हथकरघा क्षेत्र

19. श्री मंजूर अहमद अंसारी, सदस्य
छोटा नागपुर,
बिहार ।

विद्युतकरघा क्षेत्र

20. श्री एस० के० एन० नागमणिका, सदस्य
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय विद्युतकरघा परिसंघ ।
77, वैस्ट कालोनी,
कोमारपलियम–638183
सेलम जिला,
तमिलनाडु ।

रुई अनुसंधान तथा विकास

21. निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय रुई अनुसंधान संस्थान,
नागपुर,
(महाराष्ट्र) ।

सदस्य-सचिव

22. संयुक्त वस्त्र आयुक्त, सदस्य
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई ।

2. बोर्ड सरकार को सामान्यतः कपास के उत्पादन, उपभोग और विपणन से संबंधित मामलों पर सलाह देगा जिसमें रुई नियंत्रण आदेश, 1986 के अंतर्गत आने वाले मामले भी शामिल हैं और साथ ही सूती वस्त्र निगम उद्योग, रुई उपजकर्ताओं, रुई व्यापार और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक मंच की व्यवस्था भी करेगी ।

3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य 31 अगस्त, 1996 तक बोर्ड में काम करेंगे ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों को रुई सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

5. बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति केवल सदस्यों तक ही सीमित रहेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

बी० एल० शर्मा,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd January 1995

No. 1-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name and rank of Officer

Shri Ramthehzuava Ralte,
Sub-Inspector of Police,
N. C. Hilles,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-4-1993 afternoon, Sub-Inspector Ralte alongwith L/NK Golapsena Singh, H/NK Abendra Das, Constable Pradeep Bordoloi and Driver/Hv. Manik Burman were detailed from 5th A. P. Bn. Hqrs. to Battalion Training Centre, Deragaon to collect nine '303 Rifles and 495 BDR Ammunition. On their way at about 6.45 P. M., at a place between Hatikhali and Mandardisa, they found large number of vehicles stranded on the road. To assess the situation, Shri Ralte got down from the vehicle and found that some armed miscreants were robbing of the occupants of the stranded vehicles at the gun point, who had also blocked the road with logs.

Seeing the police force, the miscreants suddenly attacked on Shri Ralte with arms-butt. In the counter attack Shri Ralte opened fire with his 9 mm pistol and killed one of the miscreants, while the others received bullet injuries. Somehow they managed to escape in the jungle. Afterwards, Shri Ralte inspite of his injuries, removed the logs with the help of his party and freed all the vehicles detained by the extremists.

In this encounter Shri Ramthehzuava Ralte, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-4-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 2-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Shiv Balak Ram,
Sub Inspector of Police,
P. S. Sadar Purnea Distt.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10th May, 1990 at around 01.30 hrs. while on patrolling duty on National Highway No. 31 Sub Inspector Shiv Balak Ram noticed some dacoits armed with lethal weapons planning to commit dacoity on highway by blocking the road traffic over Khirda Bridge. Showing great presence of mind, S. I. Shiv Balak Ram and his party drew themselves away from the scene and came back after half an hour under the cover of 3-4 trucks. The dacoits started looting the trucks unaware of the police presence. At this juncture, S. I. and his party challenged the dacoits numbering 10-11. The dacoits opened indiscriminate firing on police party. S. I. Shiv Balak Ram ordered his men to take position and return fire while he himself shot from his service revolver at the dacoits. In the ensuing encounter S.I. received gun-shot injuries but without losing his nerve, he kept on firing on the dacoits. After an exchange of fire for about two hours. Police party under the command of Shri Shiv Balak Ram succeeded in killing two of the dacoits and arresting one on the spot, while the others managed to escape. Two country made fire-arms and large quantity of ammunition were recovered from the dacoits.

In this encounter Shri Shiv Balak Ram, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10-5-1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 3-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officers

Shri Ashok Kumar Singh,
Assistant Sub Inspector of Police,
P. S. Kaluahi,
Distt. Madhubani.

Shri Bal Krishna Rai,
Constable,
P. S. Kaluahi,
Distt. Madhubani.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 9th March, 1992, around 12.45 AM, S/Shri A. K. Singh A. S. I., and B. K. Rai, Constable received information that some armed dacoits have fled towards East in a Maruti van after looting a postal bag containing cash from a runner peon of Head P. O. at the point of pistol. Immediately, both these police officials chased the fleeing dacoits on motor cycle. After moving a distance of 50 kms., the police party located the van and tried to stop it by putting the motor cycle in front of the van. The dacoits got down from the van and started firing on the police. A.S.I. Singh returned the fire with his service revolver and hit one of the dacoits who fell down on the spot. Seeing their accomplice falling down, the other dacoits started running for safety, Constable Bal Krishna chased the fleeing dacoits and caught hold of one them and in a scuffle between the two, Constable was hard hit on the head. At this juncture, after hearing the sound of firing as also the alarm raised by injured constable some villagers working in the nearby fileds also gathered. The police party with the assistance of villagers captured all the fleeing dacoits, but for one and seized the postal bag containing cash amounting to Rs. fifty seven thousands and four hundreds. Three country made pitols and some live cartridges were also recovered from the culprits.

In the incidents, two injured dacoits who received revolver shot scummbed to their injuries, three were arrested while one managed to escape.

In this encounter S/Shri Ashok Kumar Singh, Asstt. Sub Inspector of Police and Bal Krishna Rai, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the awards of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9-3-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 4-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Bihar Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ram Darshan Choubey,
Constable,
G. R. P. S. Buxer.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-5-1993 at about 1.15 hrs. Constable Ram Darshan Choubey, got information about the presence of some criminals on eastern end of Platform No. I of the Buxer Railway Station and immediately swung into action alongwith his other colleagues. He noticed three persons standing in suspicious manner on platform No. 1 of the Railway Station. On being interrogated by the Constable, the suspects started fleeing. While chasing, Constable Choubey jumped and caught hold of one of the fleeing persons and snatched a pistol from him but the criminal took out another pistol and suddenly fired on Constable Choubey in his stomach. Inspite of being injured, Constable Choubey kept grappling with the criminal till the arrival of Constable Pandey and some passengers and ultimately arrested him. The arrested criminal was identified as Yogesh Kumar Ojha while the two who escaped were identified as Ramesh Yadav and Dinesh Yadav. Y. K. Ojha confessed having committed theft alongwith his two other accomplices on the same night.

2. Two country made pistols, a sum of Rs. 26.500/- and some articles were recovered from the arrested criminal.

In this encounter Shri Ram Darshan Choubey, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with is the special allolwance admissible under rule 5, with effect from 20-5-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 5-Press/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and Rank of the officer

Shri Anurag Gupta,
Assistant Supdt. of Police,
Patna City.

Statement of services for which the decaration has been awarded :—

Shri Anurag Gupta, ASP, Patna City got information on 27-7-93 that a big gang of armed criminals had gathered at the house of one Babloo Mahto of Mahni Tal Chainpur Mohalla. He along with his 2 bodyguards Const. Vishwa Nath Singh & Hav. Mumtaz Khan immediately rushed to the spot. On reaching the spot, he saw two men standing on guard under very suspicious circumstances in front of Babloo Mahto's house. On seeing the Police, the duo rushed inside the house to alert their associates. Shri Gupta rushed ahead towards the door of Babloo Mahto's House and challenged the criminals to surrender. The outlaws fired one round at the ASP which narrowly missed him. This did not deter Shri Gupta, he rushed towards the door of Babloo Mahto's House. Shri Gupta commanded the criminals to surrender. The criminals retaliated by firing two more rounds at the ASP from very close range. Shri Gupta fired through the door injuring one of the criminals. The criminals continued to fired at police party. Shri Gupta also fired another round at them. When Shri Gupta was trying to fire the third round, the criminals fired a shot which hit Shri Gupta on his right hand shattering the butt of his revolver. Being badly wounded and with his damaged revolver, Shri Gupta did not loose courage and commanded his bodyguards to fire at the criminals at which Vishwanath Singh fired two round from his service revolver and Havildar, Mumtaz Khan fired three rounds from his stengun. The exchange of fire attracted passersby who had now surrounded house of Babloo Mahto from all sides. After leaving one bodyguard behind for countering the criminals, Shri Gupta proceeded for medical treatment. In this encounter 5 criminals were killed and 3 were arrested. Ten live bombs, four country made pistols, nine live cartidges, ten empty shells, three pillets, one Maruti Van and one Hero Honda Motor Cycle were recovered from the scene of crime.

In this encounter Shri Anurag Gupta, Assistant Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect rom 27-7-1993.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 6-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Jammu & Kashmir Police:—

Name and Rank of the officer

Shri Vijay Singh Sambyal,
Deputy Supdt. of Police,
Distt. Kathua.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3rd September, 1992, a police party consisting of two S.I.S. namely Sansar Chand and Mohd. Altaf with four constables duly armed, under the command of Shri Sambyal, Dy. S.P. was deputed to Sarthal to check the infiltration of the terrorists in the area, where a Police Post comprising of one Head Constable and 12 Constables was already functioning.

During the night of 4/5-9-1992 at about 2300 hrs. a group of 8/10 terrorists suddenly attacked the said Police Post with sophisticated weapons killing S.I. Sansar Chand, H.C. Laxman Das and Constable Abdul Gani on the spot and injuring Constable Balkar. Shyam Parkash and Shri Sambyal, Dy. S.P. The police force returned the fire and a fierce encounter continued throughout the night., Dy. S.P. Sambyal, though injured took AK-47 rifle from Constable Balwant Singh and killed one militant who was identified as Parvez Ahmed and injured the other who was, however, taken away by his associates. The timely retaliation by Shri Sambyal forded the militants to retreat. One AK-56 rifle, a Pistol and some ammunition was recovered from the killeld militant.

In this encounter Shri Vijay Singh Sambyal, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallanty under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-9-1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 7-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name and Rank of the officer

Shri Chandrappa,
Sub-Inspector of Police,
Mysore.

Statement of services for which the decoration has been awarded:—

On 7th April, 1990 at about 4.45 P.M. Sub-Inspector Chandrappa along with the party consisting of 4 S.Is, one Range forest officer and four constables was drafted to nab Veerappan and his gang. When they were returing on the Hogenkal Gopinathan road, they found the road blocked with boulders. Shri Chandrappa Sub-Inspector ordered his men to jump out of the jeep. All of a sudden, volley of shots was fired by Veerappan and his gangsters, on the jumping police officials, S.I. Chandrappa sustained bullet injuries but even then he jumped out of the jeep and noticed that four police Officers (3 S. Is & one Constable) fell inside the jeep with bullet injuries and breathed their last. Inspite of bullet injuries, S. I. Chanprappa got hold of a rifle and took position near the jeep's back wheel and started firing at the gangsters, while S.I. Urs, started firing from the front side of the jeep. The retaliatory action of the police compelled Veerappan and his gang to flee from the spot.

Afterwards, Shri Chandrappa, S.I. inspite of bullet injuries assised by S.I. Urs lifted the bodies of the dead/injured in the jeep.

In this encounter Shri Chandrappa, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7-4-1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 8-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the officer

Shri S. D. Bhange, (*Posthumous*)
Armed Police Inspector,
S.R.P.F. Gr. II,
Pune.

Shri S.R. Yelvi,
Armed Police Constable,
S.R.P.F., Gr. II,
Pune.

Shri D. R. Dhuri,
Armed Police Constable,
S.R.P.F. Gr. II,
Pune.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-6-1991 at about 08-00 hours one police party consisting of two platoon of S.R.P.F. Jawans led by Shri S.D. Bhange, Police Inspector, S.R.P.F. Group II, Pune (Including S/Shri S. R. Yelvi and D. R. Dhuri, Constables) left to check the naxal affected villages to gather information about the naxalites. The police party reached Zhuri nallah in two 5-tonner vehicles and one jeep at about 10.00 hours. As it was difficult to move 5-tonner vehicles across the naliah, both 5-tonner vehicles were left near nallah with sufficient police protection. Shri Bhange alongwith others left in a jeep They were armed with 9mm pistol, .455 revolver, 303 rifles, and on stengun. The police party first checked village Kolami and thereafter screened villages Kondawhl and paidy. While the police party was returning to Zuri naliah, they were ambushed by a gang of about 15 naxalites at about 13.30 hours. In the first attack, Driver of the jeep and Shri Bhange received bullet injuries in the abdomen and chest. The Driver of jeep succumbed to his injuries on the spot. Inspite of injuries, Shri Bhange and other police personnel took position in the deep ground situated on the right side of the road and fired towards the naxalites. Inspite of serious bullet injuries, Shri Bhange fired 6 rounds from his 9mm pistol. He consistently kept on motivating other policemen to Continue firing on the naxalites till he breathed his last.

Similarly Constable Shivaji Yelvi and Constable Dilip Dhuri were seriously injured by naxalites firing but without caring for their personal safety they kept on firing on the naxalites. Serious injuries and loss of blood did not deter these young policemen from retaliating They were instrumental in defeating the main object of naxalites to grab the arms and ammunition of police personnel. Though Constable Yelvi, was in severe pain and his movements were restricted due to serious injuries, he requested his colleagues to cover his bleeding injuries and he continued firing till the naxalites took to their heels.

In this encounter S/Shri S. D. Bhange, Armed Police Inspector, S. R. Yelvi and D. R. Dhuri, Armed Police Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules govering the awards of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect fram 20-6-1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 9-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. L. Deshmukh,
Assistant Police Inspector,
Greater Bombay.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 18-5-1993 at about 15.35 hours, one Shri H. U. Khan came to Khar Police Station and reported that two persons had accosted him in front of Hotel Commando and demanded Rs. 10,000/- from him at the point of revolver. They robbed him of his purse and car. On getting the information, Shri S. L. Deshmukh, Assistant Police Inspector alongwith two others rushed to the spot. At about 16.05 hours, Shri Deshmukh spotted the robbed car with two occupants. Immediately, they chased the car. On seeing the driver of the car, Shri Deshmukh identified him as John Marshal Mendonca, a notorious criminal. He signalled them to stop the car but they sped away. While fleeing, the associate of John, fired two rounds towards the police party. They drove the car at a high speed through the crowded locality. In the meantime, while negotiating a 'U' turn, John's car dashed against one Maruti Car. The police jeep also dashed John's car from behind. Thereafter, John and his associate got down with revolvers in their hands. Shri Deshmukh and party also got down from the jeep. John fired three rounds from his revolver on the police party. Shri Deshmukh fired three rounds from his service revolver in self defence at John, who received two bullet injuries and fell down. In the meanwhile, the other criminal managed to escape under the cover of vehicular traffic and the people running helter-skelter. Injured desperado, John was rushed to Bhabha

Hospital, where he was declared brought dead. During search one Pak made .32 bore revolver loaded with two live cartridges and three empties were recovered from the dead criminal. One knife was recovered from the car. The dead criminal was involved in 33 cases of snatching, abduction, robbery, dacoity and attempt to murder etc.

In this encunter Shri S. L. Deshmukh, Asstt. Police Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18-5-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 10—Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. L. Kadam,
Asstt. Police Inspector,
Greater Bombay.
Shri B. T. Raut,
Head Constable, Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 31-3-1993 at about 1100 hours, Shri S. S. Walishetty of Unit-V of D.C.B., CID, Bombay received information that a notorious criminal viz. Nisar Ahmed Shaikh was scheduled to come near Ashish theatre at Chembur at about 15.00 hours. Shri Walishetty alongwith S/Shri S. L. Kadam, B.T. Raut and others formed three groups to cover the area from three different directions. At about 1400 hours all the officers and men reached near Ashish Theatre and took positions. First Group consisting of S/Shri Walishetty, S. L. Kadam and B.T. Raut, took position inside the T.C.F. Gate on southern side. Second Group took position near Petrol Pump along R.C. Road and third group near Ashish Theatre.

At about 15.45 hours, one Sub-Inspector of Group No. 3, gave a signal about the arrival of the criminal and alerted the other groups. Sensing the presence of police, criminal Nisar Ahmed Shaih and his associate started running towards RCF Factory. Both the criminals were holding revolvers in their hands aiming towards police party headed by Shri Walishetty. S/Shri Walishetty and party disclosed their identity and warned the criminals to render. Inspite of warning the criminal opened indiscriminate firing towards S/Shri Walishetty Kadam and Raut. On this S/Shri Walishetty and Kadam took out their revolvers, dodged the firing of the criminals and fired on the criminals. In the firing criminal Nisar Ahmed sustained bullet injuries. Seeing Nisar Ahmed collapsing, his associate ran towards RCF Colony, taking advantage of the traffic. Shri Raut, who was following S/Shri Walishetty and Kadam also dodged the bullets fired by the criminals and tried to catch-hold of the culprits. The other two groups, who followed Nisar Ahmed and his associate came running inside the RCF gate and started chasing the associate of Nisar, who ran towards RCF Colony and escaped. Shri Kadam approached injured Nisar Ahmed and disarmed him, while S/Shri Walishetty and Raut started chasing the other criminal. As the criminal disappeared, S/Shri Walishetty and Kadam and Raut immediately rushed injured Nisar Ahmed to Rajawadi Hospital, where he was declared brought dead. A country-made revolver loaded with two live cartridges and four empties was recovered from the dead criminal. The dead criminal was involved in number of cases in Vakola and Kurla Police Stations.

In this encounter S/Shri S. L. Kadam, Asstt. Police Inspector, and B. T. Raut, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 31-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 11-Pres/95—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and Rank of Officer

Shri S. S. Walishetty,
Inspector of Police,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 31-3-1993 at about 11.00 hours, Shri S. S. Walishetty of Unit-V of D.C.B., CID, Bombay received information that a notorious criminal viz. Nisar Ahmed Shaikh was scheduled to come near Ashish theatre at Chembur at about 1500 hours. Shri Walishetty alongwith S/Shri S. L. Kadam, B. T. Raut and others formed three groups to cover the area from three different directions. At about 1400 hours all the officers and men reached near Ashish Theatre and took positions. First Group consisting of S/Shri Walishetty, S. L. Kadam and B. T. Raut, took position inside the T.C.F. Gate on southern side. Second Group took position near Petrol Pump along R.C. Road and third group near Ashish Theatre.

At about 15.45 hours, one Sub-Inspector of Group No. 3, gave a signal about the arrival of the criminal and alerted the other groups. Sensing the presence of police, criminal Nisar Ahmed Shaikh and his associate started running towards RCF Factory. Both the criminals were holding revolvers in their hands aiming towards police party headed by Shri Walishetty. S/Shri Walishetty and party disclosed their identity and warned the criminals to surrender. Inspite of warning the criminals opened indiscriminate firing towards S/Shri Walishetty Kadam and Raut. On this S/Shri Walishetty and Kadam took out their revolvers, dodged the firing of the criminals and fired on the criminals. In the firing criminal Nisar Ahmed sustained bullet injuries. Seeing Nisar Ahmed collapsing, his associate ran towards RCF Colony, taking advantage of the traffic. Shri Raut, who was following S/Shri Walishetty and Kadam also dodged the bullets fired by the criminals and tried to catch-hold of the culprits. The other two groups, who followed Nisar Ahmed and his associate came running inside the RCF gate and started chasing the associate of Nisar, who ran towards RCF Colony and escaped. Shri Kadam approached injured Nisar Ahmed and disarmed him, while S/Shri Walishetty and Raut started chasing the other criminal. As the criminal disappeared, S/Shri Walishetty and Kadam and Raut immediately rushed injured Nisar Ahmed to Rajawadi Hospital, where he was declared brought dead. A country-made revolver loaded with two live cartridges and four empties was recovered from the dead criminal. The dead criminal was involved in number of cases in Vakola and Kurla Police Stations.

In this encounter Shri S. S. Walishetty, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under 5, with effect from 31-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 12-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Nagaland Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri K. Viketol Angami, (*Posthumous*)
Sub Inspector of Police,
Kohima.

Shri Pudi Kikhi Angami, (*Posthumous*)
Head Constable,
Kohima.

Shri Viprakhwel Angami, (*Posthumous*)
Constable,
Kohima.

Nerhisayi Chakhesang, (*Posthumous*)
Constable,
Kohima.

Shri N. K. Ghitoshi Sema, (*Posthumous*)
Naik,
Kohima.

Shri Lallen Kigen, (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
Kohima.

Shri Manoj Kumar Thapa, (*Posthumous*)
Constable,
Kohima.

Shri Lima Akum Ao, (*Posthumous*)
Constable,
Kohima.

Shri Kewelho Chakhesang, (*Posthumous*)
Constable,
Kohima.

On 14th August, 1991, a police party consisting of one ASI, two Havaldars, one Lance Naik and Eleven Constables under the command of Sub-Inspector K. Viketol Angami was detained on Escort duty to the then Hon'ble Speaker of Nagaland. At about 11.35 A.M., when the Speaker was on his way to Mon from Dimapur for Independence Day Celebration, his convey was ambushed at Lahorijan from the road side jungle by some UGs with automatic weapons. In the encounter while trying to save the life of VIP, SI Viketol Angami and eight other police personnel who were on pilot and escort duty died on the spot and other six police personnel were injured including the then Hon'ble Speaker.

In this encounter S/Shri K. Viketol Anagmi, Sub-Inspector of Police, Pudi Kikhi Anagmi, Head Constable, Viprakhwel Angami, Constable, Nerhisayi Chakhesang, Constable, N. K. Ghitoshi Sema, Naik, Lallen Kigen, Sub-Inspector of Police, Manoj Kumar Thapa, Constable, Lima Akum Ao, Constable and Kewelho Chakhesang, Constable displayed conspicuous gallantry, courge and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-8-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 13-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Nagaland Police :—

Name and Rank of Officer

Shri G. T. Rengma,
Constable, 2nd Bn.,
NAP Alichen,
Nagaland.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

While performing patrolling duty on 8th May, 1992, around 1500 hrs., police party led by Inspector H. K. Sema was attacked by Some UG NSCN miscreants armed with sophisticated weapons. One of the assailants fired by M-22 automatic rifle and seriously injured. Inspector Sema and six other police persons. Two of the injured police persons and four of the Civilians, succumbed to their injuries. Inspite of serious bullet injuries, Inspector Sema took out his pistol and continued firing at the advancing miscreants. Constable Rengma also took position in a nullah and fired at one of the miscreants killing him instantly. The brave action of these Officers compelled the other miscreants to retreat.

One M-22 Sub-Machine gun with two magazines and 31 Nos. of ammunition were recovered from the killed miscreants who was later on identified as Temsumongba of NSCN.

In this encounter Shri G. T. Rengma, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-5-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 14-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Nagaland Police :—

Name and Rank of Officer

Shri H. K. Sema,
Inspector of Police,
P.S. Mokokchung.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

While performing patrolling duty on 8th May, 1992, around 1500 hrs., police party led by Inspector H. K. Sema was attacked by Some UG NSCN miscreants armed with sophisticated weapons. One of the assailant fired by M-22 automatic rifle and seriously injured. Inspector Sema and six other police persons. Two of the injured police persons and four of the Civilians, succumbed to their injuries. Inspite of serious bullet injuries, Inspector Sema took out his pistol and continued firing at the advancing miscreants. Constable Rengma also took position in a nullah and fired at one of the miscreants killing him instantly The brave action of these Officers compelled the other miscreants to retreat.

One M-22 Sub-Machine gun with two magazines and 31 Nos. of ammunition were recovered from the killed miscreants who was later on identified as Temsumongba of NSCN.

In this encounter Shri H. K. Sema, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-5-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 15-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Talwinder Singh,
Head Constable,
Gunman to SP (City),
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-4-1992, Supdt. of Police (City), Amritsar received information that two dreaded terrorists of K.L.F. armed with sophisticated weapons were hiding in a Gurdwara in the area of P. S. Lopoke, District Majitha. They planned to kill members of minority community after hijacking a bus. Immediately SP, City, Amritsar alongwith force reached the area and positioned himself at a place from where he could effectively control the whole operation. He then planned the operation and assigned the task to three trusted policemen including Shri Talwinder Singh. All the three disguised themselves as extremists and reached the Gurudwara and enquired from the Sewadars about their accomplices. They were told that they had left for the Behak of one Chanan Singh. On this, they reached the farm-house of Chanan Singh through the fields. On reaching there, they were told that the extremists had left for the farm-house of ex-Sarpanch. On reaching there, Shri Talwinder Singh went inside the room whereas other two were deployed outside. When he entered the room, he found both the extremists were sitting, they got alert and asked who was he ? On this Shri Talwinder Singh identified himself as Lali, Lt. Genl. of BTFK and told that he had come carry out some task of the organisation. Then they told Shri Talwinder Singh that they were planning to kill members of minority community after hijacking a bus. Shri Talwinder Singh told them that due to the killing of innocent persons, the militant organisations were isolating themselves from the public. Then he suggested that should kill SHO P.S. Lopoke, but both the extremists did not agree to this in view of heavy security arrangements and the deployment of Army. Shri Talwinder Singh then quoted the example of (Late) Shri Joginder Singh, SP who was killed inspite of heavy security arrangements. Then the extremists agreed to the plea and asked him to sit with them for further Planning. In the meanwhile, the other two police personnel took position outside the farm-house. Sensing the plan the extremists resorted to firing on the police personnel. The police personnel also returned fire and the encounter continued for about 30 minutes. Snatching an opportunity, Shri Talwinder Singh sprayed bullets from his weapons on both the extremists killing Balwinder Singh alias Jodha Jalandhari on the spot, while other extremist who was injured, came out of the room and ran towards nearby wheat fields. While running, he fired at the police personnel, they returned the fire. After this, Shri Talwinder Singh flashed the message through wireless to SSP and SP (City), Amritsar. On getting the information, they reached the spot and encircled the entire field, where the injured terrorist was hiding. The cross firing continued for about twenty minutes, thereafter firing from the terrorist side stopped. Then the area was searched and dead body of one extremist was recovered, who was identified as Shinder Singh alias Bhaja alias Chhota Chingiara. During search two AK-47 Rifles were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Talwinder Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-4-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 16-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Gurdip Chand, (*Posthumous*)
Constable,
District Faridkot.

Shri Gurpiar Singh, (*Posthumous*)
Constable,
District Faridkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-11-1992, Deputy Supdt. of Police, Mukatsar and Sub-Inspector Rajinder Singh, SHO P.S. Sadar Mukatsar received information that some dreaded extremists were hiding in the cotton fields of one Bakhtawar Singh, Village Khunda Halal. They immediately reached there alongwith available force and started search of the cotton fields. Wireless Message was also flashed to DSP, Malout and SHO Kot Bhai to reach the spot alongwith force. An Army contingent and Police force alongwith CRPF personnel under the command of SP (OPS) and SP (Detective) reached the spot. The entire force was divided into different parties and started search with the help of bullet-proof Gpysies. When the police party headed by SI Rajinder Singh entered the cotton fields, one extremists while firing with his AK-47 rifle on the police party was seen advancing towards the Gypsies. The police Party also returned the fire. In the exchange of fire the extremist was killed. In the meantime, DSP, Moga alongwith S/Shri Gurdip Chand, Gurpiar Singh and Baljinder Singh Constables reached the spot. When this party was standing near the cotton fields, they were fired upon by the extremist. The party in bullet-proof Gypsy advanced towards the extremists while firing. They saw one extremist approaching them while firing. The DSP, Moga ordered him to surrender but the extremist took position and fired a burst on the engine of the vehicle, which stopped. The extremist climbed on the bonet of the Gypsy and fired one burst into the vehicle. On the Constable Baljinder Singh Jumped from Gypsy, aimed the butt of his ALR at the head of the extremist, the butt was broken. The extremist fired one more burst. Shri Rajinder Singh pounced on the extremist and engaged him in a scuffle. In the meantime, S/Shri Gurdip Chand and Gurpiar Singh came down and took position. At that time, firing from the other side of the field started, as a result S/Shri Gurpiar Singh, Gurdip Chand and Baljinder Singh were injured. Seeing this Sub-Inspector Rajinder Singh fired on the extremist with his revolver and shot him dead. Then SI Rajinder Singh tried to take all the injured Constables to a safer place. Suddenly two extremists started heavy firing. Inspite of injuries, all the injured constable returned the fire and managed to reach near the extremists. They noticed both the extremists lying dead. Thereafter, other extremists threw a hand-grenade on S/Shri Gurdip Chand, Gurpiar Singh and Baljinder Singh and also fired heavily on them. As a result, the condition of two constables became serious. Seeing this, SP(OPS) approached the injured Constables in a bullet-proof Gypsy in the covering fire and brought them out and sent them to hospital. However, Constable Gurpiar Singh and Gurdip Chand succumbed to their injuries on way to hospital.

At about 4.30 PM, search of cotton fields was again started under the supervision of SP(Detective). Two extremists started heavy fire on the police party and the police party returned the fire. Constable Reddy of CRPF killed one of the extremists, though he himself was seriously injured and later died. The other extremist was killed in the exchange of fire. The DSP, Mukatsar and SHO P.S. Kot Bhai moved towards the opposite side under the covering fire and fired on the extremists. The extremists threw a hand-grenade on the police party. The police party also threw hand grenades and fired on the extremists. When the firing from the extremists side stopped, two more dead bodies were recovered.

At this stage, SSP, Faridkot also reached the spot and assessed the situation. He re-organised the force and divided it into four parties. The parties started the search with bullet proof vehicles. The extremists kept on firing on the vehicles. The police parties also returned the fire. Thereafter firing from the extremists stopped and on search of the area two dead bodies of extremists were recovered. Thus, in the encounter in all 10 extremists were killed. During further search 5 Assault Rifles, one Rocket Launcher, Two stick Bombs, three .12 bore guns, two .303 bore Rifles and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Gurdip Chand and Gurpiar Singh, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18-11-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 17-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Sahib Singh (*Posthumous*)
Constable,
P.S. Kathu Nangal,
District Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-3-1992, SP (Ops) Majitha received information that one Amrik Singh S/o Joginder Singh, who was kidnapped by extremists has been kept in village Fatehgarh Sukerchak, P.S. Sadar Amritsar. Police parties consisting of personnel of Punjab Police and 10 Bn. CRPF including Constable Sahib Singh and Naik Jai Mini Dutt under command of Sp (Ops) cordoned the village and started search. At about 1430 hours when the police parties were in the process of cordoning the houses of Manjit Singh and his brother, Massa Singh, the extremists hiding there suddenly opened heavy firing with sophisticated weapons on the police parties. The *police parties returned the fire in self defence*.. While the firing was continuing, Constable Sahib Singh alongwith two other Constable of Punjab Police and Naik Jai Mini Dutt of *CRPF advanced towards the extremists* without caring for their personal safety. On seeing the advancing personnel, *the extremists started firing at them*. In the process Constable Sahib Singh *received serious bullet injuries* and fell down but his *accurate firing resulted in the killing of one of the extremist*. Naik Dut with great courage and risk to his life rescued Amrik Singh. In the meantime the other extremist crossed over the partition wall, entered the house of Massa Singh, bolted the door from inside and started firing from a window at the police party. In the meantime reinforcements arrived and after taking stock of the situation, it was decided to lob hand grenades in the room where the terrorist was hiding. Naik Jai Mini Dutt at great risk to his life crawled to the window from where the terrorist was firing and *lobbed one hand grenade* inside the room, but this did not produce the desired result, so Shri Dutt decided to lob grenades from the roof. Shri Dutt *climbed* the roof *of the house made holes in the roof and lobbed 4 more hand grenades inside* the room as a result the firing from the extremist stopped. On search of the room a dead body of a terrorist was found who was later identified as Jaspal Singh @ Jassa. One AK-47 rifle with 3 magazines, one mouser and 12 rounds of AK-47 rifle were recovered from the spot.

In this encounter Shri Sahib Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-3-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 18-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Gurdip Singh, (*Posthumous*)
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Batala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-9-92 information regarding presence of some dreaded terrorists in the area of Police Station Mour was received. Immediately, police parties were organised and the area of village Kamalu Swatch and Rajgarh Kube were cordoned and special operation launched in search of the terrorists. When the police party headed by Shri Major Singh, Dy. S.P. including Shri Gurdip Singh, ASI reached cotton field near a tubewell 'Koiha of one Bhag Singh r/o Kamalu, the terrorists hidden there opened heavy firing on them. The police party immediately took position and returned the fire. In the midst of indiscriminate firing from terrorists, ASI Gurdip Singh, successfully managed to reach near the terrorists. A tough encounter continued for about 3 hours. During the encounter, Shri Singh received serious bullet injuries. Even then he continued firing at the extremists till he breathed his last. In the encounter, in all there terrorists identified as Harbans Singh, Dr. Gurmail Singh & Jasbir Singh were killed and following arms and ammunition recovered :—

(i) 3×3 Rifles	2
(ii) Live ctgs. 3×3	29
(iii) 315 Rifles	1
(iv) Empties 315 bore	8

In this encounter Shri Gurdip Singh, Asstt. Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carrier with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-9-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 19-Pres/95.—The President is pleased award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Ram Pal Singh,
Supdt. of Police,
(Operations),
Sangrur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-9-1992, Shri Ram Pal Singh, Supdt. of Police (Operations), Sangrur planned a search operation in the area of Mastuana, P. S. Sadar, Sangrur. While carrying out search of Sugar-cane fields, the search party located some personal items in the middle of the sugar-cane fields. Shri Ram Pal Singh planned for thorough search of the area. At about 2.00 PM, when Shri Singh with his gunman and 5 sections of CRPF were advancing near the cotton fields, the terrorists hiding in the field opened heavy fire on the search party. Shri Singh and other party personnel, immediately took position and returned the fire. The terrorists threw hand-grenades on the search party and 5 CRPF personnel sustained splinter injuries. Shri Singh immediately changed his position in the midst of heavy exchange of fire and managed to reach near the terrorists position. He then fired at the terrorists effectively. The terrorists fired at Shri Singh and party indiscriminately in which Constable Patti Ram of CRPF was killed. Shri Singh again managed to reach near the terrorists position and threw hand-grenade in the fields. When the hand grenade exploded, the terrorists moved to another safer place. At this, Shri Singh quickly rolled over to another place and threw hand-grenade and fired at the terrorist, as a result one terrorist was killed.

After about two hours, the firing stopped. By this time it become dark, Shri Singh further tightened the cordon. In the early morning (28-9-1992), Shri Singh with his gunmen, searched the fields with the help of bullet-proof Tractor and recovered two dead bodies of terrorists. In the process, Shri Singh sensed the possibility of sneaking out of one terrorist from the inner cordon, he took a trail in the paddy field and advanced towards the suspected direction. While they were searching the fileds, the terrorist hiding in the paddy field, fired at the search party. Shri Singh with his gunmen took position and fired at the terrorist, thus this terrorist was also killed.

The three terrorists were identified as Kaur Singh, Lakhwinder Singh alias Lakha and Nirmal Singh alias Nimma. During search one GPM Gun, one 7.62 Rifle, one AK-47 Rifles and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Ram Pal Singh, Supdtt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-9-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 20-Pres/95—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Mohd. Mustafa,
Senior Supdt. of Police,
Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-12-1992 Shri Mohd. Mustafa, SSP, Ferozepur received an information about the movement of a gang of terrorists in the area of P. S. Makhu. Shri Mustafa alongwith two others, in civil dress, went to the suspected area with their Assault rifles concealed in Chaddars to check the presence of terrorists. After confirming personally, he returned to CIA Headquarters. Thereafter police parties encircled the area and the terrorists were caught unaware sitting in two groups—one near a Tubewell room and the other a little deep in the sugarcane field. On seeing the police, they started running helter-skelter. Shri Mustafa took stock of the situation and formed a small striking team. The team consisting of four Constables including Balbir Singh and Nasir Ali was led by Shri Mustafa. Two other teams were formed to assist the striking team and to give covering fire. The striking team first decided to take on the terrorists, who had taken shelter inside the Tubewell Room and the adjoining katcha drain. Shri Mustafa with his team managed to reach the spot from where they could hit the terrorists. The terrorists on seeing the police started firing towards them. Shri Mustafa alongwith Constable Balbir Singh and Constable Nasir Ali directed the fire at the terrorists and within 20 minutes the three terrorists in the drain were killed. Then this party changed their position and directed fire towards the terrorists hiding in the tubewell room. On realising that from this position, they can not hit the terrorist Shri Mustafa alongwith Constable Balbir Singh managed to reach behind the tubewell leaving other three members of the party at the same position. Realising that the only way to silence guns of terrorists in the tubewell room was to lob hand-grenades through the side windows, Shri Mustafa directed Constable Balbir Singh to brought handgrenades from other police party. Shri Mustafa, himself lobbed hand-grenades from the side window. After about half an hour he again lobbed 4-5 hand-grenades into the room. Thereafter, firing from the terrorists side stopped, Shri Mustafa and Balbir Singh went to the tubewell room and found 4 terrorists lying dead. In the meanwhile other re-inforcements and night lighting devices and bullet-proof tractors reached the spot. The entire area was fully lighted using the headlights of tractors and gypsies, positioned all around. While Shri Mustafa was busy in these arrangements, two terrorists emerged from the field and started running and tried to break the cordon from the Western Flank. The police party on that side headed by Deputy Supdt. of Police Zira, immediately reacted and gunned down both the terrorists.

At about 1.00 AM, on 2-12-92 Shri Mustafa reviewed and discusssed the entire situation with other officers and decided to slightly retreat from their position and observe the movement of terorists in the sugar-cane field. There was complete full for about one hour. Thereafter some terrorists started crawling out of the fields. They were fired upon by the police parties. The terrorists, took position against the elevated line of a sub-drain and returned the fire. The exchange of fire continued for more than an hour. Ultimately Shri Mustafa and his team members succeeded in killing all of them, who were later found to be five. Then Shri Mustafa, left his team and came to the North-East corner of the sugarcane field along the Bundh. In the meantime, one policeman, noticed the movement of some terrorists. They were slightly visible in the light of the head-lights of gypsy. Shri Mustafa took position behind a bullet-proof gypsy and warned the terrorists to surrender but they responded with fire from automatic weapons. Shri Mustafa fired at the terrorists and within no time killed both of them.

Shri Mustafa went around the encircled area to asscertain the alertness of his men, who were awake and in action throughout night. At about 4.45 AM, there was another round of hand-grenades lobbing and selective firing by the police personnel in the sugar-cane fields to check the presence of terrorists. Thereafter, Shri Mustafa himself drove one of the tractors with one Dy. SP and one Inspector. The bullet-proof tractor made a round and at one point, two terrorists, tried to run out fearing that they might not be crushed under the tractor. They were killed by the Dy. SP and the Inspector, with their guns. At about 7.30 AM a thorough search was carried out and one more dead body of a terrorist was found in the sugar-cane field. Thus in all 19 terrorists were killed in the encounter. During further seach, 7 AK Rifles with 15 magazines, 1 SLR with one magazine, 1 sten-gun with 2 magazines, two .303 Rifles, one .315 bore rifle one 7.62 bold

action rifle, one .455 foreign made revolver, one .32 bore revolver, one .30 bore pistol, 1 DBBL Gun, 3 SBBL Guns, 2 stick bombs, 8 Kg. explosive material 8 HE 36 hand-grenades and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Mohd. Mustafa, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-12-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 21-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Satish Kumar Sharma,
Senior Supdt. of Police,
Jalandhar.

Shri Harmail Singh,
Deputy Supdt. of Police (Rural),
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-10-1992, Shri S. K. Sharma, Senior Supdt. of Police received information that a group of armed terrorists were moved in Maruti Cars in the areas of P. S. Phillaur, Nurmahal and Goraye. Special Nakas and patrolling was organised. At about 5.30 AM, a naka party headed by Shri Harmail Singh Deputy Supdt. of Police which had laid an ambush at Tri-Canal Junction Bridge near Village Kang-Arayan noticed two Maruti Cars coming from the direction of Village Akalpura. When the cars reached near the naka party, they were signalled to stop. The drivers of the cars immediately turned their cars toward one side and the inmates sprang out with lightening speed and fired bursts from their automatic weapons at the naka party. As the naka party was already in position, it survived the first attack and returned the fire in self-defence. The terrorists ran in different directions and took position in the sugar-cane fields. Message about the incident was flashed by wireless to the Senior Officers. Thereafter, Shri Harmail Singh realising that the terrorists were trying to run away from the place of encounter, directed his party members to fire at the terrorists, to check their escape. In the exchange of fire two terrorists were killed. In the meantime, SHO P. S. Phillaur and Supdt. of Police, Jalandhar also reached the spot.

Shri Satish Kumar Sharma on receipt of the information reached the spot. Shri Sharma, assessed the situation and directed various parties to move tactically to cover all possible escape routes. Shri Sharma alongwith Head Constable Inderjit Singh moved towards the tubewell from where one terrorist was firing at the police party to enable other terrorists to escape. It was necessary to neutralise this terrorist, so that other terrorists could not escape. Shri Sharma, under the covering fire of Shri Harmail Singh advanced towards the tubewell. S/Shri Sharma and Inderjit Singh covered a long distance to reach near the terrorist, who had by then changed his position many times. When they reached near the terrorist, the terrorist noticed their movements and threw hand grenades on them. Both the grenades fired by the terrorist exploded but S./Shri Sharma and Inderjit Singh took position and escaped unhurt. Thereafter, Shri Sharma climbed on the roof of the tubewell room and directed aimed fired at the terrorist with his AK-47 Rifle and killed him.

Shri Harmail Singh and Head Constable Jagtar Singh moved from the left side to out-flank the three terrorists, who were firing at the police personnel with GPMG and AK-47 Rifles from the high rise crops. The terrorists fired a long burst of GPMG towards the police party. S/Shri Harmail Singh and Jagtar Singh rolled towards one side thus saved themselves from the burts fired from GPMG. Both braved the hostile fire of GPMG, took position and fired their rifles and silenced the terrorist, who was firing with GPMG. S/Shri Harmail Singh and Jagtar Singh then fired a burst and silenced another terrorist, who had taken position nearby. One terrorist was killed by SHO, P. S. Phillaur and his party.

Thereafter firing from the terrorists side stopped. Area was search and dead bodies of six terrorists were recovered. During further search 1 GPMG with Drum Magazine, 2 AK-47 Rifles with 5 Magazines, one .38 bore revolver, one 7.6 mm rifle, 1 Rocket Launcher with Rocket and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Satish Kumar Sharma, Senior Supdt. of Police and Harmail Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These aawards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-10-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 22-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Nirmal Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
3rd Commando Battalion,
Kathunangal.

Shri Sukhbir Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
3rd Commando Battalion,
Kathunangal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5-1-1993, SHO, P.S. Kathunangal received information that dreaded extremist Balwinder Singh alias Gulaba alongwith his associates is hiding in the house of one Kuldip Singh in Village Abdul. The SHO, immediately rushed to the village with a Police Contingent consisting of District Police and Commandos of 3rd Battalion (including S/Shri Balwant Singh, ASI Nirmal Singh, Head Constable and Sukhbir Singh, Head Constable). On reaching there, they cordoned the house where the extremists were reported to be hiding. Two police personnel climbed on the roof top of the house and challenged the inmates to come out and surrender. On this the extremists started firing with sophisticated weapons on the police party. ASI Balwant Singh alongwith S/Shri Sukhbir Singh, Nirmal Singh and Dharam Pal, Head Constable was covering the main gate of the house in order to prevent the escape of extremists. The police party immediately returned the fire in self defence and re-inforcement was also called.

In the meantime, two extremists came out running through the corridor towards the main gate in a bid to escape. *ASI Balwant Singh and HC Sukhbir Singh came across both the extremists and exchanged fire with them.* In the exchange of fire, S/Shri *Balwant Singh and Sukhbir Singh sustained bullet injuries.* However, withaut caring for their personal safety, they fought a pitched battle with the extremists and succeeded in killing both of them. HC *Sukhbir Singh succumbed* to his injuries on the spot whereas *ASI Balwant Singh fell unconcious on the ground.*

In the meanwhile, firing continued from inside the house through one of the windows. The intensity of the terrorists fire was so heavy that no person dared to advance. Meanwhile, the re-inforcement also reached the spot. Head Constable Nirmal Singh, who was also positioned at the main gate managed to reach near the window. After reaching there, Shri Nirmal Singh spotted one extremist, and *fired at him.* Simultaneously, the extremist also fired at Nirmal Singh. In the process, HC Nirmal Singh *sustained serious bullet injuries,* but he continued firing at the extremist till he *fell down and breathed his last.* Thereafter firing from the extremists side stopped. During search, three dead bodies *of extremists were recovered.* The dead extremists were later identified as Balwant Singh alias Gulaba (Lt. Genl. of Babbar Khalsa Organisation), Jaswant Singh and Sukhdev Singh alias Suhaga. During further search one GPMG, one AK-47 Rifle and one SLR alongwith large number of empty/live cartridges were recovered from the place of encounter. In the encounter S/ Shri Dharam Pal and Jasbir Singh, Constables were also injured and both have been given out-of-turn promotion. The other police personnel, who took active part in the encounter have been granted promotions/Commendation Certificates.

In this encounter S/Shri Nirmal Singh and Sukhbir Singh, Head Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 23-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Paramjit Singh Gill,
Senior Supdt. of Police,
Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-4-1992, SHO, P.S. Kathu Nangal got information about the presence of extremist in village Kotli Dhole Shah. He immediately informed Shri Paramjit Singh Gill, senior Supdt. of Police, SP (Operations) Shri Banga and SP Headquarters. Shri H. S. Randhawa. All these officers alongwith their gunmen and CRPF personnel reached the hiding place. Shri Gill after reaching village Kotli Dhole Shah, too over the command of operation on and directected different parties with officers to cordon the house of one Surinder Singh, which was located in the Centre of the Village.

After the cordon was completed shri Gill climbed on the roof top of the house in which the extremists were hiding. He challenged the extremists to surrender but the extremists started indiscriminate firing with automatic weapons in the direction of Shri Gill. He immediately asked his party personnel to return the fire. This information was given to Military and Rastrya Rifles, they reached the spot. The extremists had taken position in the paccaroom, therefore, the fire of the security forces was not effective. Shri Gill changed the strategy and directed his gunman to dug holes in the roof. While they were doing so under the supervision of Shri Gill, once again heavy volume of fire came through the holes and doors of the house. Shri Gill thereupon lobbed hand grenades in the room in order to pin down the extremists. During this process of firing and lobbing of grenades, SP(OPS) Majitha, his gunman and two Army personnel were injured when they were trying to move towards the extremists. They were immediately rushed to Hospital at Amritsar for treatment.

Thereafter, Shri Gill and his party changed their position and fired effectively from all directions on the extremists and threw hand-grenades. He kept on moving from one place to another very bravely while guiding all the personnel who took part in the encounter. At about 4.00P.M. the household goods caught fire when many hand grenades were thrown inside by Punjab Police, CRPF and Army personnel. After Sometime, firing from the extremists stopped. Shri Gill personally led the assault and searched all the rooms of the house. During search three dead bodies of extremists were recovered, who were identified as Hardev Singh alias Kalia (Self styled Lt. Genl. of BTFK); Gian Singh alias Chacha and Jagat Singh alias Jaga. They were responsible for many killings and other extremist crimes. During search 2 AK-47 Rifles one Mouser Pistol and late quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Paramjit Singh Gill, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-4-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 24-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Balbir Singh,
Constable,
Ferozepur.
Shri Nasir Ali,
Constable,
Ferozopur,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-12-1992 Shri Mohd. Mustafa, SSP, Ferozepur received an information about the movement of a gang of terrorists in the area of P.S. Makhu. Shri Mustafa alongwith two others, in civil dress, went to the suspected area with their Assault rifles concealed in Chaddars to check the presence of terrorists. After confirming personally, he returned to CIA Headquarters. Thereafter police parties encircled the area and the terrorists were caught unaware sitting in two groups—one near a Tubewell room and the other a little deep in the sugarcane field. On seeing the police, they started running helter-skelter. Shri Mustafa took stock of the situation and formed a small striking team. The team consisting of four Constables including Balbir Singh and Nasir Ali was led by Shri Mustafa. Two other teams were formed to assist the striking team and to give covering fire. The striking team first decided to take on the terrorists, who had taken shelter inside the Tubewell Room and the adjoining Kacha drain. Shri Mustafa with his team managed to reach the spot from where they could hit the terrorists. The terrorists on seeing the police started firing towards them. Shri Mustafa alongwith Constable Balbir Singh and Constable Nasir Ali directed the fire at the terrorists and within 20 minutes the three terrorists in the drain were killed. Then this party changed their position and directed fire towards the terrorists hiding in the tubewell room. On realising that from this position, they can not hit the terrorist Shri Mustafa alongwith Constable Balbir Singh managed to reach behind the tubewell leaving other three members of the party at the same position. Realising that the only way to silence

guns of terrorists in the tubewell room was to lob hand-grenades through the side windows, Shri Mustafa directed Constable Balbir Singh to brought hand-grenades from other police party. Shri Mustafa, himself lobbed hand-grenades from the side window. After about half an hour he again lobbed 4-5 hand-grenades into the room. Thereafter, firing from the terrorists side stopped, Shri Mustafa and Balbir Singh went to the tubewell room and found 4 terrorists lying dead. In the meanwhile other re-inforcements and night lighting devices and bullet-proof tractors reached the spot. The entire area was fully lighted using the head-lights of tractors and gypsies, positioned all around. While Shri Mustafa was busy in these arrangements, two terrorists emerged from the field and started running and tried to break the cordon from the Western Flank. The police party on that side headed by Deputy Supdt. of Police Zira, immediately reacted and gunned down both the terrorists.

At about 1.00 A.M., on 2-12-92 Shri Mustafa reviewed and discussed the entire situation with other officers and decided to slightly retreat from their position and observe the movements of terrorists in the sugar-cane field. There was complete lull for about one hour. Thereafter some terrorists started crawling out of the fields. They were fired upon by the police parties. The terrorists, took position against the elevated line of a sub-drain and returned the fire. The exchange of fire continued for more than an hour. Ultimately Shri Mustafa and his team members succeeded in killing all of them, who were later found to be five. Then Shri Mustafa, left his team and came to the North-East corner of the sugar-cane field along the Bundh. In the meantime, one policeman, noticed the movement of some terrorists. They were slightly visible in the light of the head-lights of gypsy. Shri Mustafa took position behind a bullet-proof gypsy and warned the terrorists to surrender but they responded with fire from automatic weapons. Shri Mustafa fired at the terrorists and within no time killed both of them.

Shri Mustafa went around the encircled area to ascertain the alertness of his men, who were awake and in action throughout night. At about 4.45 A.M., there was another round of hand-grenades lobbing and selective firing by the police personnel in the sugarcane fields to check the presence of terrorists. Thereafter, Shri Mustafa himself drove one of the tractors with one Dy. S. P. and one Inspector. The bullet-proof tractor made a round and at one point, two terrorists, tried to run out fearing that they might not be crushed under the tractor. They were killed by the Dy. SP. and the Inspector, with their guns. At about 7.30 A.M. a thorough search was carried out and one more dead body of a terrorist was found in the sugar-cane field. Thus in all 19 terrorists were killed in the encounter. During further search, 7 AK Rifles with 15 magazines, 1 SLR with one magazine, 1 sten-gun with 2 magazines, two 303 Rifles, one .315 bore rifle, one 7.62 bold action rifle, one .455 foreign made revolver, one .32 bore revolver, one .30 bore pistol, 1 DBBL Gun, 2 SBBL Guns, 2 stick bombs, 8 Kg, explosive material, 8 HE 36 hand-grenades and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Balbir Singh, Constable and Nasir Ali, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-12-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 25-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Hardeep Singh Dhillon,
Senior Supdt. of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri H. S. Dhillon, SSP, Amritsar, received information that Sukhdev Singh, alias Sukha Chachowalia, a top hardcore terrorist and Chief Commander of Babbar Khalsa International was seen moving in the area of Police Station Gharinda. Following this information he activated his sources. On 3-1-1994 at about 10.15 P.M., Shri Dhillon received information that three extremists armed with automatic weapons were moving in the areas of Villages Ranike and Chogawan. Shri Dhillon rushed to the area with his gunmen. Enroute he flashed message to other officers to reach village Ranike. SHO, P. S. Gharinda was first to response and joined the SSP at Amritsar-Attari G.T. Road at the crossing of Village Chogawan. As they reached the drain bridge of Village Ranike, the extremists taking advantage of drain embankment and pitch dark, opened heavy fire on the police vehicles. A volley of shots hit the front portion of the gypsy of Shri Dhillon. Shri Dhillon and his gunmen immediately flung into action, took position behind the GT Road side embankment of the drain and returned the fire. The extremists had entranched themselves behind the Chogawan side embankment of the drain and they were firing with automatic weapons and also lobbed grenades. Shri Dhillon and his party could not hit the target. Shri Dhillon went ahead along the embankment for about 20 yards in the face of heavy fire from the extremists and ordered SHO P.S. Gharinda to keep on firing at the extremists from his position. Two Head Constables followed Shri Dhillon and there, this party fired at the extremists. Even the firing by Shri Dhillon and party did not prove effective. Realising the situation, Shri Dhillon decided to leave his position and got into dry bed of the drain and crossed over the other side of drain from where the extremists were firing at the police. Shri Dhillon ordered SHO P.S. Gharinda to kept on engaging the extremists. He got into the dry bed of the drain and crossed over to the other side of the drain un-noticed. He stealthily inched towards the position of the extremists under the cover of Sarkanda. One of the extremists realising some movement behind him, turned around and fired a burst from his GPMG, which narrowly missed Shri Dhillon. Shri Dhillon fired a volley of bullets from his carbine which hit the extremist on his face and chest and killed him on the spot. The killed terrorist was later identified as Sukhdev Singh alias Sukha Chachowlia, a dreaded hard-core Majha Zone Chief of Babber Khalsa International. He was responsible for more than 35 cases of killings, bomb blasts and ambushes on para-military forces. However, the other two extremists managed to escape under the cover of darkness. During search one GPMG, 2 Drum Magazines, 2 Hand-grenades, 10 meters Cordex Wire, 10 Electric Detonators, 20 Dynamite sticks and about 200 live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Hardeep Singh Dhillon, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made fo rgallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-1-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 26-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Inderjit Singh,
Head Constable,
Jalandhar.

Shri Jagtar Singh,
Head Constable,
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-10-1992, Shri S. K. Sharma, Senior Supdt. of Police received information that a group of armed terrorists were moving in Maruti Cars in the areas of P.S. Phillaur, Nurmahal and Goraye. Special Nakas and patrolling was organised. At about 5.30 AM, a naka party headed by Shri Harmail Singh, Deputy Supdt. of Police which had laid an ambush at Tri-Canal Junction Bridge near Village Kang-Arayan, noticed two Maruti Cars coming from the direction of Village Akalpura. When the cars reached near the naka party, they were signalled to stop. The drivers of the cars immediately turned their cars towards one side and the inmates sprang out with lightening speed and fired bursts from their automatic weapons at the naka party. As the naka party was already in position, it survived the first attack and returned the fire in self-defence. The terrorists ran in different directions and took position in the sugar-cane fields. Message about the incident was flashed by wireless to the Senior Officers. Thereafter, Shri Harmail Singh realising that the terrorists were trying to run away from the place of encounter, directed his party members to fire at the terrorists, to check their escape. In the exchange of fire two terrorists were killed. In the meantime, SHO P.S. Phillaur and Supdt. of Police, Jalandhar also reached the spot.

Shri Satish Kumar Sharma on receipt of the information reached the spot. Shri Sharma, assessed the situation and directed various parties to move tactically to cover all possible escape routes. Shri Sharma alongwith Head Constable Inderjit Singh moved towards the tubewell from where one terrorist was firing at the police party to enable other terrorists to escape. It was necessary to neutralise this terrorist, so that other terrorists could not escape. Shri Sharma, under the covering fire of Shri Harmail Singh advanced towards the tubewell. S/Shri Sharma and Inderjit Singh covered a long distance to reach near the terrorist, who had by then changed his position many times. When they reached near the terrorist, the terrorist noticed their movements and threw hand-grenades on them. Both the grenades fired by the terrorist exploded but S/Shri Sharma and Inderjit Singh took position and escaped unhurt. Thereafter, Shri Sharma climbed on the roof of the tubewell room and directed aimed fired at the terrorist with his AK-47 Rifle and killed him.

Shri Harmail Singh and Head Constable Jagtar Singh moved from the left side to out-flank the three terrorists, who were firing at the police personnel with GPMG and AK-47 Rifles from the high rise crops. The terrorists fired a long burst of GPMG towards the police party. S/Shri Harmail Singh and Jagtar Singh rolled towards one side, thus saved themselves from the burst fired from GPMG. Both braved the hostile fire of GPMG, took position and fired their rifles and silenced the terrorist, who was firing with GPMG. S/Shri Harmail Singh and Jagtar Singh then fired a burst and silenced another terrorist, who had taken position nearby. One terrorist was killed by SHO, P.S. Phillaur and his party.

Thereafter firing from the terrorists side stopped. Area was search and dead bodies of six terrorists were recovered. During further search 1 GPMG with Drum Magazine, 2 AK-47 Rifles with 5 Magazines, one .38 bore revolver, one 7.65 mm rifle, 1 Rocket Launcher with Rocket and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Inderjit Singh and Jagtar Singh, Head Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-10-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 27-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rajbir Singh,
A.S.I. of Police,
(now Sub-Inspector),
District Faridkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-1-1993, SSP, Faridkot received information about the movement of terrorists in the area of P.S. Jaito. As a follow-up action, ASI Rajbir Singh, CIA Staff, Faridkot formed a special police party consisting of CRPF personnel and proceeded for patrolling towards villages Mallan and Chanian in the area of P. S. Jaito. When the police party reached near the drain they saw a person coming from the left side. Shri Rajbir Singh stopped his jeep to verify the identity of the person but the person immediately opened fire with his revolver. ASI Rajbir Singh and other police personnel got down from the vehicle and took positions. The terrorist also positioned himself in the nearby drain. The police party advanced by crawling and strategically positioned itself. ASI Rajbir Singh challenged the terrorist to surrender but he again fired on the police party. As a result of cross firing, one bullet hit ASI Rajbir Singh on his right hand. Shri Singh without caring for his personal safety, took the weapon in his left hand and directed the party personnel to cordon the assailant. The terrorist again fired on the police party from close range. ASI Rajbir Singh in a swift action returned the fire and directed his men to lob grenades on the assailant. However, this could not harm the terrorist. Then ASI Rajbir Singh in a monkey crawl position reached near the terrorist. The terrorist aimed at ASI Rajbir Singh but before he could fire, Shri Singh fired at the terrorist as a result of which the terrorist got injured and fell down in a ditch. The terrorist then consumed some poisonous substance and died. The dead terrorist was later identified as Rajbir Singh alias Jassi alias Bachhi. He was a hardcore terrorist of Khalistan Commando Force (Panjwar Group) carrying a cash reward of Rs. 5 lakhs on his head and was involved in 39 cases of heinous crimes of killing, snatching and extortion etc. During search one .32 bore revolver with 2 live cartridges were recovered from the dead terrorist.

In this encounter Shri Rajbir Singh, A.S.I. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 28-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri H. S. Randhawa,
Supdt. of Police, Headquarters,
Majitha.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-7-1992 SHO P.S. Lopoke received information that members of Babbar Khalsa Organisation were hiding in the farm houses of village Kalowal. He alongwith force reached there and started search. When the police party was carrying out search near the farm-house of one Mewa Singh Jat, they noticed three suspected persons armed with Assault Rifles. On seeing the police party, two

extremists slipped into the field to the west of the farm while the third entered the 'Chari' field towards the east. SHO, P.S. Lopoke alongwith police force chased the extremists, who was hiding in the 'Chari' field and the remaining two were chased by Sub-Inspector and party. In the meantime, police party cordoned the village and SSP Majitha and SP, Hqrs, Majitha were informed on wireless set and requested for reinforcement.

On receipt of this information, SSP Majitha alongwith Shri H. S. Randhawa, SP, Hqrs., Majitha and 7 Bn., CRPF. under Shri R.S.H.S. Sahota, 2 I/C and force including Constable Tribhuvan Singh reached the spot. On reaching there, the police parties challenged the terrorist to surrender but he opened heavy fire on the police parties. Realising the gravity of the situation, it was decided to confront the terrorist in bullet proof tractor. Shri Randhawa, SP mounted the bullet proof tractor and entered the field where the terrorist was hiding but the extremist opened fire on the tractor. Shri Randhawa unmindful of his personal safety and security fired back on the extremist who was killed by the effectively firing of Shri Randhawa.

After the killing of the first extremist, the police party went to village Kalowal in search of remaining two extremists, who managed to escape from the place of encounter. The extremists on seeing the police party returned the fire in self defence. In the meantime the extremists managed to enter the house of one Anoop Singh and kept on firing on the police party. Shri Sahota, 2-I/C of 7 Bn., CRPF seeing the extremists entering the house and realising that the terrorist was well entrenched and any amount of firing would not yield the desired result, decided to lob hand grenades. Shri Sahota alongwith Constable Tribhuvan Singh and other personnel advanced under heavy fire and under cover fire from own force, took position behind the walls of western side and lobbed 3 grenades inside the compound forcing the terrorists to take shelter inside the rooms. Shri Sahota alongwith Constable Tribhuvan Singh climbed the roof top, took lying position and fired at the terrorists in order to confine them to one room, Shri Sahota and Shri Tribhuvan Singh dug holes in the roof to lob grenades, but on completion of digging of holes in the roof, the terroris's projected barrel of assault rifle and fired at Shri Sahota and his man on the roof. On throwing of grenades, the terrorist moved from one room to the other and as grenades exhausted Constable Tribhuvan *risked his life in the* face of heavy fire and brought more grenades from the cordon party and lobbed 3 more grenades inside the room and simultaneously fired inside which resulted in injuring the terrorist. After sometime Shri Sahota and Constable Tribhuvan Singh came down from the roof to clear the room and in the process the injured terrorist opened fire at Shri Sahota, Shri Sahota moved to other side and fired at the terrorist with his AK-47 and killed him. The two killed terrorists were identified as Kashmir Singh @ Sheera who was responsible for over 200 killings and the second as Amrik Singh a hard core terrorist of Babbar Khalsa. Two AK-47 rifles alongwith 4 magazines and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the killed terrorists. However, the third terrorist managed to escape under the cover of crops.

In this encounter Shri H. S. Randhawa, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-7-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 29-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Narinder Bhargava,
Supdt. of Police, Detective,
District Fatehgarh Sahib.

Shri Gurdev Singh,
Deputy Supdt. of Police,
District Fatehgarh Sahib.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 9-8-1993 information was received about the movement of terrorist, Baldev Singh Hawra and his group in Village Gagganwal Shri Gurdev Singh, Dy. S.P. Khammano passed on this information to Shri Narinder Bhargava, SP, Detective, Fatehgarh Sahib and in the meantime rushed to the spot alongwith available force including four Sections of CRPF consisting of Naik Raghubir Singh and Constable V. S. Salunkhe among others and laid cordon around the sugarcane field where the terrorists were trapped. As the police parties started search of the area, the terrorists suddenly opened fire on the police parties. Shri Bhargava, reached the spot alongwith additional force and after taking stock of the situation, decided to search the area of village Gaggarwal. He divided the police force into 7 parties and started search from village Sidhpur side. As the police parties under Shri Bhargava and Shri Gurdev Singh reached near the sugarcane field, the terrorists started heavy firing on the police parties. Shri Bhargava immediately instructed the police parties to take lying position and open fire in self defence, while Shri Bhargava and Shri Gurdev also opened fire at the terrorists. In the exchange of fire two Punjab police personnel who were in the forefront were seriously injured. At this juncture, Shri Salunkhe, retaliated the fire on the terrorists who tried to break the police cordon and at the same time Shri Salunkhe sounded his mates to shift the injured. Shri Bhargava and Shri Gurdev Singh, putting their lives to great risk in the face of heavy fire from automatic weapons, crawled towards the injured police personnel and moved them to safety and rushed them to hospital. Shri Salunkhe had by then kept the terrorists pinned, but as he jumped from one place to another for more effective firing, he was hit by the bullets from the terrorists AK-56 rifle and was grievously hurt, but he maintained his hold till he was evacuated to hospital (succumbed to injuries on the way) Shri Bhargava having assessed the situation informed SSP, Fatehgarh Sahib and requested for bullet proof tractors and in the meantime he alongwith Shri Gurdev Singh returned the fire from their AK-47 rifles. On arrival of the bullet proof tractors, Shri Bhargava, Shri Gurdev Singh and Shri Raghubir Singh mounted the bullet proof tractors alongwith other personnel and entered the sugarcane fields. As the tractors entered the field, the terrorists in hiding, opened heavy fire at the tractors, which resulted in bursting of tyres and immobilised the tractors and personnel inside the tractors received bullet injuries. Shri Raghubir Singh noticed one terrorist armed with AK-56 rifle in his hand sheltering on the side of bullet proof tractor. Shri Raghubir Singh appreciating the situation, jumped out of the tractor and grappled with the terrorist to secure his arrest. Shri Raghubir Singh bravely grappled with the terrorists, but the terrorist suddenly slipped out from the clutches of Shri Raghubir Singh. The terrorist opened burst fire from his AK-56 rifle at Shri Rabhubir Singh, resulting in severe injuries. In the meantime Shri Raghubir Singh even though in injured condition charges at the terrorist with his SLR, while the other personnel also opened fire at the terrorist and killed him on the spot. Shri Raghubir Singh who was severely injured subsequently succumbed to his injuries. The dead terrorist was identified as Didar Singh @ Dari who carried a reward of Rs. 10 lakhs. One AK-56 Assault rifle with 3 magazines and live rounds were recovered from the dead terrorist.

In this encounter Shri Narinder Bhargava, Supdt. of Police and Shri Gurdev Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9-8-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 30-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Jasminder Singh,
Senior Supdt. of Police,
Sangrur.

Shri Sukhwinder Singh,
Constable,
Sangrur.

Shri Salwant Singh,
Constable,
Sangrur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-6-1993 at about 5.00 AM, Shri Jasminder Singh, SSP, Sangrur received information that some terrorists were moving in the area of Village Mour, P.S. Sunam, District Sangrur. He immediately directed Shri Rampal Singh, SP (Operations) and SP (Detective) to reach the village. On reaching there, Shri Jasminder Singh formed three parties, one under his own command, second under SP (Detective) and third under Shri Rampal Singh, SP (Operations). After deploying the force, search operation was started from three sides and re-inforcement were also requisitioned. Constable Salwant Singh of the first party noticed an armed person entering a house. Shri Jasminder Singh directed his party to cordon the house and also asked the others to reach that place. SP (Detective) and his party was deployed on the roof of the house. Shri Jasminder Singh and Shri Ramphal Singh entered the house from left and right side to search the house. When the assault groups moved further, the terrorists opened heavy fire, which was retaliated. Shri Jasminder Singh also directed on wireless to start LMG fire. Suddenly, the terrorists lobbed two hand grenades from the windows on both the assault groups, as a result of which S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh and Constable Salwant Singh sustained splinter injuries. Shri Jasminder Singh alongwith Constable Salwant Singh, managed to reach a strategic location behind a pillar and started effective fire. Shri Rampal Singh, rolled over to a suitable cover near the window on the other side of the house. Shri Jasminder Singh directed all the groups to continue fire and supply hand-grenades to both the assault groups. Under covering fire S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh, Constable Salwant Singh and Sukhwinder Singh, moved towards the windows of both the rooms from where the firing was coming. As these groups were advancing, the terrorists again opened fire but in the process Constable Sukhwinder Singh got injured. Inspite of injuries, he advanced further and reached near the window. Shri Jasminder Singh lobbed hand-grenades in the room through the window. The terrorists again fired but Shri Jasminder Singh lobbed grenades inside the room. In the meantime Shri Rampal Singh, in the midst of exchange of fire managed to reach near the other room and lobbed a hand-grenade through the window. Shri Jasminder Singh also reach near the room, and lobbed two more hand-grenades through the window. After some time, when the dust and smoke of hand-grenades settled down. S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh, Constable Salwant Singh and Constable Sukhwinder Singh entered the room and found two dead bodies of terrorists, who were later identified as Harcharan Singh alias Bhola and Balwant Singh alias Balbir Singh alias Kaku. During search one AK-47 Assault Rifle, one .315 bore Rifle alongwith large quantity of ammunition were also recovered.

In this encounter S/Shri Jasminder Singh, Senior Supdt. of Police, Sukhwinder Singh and Salwant Singh, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 31-Pres/95.—The President pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Barma Singh,
Head Constable,
Gunman to S. P. (Operations),
Ropar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-3-1993, two terrorists fired on the liquor vend at Kurali and escaped on a Scooter towards P. S. Morinda. On getting this information, Shri S. P. S. Basra, SP (Operations), Ropar alongwith his gunman (including Head Constable Barma Singh) started search of terrorists. Direction were also given to the Officers in the adjoining areas to intercept the terrorists. Shri Basra alongwith his party went on the 'Kacha' link road between Villages Khabra and Goslan. On the way Shri Basra saw two persons coming on a scooter from opposite side. On seeing the police, they abandoned the scooter and ran towards the fields. Immediately, Shri Basra got down from his Gypsy and started chasing the fleeing terrorists. When Shri Basra challenged them to stop, they started firing on the police party. Shri Basra divided his gunman into two parties, one under his own command and the other under the command of Head Constable Barma Singh and directed them to cordon the escaping terrorists. By this time, the terrorists entered the sugarcane fields and started firing and tried to escape. Shri Basra, after assessing the situation entered the sugarcane fields and engaged one terrorist with his firing. In the meantime the other terrorist escaped out of the sugar-cane fields. Shri Basra ordered the party of Shri Barma Singh to chase the second terrorists. As the party of Shri Basra advanced further, the terrorist fired on them. When the party was about 15—20 yards away from the terrorist, the terrorist lobbed a hand-grenade but the police personnel escaped unhurt as they took position in time. Even in such a vulnerable situation, Shri Basra took position behind a small sand-dune. Without losing his nerves Shri Basra moved further to catch the terrorist and ordered his men to keep the terrorist engaged in firing. Sensing that he is being cordoned, the terrorist made a desperate attempt to escape in the direction of adpoining sugarcane field. Shri Basra ran after the terrorist and pounced on him and a scuffle took place between them but the terrorist managed to free himself and tried to escape. On this, Shri Basra fired at the terrorist and killed him on the spot.

The second party led by Shri Barma Singh managed to reach near the second terrorist. By this time, the party led by SHO, P. S. Morinda came from the opposite side. At this, the terrorist tried to turn back. On seeing this, Shri Barma Singh took position in the way of the escaping terrorist. When Shri Barma Singh was about 15—20 steps away from the terrorist, the terrorist fired on him from his revolver. Shri Barma Singh showed quick reflexes and jumped in one direction and saved himself. Then, immediately Shri Barma Singh fired back on the terrorist and killed him on the spot.

The killed terrorists were later identified as Major Khan alias Major Singh alias Maji (Lt. Genl. of Babbar Khalsa International, a listed hard-core terrorist and was involved in a number of cases of murders—including the murder of Mr. Manchanda, Director of All India Radio, Patiala) and Iqbal Singh alias Bala (a listed non-hardcore terrorist). During search one Pistol, one Revolver, 4 Splinters stick Grenades and one Scooter were recovered from the dead terrorists.

In this encounter Shri Barma Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-3-1993.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 32-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Balwant Singh,
A. S. I. of Police,
3rd Commando Battalion,
Kathunangal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5-1-1993, SHO, P. S. Kathunangal received information that deaded extremist Balwinder Singh alias Gulaba alongwith his associates is hiding in the house of one Kuldip Singh in Village Abdul. The SHO, immediately rushed to the village with a Police Contingent consisting of District Police and Cammandos of 3rd Battalion (including S/Shri Balwant Singh, ASI, Nirmal Singh, Head Constable and Sukhbir Singh, Head Constable). On reaching there, they cordoned the house where the extremists were reported to be hiding. Two police personnel climed on the roof top of the house and challenged the inmates to come out and surrender. On this the extremists started firing with sophisticated weapons on the police party. ASI Balwant Singh alongwith S/Shri Sukhbir Singh, Nirmal Singh and Dharam Pal, Head Constables was covering the main gate of the house in order to prevent the escape of extremists. The police party immediately returned the fire in self defence and re-inforcement was also called.

In the meantime, two extremists came out running through the corridor towards the main gate in a bid to escape. *ASI Balwant Singh and HC Sukhbir Singh came across both the extremists and exchanged fire with them. In the exchange of fire, S/Shri Balwant Singh and Sukhbir Singh sustained bullet injuries.* However, without caring for their personal safety, they fought a pitched battle with the extremists and succeeded in killing both of them. *HC Sukhbir Singh succumbed* to his injuries on the spot whereas ASI *Balwant Singh fell unconcious on the ground.*

In the meanwhile, firing continued from inside the house through one of the windows. The intensity of the terrorists fire was so heavy that no person dared to advance. Meanwhile, the re-inforcement also reached the spot. Head Constable Nirmal Singh, who was also positioned at the main gate managed to reach near the window. After reaching there, Shri Nirmal Singh spotted one extremist, and *fired at him.* Simultaneously, the extremist also fired at Nirmal Singh. In the process, HC Nirmal Singh *sustained serious bullet injuries,* but he continued firing at the extremist till he *fell down and breathed his last.* Thereafter firing from the *extremists* side stopped. During search, three dead bodies of *extremists were recovered.* The dead extremists were later identified as Balwinder Singh alias Gulaba (Lt. Genl. of Babbar Khalsa Organisation), Jaswant Singh and Sukhdev Singh alias Suhaga. During further search one GPMG, one AK-47 Rifle and one SLR alongwith large number of empty/live cartridges were recovered from the place of encounter. In the encounter S/Shri Dharam Pal and Jasbir Singh, Constables were also injured and both have been given out-of-turn promotion. The other police personnel, who took active part in the encounter have been granted promotions/Commendation Certificates.

In this encounter Shri Balwant Singh, A. S. I. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 33-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Rajinder Singh,
Sub-Inspector of Police,
SHO, P. S. Sadar Mukatsar.

Shri Baljinder Singh,
Constable,
District Faridkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-11-1992, Deputy Supdt. of Police, Mukatsar and Sub-Inspector Rajinder Singh, SHO P. S. Sadar Mukatsar received information that some dreaded extremists were hiding in the cotton fields of one Bakhtawar Singh, Village Khunda Halal. They immediately reached there alongwith available force and started search of the cotton fields. Wireless Message was also flashed to DSP, Malout and SHO Kot Bhai to reach the spot alongwith force. An Army contingent and Police force alongwith CRPF personnel under the command of SP (OPS) and SP (Detective) reached the spot. The entire force was divided into different parties and started search with the help of bullet-proof Gypsies. When the police party headed by SI Rajinder Singh entered the cotton fields, one extremist while firing with his AK-47 rifle on the police party was seen advancing towards the Gypsies. The police party also returned the fire. In the exchange of fire the extremist was killed. In the meantime, DSP, Moga alongwith S/Shri Gurdip Chand, Gurpiar Singh and Baljinder Singh Constables reached the spot. When this party was standing near the cotton fields, they were fired upon by the extremist. The party in bullet-proof Gypsy advanced towards the extremists while firing. They saw one extremist approaching them while firing. The DSP, Moga ordered him to surrender but the extremist took position and fired a burst on the engine of the vehicle, which stopped. The extremist climbed on the bonet of the Gypsy and fired one burst into the vehicle. On this Constable Baljinder Singh jumped from Gypsy, aimed the butt of his ALR at the head of the extremist, the butt was broken. The extremist fired one more burst. Shri Rajinder Singh pounced on the extremist and engaged him in a scuffle. In the meantime, S/Shri Gurdip Chand and Gurpiar Singh came down and took position. At that time, firing from the other side of the field started, as a result S/Shri Gurpiar Singh, Gurdip Chand and Baljinder Singh were injured. Seeing this Sub-Inspector Rajinder Singh fired on the extremist with his revolver and shot him dead. Then SI Rajinder Singh tried to take all the injured Constables to a safer place. Suddenly two extremists started heavy firing. Inspite of injuries, all the injured constables returned the fire and managed to reach near the extremists. They noticed both the extremists lying dead. Thereafter, other extremists threw a hand-grenade on S/Shri Gurdip Chand, Gurpiar Singh and Baljinder Singh and also fired heavily on them. As a result, the condition of two constables became serious, seeing this, SP (OPS) approached the injured Constables in a bullet-proof Gypsy in the covering fire and brought them out and sent them to hospital. However, Constable Gurpiar Singh and Gurdip Chand succumbed to their injuries on way to hospital.

At about 4.30 PM, search of cotton fields was again started under the supervision of SP (Detective). Two extremists started heavy fire on the police party and the police party returned the fire. Constable Reddy of CRPF killed one of the extremists, though he hemself was seriously injured and later died. The other extremist was killed in the exchange of fire. The DSP, Mukatsar and SHO P. S. Kot Bhai moved towards the opposite side under the covering fire and fired on the extremists. The extremists threw a hand-grenade on the police party. The police party also threw hand-grenades and fired on the extremists. When the firing from the extremists side stopped, two more dead bodies were recovered.

At this stage, SSP, Faridkot also reached the spot and assessed the situation. He re-organised the force and divided it into four parties. The parties started the search with bullet proof vehicles. The extremists kept on firing on the vehicles. The police parties also returned the fire. There-

after firing from the extremists stopped and on search of the area two dead bodies of extremists were recovered. Thus, in the encounter in all 10 extremists were killed. During further search 5 Assault Rifles, one Rocket Launcher, Two stick Bombs, three .12 bore guns, two .303 bore Rifles and also large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Rajinder Singh, Sub-Inspector of Police and Baljinder Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18-11-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 34-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Pujab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. P. S. Basra,
Supdt. of Police,
Operations,
Ropar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-3-1993, two terrorists fired on the liquor vend at Kurali and escaped on a Sector towards P. S. Morinda. On getting this information, Shri S. P. S. Basra, SP (Operations), Ropar alongwith his gunmen (including Head Constable Barma Singh) started search of terrorists. Direction were also given to the Officers in the adjoining areas to intercept the terrorists. Shri Basra alongwith his party went on the 'Kacha' link road between Villages Khabra and Goslan. On the way Shri Basra saw two persons coming on a scooter from opposite side. On seeing the police, they abandoned the scooter and ran towards the fields. Immediately, Shri Basra got down from his Gypsy and started chasing the fleeing terrorists. When Shri Basra challenged them to stop, they started firing on the police party. Shri Basra divided his gunmen into two parties, one under his own command and the other under the command of Head Constable Barma Singh and directed them to cordon the escaping terrorists. By this time, the terrorists entered the sugarcane fields and started firing and tried to escape. Shri Basra, after assessing the situation entered the sugarcane fields and engaged one terrorist with his firing. In the meantime the other terrorist escaped out of the sugar cane fields. Shri Basra ordered the party of Shri Barma Singh to chase the second terrorists. As the party of Shri Basra advanced further, the terrorist fired on them. When the party was about 15—20 yards away from the terrorist, the terrorist lobbod a hand-grenade but the police personnel escaped unhurt as they took position in time. Even in such a vulnerable situation, Shri Basra took position behind a small sand-due. Without losing his nerves, Shri Basra moved further to catch the terrorists and ordered him men to keep the terrorist engaged in firing. Sensing that he is being cordoned, the terrorists made a desperate attempt to escape in the direction of adjtioning sugar cane field. Shri Basra ran after the terrorist and pounced on him and a scuffle took place between them but the terrorist managed to free himself and tried to escape. On this, Shri Basra fired at the terrorist and killed his on the spot.

The second party led by Shri Barma Singh managed to reach near the second terrorist. By this time, the party led by SHO, P.S. Morinda came from the opposite side. At this, the terrorist tried to turn back. On seeing this, Shri Barma Singh took position in the way of the escaping terrorist. When Shri Barma Singh was about 15—20 steps away from the terrorist, the terrorist fired on him from his revolver. Shri Barma Singh showed quick reflexes and jumped in one direction and saved himself. Then, immediately Shri Barma Singh fired back on the terrorist and killed him on the spot.

The killed terrorists were later identified as Major Khan alias Major Singh alias Maji (Lt. Genl. of Babbar Khalsa International, a listed hard-core terrorist and was involved in a number of cases of murders including the murder of Mr. Manchanda, Director of All India Radio, Patiala) and Iqbal Singh alias Bala (a listed non-hardcore terrorist). During search one Pistol, One Revolver, 4 Splinters stick Grenades and one Scooter were recovered from the dead terrorists.

In this encounter, Shri S. P. S. Basra, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-3-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 35-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name And Rank of Officer

Shri Ramphal Singh,
Supdt. of Police,
Operations,
Sangrur. Third Bar

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 11-6-1993 at about 5.00 AM, Shri Jasminder Singh, SSP, Sangrur received information that some terrorists were moving in the area of Village Mour, P.S. Sunam, District Sangrur. He immediately directed Shri Ramphal Singh, SP (Operations) and SP (Detective) to reach the village. On reaching there, Shri Jasminder Singh formed three parties, one under his own command, second under SP (Detective) and third under Shri Rampal Singh, SP (Operations). After deploying the force, search operation was started from three sides and re-inforcement were also requisitioned. Constable Salwant Singh of the first party noticed an armed person entering a house. Shri Jasminder Singh directed his party to cordon the house and also asked the others to reach that place. SP (Detective) and his party was deployed on the roof of the house. Shri Jasminder Singh and Shri Rampal Singh entered the house from left and right side to search the house. When the assault groups moved further, the terrorists opened heavy fire, which was retaliated. Shri Jasminder Singh also directed on wireless to start LMG fire. Suddenly, the terrorists lobbed two hand grenades from the windows on both the assault groups, as a result of which S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh and Constable salwant Singh sustained splinter injuries. Shri Jasminder Singh alongwith Constable Salwant Singh, managed to reach a strategic location behind a pillar and started effective fire. Shri Rampal Singh, rolled over to a suitable cover near the window on the other side of the house. Shri Jasminder Singh directed all the groups to continue fire and supply hand-grenades to both the assault groups. Under covering fire S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh, Constable Salwant Singh and Sukhwinder Singh, moved towards the windows of both the rooms from where the firing was coming. As these groups were advancing,

the terrorists again opened fire but in the process Constable Sukhwinder Singh got injured. Inspite of injures, he advanced further and reached near the window. Shri Jasminder Singh lobbed hand-grenades in the room through the window. The terrorists again fired but Shri Jasminder Singh lobbed grenades inside the room. In the meantime Shri Rampal Singh, in the midst of exchange of fire managed to reach near the other room and lobbed a hand-grenade through the windown. Shri Jasminder Singh also reached near the room, and lobbed two more hand-grenades through the windown. After some time, when the dust and smoke of hand-grenades settled down, S/Shri Jasminder Singh, Rampal Singh Constable Salwant Singh and Constable Sukhwinder Singh entered the room and found two dead bodies of terrorists, who were later identified as Harcharan Singh alias Bhola and Balwant Sngh alias Balbir Singh alias Kaku. During search one AK-47 Assault Rifle, one 315 bore Rifle alongwith large quantity of ammunition were also recovered.

In this encounter Shri Rampal Singh, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 36-Pres/95—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of officer

Shri Surjit Singh,
Deputy Supdt. of Police,
(Working as SP)
District Faridkot.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Surjit Singh, Deputy Supdt. of Police (Working as Supdt. of Police—Detective), Faridkot received a special information and laid an ambush on drain Bridge at Jaitun-Dabri-Khana link road at about 10.30 PM on 28-2-1993. The police party was divided into two groups, one headed by Shri Surjit Singh and other by one ASI of CIA, Faridkot. At about 2.45 A.M on 1-3-1993, two unidentified youths were noticed on a scooter and were asked to stop by Shri Surjit Singh but they started firing at the police party. The police party returned the fire. Shri Surjit Singh without caring for his personal safety, moved towards the terrorists. On seeing this, the terrorists hurled hand-grenade at Shri Surjit Singh, he saved himself with great alacrity, took shelter of the bridge and fired a burst with his AIR and killed one terrorist on the spot. However, the other terrorist managed to escape under the cover of darkness and crops. The dead terrorist was later identified as Balwinder Singh alias Doctor alias Neka, a self styled Deputy Chief of Babbar Khalsa Inter-national. He had killed more than 500 innocent people and was one of the most dreaded wanted terrorists. On search one AK-47 Assault Rifle with 2 magazines, 5 Rifle Grenades, 70 live/empty cartridges and one scooter were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Surjit Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special admissible under rule 5, with effect from 1-3-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No.37-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police : —

Name and Rank of the Officer

Shri Rajesh Pratap Singh,
Supdt. of Police,
Bijnor.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-5-92 Circle Officer, Dhampur received information that the terrorists armed with sophisticated weapons were present in village Chaharwal in Barapur Police Circle, who had raided the house of one Sardar Mahendra Singh of village Naiwala in Police Circle Barapur and looted gold ornaments of ladies and forcibly took away a five year old child and demanded a ransom of rupees five lakhs and were likely to come to the house of one Satnam Singh to collect he ransom. On receipt of this information S.O.s of Sherkot, Barapur, Kalagarh, Afzalgarh, Nehtaur, Haldaur, Noorpur and anti-terrorist squad were directed to assemble at Harewali Police out-post. The force was divided into six parties and were deployed on strategic points and routes around the house of Satnam. At about 9.00 P.M. three terrorists alongwith the child came near the house of Satnam and asked whether the parents of the child have come with the ransom money. On being replied in the negative, they abused and threatened Satnam with dire consequences. The police party challenged the terrorists to surrender but the terrorists shouted 'Khalistan Zindabad' and opened fire on the police party. The police parties returned the fire in self defence as a result of which one terrorist was injured and the remaining terrorists ran towards the forest where they were confronted with other police parties and an exchange of fire too place. Meanwhile Shri Rajesh Pratap Singh, SP Bijnor reached the spot and took command of the operation. Afeter taking stock of the situation Shri Singh led the parties himself and encouraged the police personnel to move ahead and narrow down these circle to prevent the terrorists from escape. In the meantime the terrorists reached near the house of one Shri Kaka. Shri Singh who was in close proximity, advanced ahead and challenged the terrorists to surrender. But the terrorists fired back with sophisticated weapons, Shri Singh eccaped the fire and moved ahead. The Police party returned the fire with 9mm carbine which resulted in the killing of one terrorist, while the remaining two managed to escape in the cover of darkness. One AK-47 rifle with three magazines, 45 live cartridges and gold ornaments looted from the house were recovered from the dead and the child was recused unhurt.

In this encounter Shri Rajesh Pratap Singh, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules govering the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under the 5, with effect from 7-5-1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 38-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ramasray Singh,
Dy. Supdt. of Police,
District Kheri.

Shri Yogendra Pratap Singh,
Sub-Inspector of Police,
District Kheri.

Shri Som Nath Dubey,
Sub-Inspector of Police,
District Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8-1-93 at about 8 P.M. Shri Ramasray singh, CO Nighasan alongwith S/Shri Yogendra Pratap Singh, SHO Nighasan and Som Nath Dubey, SHO Singai and 8 Constables armed with service weapons were combing the Jhalas to collect information about presence of terrorists in the area, when he received an information that Sardool Singh, his son Malkiat Singh and two other hardcore terrorists armed with sophisticated weapons were present in the Jhalas of Sarda Sardool Singh. Immediately, on receipt of this information Shri Ramasray Singh, alerted the police party, divided the available force into there parties, the first headded by himself alongwith 3 Constables took position on the Western side, the second headed by Shri Yogendra Pratap Singh, with 3 Constables took position on the Eastern side, while the third party headed by Shri Som Nath Dubey, with two Constables took position on the Southern side of the Jhala of Sardar Sardool Singh where these terrorists were present. All the there parties moved forward slowly towards the Jhala and cordoned it from three sides. While moving ahead one of the Constables sneezed as a result the terrorists present inside the Jhala became alert and started heavy firing on the police party.

Shri Ramasray Singh warned the terrorists that they have been surrounded by the police and should surrender themselves. Finding themselves fully trapped in the police cordon and realising there is little chances of escape, the terrorists stopped firing and came out of the Jhala with their weapons. Shri Ramasray Sinh alongwith Shri Yogendra Pratap Singh and Shri Som Nath Dubey without caring for their lives and fully aware that the armed terrorists would open fire any time, stepped forward and got hold of two terrorosts, while the other two terrorists taking advantage of the darkness slipped away in the nearby sugarcane field. The arrested terrorists were identified as Malkiat Singh and Balkar Singh. They were involved in large number of heinous crimes in Punjab and U.P. During search one loaded .38 bore revolver with 6 live cartridge and one SBBL gun with 20 live cartriage were recovered. The two terrorists who escaped were identified as Sardool Singh and Lakhvir Singh Bittoo.

In this encounter S/Shri Ramasray Singh, Dy. Supdt. of Police, Yogendra Pratap Singh and Som Nath Dubey, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awarded are made for gallantry under rule 4(1) of the rules govering the award of Police Medal and consequently carry with them the special alowance admissible under rule 5, with effect from 8-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 39-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Om Prakash Singh,
Supdt. of Police,
District Lakhimpur Kheri.

Shri Surendra Singh,
Sub-Inspector of Police,
S. O. PS Mailani,
District Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-7-1993 at about 8.45 AM an information was received that Sukhvinder Singh a dreaded terrorist of KCF who had escaped from Lucknow Jail alongwith three other terrorists in August, 1992 and was responsible for the killing of 11 persons at Malgalganj in June 1993 is hiding in Mallani forest alongwith his gang members. On receipt of this information Shri O. P. Singh, SP alongwith other police personnel reached the spot and keeping in view the large dense forest, the police force was strategically divided into four parties. As per plan Shri O. P. Singh was to lead the first party which was to strike from the front side. The second party was led by Shri Surendra Singh, S.O. Mallani, and the third was led by S.O. Palia, and another by S.O. Malgalgan respectively. These parties were briefed of the operational plan and reached the hiding place of the terrorists. When Shri O.P. Singh and his party moved forward, the terrorists opened indiscriminate firing on the police party. Shri O. P. Singh exhorted his men to forge ahead and warned the terrorists to surrender, but they replied back with hail of bullets and burst fires. However, Shri Singh escaped and continued to fire from his AK-47 rifle simultaneously motivating his men for further onslaught. While Shri O. P. Singh continued to tighten the grip by moving closer to the terrorists, Shri Surendra Singh, S. I. who was positioned on the nothern side of the terrorists continued to mount prssure on them. The terrorists surrounded by police parties on all sides made a desperate attempt to escape while still continuing to fire upon the police. Shri Surendra Singh, SI underterred by the the indiscriminate firing of the terrorists, kept up the pressure on them from his side by firing and kept on advancing towards the terrorists. Shri Singh, was advancing towards the terrorists from the fron side simultaneously. The pressure on the terrorists was considerable. As a result of this firing from the terrorists side stopped after an exchange of fire for about 45 minutes. After waiting for sometime, Shri O. P. Singh instructed the police personnel to conduct a thorough search of the area and at a distance of about 50 yards one terrorist was found dead from whose possession one loaded .9 mm pistol was recovered. One .303 bore rifle was found lying near the dead body. The dead terrorist was later identified as Sukhwinder Singh @ Punjaboo a dreaded terrorists who carried a cash reward announced by DGP Uttar Pradesh. The remaining terrorists managed to escape taking advanttage of dense and tall grass of the forest.

In this encounter S/Shri Om Prakash Singh, Supdt. of Police and Surendra Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule (4) (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-7-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 40-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Ramesh Chandra Sharma,
Inspector,
Civil Police,
Ghaziabad.

Shri Harshvardhan Singh,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Ghaziabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

At about 1.05 AM on the night of 11-3-93 Shri V. K. Gupta, SSP, Ghaziabad received an information that three miscreants, of whom two were armed with automatic weapons and suspected to be terrorists, were seen in Ghaziabad. Immediately on receipt of this information, Shri Gupta, flashed message to all officers in-charge of Police Station to carry out combing operations to nab the miscreants. Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector who received the information, lost no time in directing all the outposts of P. S. Sahibabad to keep strict vigil and check all vehicles. After passing on this direction he alongwith, Shri Harshvardhan Singh, SI, another SI, one Head Constable and six Constables proceeded to Mohan Nagar in Government Jeep and moved towards Hindon Bridge. As the jeep was near sales Tax outpost on G T Road, Shri Sharma noticed three men, riding a scooter who turned towards Karehada. The scooter was identified the same as informed by SSP (UP-14B-2418). Shri Sharma immediately flashed the message of spoting of the terrorist to SSP and on seeing the police jeep closing in on them, the scooterists stopped their scooter near the culvert and started running. Shri Shrma, alongwith Shri Harshvardhan Singh, SI and other personnel, got off the jeep, directed the Constables to take position on the roadsides, other two officers ran after the miscreants. The miscreants on seeing Shri Sharma and Shri Singh chasing them, hid behind a shelter and started firing at Shri Sharma and Shri Singh.

On receipt of the message Senior officers alongwith force rushed to the place of encounter. Shri V. K. Gupta, SSP apprised himself of the situation and after taking over command, deployed the additional force on the Southern side, while he himself took position on the northern side, thus covered the miscreants from the north, south and western sides, while the eastern side was still uncovered. After directing all the personal to expert pressure on the miscreants with continued firing, Shri V. K. Gupta, alongwith his security personnel, numindful of grave danger to his personal life crawled toward the eastern side and completed the cordon on all four sides. The miscreants were desperately firing on all sides as their routs of escape were sealed and that their leaving the place of hiding would mean being shot dead as they were within the firing range of Shri Sharma and Shri Singh who were positioned close to them and were in direct focus of the light of the jeep of Shri Sharma. Shri V. K. Gupta, Shri Ramesh Chandra Sharma and Shri Harshvardhan Singh, unmindful of the grave risk of their lives on being exposed and targets of miscreants bullets, taking cover of whatever shelter available reached near the miscreants. One of the miscreants sensing that they had been surrounded from all sides, said in loud voice that they were in possession of AK-47 rifle and woud result in heavy casulty to the force if they did not stop firing. Underterred by the warning, Shri Gupta, Shri Sharma and Shri Singh kept on closing in on the miscreants and Shri Gupta, warned them to surrender. On this the miscreants seeing no other alternative, stopped firing and raised their hands to surrender. Shri Gupta, Shri Sharma and Shri Singh, who were positioned very near the miscreants, without taking any chance, pounded on the miscreants disarmed and arrested them. The three miscreants were identified as Mangal Singh, Hardeep Singh and Tarsem Lal member of Group of K C Panjwala of KLF. One AK-447 rifle, with 102 live cartridges and two magazines, one DBBL gun 12 bore with 19 live cartridges were also recovered from them. Rs. 1 lakh looted by them from cashier of Alps Factory on 5-3-93 was also recovered from their possession.

In this encounter S/Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector of Police and Harshvardhan Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-3-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 41-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

(Posthumous)

Shri Krishna Gopal Sharma.
Sub-Inspector, Civil Police.
District Nainital.

(*Posthumous*)

Shri Jag Pal Singh.
Constable, Civil Police.
District Nainital.

(Posthumous)

Shri Krishna,
Constable, Civil Police.
District Nainital.

(Posthumous)

Shri Kushal Pal Singh,
Constable, Civil Police.
District Nainital.

(Posthumous)

Shri Pradeep Kumar,
Constable, Civil Police.
District Nainital.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-2-92 Shri Krishna Gopal Sharma, Sub-Inspector P. S. Sitarganj, received information about the presence of terrorists in the nearby forest. Immediately on receipt of this information, Shri Sharma, alongwith Constables Jagpal Singh, Krishna, Kushal Pal Singh and Pradeep Kumar armed with weapons rushed to verify the information. Enroute the Police party put on Civil dress and took private Swaraj Mazda Van to conceal their real identity. They also had with them, two civilians, S/Shri Rohit Singh and Sarjoo Sahni and proceeded in search of the terrorists. The police party moved through Bankuiya to Nanak Nagri area, visited the Jhalas of Gujars and on enquiry came to know that some 7-8 suspected terrorists, comprising of bearded and clean shaven Sikhs, were seen moving about in the area with some women and a dog. On having confirmed the information, the police party was returning to call reinforcement. As they were crossing the Jhalas of Gujars at about 0130 hours, suddenly burst fire was started from behind the trees on the van. Immediately Shri Sharma directed his men to jump out of the van and take position and challenged the terrorists to surrender. The terrorists, undeterrred, shouted 'Khalistan Zindabad', surrounded the police party on all sides and opened indiscriminatce fire. The Police party also opened fire at the terrorists which resulted in injuries to the terrorists, who were immediately removed to safer places by their accomplices. Suddenly it was noticed that the strength of the terrorists had increased to about 10-12. Seeing themselves, out-numbered, Shri Sharma realising the gravity of the situation, encouraged his men to keep their cool and opes directed fire on the terrorists to keep them at bay, but as the terrorists were heavily armed with automatic weapons, the police party could not face the challenge of the terrorists with their limited fire power and laid down their lives courageously fighting the terrorists. The terrorists after killing all the five police personnel and the two civilians made their escaped in the jungles after taking away the weapons of the dead policemen.

In this encounter S/Shri Krishan Gopal Sharma, Sub-Inspector of Police, Jag Pal Singh, Shri Krishan Pal Singh and Pradeep Kumar, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-2-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 42-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rang of the Officer

Shri Uma Shankar Shukla, (*Posthumous*)
Shri Uma Shankar Shukla,
Constable,
District Bulandshahr.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 12-6-93 an information was received by SHO Dibai that a notorious gang is present in village Danpur, who had been hired to forcibly vacate Dember's building and in the event of any resistance, will loot the belongings and commit murder of one Shri Raju Gautam and his family. Immediately on receipt of this information, SHO Dibai collected available force, including Constable Uma Shankar Shukla and reached the spot at about 10.00 AM and found the said gang to be present. The police party surrounded the gang and challenged them to surrender, but instead the gang suddenly started firing heavily on the police party and ran towards the hospital. The police party, maintained their poise and confidence and chased the criminals. Constable Shukla at the risk of his own life chased one of the gangsters and apprehended him on the verandah of the hospital but in the scuffle, the criminal pulled out a 9 mm pistol and fired at the Constable hitting him on the head. The criminal freed himself after injuring the Constable, ran and took shelter in the quarter of one Dalbir Singh and fired at the police party after taking position behind the boundry wall. The police party also fired at the criminal as a result of which the criminal was killed on the spot. The killed criminal was later identified as Pappu Sunar. The other criminals who managed to escape were identified as Devendra, Kalua, and Ashok Sharma while the other two could not be identified. A 9 mm pistol alongwith magazine was recovered from the possession of Pappu. A Maruti Car and a Scooter used by the criminals were also recovered from the spot. Constable Shukla later succumbed to his injury and laid down his life in the performance of his duty.

In this encounter Shri Uma Shankar Shukla, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 43-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rang of the Officer

Shri Harish Ram Arya,
Platoon Commander,
35 Bn., P.A.C.,
Lucknow.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Harish Ram Arya, Platoon Commander of 35 Bn., PAC was deployed on duty with Bomb Disposal Squad. On 24-1-91, information was received that some bombs are present in the premises of the Chief Minister's residence. Immediately on receipt of this information, Shri Arya was deputed by his officers to reach the spot alongwith the squad for disposal of the bombs. Shri Arya on reaching the spot, took stock of the situation, directed his men to move to safe distance. Then Shri Arya moved the bombs one by one to the road and defused one of the bombs. While he was in the process of defusing the next bomb, it suddenly exploded and triggered the explosion of the remaining bombs. Shri Arya was injured seriously while the others who were positioned at a safe distance received minor injuries. Shri Arya succeeded in ensuring safety of the Chief Minister and also prevented heavy loss of lives and property by defusing the bombs in time and at the same time took the entire impact on himself. The explosion was very severs. The injuries sustained by Shri Arya necessitated amputation of his left arm above the elbow joint.

There is a delay of about 2 years in this case. The State Govt. has requested for condonation of delay which was due to thorough investigation at various levels.

In this encounter Shri Harish Ram Arya, Platoon Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24-1-1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 44-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police :—

Name and Rang of the Officer

Shri Bhabatosh Pal,
Sub-Inspector of Police,
Bankura.

Shri Pran Gopal Dawn,
Sub-Inspector & Police,
Bankura.

Shri Abdul Mannan Mallick,
Constable,
Bankura.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 2-8-1992 at about 22.30 hrs. Sub-Inspector Bhabatosh Pal, Office Incharge Onda Police Station, District Bankura got information that some armed miscreants are proceeding towards Bankura, in a Maruti Car at a very high speed after committing a crime in Kharagpur, District Midnapore. Shri Bhabatosh Pal, immediately chalked out a plan to nab the miscreants. He alongwith his police party including S.I.. P. G. Dawn and Constable Abdul Mannan Mallick set up a road block at Onda and took up position along the road. Precaution was also taken to keep the villagers away from the place lest someone is hurt or killed in the exchange of fire. At about 23.15 hrs. the said Maruti car reached near the road block and on seeing the policemen, the miscreants started indiscriminate firing on them. Shri Bhabatosh Pal ordered his men to return the fire and he himself also fired from his service revolver at the car. Shri P. G. Down received bullet injury in his chest and he was immediately evacuated to hispital. Aimed firing of Constable Mallick, damaged the front wheel of the car. The miscreants again started firing upon the police. The police party without losing confidence, continued to fire at the vehicle. The miscreants, inside the car, tried to run away after opening the door of the car. S.I. Bhabatosh Pal alongwith his force jumped upon them and caught hold of two of them. Seriously injured miscreants, who lateron succumbed to their injuries, while the other escaped, taking advantage of the darkness. Two AK-47 rifles 217 rounds of AK-47 ammunition, two rounds of "30" Carbine ammunition and Rs. 6600/- were also recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Bhabatosh Pal, Sub-Inspector of Police, Pran Gopal Dawn, Sub-Inspector of Police and Abdul Mannan Mallick, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently

carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2-8-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 45-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Assam Rifles.

Name and Rank of the Officers

Shri Karna Bahadur Thapa,
Naib Subedar,
23 Assam Rifles.

Shri Belaram Sarmah.
Rifleman,
23 Assam Rifles.

Shri Robet Sangma,
Rifleman,
23 Assam Rifles.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4th May, 1993, Naib Subedar Karna Bahadur Thapa was ordered to take a petrol to search and apprehend ATTF insurgents in village Ram Kumar Raja Para. He immediately moved out with his team for the mission and divided his group in two teams one led by him personally and the other by Havildar C. B. Pun. Naib Subedar Thapa alongwith two other Rifleman started moving towards the suspected resting place of ATTF insurgents. But before an effective action could be taken, the insurgents managed to escape taking advantage of the high bamboo and wild elephant grass. However, one of the insurgents in the hut was cornered by Naib Subedar Thapa and Rifleman Sangma. While Naib Subedar Thapa challenged the insurgent to surrender, Rifleman Sangma pounched upon the insurgent and grabbed a loaded .303 Rifle from him. The sudden attack of the raiding party compelled the insurgent to flee away in the jungle.

2. While chasing the fleeing insurgent, the raiding party came under heavy fire from the insurgents hiding in the Jungle. The team under Naib Subedar Thapa returned the fire and forced the insurgents to flee. After hearing sound of exchange of fire, the other team also rushed towards the spot of firing. Rifleman Bela Ram Sarmah, leading scout of his team, saw the foot marke of the fleeing insurgents. From a down-ward slope on which the insurgents had skidded down. Rifleman Sarmah found an insurgent waiting with rifle aiming to fire at the moving troops. Without any loss of time, Rifleman Sarmah opened fire on the insurgent who had a narrow escape and fled into thick jungle leaving behind his .303 loaded Rifle. The same was handed over to Havildar Pun by Rifleman Sarmah.

Naib Subedar Thapa and his patrolling party continued their chase as a result one of the insurgents was shot and apprehended. After a thorough search of the areas two .303 Rifles, two country made pistols, one country made gun, ammunition, explosives and currency were recovered.

In this encounter S/Shri Karna Bahadur Thapa, Naib Subedar, Belaram Sarmah and Robet Sangma, Riflemen, displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4-5-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 46-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Sunil Kumar Sharma,
Constable, 182 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

In the early hours of 28-2-1992, SP (OPS), Jalandhar ordered a surprise cordon and search operation in village Beed Bassian. For that purpose a Company of BSF including Constables S. K. Sharma and Karandev Singh, one section of CRPF and some police personnel were detailed. The entire Company of BSF was deployed on outer cordon. A search party comprising of 25 police personnel and one section of CRPF was deployed for carying out search of the buildings.

All the male members of the village were collected in the Gurdwara building. At about 0800 hours, one ASI of Police informed the Assistant Commandant of BSF that some terrorists were hiding in a red-coloured three storeyed building near the Gurudwara. The Assistant Commandant alongwith 7 BSF personnel rushed to the building where the terrorists were hiding. On reaching there he cordoned the building and ordered the search of the building. In the meantime BSF personnel saw two persons in one of the rooms on the ground floor. On this, one of the terrorists wielding an AK-47 Rifle rushed to the first floor and opened fire on the BSF parties. On this some CRPF and police personnel jumped on the roof of the neighbouring building and took cover. Terrorists fired few bursts on them but this was not effective. The Assistant Commandant fired two rounds from his pistol from the holes of wall but it also proved ineffective. Sensing danger to their lives, the terrorists rushed down the building through the staircase.

One of the terrorists rushed out of the building, made a daring attempt to jump the wall near a temporary water point, *where Constable Karandev Singh was on cordon duty. He pounched on the terrorist.* During the scuffle, the terrorist fired a burst *from his AK-47 Rifle,* which hit *Shri Karandev Singh on knee and neck,* due to this he *became unconscious.* The terrorist snatched the SLR of Shri Karandev Singh, jumped the wall and hid in the open wheat and sugar-cane crops. The terrorist then came out of the sugar-cane crop, ran towards the outer cordon, where Constable Sunil Kumar Sharma alongwith three other Constables of BSF were positioned. The terrorist fired on Constable Sharma. Without caring for his *personal safety, he fired on the terrorist with* his SLR. The terrorist kept on firing on the BSF party with his AK-47 Rifle. Shri Sharma engaged the desperate extremist in a daring armed confrontation. He did not allow the terrorist *to exploit the opening in the cordon manned by him.* In a highly professional manner, the outer cordon personnel led by the bold firing of Constable Sharma, gunned down the terrorist. The other terrorist was killed inside the building. Both the killed terrorists were later identified as Ranjit Singh alias Bittoo and Manjit Singh Bhalla. During search one AK-47 Rifle, one .315 bore Rifle and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Sunil Kumar Sharma, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-2-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 47-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Kashmira Singh, (*Posthumous*)
Constable, 8 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 14/15-10-1992, a special operation to flush out the militants from Village Shalbug was conducted by troops of 8 Battalion, BSF. The village was cordoned by 02.30 hours (15-10-1992).

As one of the search parties was entering the village, a person was noticed moving in a clandestine manner. The BSF Party encircled the house and captured three armed militants. On interrogation, one of the apprehended militants revealed that some of their associates had taken shelter in a House Boat in the marshy lands of Shalbug-nakh across river Sindh. On spotting the Boat House, Shri Aziz Khan, Assistant Commandant alongwith his group moved close to the house-boat. The militants opened heavy fire on the BSF party. Constable Kashmira Singh returned the fire and one militant fell down. In the exchange of fire, Constable Kashmira Singh sustained fatal bullet injuries in his abdomen. Inspite of injuries, he held his position and kept on firing on the militants and ultimately succeeded in killing one more militant. Later on Shri Kashmira Singh succumbed to his injuries.

Shri Aziz Khan assessed the situation, grabbed the LMG and engaged the militants effectively in the house-boat, silencing their guns and forcing them to retreat. In this encounter in all four dreaded militants were apprehended and two militants were killed. During search 5 AK-56 Rifles with magazines, one .12 bore gun, one Muzzle Loading Gun and 116 rounds of AK-56 live ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Kashmira Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-10-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 48-Pres/95—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri M. S. Chauhan,
Deputy Commandant,
82 Battalion, BSF.

Shri Bhawani Shankar,
Assistant Commandant,
82 Battalion, BSF.

Shri Hardeva Ram,
Subedar.
82 Battalion, BSF.

(*Posthumous*)

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 14/15 January, 1994, a joint cordon/search operation was carried out in general area of Illahi bagh, P.S. Soura, District Srinagar. At about 0730 hours, while one of the search parties entered a three storeyed house, militants threw hand-grenades and fired with automatic weapons, in which one Constable received splinter injuries and was evacuated. Thereafter a fierce encounter started between BSF troops and militants holed-up inside the house. It was decided to storm the house to flush-out the militants. One party led by Shri M. S. Chauhan, Deputy Commandant and Shri Bhawani Shankar, Assistant Commandant entered the first floor of the house with the help of an improvised ladder and the second party led by Subedar Hardeva Ram entered the ground floor of the house. On entering the house Subedar Hardeva Ram came face-to-face with the militants but undauntedly, he challenged them to surrender. In the process Subedar Hardeva Ram was hit by a burst fired by the militants, hiding in the staircase in the house and was killed.

While entering a room Shri Chauhan faced a volley of firt room the militants hiding on the roof of the house. He retaliated and succeeded in killing one militant but in the process, he was critically injured in the jaws by bullets fired by the militants. In the meantime, Shri Bhawani Shankar, who was following Shri Chauhan, gave full support to the injured officer and succeeded in killing the second militant but he was also injured in his right arm. Then, both the injured officers themselves moved out of the room amidst militants fire and were evacuated to Base Hospital. The storming operation has to be called off due to darkness but the house was kept under night long seize. Enforcement from Army was also brought to ensure effective seize of the house. The exchange of fire lasted throughout the night till next morning. On the morning of 16-1-1994, one of the militants made a bid to escape from the house by firing at BSF troops, who was killed in the exchange of fire. The house was finally stormed and dead bodies of 3 militants were recovered. During search 3 AK-56 Rifles, one 9mm Pistol. 2 pistol magazines and 79 rounds of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri M. S. Chauhan, Deputy Commandant, Bhawani Shankar, Asstt. Commandant and Hardeva Ram, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-1-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 49-Pres/95—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri G. S. Bal,
Commandant, 19 Bn,
Border Security Force.

Shri Arvinder Singh,
Deputy Commandant,
Sector Headquarters BSF,
Baramulla.

Statement of services for which the decoration ahs been awarded :—

On 19-3-1994, information was received that a suicide squad of militants would be holding a secret meeting in twin villages Manzseer and Gurseer. A cordon and search operation was planned by Shri G. S. Bal Commandant, 19 Battalion, BSF. At about 0715 hours, both the villages were cordoned. When the troops reached the southern out-skirts, militants opened fire with automatic weapons. As most of the fire came from village Manzseer, Shri Bal launched a commando operations to flush out the militants from that area. For successful conduct of the operation, three groups were formed one group was led by Shri G. S. Bal with Subedar O. N. Pathak and 7 personnel from commando

platoon to cover South-East direction, second led by Shri Arvinder Singh to cover Northern side— third led by Deputy Commandant of 73 Battalion to cover escape routes.

At about 1330 hours, all the three groups closed in on the suspected houses but apparently the militants had left their hide-outs and had taken position on the fortified roof-top of a cowshed. They opened fire on both the advancing groups. The firing directed towards the groups led by S/Shri Bal and Arvinder Singh was unabated. Both the groups kept on advancing towards the militans posititn by adopting fire and move tacts. Both the groups managed to reach within 25-30 yards and took cover in the houses close to the cow shed. The party led by Shri Bal took position in a house on South East side whereas the party of Shri Arvinder Singh took position on the North side. Subedar O. N. Pathak and Constable Taranjeet Singh took position near the window by the side of Shri Bal, who was to direct the fire on the militants. Likewise Shri Arvinder Singh took position at the window alongwith one LMG pair. As the militants came under fire of BSF personnel, in a desperate bid to escape they threw a grenade at the window where Shri Bal was standing, but in a quick and bold reaction he blocked it with bare hands, resultantly it landed outside in the open and exploded. Thus Shri Bal saved the lives of whole party. Suddenly a long brust of bullets hit the window but luckily all the three had a providential escape. Undeterred by this, Shri Bal kept on firing by the side of Constable Taranjeet Singh

In the meantime, Shri Arvinder Singh noticed that the militants had sprayed bullets which hit he window from where Shri Bal was firing at the militants. By this time, he had exhausted his ammunition, he took the LMG to pin down the militants. Suddenly a bust of bullets came into his direction, which hit the wall of the house and Shri Arvinder Singh had a narrow escape. One of these bullets grazed passed by the right side of his abdomen. Undeterred by the militants fire, Shri Arvinder Singh opened heavy volume of fire with his LMG as a result of which the militants fire was silenced. Though fiting from the militants side stopped but it was not known whether they had been killed or they wanted to draw out BSF personnel to kill them. Shri Bal, therefore, divided to probe it further. He alongwith subedar O. N Pathak and Constable Taranjeet Singh came out and approached the suspected house. From the Northern side Shri Arvinder Singh was asked to track down the militant's position alongwith LMG group. The rest of the troops were asked to remain alert. All the four persons cautiously approached the shed adopting fire and move tactics. Finding no response, they climbed on the roof by covering the movement of each other and found three dead bodies of the militants, who were later identified as Abdul Rashid Dar (A Battalion Commander of HM outfit), Mohd. Akbar Shah and Shaukat Ahmed Goru. During search 3 AK-56 Rifles, 7 magazines, of AM series, 1 wireless set (Sony), 1 Chinese Grenade, 5 Electric detonators and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri G. S. Bal, Commandant and Arvinder Singh, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under rules 5, with effect from 19-3-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 50-Pres/95—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of The Officer

Shri Gurnam Singh Virk,
Commandant,
73 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-11-1993, when search operation was being conducted by BSF party in village Manzseer and Gurseer of Sopore, the militants hiding in a built up area of village Gurseer lobbed HE hand grenades and resorted to heavy firing on the search party. On hearing the sound of firing, Shri G. S. Virk, Commandant 73 Bn. BSF, immediately reached the spot to guide the operation. The force was readjusted and the area was cordoned. Militants who were asked to surrtnder, instead opened heavy volley of fire and lobbed hand grenades. Shri Virk directed to lob HE hand grenades alongwith covering fire to clear the hideout. One militant came out of the hideout in a bid to escape, firing on the search party with his AK-56 rifle. He also aimed at Shri Virk and caused serious bullet injuries on both the upper arms of the officer. Shri Virk did not lose nerve and reacted instantaneously by firing rapid shots on the militant, thereby killing him on the spot. The killed militant was later identified to be Hohd. Dar, Code—'DARA', a dreaded militant and self styled Area Commander of Harqat-UI-Jehad-I-Islami militants out fit.

In this encounter Shri Gurnam Singh Virk, Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-11-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 51-Pres/95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of The Officer

Shri Som Bahadur Lepcha,
Head Constable,
71 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 6-3-1992, two parties under the supervision of Head Constable Som Bahadur Lepcha of 71 Battalion, BSF were sent to P.S. Kalanaur for patrolling/Naka duties in and around Kalanaur Town. One party was on Gurdaspur DBN Road for naka duty whereas the second party headed by Shri Lepcha with 5 BSF personnel and Police personnel left for patrolling in area on outer periphery street of Kalanaur Town passing through Balmiki Mohalla. At about 21.15 hours, when the patrol party reached near a house in Balmiki Mohalla, they decided to check a "dera" where an electric bulb was on. When the Police personnel were awaking the persons sleeping in the 'dera', the whole party was fired upon by militants, who were positioned only about 15-20 yards away from there earlier in deliberate ambush. The first shot of the militants hit Shri Lepcha on his left hand palm and pierced through it, as a result, his hand started bleeding, Shri Lepcha immediately took firing position near a side wall of the 'dera' and fired 3-4 bursts from his Machine Carbine towards the direction of militants. He also directed his party to take cover and open fire on the militantss. The Police personnel brought heavy volume of fire towards the militants position. In a swift and bold action, Shri Lepcha *fired 15 rounds* and was sucessful in forcing the terrorists to take to their heels thereby *breaking the terrorists ambush*. Under the pressure of heavy fire by BSF personnel, the militants witdrew from the place in a haphazard manner. While retreating, *they fired a rocket* from rocket launcher and *hurled a stick grenade on* the patrol party to cause maximum casualities. In the meantime, other terrorists also resorted to heavy firing with their automatic weapons in a bid to escape but Shri Lepcha and party without for their personal safety kept the terrorists heads down by effective fire.

In the meantime, Deputy Commandant, 71 Battalian, BSF with party, a Colonel of Army with his force cordoned the whole area and SSP, Batala, SP (Operations), Dy. S.P., Kalanaur reached the spot. Heavy exchange of fire took place for about one and half hours. After stopping of fire, the whole area was searched, *two dead bodies of terrorists* were recovered who were identified as *Avtar Singh alias Tari, Lt. Genl.* of the so-called KLA (Manochahal Group) and Malvinder Singh alias Goga. During search one GPMG, one 30 *bore Pistol*, one Rocket *Launcher*, one Stick Bomb, one FM Trans Receiver (Made in Japan) and large number of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Som Bahadur Lepcha, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6-3-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 52-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Karandev Singh,
Constable,
64 Bn., B. S. F.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

In the early hours of 28-2-1992, SP (OPS), Jalandhar ordered a surprise cordon and search operation in village Beed Bassian. For that purpose a Company of BSF including Constable S. K. Sharma and Karandev Singh, one section of CRPF and some police personnel were detailed. The entire Company of BSF was deployed on outer cordon. A search party comprising of 25 police personnel and one section of CRPF was deployed for carrying out search of the buildings.

All the male members of the village were collected in the Gurdwara building. At about 0800 hours, one ASI of Police informed the Assistant Commandant of BSF that some terrorists were hiding in a red-coloured three storeyed building near the Gurudwara. The Assistant Commandant alongwith 7 BSF personnel rushed to the building where the terrorists were hiding. On reaching there he cordoned the building and ordered the search of the building. In the meantime BSF personnel saw two persons in one of the rooms on the ground floor. On this one of the terrorists wielding an AK-47 Rifle rushed to the first floor and opened fire on the BSF parties. On this some CRPF and police personnel jumped on the roof of the neighbouring building and took cover. Terrorists fired few bursts on them but this was not effective. The Assistant Commandant fired two rounds from his pistol from the holes of wall but it also proved ineffective. Sensing danger to their lives, the terrorists rushed down the building through the staircase.

One of the terrorists rushed out of the building, made a daring attempt to jump the wall near a temporary water point, where Constable Karandev Singh was on cordon duty. He pounched on the terrorist. During the scuffle, the terrorist fired a burst from his AK-47 Rifle, which hit Shri Karandev Singh on knee and neck, due to this he become unconscious. The terrorist snatched the SLR of Shri Karandev Singh, jumped the wall and hid in the open wheat and sugarcane crops. The terrorist then came out of the sugar-cane crop, ran towards the outer cordon, where Constable Sunil Kumar Sharma alongwith three other Constables of BSF were positioned. The terrorist fired on Constable Sharma. Without caring for his personal safety, he fired on the terrorist with his SLR. The terrorist kept on firing on the BSF party with his AK-47 Rifle. Shri Sharma engaged the desperate extremist in a daring armed confrontation. He did not allow the terrorist to exploit the opening in the cordon manned by him. In a highly professional manner, the outer cordon personnel led by the bold firing of Constable Sharma, gunned down the terrorist. The other terrorist was killed inside the building. Both the killed terrorists were later identified as Ranjit Singh alias Bittoo and Manjit Singh Bhalla. During search one AK-47 Rifle, one .315 bore Rifle and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Karandev Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-2-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 53-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri S. K. Zutshi,
Deputy Commandant/JAD (Ops),
SHQ BSF ISD Anantnag.

Shri Mange Ram,
Sub-Inspector (Now Subedar),
153 Bn. BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervelning night of 25/26th June, 1993 a raid was planned to apprehend Nisar Ahmed Bhat resident of Anantnag, a Pak trained militant of Al-Umar outfit, who normally used to stays at home during night. The house was cordoned and SI Mange Ram approached the main entrance and knocked at the door. As there was no response, the door was pushed open. The party entered the house and searched the ground floor. They did not find any-body there. Thereafter SI Mange Ram alongwith HC Baljit Singh and others decided to check the first floor. While they were climbing stairs, the militants fired and lobbed Grenades on the BSF party. In the attack SI Mange Ram, HC Baljit and one Constable received bullet/grenade splinter injuries.

SI Mange Ram and others, trapped inside the house managed to take positions on the ground floor. Inspite of serious injuries SP Mange Ram did not lose his nerves and ensured that the militants could not escape till the arrival of re-enforcement. SI Mange Ram and HC Baljit Singh, inspite of heavy and effective fire by the militants, continued to hold their positions without allowing the militants to escape. Due to servere injuries and heavy bleeding, SI Mange Ram later fell unconscious. He was rescued by HC Baljit Singh and others who were trapped inside the house.

After sometime the re-enforcement led by Commandant of 153 Battalion, BSF alongwith Shri S. K. Zutshi, JAD (OPS) arrived at the place of encounter. After assessing the situation, they planned an operation to retrieve the injured/trapped BSF men under the covering fire of MMG/LMG. Shri Zutshi made an effective fire of LMG on the militants and succeeded in immobalising them. He moved forward and re-sited the LMG, enabling LMG men to fire effectively on the militants so that the BSF personnel trapped inside could be ruscued. Shri Zutshi moved forward with his party and succeeded in retrieving the injured persons lying on the front side of the house. While, they were in the process of retrieving injured/trapped BSF personnel, militants continued to fire intermittently and also hurled hand-grenades. As a result, four personnel sustained splinter injuries. All the injured persons were rushed to hospital where Constable Hiren Roy was declared dead and Constable Pappu Singh subsequently succumbed to his injuries on 27th June, 1993. In the operations in all four militants were killed and 3 AK-56 Rifles, 3 magazines, and 17 rounds were recovered from the place of encounter.

Head Constable Baljit Singh though injured and bleeding profusely continued to fight with militants till the entire operation was over.

In this encounter S/Shri S. K. Zutshi, Deputy Commandant and Mange Ram, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 54-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Gulab Singh, *(Posthumous)*
Constable,
86 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-8-1993, a patrol party comprising BSF personnel, and AP Police has been patroling jungle area near village Sarasala in Kagaznagar Sub Division of Distt. Adilabad. While the patrol party was searching the area, one of the mines blasted. Constables Daya Ram and Gulab Singh of BSF, got seriously wounded (later on both succumbed to injuries). However, Constable Gulab Singh, had some life left in him. On regaining consciousness, Constable Gulab Singh adjusted his position and retaliated with a heavy volume of fire on the militants. Though he was seriously wounded yet he did not allow the militants to carry away the rifle of Constable Daya Ram. Constable Gulab Singh engaged the anti-social elements, so completely, that they could not kill other wounded members of the patrol party. Thus, he was instumental in saving the lives of other member of his party.

In this encounter Shri Gulab Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-8-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 55-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Subbash Chandra Pal.
Constable,
95 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7th April, 1993, a BSF party consisting of 46 personnel including Constable Subhash Chandra Pal was detailed for cordon and search operation in Srinagar Town. When the party was moving in a 7-ton vehicle through Solina Bazar, the militants lobbed 2 grenades into the rear on the vehicle. The grenade fell on the floor of the vehicle near Constable Subhash Chandra Pal who picked up the grenade in a flash and threw it out of the vehicle, risking his life. The grenade exploded within a second. By this quick reaction, he saved the lives of his colleagues sitting in the vehicle. However, Constable Subhash Chandra Pal received a minor splinter injury on his right hand. Other BSF personnel travelling in the vehicle escaped unhurt.

In this encounter Shri Subhash Chandra Pal, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7-4-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 56-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri K. R. Patel,
Commandant,
21 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 20/21st September, 1993 a cordon and search operation was carried out in area of Rawalpora on the outskirts of Srinagar City. One Company of 82 Battal on was also placed under Shri K. R. Patel Comd., Of 21 Bn., BSF for this operation. The cordon of the area was laid at about 0345 hours on 21-8-1993. Before commencing the search operations, Shri Patel decided to check the troops deployed on the cordon. During checking, Shri Patel reached behind Bone and Joints Hospital, he decided to cut across the orchard to move to the Old Airport Road. After covering some distance, movement of some persons was observed by the troops. Immediately, the party took position and one Naik, who was close to Shri Patel pointed towards the hiding place of the suspected persons. Shri Patel saw 2-3 persons crawling inside a narrow and deep dried water channel with thick grass. Shri Patel advanced towards the water channel and challenged them, but the militants opened fire. Shri Patel reached and returned the fire and killed two militants on the spot. Thereafter, he saw one militant, who was in the process of throwing a grenade. Shri Patel immediately engaged the militant with a burst from his AK-47 Rifle and killed the third militant. The grenade exploded in the hand of the militant resulting in the death of one more militant who was nearby that particular militant.

During search four dead bodies of militants were recovered alongwith 2 AK-56 Rifles, 1 AK-47 Rifle, 1 Grenade throwing gun, 5 Rifle Grenades and large number of live/empty cartridges from the place of encounter.

In this encounter Shri K. R. Patel, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-9-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 57-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri G. S. Virk,
Commandant,
73 Battalion, BSF.

Shri Manohar Lal,
Lance Naik (Now Naik),
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Gurnam Singh Virk, Commandant 73 Battalion, BSF received information that a group of militants will assemble in the orchards South of Village Sangrama and during early hours of 30-8-1993, they will indulge in large scale subversive activities in the area. Shri Virk decided to raid the hide-out. Effective cordon was laid by 0530 hours on 30-8-93. Parties on the Northern and Western flanks were ordered to advance towards the suspected hide-out, while the Commando party under the command of one Assistant Commandant was directed to undertake combing of the hide-out from the Southern flank.

At about 0615 hours when cordon party from Western flank was advancing towards the suspected hide-out, militants opened heavy firing on them. Shri Manohar Lal, Lance Naik, who was leading the LMG Group, was injured on his left foot due to Militants fire. Even then, he immediately took an advantageous position and brought down effective fire on the militants killing two of them on the spot. In the meanwhile other BSF personnel fired heavily on the militants and pinned them down.

In the meantime, Shri Virk monitored the situation, readjusted the parties. When Shri Virk approached the Southern side, militants fired a volley of bullets. Shri Virk visualised that militants had hidden themselves in the broken ground. Shri Virk moved his troops and resisted two sections on the Western flank. Shri Virk himself, alongwith a section of commandos, held on to the vantage point on the eastern side and asked one Assistant Commandant with two sections of Commando Platoon to storm the hide-out from the North-Eastern side. During this period Shri Manohar Lal Continued to bring down effective fire on the militants. Meanwhile the cordon was further tightened and all escape routes were completely sealed. Thereafter, the Assistant Commandant with his Commandos stormed the hide-out from the North-East side. As a result of this firing from the militants side stopped. During search, eight dead bodies of militants were recovered alongwith 5 AK-56 Rifles, 8 Magazines and large quantity of ammunition, from the place of encounter.

In this encounter S/Shri G. S. Virk, Commandant and Manohar Lal, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-8-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 58-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri K. Salim, (*Posthumous*)

Head Constable,
112 Bn.,

Shri K. Lotha, (*Posthumous*)
Naik,
112 Bn.

Shri Pavito Sema
Constable,
112 Bn.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8-12-1993. A BSF party under the Command of Head Constable, K. Salim was deputed for Road opening duty from Post Aghunato to Zunheboto as a BSF convoy was to go to Zunheboto in which a DIG and a Cmdt. of the force were also travelling. The BSF Road opening party, came under heavy fire from the UGs at a close range of about 20/30 yds. when it was just 8 kms away from their destination. The UGs also lobbed a hand grenade on BSF vehicles, killing four members of the BSF party on the spot, injuring seriously the rest and damaging the vehicle completely. Head Constable K. Salim, Naik K. Lotha and Constable P. Sema, despite being seriously injured, returned the fire and kept the UGs at busy and prevented them from closing on to the BSF vehicle till such time, the other alive persons could jump out from the vehicle and take position. The brave act of these police personnel saved the valuable lives of remaining injured BSF persons and also the arms and ammunition carried by them which the UGs were intending to take away. S/Shri K. Salim and K. Lotha, later on succumbed to their injuries.

In this encounter S/Shri K. Salim, Head Constable, K. Lotha, Naik and Pavito Sema, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-12-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 59-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Balkar Singh,
Subedar,
83 Bn., BSF.

Shri D. B. Rana,
Head-Constable,
83 Bn., BSF.

Shri Chanchal Singh,
Constable,
83 Bn., BSF.

Shri Rameshwar Yadav,
Constable,
83 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-6-93, a BSF party alongwith three police personnel including SHO and one Civil guide under the over-all command of Subedar Balkar Singh of BSF deputed to flush out some militants reported to be camping in Ashudhar. On reaching Ashudhar, Subedar Balkar Singh analysed the terrain and deployed one section of BSF on the Southern side of Ashudhar on a high ridge. Rest of the party reached near the main hut. Locals were asked to assemble at one Central place and thereafter, SHO and police personnel started searching the huts. On being satisfied that no militant was hiding in these huts, BSF deployed on Southern ridge was withdrawn. As soon as the BSF party was withdrawn the militants opened heavy volume of fire from their AK 47/56 LMG. UMG sniper rifle and Rocket launcher on the BSF party from North, East and West of Ashudhar, BSF personnel took positions and retaliated immediately. Though numerically

out numbered, BSF party fought heroically. Subedar Balkar Singh alongwth a L/NK fired 2" MOR Bombs at militants. In the process both sustained bullet injuries. The militants also fired two rockets to dislodge Subedar Balkar Singh and his party. In this fiercely fought encounter 10 brave BSF men laid their lives and five were seriously injured. Subedar Balkar Singh planned and executed successfully an evacuation operation of casualities and arms and ammunition. Constable Rameshwar Yadav, who was a member of the search party, took position and returned the fire. On seeing that militants have stepped up their activity and fire, Shri Yadav crawled to the LMG post, manned the LMG and brought down effective fire on militants. Shri Yadav managed to evacuate injured Coy. Cmdr., and four other BSF personnel from Ashudhar area tactfully alongwith their arms and ammunition.

On the Southern side of Ashudhar, Head Constable D. B. Rana and Constable Chanchal Singh dealtwith militants heavy fire very effectively inflicting heavy casualties on militants. Constable Chanchal Singh retaliated with the fire of LMG and succeeded in silencing the militants fire. In the ensuing exchange of fire, Shri Chanchal Singh sustained bullet injury. Even then he took his ground bravely and without caring for personal security dashed to a ventage position and brought down effective fire on militants. In this encounter 8 to 10 militants were killed and 7 to 8 were injured.

In this encounter S/Shri Balkar Singh, Subedar, D. B. Rana, Head Constable, Chanchal Singh and Rameshwar Yadav, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect ofrm 25-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 60-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Satpaul Singh, (*Posthumous*)
Deputy Commandant,
97 Battalion, BSF.

Shri Man Singh Meena, (*Posthumous*)
Assistant Commandant,
97 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-1-1994 Shri Satpaul, Deputy Commandant and Shri M. S. Meena, Assistant Commandant received information that an encounter was taking place between BSF the search party, took position and returned the fire. On seepersonnel of 97 Battalion and militants in a house at Daba Mohala in village Lar. Shri Meena who was close to the place of encounter, immediately rushed to the place of encounter alongwith available force. Simultaneously Shri Satpaul organised his Commando boys and followed him. On reaching there, Shri Satpaul after taking stock of the situation, took position on the roof of the house. Shri Meena alongwith his men took position on the northern side of the house and started effective firing on the militants with his LMG group. Shri Meena without caring for bullets fiying all around, moved forward and managed to reach at a vantage position and sprayed bullets on the hiding militants. Suddenly one of the militants directed a long burst of fire from an automatic weapon on Shri Meena. One of the bullets hit the magazine of Shri Meena's Rifle, which was rendered ineffective. Inspite of this, Shri Meena rushed forward to catch the fleeing militant, but another militant fired a burst from close range ofShri Meena injuring him mortally. Seeing the militants rushing towards Shri Meena, Shri Satpaul came out from the cover and fired at militants and killed one foreign mercenary. However, another militant who managed to reach the adjoining house, fired a long burst from automatic weapon injuring Shri Satpaul critically. Inspite of fatal injuries, Shri Satpaul fired at the militant and injured him. The injured militant tried to escape but Shri Satpaul chased the injured militant but due to injuries and loss of blood he could not proceed further and fell down on the ground. Thereafter, Shri Satpaul was immediately rushed to hospital but he succumbed to his injuries on the way. During search dead bodies of two militants were recovered alongwith 2 AK Rifles, 3 magazines and 1 VHF set.

In this encounter S/Shri Satpaul Singh, Deputy Commandant and Man Singh Meena, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-1-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 61-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Arvinder Singh,
Deputy Commandant,
Frontier HQ BSF,
Baramulla.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

An information was received that a self-styled Battalion Commander of Hizbul Mujjahideen of Baramulla District would hold a meeting at an Apple orchard near village Chunnar in the late hours of 11-5-1994 to plan a series of action against Security Forces. A special search operation with the Commando Troops of 19, 73, 65 Battalions and JAD Team was planned. The force was divided into four groups. Two groups of the force were led by Shri Arvinder Singh. The groups led by Shri Arvinder Singh and Commandant of 65 Battalion, BSF for closer to the hide-out, while the other two groups laid ambush on the road to cover the escape routes. When the party of Shri Arvinder Singh and other party came near the hide-out, the militants opened heavy volume of fire with automatic weapons on the approaching parties. The troops immediately took position. Shri Arvinder Singh was asked to storm the hide-out from the left side. The other party gave covering fire to the advancing group. Shri Arvinder Singh and his party men charged at the hide-out. Sensing movement near the hut, the hiding militants lobbed hand-grenades and also opened heavy volume of fire on the storming troops. As a result of this, one bullet hit Shri Arvinder Singh on his B.P. Jacket on the right side of his chest and two other jawans received minor splinter injuries. Undeterred by this, Shri Arvinder Singh alongwith three commandos, kept on advancing towards the hut. Shri Arvinder Singh was finally successful in lobbing a hand-grenade inside the hide-out through the window. However before the grenade could explode, Shri Arvinder Singh noticed a militant jumping out from the window. He immediately shot him dead on the spot. The dead militant was later identified as Gulam Mohd. Parre codename Naeem Siddiqui a Battalion Commander-cum-Divisional Publicity Chief of HM Outfit. During search one AK-56 rifle with 6 magazines, 15 rounds of AK-56 ammunition, 66 EFCs of AK Series, 1 Pistol and 2 Plastic Hand grenades were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Arvinder Singh, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-5-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 62-Pres./95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ashok Kumar Jha, (*Posthumous*)
Inspector,
113 Battalion, BSF
Kishtwar (J&K).

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5-12-1993 at about 0645 hours, militants opened heavy volume of fire with automatic weapons on BSF Post at Mughal Maidan from hill tops. The militants were spread over the hill slopes in the area of about 500 yards. All the Sentries returned the fire in retaliation from their bunkers and trenches. Other BSF personnel, who were in the barracks/rooms also took position in their respective trenches/bunkers. On hearing the sound of fire, Inspector Ashok Kumar Jha, officiating Company Commander came out of his room to inspire and control his troops and to take position in the trench in front of his room. The moment Shri Jha came out, he was hit by a bullet fired by the militants at his neck below the ear. Inspite of his serious injury, with full dedication, he went upto the trench and fired two rounds from his AK-47 Rifle and thereafter collapsed due to excessive bleeding. Thus he sacrified his life while fighting the militants. He provided inspiring leadership to his troops at a very critical juncture and thwarted the attempts of the militants to run-over the BSF Post.

In this encounter Shri Ashok Kumar Jha, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-12-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 63-Pres./95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri O. N. Pathak,
Subedar,
Sector Headquarter BSF,
Baramulla.

Shri Taranjeet Singh,
Constable, 19 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-3-1994, information was received that a suicide squad of militants would be holding a secret meeting in twin villages Manzseer and Gurseer. A cordon and search operation was planned by Shri G. S. Bal Commandant, 19 Battalion, BSF. At about 0715 hours, both the villages were cordoned. When the troops reached the southern out-skirts, militants opened fire with automatic weapons. As most of the fire came from village Manzseer, Shri Bal launched a commando operations to flush out the militants from that area. For successful conduct of the operation, three groups were formed—one group was led by Shri G. S. Bal with Subedar O. N. Pathak and 7 personnel from commando platoon to cover South-East direction, second led by Shri Arvinder Singh to cover Northern side, third led by Deputy Commandant of 73 Battalion to cover escape routes.

At about 1330 hours, all the three groups closed in on the suspected houses but apparently the militants had left their hide-outs and had taken position on the fortified rooftop of a cow-shed. They opened fire on both the advancing groups. The firing directed towards the groups led by S/Shri Bal and Arvinder Singh was unabated. Both the groups kept on advancing towards the militants position by adopting fire and move tacts. Both the groups managed to reach within 25–30 yards and took cover in the houses close to the cow shed. The party led by Shri Bal took position in a house on South East side whereas the party of Shri Arvinder Singh took position on the North Side. Subedar O. N. Pathak and Constable Taranjeet Singh took position near the window by the side of Shri Bal, who was to direct the fire on the militants. Likewise Shri Arvinder Singh took position at the window alongwith one LMG pair. As the militants came under fire of BSF personnel, in a desperate bid to escape, they threw a grenade at the window where Shri Bal was standing, but in a quick and bold reaction he blocked it with bare hands, resultantly it landed outside in the open and exploded. Thus Shri Bal saved the lives of whole party. Suddenly a long burst of bullets hit the window but luckily all three had a providential escape. Undeterred by this, Shri Bal kept on firing by the side of Constable Taranjeet Singh.

In the meantime, Shri Arvinder Singh noticed that the militants had sprayed bullets which hit the window from where Shri Bal was firing at the militants. By this time, he had exhausted his ammunition, he took the LMG to pin down the militants. Suddenly a burst of bullets came into his direction, which hit the wall of the house and Shri Arvinder Singh had a narrow escape. One of these bullets grazed passed by the right side of his abdomen. Undeterred by the militants fire, Shri Arvinder Singh opened heavy volume of fire with his LMG, as a result of which the militants fire was silenced. Though firing from the militants side stopped but it was not known whether they had been killed or they wanted to draw out BSF personnel to kill them. Shri Bal, therefore, decided to probe it further. He alongwith Subedar O. N. Pathak and Constable Taranjeet Singh came out and approached the suspected house. From the Northern side Shri Arvinder Singh was asked to track down the militant's position alongwith LMG group. The rest of the troops were asked to remain alert. All the four persons cautiously approached the shed adopting fire and move tactice. Finding no response, they climbed on the roof by covering the movement of each other and found three dead bodies of the militants, who were later identified as Abdul Rashid Dar (A Battalion Commander of HM outfit), Mohd. Akbar Shah and Shaukat Ahmed Goru. During search, 3 AK-56 Rifles, 7 magazines of AM series, 1 wireless set (Sony), 1 Chinese Grenade, 5 Electric detonators and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri O. N. Pathak, Subedar and Taranjeet Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19-3-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 64-Pres./95—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Tez Bahadur Chand,
Assistant Commandant,
117 Battalion, BSF.

Shri Faqir Chand, (Posthmous)
Lance Naik,
117 Battalion, BSF.

Shri Gopa Kumar,
Constable,
117 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-12-1993 at aboot 12.30 hours, exchange of fire took place between militants groups in the area of North-East near BSF Post Gupt Ganga. On hearing the sound of gun-fire Shri T. B. Chand, Assistant Commandant alongwith 19 personnel of his post (including L/Naik Faqir Chand and Constable Gopa Kumar) rushed to intercept the militants. On seeing the advancing BSF troops, militants fled towards the dense orchard at the base of the hill range, north of Agricultural University in the area of Nishat. Thereafter, Shri T. B. Chand directed one section to cover the slope of the hill and he alongwith other persons moved along Harvan Canal to prevent escape of militants from the University side. He also directed Company Commander of 'F' Company to send re-inforcement to encircle the militants from the west side.

Shri T.B. Chand and his group when reached near the distributory situated to the east of Agriculture University, they came under heavy volume of fire from the slope of the hill. Immediately Shri Chand ordered his men to take position and return the fire. Appreciating the situation, bombs were fired from 2" Mortar to neutralise the fire of the militants and to check their escape. Thereafter Shri Chand, divided the party in two sections and directed one section to move and climb the hill from North-West side. The other section was directed to give covering fire to the advancing section. In the meantime, the troops located at Chandoura encircled the militants from North-East side by climbing hill from Harwan side. As the militants were encircled from all sides, as a last resort they started firing heavily on BSF parties. The BSF troops retaliated the fire. In the face of heavy volume of fire, Shri Chand alongwith two sections advanced towards East and North-East side to intercept the militants. The militants kept on firing heavily on the advancing troops. Constable Gopa Kumar shot down one of the militants who was firing from behind a rock. In the meantime, some bullets hit Constable Gopa Kumar in his abdomen. Shri Chand escaped narrowly. Inspite of serious injury and profuse bleeding Constable Gopa Kumar kept on firing at the militants till he was removed to Base Hospital.

The militants who were firing from behind the rocks to check the advance of BSF troops were kept engaged by Lance Naik Shri Faqir Chand. While Shri Faqir Chand was engaged in changing the magazine of his LMG a burst of fire hit him on the right side of his chest. Disregarding his injuries, he immediately retaliated and brought down effective fire on the militants with his LMG. As a result of accurate fire of Shri Faqir Chand, one of the militants was killed. Subsequently Shri Faqir Chand succumbed to his injuries. Heavy exchange of fire continued for about 14 hours. Thereafter firing from the extremist side stopped. During search 10 dead bodies of militants, 7 AK-56 Rifles and 3 Chinese 9mm Pistols and large number of live/empty cartridges of different bores were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Tez Bahadur Chand, Assistant Commandant, Faqir Chand, Lance Naik and Gopa Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-12-1993.

G. B. PRADHAN
Dirtctor

No. 65-Pres/95—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Baljit Singh,
Head Constable, 153 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 25/26 the June, 1993 a raid was planned to apprehend Nisar Ahmed Bhat resident of Anantnag, a Pak trained militant of Al-Umar outfit, who normally used to stays at home during night. The house was cordoned and SI Mange Ram approached the main entrance and knocked at the door. As there was no response, the door was pushed open. The party entered the house and searched the ground floor. They did not find any-body there. Thereafter SI Mange Ram alongwith HC Baljit Singh and others decided to check the first floor. While they were climbing stairs, the militants fired and lobbed Grenades on the BSF party. In the attack SI Mange Ram, HC Baljit and one Constable received bullet/grenade splinter injuries.

SI Mange Ram and others, trapped inside the house managed to take positions on the ground floor. Inspite of serious injuries SI Mange Ram did not lose his nerves and ensured that the militants could not escape till the arrival of re-enforcement. SI Mange Ram and HC Baljit Singh, inspite of heavy and effective fire by the militants, continued to hold their positions without allowing the militants to escape. Due to severe injuries and heavy bleeding, SI Mange Ram later fell unconcious. He was rescued by HC Baljit Singh and others who were trapped inside the house.

After sometime the re-enforcement led by Commandant of 153 Battalion, BSF alongwith Shri S. K. Zutshi, JAD (OPS) arrived at the place of eccounter. After assessing the situation, they planned an operation to retrieve the injured/trapped BSF men under the covering fire of MMG/LMG. Shri Zutshi made an effective fire of LMG on the militants and succeeded in immobalising them. He moved forward and re-sited the LMG, enabling LMG man to fire effectively on the militants so that the BSF personnel trapped inside could be rescued. Shri Zutshi moved forward with his party and succeeded in retrieving the injured persons lying on the front side of the house. While, they were in the process of retrieving injured/trapped BSF personnel, militants continued to fire intermittently and also hurled hand-grenades. As a result, four personnel sustained splinter injuries. All the injured persons were rushed to hospital where Constable Hiren Roy was declared dead and Constable Pappu Singh Subsequently succumbed to his injuries on 27th June, 1993. In the operations in all four militants were killed and 3 AK-56 Rifles, 3 magazines, and 17 rounds were recovered from the place of encounter.

Head Constable Baljit Singh though injured and bleeding profiusely continued to fight with militants till the entire operation was over.

In this encounter Shri Baljit Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effcet from 26-6-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 66-Pres/95—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Raghubir Singh, (Posthumous)
Naik, 96 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri V. S. Salunkhe,
Constable, 96 Bn., (Posthumous)
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 9-8-1993 information was recieved about the movement of terrorist, Baldev Singh Hawra and his group in village Gaggarwal, Shri Gurdev Singh, Dy. SP Khammano passed on this information to Shri Narinder Bhargava, SP, Detective, Fatehgarh Sahib and in the meantime rushed to the spot alongwith available force including four Sections of CRPF consisting of Naik Raghubir Singh and Constable V. S. Salunkhe among others and laid cordon around the sugarcane field where the terrorists were trapped. As the police parties started search of the area, the terrorists suddenly opened fire on the police parties. Shri Bhargava, reached the spot alongwith additional force and after taking stock of the situation, decided to search the area of village Gaggarwal. He divided the police force into 7 parties and started search from village Sidhpur side. As the police parties under Shri Bhargava and Shri Gurdev Singh reached near the sugarcane field, the terrorists started heavy firing on the police parties. Shri Bhargava immediately instructed the police parties to take lying position and opened fire in self defence, while Shri Bhargava and Shri Gurdev also opened fire at the terrorists. In the exchange of fire two Punjab police personnel who were in the forefront were seriously injured. At this juncture, Shri Salunkhe, retaliated the fire on the terrorists who tried to break the police cordon and at the same time Shri Salunkhe sounded his mates to shift the injured. Shri Bhargava and Shri Gurdev Singh, putting their lives to great risk in the face of heavy fire from automatic weapons, crawled towards the injured police personnel and moved them to safety and rushed them to hospital. Shri Salunkhe had by then kept the terrorists pinned but as he jumped from one place to another for more effective firing, he was hit by the bullets from the terrorists AP-56 rifle and was grievously hurt, but he maintained his hold till he was evacuated to hospital (succumbed to injuries on the way) Shri Bhargava having assessed the situation informed SSP, Fatehgarh Sahib and requested for bullet proof tractors and in the meantime he alongwith Shri Gurdev Singh returned the fire from their AK-47 rifles. On arrival of the bullet proof tractors, Shri Bhargava, Shri Gurdev Singh and Shri Raghubir Singh mounted the bullet proof tractors alongwith other personnel and entered the sugarcane fields. As the tractors entered the field, the terrorists in hiding, opened heavy fire at the tractors, which resulted in bursting of tyres and immobilised the tractors and personnel inside the tractors received bullet injuries. Shri Raghubir Singh noticed one terrorist armed with AK-56 rifle in his hand sheltering on the side of bullet proof tractor. Shri Raghubir Singh appreciating the situation, jumped out of the tractor and grappled with the terrorist to secure his arrest. Shri Raghubir Singh bravely grappled with the terrorists, but the terrorist suddenly slipped out from the clutches of Shri Raghubir Singh. The terrorist opened burst fire from his AK-56 rifle at Shri Raghubir Singh, resulting in severe injuries. In the meantime Shri Raghubir Singh even though in injured condition charges at the terrorist with his SLR, while the other personnel also opened fire at the terrorist and killed him on the spot. Shri Raghubir Singh who was severely injured subsequently succumbed to his injuries. The dead terrorist was identified as Didar Singh @ Dari who carried a reward of Rs. 10 lakhs. One AK-56 Assault rifle with 3 magazines and live rounds were recovered from the dead terrorist.

In this encounter S/Shri Raghubir Singh, Naik and V. S. Salunkhe, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9-8-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 67-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri M. L. Meena,
Deputy Commandant,
100 Bn., CRPF.

Shri Kalu Ram Kad, (*Posthumous*)
Constable/Driver,
100 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 9-8-92 at about 12.45 hours information was received regarding presence of three dreaded terrorists in village Govindpura Jawaharwala under PS Lehragagga Distt. Sangrur. Immediately on receipt of this information, Shri M. L. Meena, DC(Ops) 100 Bn., CRPF rushed to Lehragagga and planned a combined operation of CRPF and Punjab Police. The police party under Shri M.L. Meena, DC including Constable/Driver Kalu Ram were deployed to cordon the west side road of village, but the party had hardly reached the west side road when sound of firing was heard. Shri Meena sent five personnel of his party to cover one end of the west road and he himself ran and covered the other end. Two terrorists carrying assault rifles an wearing ammunition jackets came running from a side lane joining the west road towards the party. The police party who were in waiting rushed towards the terrorists and opened fire with SLR. On seeing this the terrorists turned back and disappeared behind a wall and as anticipated the terrorists came at the gate of a house on west side road and opened fire, but in the meantime the police party had changed position, fired back at the terrorists. Shri Meena positioned at the other end of the road saw the terrorists and fired a long burst at the terrorist with his carbine. The terrorist ducked behind the gate wall and after a few minutes came out running firing with AK-56 rifle. In the directioin of Shri Meena and attempted to break the cordon, but Shri Meena stood his ground, which made the terrorist abandon his attempt to break the cordon and rushed to enter the gate of another house, where he noticed Constable Kalu Ram who had taken position very close to the gate. Shri Meena who saw this asked Constable Kalu Ram to fire and started running towards the terrorist firing with his carbine. The terrorist and Constable Kalu Ram simultaneously fired at each other, but in the process Constable Kalu Ram was hit in the stomach. Inspite of being injured Shri Kalu Ram careful aim and fired at the terrorist who was hit on the chest and fell down dead. Constable Kalu Ram was evacuated to Civil Hospital and search for the second terrorist was started who was found hidding inside the four legs of a fodder cutting machine. Shri Meena opened fire at the terrorist and the terrorist also fired at Shri Meena. Shri Meena was hit in the left elbow and near the left waist. Though profusely bleeding Shri Meena fired back at the terrorist and killed him. The two dead terrorists were identified as Yadvinder Singh Pinka Lt. Genl. and Area Commander of KLF and Balwinder Singh Surjan Bhini from whose possession two AK-56 rifle and six Magazines were recovered. Later Constable Kalu Ram Kad succumbed to his injuries while Shri Meena was administered medical aid.

In this encounter S/Shri M. L. Meena, Deputy Commandant and Kalu Ram Kad, Constable, desplayed conspicous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carry with them the

the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9 8-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 68-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Pushkar Dutt Joshi,
Constable,
18 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 5-10-91 one Section of D Coy under Command of a Naik including Constable Pushkar Dutt Joshi and Punjab Police personnel were patrolling village Nangal at about 2330 hours. A Constable of Punjab Police who was leading the Section with Constable Pushkar Dutt Joshi as scout, heard the Sound of foot-steps approaching them Immediately the Constable in the lead flashed his torch and saw 4 to 5 persons coming in their direction. Constable Joshi challenged them to stop but they opened fire with automatic weapons on the police party. All members of the police party immediately took up position, but Constable Joshi unmindful of his safety returned the fire with quick reflex and without loosing time or looking for cover, which would have resulted in loss of valuable time and effective fire position. In the exchange of fire, Constable Joshi was hit by a bullet in his lower abdomen and fell down. Despite being grievously injured and profusely bleeding, continued to return the fire as a result of which one terrorist was killed on the spot while the others managed to escape in the darkness. The killed terrorist was later identified as Ranjit Singh alias Rana, a member of Pula gang of KCF. The injury of Constable Joshi immobilished him and he remained bed-ridden for over six months.

In this encounter Shri Pushkar Dutt Joshi, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5-10-1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 69-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Usha Shankar,
Assistant Commandent,
80 Battalion, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-6-93, Shri Rohit Chowdhary, SSP, Batala, got an information about the presence of listed hardcore extremists Shamsher Singh alias Shera and Amarjit Singh alias Billa at the tubewell of one Shri Bakshish Singh PS Sri Hargovindpur. Shri Chowdhary immediately rushed to the spot alongwith Punjab Police personnel and personnel of CRPF including Shri R. Usha Shankar Asstt. Commandant of CRPF. After cordoning the area, Shri Chowdhary alongwith Shri Dilwar Singh, Dy. S. P., Punjab Police and Shri R. Usha Shankar, Assistant Commandant, CRPF, advanced towards the tubewell. As they were near the tubewell, they received heavy fire from the extremists. The fire was immediately returned by the Police personnel. The extremist firing hit Shri Usha Shankar, Assistant Commandant, CRPF injuring him graveously. Despite suffering serious bullet injuries, Shri Usha Shankar continued to inspire his men by firing at the terrorists. Shri Usha Shankar was successfully brought to a safer place by Shri Rohit Chowdhary. In this encounter both the extremists were killed.

In this encounter Shri Usha Shankar, Asstt. Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 70-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohd. Yousuf,
Lance Naik,
37 Bn., CRPF.

Statemnet of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-3-93 at about 9.30 AM, information was received about the presence of terrorists belonging to KCF (Panjwar) in areas near village Rahimpur. On receipt of this information, a police party consisting of Punjab police and CRPF including Constable Mohd. Yousuf, reached the area and started search of the farm houses. In the meantime Shri Yousuf, noticed three armed terrorists running away from a nearby farm house of Shri Surinder Singh. On seeing the fleeing terrorists, Shri Yousuf tried to intercept and nab them, but was prevented due to heavy automatic firing opened by the terrorists. The terrorists adopted fire and run tactics, but undeterred Shri Yousuf chased them till they ran in different directions. The area was partially cordoned with available force and more re-inforcement was called for. In the meantime, taking advantage of the thin cordon, one terrorist managed to escape. Shri Yousuf chased the terrorist for about 1½ Kms, and succeeded in injuring the terrorist, who ultimately took shelter in the house of Sadhu Singh. The police started search of the farm house. While searching the backyard of the farm house, the terrorist who was hiding in a heap of dry sarkanda, came out and opened burst fire with his AK-47 rifle. As a result of this one Naik of CRPF was killed on the spot, while another Constable was injured seriously. Shri Yousuf alongwith other police personnel, at great risk to his life and in the face of death, cordoned the terrorist who took shelter in a room and Shri Yousuf in a daring act of courage opened fire at the terrorist and shot him dead on the spot. The other two terrorists managed to escape under the cover of sugarcane crops. The dead terrorist was later identified as Baljinder Singh Binda, a most dreaded terrorist of KCF (Panjwar), from whose possession 1 AK-47 rifle, one .30 Mouser Pistol, one stick grenade and huge quantity of arms of AK-47 was recovered.

In this encounter Shri Mohd. Yousuf, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 71-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officer

Shri A. Barla,
Lance Naik,
43 Bn., CRPF.

Shri Bhoop Singh,
Constable,
75 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Based on information about presence of terrorists, a search operation was planned on 23-4-92. in village Gill Wairch and Bakipur under PS Jhabal. Three parties of CRPF including L/NK A. Barla and Const. Bhoop Singh alongwith local police, while advancing towards behak of village Gill Wairch at about 0720 hours, observed that 3 suspected persons have started running on seeing the CRPF Party. The CRPF Party immediately challenged them to stop, instead they turned back and opened fire on the police party and escaped towards the fields in different directions. The CRPF party laid cordon with available force and asked for reinforcement on wireless. On receipt of this information, Commandant 75 Bn. rushed with reinforcement and after taking stock of the situation, divided the force into five groups and despatched to carry out thorough combing/search of fields and behaks. One party consisting of L/NK A. Barla and Constable Bhoop Singh together with other personnel, were advancing towards the behak of Shri Kuldeep Singh of village Gill Wairch, when the terrorists positioned in a behak fired heavily on it, and launched grenades. L/NK Barla and Constable Bhoop Singh, undeterred by the heavy firing and with great courage, advanced towards the behak by fire and move tactics and managed to reached near the boundry wall and took position. In the process both had a miraculous escape from the burst fire from automatic weapons. In the meantime 4 bullet proof tractors were pressed into service from different directions. On seeing this, the terrorists changed their direction towards the tractors and fired grenades. Taking advantage of this situation, L/NK Barla armed with a LMG swiftly crawled further, managed to reach the entrance gate and took alert position, while Constable, Bhoop Singh, without caring for his life, went on roof top of behak, dug hole and lobbed one hand grenade inside. and quickly returned and took position near L/NK Barla. In the meantime two terrorists, fearing danger to their lives, rushed out from the room firing indiscriminately to terrorise the advancing troops. Seeing the terrorists coming out, L/Naik Barla and Constable Bhoop Singh, who were positioned very near the terrorists, sprayed bullets from their LMG and SLR respectively, as a result one of the terrorist fell down in the court-yard, while the other scaled the boundry wall and jumped towards the fields. A bullet proof tractor advancing in the direction of the second terrorist sprayed bullets on him and killed him on the spot. When firing from the terrorists stopped, a thorough search of the field and behak was carried out and one more body was found in the room of the behak. The *three killed terrorists* were identified as Surinder Singh @ Mana @ Shahid, Maniinder Singh @ Jinda and Gurdev Singh @ Deba. *One Dragnov snipher rifle with telescope and two magazines, 1 AK-47 rifle, 1 AK-54 Rifle, 8 magazines, 1 Grenade launcher and live cartridges were recovered from the dead.*

In this encounter S/Shri A. Barla, Lance Naik and Bhoop Singh, constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-4-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 72-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officer

Shri R. S. H. S. Sahota,
Second-in-Command,
7 Battalion, CRPF.

Shri Tribhuvan Singh,
Constable,
7 Battalion, CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-7-1992 SHO PS Lopoke received information that members of Babbar Khalsa Organisation were hiding in the farm houses of village Kalowal. He alongwith force reached there and started search. When the police party was carrying out search near the farm-house of one Mewa Singh Jat, they noticed three suspected persons armed with Assault Rifles. On seeing the police party, two extremists slipped into the field to the west of the farm while the third entered the 'Chari' field towards the east. SHO, P. S. Lopoke alongwith police force chased the extremist, who was hiding in the 'Chari' field and the remaining two were chased by Sub-Inspector and party. In the meantime, police party cordoned the village and SSP Majitha and SP, Hqrs, Majitha were informed on wireless set and requested for reinforcement.

On receipt of this information, SSP Majitha alongwith Shri H. S. Randhawa, SP, Hqrs., Majitha and 7 Bn., CRPF, under Shri R. S. H. S. Sahota, 2 I/C and force including Constable Tribhuvan Singh reached the spot. On reaching there, the police parties challenged the terrorist to surrender but he opened heavy fire on the police parties. Realising the gravity of the situation, it was decided to confront the terrorist in bullet proof tractor. Shri Randhawa, SP mounted the bullet proof tractor and entered the field where the terrorist was hiding but the extremist opened fire on the tractor. Shri Randhawa unmindful of his personal safety and security fired back on the extremist who was killed by the effectively firing of Shri Randhawa.

After the killing of the first extremist, the police party went to village Kalowal in search of remaining two extremists, who managed to escape from the place of encounter. The extremists on seeing the police party returned the fire in self defence. In the meantime the extremists managed to enter the house of one Anoop Singh and kept on firing on the police party. Shri Sahota, 2-I/C of 7 Bn., CRPF seeing the extremists entering the house and realising that the terrorists was well entrenched and any amount of firing would not yield the desired result, decided to lob hand granades. Shri Sahota alongwith Constable Tribhuvan Singh and other personnel advanced under heavy fire and under cover fire from own force, took position behind the walls of western side and lobbed 3 granades inside the compound forcing the terrorist to take shelter inside the rooms. Shri Sahota alongwith Constable Tribhuvan Singh climbed the roof top, took lying position and fired at the terrorists in order to confine them to one room. Shri Sahota and Shri Tribhuvan Singh dug holes in the roof to lob grenades, but on completion of digging of holes in the roof, the terrorists projected barrel of assault rifle and fire at Shri Sahota and his men on the roof. On throwing of grenades, the terrorist removed from one room to the other and as grenades exhausted Constable Tribhuvan risked his life in the face of heavy fire and brought more grenades from the cordon party and lobbed 3 more grenades inside the room and simultaneously fired inside which resulted in injuring the terrorist. After sometime Shri Sahota and Constable Tribhuvan Singh came down from the roof to clear the room and in the process the injured terrorist opened fired at Shri Sahota. Shri Sahota moved to other side and fired at the terrorist with his AK-47 and killed him. The two killed terrorist were identified as Kashmir Singh @ Sheera who was responsible for over 200 killing and the second as Amrik Singh a hard core terrorist of Babbar Khalsa. Two AK-47 rifles alongwith 4 magazines and large quantity of live/empty cartidges were recovered from the killed terrorists. However, the third terrorist managed to escape under the cover of crops.

In this encounter S/Shri R.S.H.S. Sahota second-in-Command, and Tribhuvan Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-7-1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 73-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officer

Shri B. S. Chouhan,
Second-in-Command,
33 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-6-1991 at about 0730 hours Shri B. S. Chouhan, Commandant was carrying out inspection of his Coy, when he heard the sound of fire from automatic weapons. On inquiry, it was gathered that SHO, Govindwal, who was carrying out search of Farm Houses at village Khan Chhabri came in contact with terrorists and have been fired upon. Immediately on receipt of this information, Shri Chouhan, alongwith Shri Som Prakash, Inspector and 3 Platoons of CRPF personnel including Shri Raghunath Prasad Lance Naik rushed to the place of operation and cordoned the area. Shri Chauhan after taking stock of the situation, took command, but in the meantime, the terrorists who had taken position in the farm house of Shri Jagir Singh fired on the police party. When Shri Chouhan and his men returned the fire and started closing in on the farm house, the terrorists sneaked out of the farm house and took position on a small high feature covered by thick trees and plants which provided natural cover to the terrorists.

Seeing the gravity of the situation, it was decided to lob grenades on the terrorists who were firing with automatic weapons. Shri Som Prakash and Shri Raghunath Prasad moved close to the feature at great risk and lobbed grenades under covering fire, but this did not produce the expected result and a similar exercise for the second time also did not produce the result. Shri Chouhan directed Shri Som Prakash and Shri Raghunath to locate the exact position of the terrorists while he himself advanved in the opposite direction to give effective cover. Shri Som Prakash who was wearing a bullet proof jacket moved towards the position of the terrorists followed by Shri Raghunath, but as they reached near the terrorists, a volley of fire came on them, injuriing Shri Som Prakash on his upper right arm. Inspite of being injured he shot at the terrorists and eliminated one of them. Shri Som Prakash was immediately evacuated to hospital. As the terrorists were well entrenched, repeated lobbing of grenades did not yield the desired result, hence it was decided to use tear smoke to force the terrorists out. Shri Chauhan with his escort took the bullet proof vehicles with tear smoke, moved very close to the terrorists and fired long range/short range shells on the terrorists. The terrorists resorted to indiscriminate firing on the police party in which one Head Constable was injured in his leg. As this attempt also proved futile, it was decided to use improvised mototov cocotail followed by HE 36 grenades and tear smoke grenades. Shri Raghunath alongwith 2 other Constables approached the said feature, which Shri Chouhan approached in his bullet proof vehicle from opposite direction. As planned the mototov cocktail bomb/grenades were lobbed simultaneously. The terrorists position caught fire and the terrorists came running out firing at Shri Chouhan, Lance Naik Raghunath and his party in which Shri Raghunath suffered grave bruises on his left shoulder. Shri Chouhan, Lance Naik Raghunath and his party positioned in anticipation of the terrorists coming out, effectively returned the fire and killed the other terrorist. When no firing was coming from the terrorists for some time, the police party went in search of the area and recovered two dead bodies of terrorists, who were later identified as Jasbir Singh Tanda and Avtar Singh Bhangoo, both hardcore terrorists of K. L. F. One AK-47 rifle, one AK-74 rifle with 4 magazines and live/empty rounds were also recovered. This encounter lasted for about 6 hours.

In this encounter, Shri B. S. Chouhan, Second-in-Command displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-6-1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 74-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Jai Mini Dutt,
Naik, 10 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-3-1992, SP (Ops) Majitha received information that one Amrik Singh S/o Joginder Singh, who was kidnapped by extremists has been kept in village Fatehgarh Sukerchak, P. S. Sadar Amritsar. Police parties consisting of personnel of Punjab Police and 10 Bn. CRPF including Constable Sahib Singh and Naik Jai Mini Dutt under command of SP (Ops) cordoned the village and started search. At about 1430 hours when the police parties were in the process of cordoning the houses of Manjit Singh and his brother, Massa Singh, the extremists hiding there suddenly opened heavy firing with sophisticated weapons on the police parties. The police parties returned the fire in self defence. While the firing was continuing, Constable Sahib Singh alongwith two other Constable of Punjab Police and Naik Jai Mini Dutt of CRPF advanced towards the extremists without caring for their personal safety. On seeing the advancing personnel, the extremists started firing at them. In the process Constable Sahib Singh erceived serious bullet injuries and fell down but his accurate firing resulted in the killing of one of the extremist. Naik Dutt with great courage and risk to his life rescued Amrik Singh. In the meantime the other extremist crossed over the partition wall, entered the house of Massa Singh, bolted the door from inside and started firing from a window at the police party. In the meantime reinforcements arrived and after taking stock of the situation, it was decided to lob hand grenades in the room where the terrorist was hiding. Naik Jai Mini Dutt at great risk to his life crawled to the window from where the terrorist was firing and hurled one hand grenade inside the room, but this did not produce the desired result, so Shri Dutt decided to lob grenades from the roof. Shri Dutt climbed the roof of the house made holes in the roof and lobbed 4 more hand grenades inside the room as a result the firing from the extremist stopped. On search of the room a dead body of a terrorist was found who was later identified as Jaspal Singh @ Jassa. One AK-47 rifle with 3 magazines, one mouser and 12 rounds of AK-47 rifle were recovered from the spot.

In this encounter Shri Jai Mini Dutt, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-3-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 75-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of Officers

Shri Prabhati Bhai,
Naik,
79 Bn., CRPF.

Shri Alluappa Rao,
Constable,
79 Bn., CRPF.
Shri Vinod Kumar,
Constable,
79 Bn., CRPF.

Shri Shambu Hembram,
Constable,
79 Bn., CRPF.
Shri Shesh Mani Mishra,
Constable,
79 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12-5-1988 a joint operation was carried out in village Shahpur/Takapur under PS Beas of District Amritsar and troops were mustered from various coys deployed in Baba Bakala Sector, including a Section of 79 Bn., consisting of Naik Prabhati Bhai, and Constables Alluappa Rao, Vinod Kumar, Shambu Hembram and Shesh Mani Mishra. Shri Prabhati Bhai, Naik, and Constables Alluappa Rao, Vinod Kumar, Shambu Hembram and Shesh Mani Mishra were deputed to conduct mobile patrolling on the Kucha Road running parallel to the irrigation canal between Takapur and Dayalbagh bridge to prevent the escape of the terrorists during search/raid.

At about 0645 hours, when the patrolling party turned back from Dayalbagh bridge, they noticed three Sikh youths heading towards village Shahpur, in a suspicious manner. Immediately Shri Prabhati Bhai along with his men tactfully rushed towards the village Shahpur. On seeing the police personnel, the terrorists started running in the open wheat fields. The police party was divided into two groups, one comprising of Const. Shesh Mani Mishra and Const. Alluappa Rao, who started chasing the terrorists from the left side, while the second group consisting of Constables Vinod Kumar and Shambu Hembram led by Naik Prabhati Bhai ran on the kucha road leading towards village Shahpur to intercept the terrorists from the right side. At this point *one of the terrorists turned back and opened fire with AK-47* Chinese Assault Rifle on Constables Shesh Mani Mishra and Alluappa Rao. Undeterred both the Constables returned the fire and advanced ahead fearlessly. Intermittent firing continued between the terrorists and the CRPF personnel. The terrorists were adopting fire and run tactics and frequently changed places in the thick wheat crop which gave an excellent cover. In the meantime, Shri Prabhati Bhai and his party took tactical position in the fields near the farm house of Mewa Singh of Shahpur, trapping the terrorists. Seeing themselves surrounded on either side by the police parties, the terrorists made a desperate attempt to break the cordon by opening fire on both the groups. Both the police parties eventhough being fully exposed to bullets of the terrorists, did not loose their cool and without caring for their personal safety and at grave risk to their lives, Const. Alluappa Rao and Const. Shesh Mani Mishra from one side and Naik Prabhati Bhai, Const. Shambu Hembram and Const. Vinod Kumar from the other side, advanced further and fired from a very close range, which resulted in the elimination of two terrorists, while the third managed to escape. The two dead terrorists were identified as Balkar Singh and Kuldeep Singh from whose possession one AK-47 rifle and a 9 MM pistol with large quantity of ammunition was recovered.

In this encounter S/Shri Prabhati Bhai, Naik, Alluappa Rao, Vinod Kumar, Shambu Hembram and Shesh Mani Mishra, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-5-1988.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 76-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:—

Name and Rank of the officer

Shri Som Prakash,
Inspector of Police, 33 Bn,
Central Reserve Police Force.

Shri Raghunath Prasad,
Lance Naik, 33 Bn,
Central Reserve Police Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 26-6-1991 at about 0730 hours Shri B. S. Chouhan, Commandant was carrying out inspection of his coy. When he heard the sound of fire from automatic weapons. On inquiry, it was gathered that SHO, Govindwal, who was carrying out search of Farm Houses at village Khan Chhabri came in contact with terrorists and have been fired upon. Immediately on receipt of this information, Shri Chouhan, alongwith Shri Som Prakash, Inspector and 3 Platoons of CRPF personnel including Shri Raghunath Prasad Lance Naik rushed to the place of operation and cordoned the area. Shri Chouhan after taking stock of the situation, took command, but in the meantime, the terrorists who had taken position in the farm house of Shri Jagir Singh fired on the police party. When Shri Chouhan and his men returned the fire and started closing in on the farm house, the terrorists sneaked out of the farm house and took position on a small high feature covered by thick trees and plants which provided natural cover to the terrorists.

Seeing the gravity of the situation, it was decided to lob grenades on the terrorists who were firing with automatic weapons. Shri Som Prakash and Shri Raghunath Prasad moved close to the feature at great risk and lobbed grenades under covering fire, but this did not produce the expected result and a similar exercise for the second time also did not produce the result. Shri Chouhan directed Shri Som Prakash and Shri Raghunath to locate the exact position of the terrorists while he himself advanced in the opposite direction to give effective cover. Shri Som Prakash who was wearing a bullet proof packet moved towards the position of the terrorists followed by Shri Raghunath, but as they reached near the terrorists, a volley of fire came on them, injuring Shri Som Prakash on his upper right arm. Inspite of being injured he shot at the terrorists and eliminated one of them. Shri Som Prakash was immediately evacuated to hospital. As the terrorists were well entrenched, repeated lobing of grenades did not yield the desired result, hence it was decided to use tear smoke to force the terrorists out. Shri Chauhan with his escort took the bullet proof vehicles with tear smoke, moved very close to the terrorists and fired long range/short range shells on the terrorists. The terrorists resorted to indiscriminate firing on the police party in which one Head Constable was injured in his leg. As this attempt also proved futile, it was decided to use improvised mototov cocktail followed by HE 36 grenades and tear smoke grenades, Shri Raghunath alongwith 2 other Constables approached the said feature, while Shri Chouhan approached in bullet proof vehicle from opposite direction. As planned the mototove cocktail bomb/grenades were lobbed simultaneously. The terrorists position caught fire and the terrorists came running out firing at Shri Chouhan, Lance Naik Raghunath and his party in which Shri Reghunath Suffered grave bruises on his left shoulder. Shri Chouhan, Lance Naik Raghunath and his party positioned in anticipation of the terrorists coming out, effectively returned the fire and killed the other terroris. When no firing was coming from the terrorists for some time, the police party went in search of the area and recovered two dead bodies of terrorists, who were later identified as Jasbir Singh Tanda and Avtar Singh Bhangoo,

both hardcore terrorists of K.L.F. One AK-47 rifle, one AK-74 rifle with 4 magazines and live/empty rounds were also recovered. This encounter lasted for about 6 hours.

In this encounter S/Shri Som Prakash, Inspector of Police and Raghunath Prasad, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-6-1991.

G. B. PRADHAN,
Director.

[No. 77-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Railway Protection Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri A. K. Sharma,
Sub-Inspector, RPF,
Eastern Railway,
Asansol.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-6-93 at about 7.30 hours, information was received about the presence of a gang of 10/12 criminals armed with deadly weapons in the Electric TRS shed at Asansol to commit theft of mostly engine components from a stabled electricV loco No. WAG-A 2 1073. On receipt of this information, Shri A. K. Sharma, Sub-Inspector/RPF alongwith force rushed to the spot and confronted the criminals who were seen removing the bateries and cables. On seeing the security personnel some of the criminals fled away four of them took shelter inside the engine. Shri Sharma asked the RPF staff to cordon the engine and directed to criminals the surrender. Instead the Criminals opened fire at the RPF personnel from inside and hurled boms. As a result of this, Shri Sharma and two constables received injuries. At this juncture, Shri Sharma made a daring move and at great risk to his life, climbed on the cab of the engine and opened fire from his revolver through the glass of the engine. Quickly thereafter, he entered the cabin of the said engines, and fired at the criminals in quick succession. Having emptied his revolver he, called for another weapons from his colleagues, positioned outside the engine and continued his shoot-out at the criminals. Seeing the daring move of Shri Sharma, the criminals made an attempt to escape by jumping out of the engine. The Security personnel positioned outside, immediately opened fire at the criminals, and gunned them down. In all four criminals were killed in the encounter who were identified as (1) Mohd. Kalim Pilua, (2) Habibur Rahman (3) Md. Muktar and (4) Md. Nausad. Three pipe guns, 8 live rounds and live bombs were recovered from their possession. This gang had been responsible for many cases of robbery of cables, root plates and other sophisticated engine components from electric TRS shed.

In this encounter Shri A. K. Sharma, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consquently carries with it the special allowance admissible under rule 6, with effect from 25-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 14th December 1994

RESOLUTION

F. No. E. 11011/17/94-Hindi-IV.—The following amendments shall be made in the Annexure to the Ministry of Finance, Department of Revenue, Resolution No. E. 11011/2/92-Hindi-IV dated the 5th January 1994 regarding constitution of the Joint Hindi Salahakar Samiti of the Department of Revenue and the Department of Expenditure :—

(a) Against Serial No. 11, the entry "Shri Ved Prakash Vedic" shall be read as "Shri Ved Pratap Vedic".

(b) Against Serial No. 20, the entry "Director General, Directorate of Income-tax (RS&P), New Delhi," shall be read as "Director General Income-tax (Admn.), New Delhi."

(c) Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, may be included as Member at Serial No. 28.

(d) Additional Secretary (Admn.), Department of Revenue, North Block, New Delhi—Member-Secretary shall be re-numbered as Serial No. 29.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. N. MOOKERJEE
Addl. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)
(C. G. F. DESK)

New Delhi, the 20th December 1994

RESOLUTION

No. Granite/3 (51)/94-CGF.—Government of India have decided to constitute the Development Panel for Granite Industry with the following composition and for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri R. Vecramani,
Gem Granites, Madras.

Members

2. Director (C.G.F. Desk),
Department of Industrial
Development, New Delhi.

3. Shri Raghav Chandra,
D. S. (FTM&O),
Ministry of Commerce.

4. Shri D. V. Singh,
Director,
Ministry of Mines.

5. Shri Y. S. Shahrawat, D. S.,
Department of Revenue (TRU).

6. Director,
Indian Bureau of Mines.

7. Shri Y. R. Shah,
Oriental Select Granites
(P) Ltd., Bangalore.

8. Shri Munawas Basha,
Evershine Granites, Kuppam.

9. Shri E. Uttam Kumar,
Deccan Granites Ltd.,
Hyderabad.

10. Shri K. Subba Reddy,
Pallava Granite Industries,
Madras.

11. Shri Ramesh Bohra,
Fateh Granite & Marbles (P) Ltd.,
Jalore, Rajasthan.

12. Shri Vinay Poddar,
President,
All India Granite & Stone, Assn.
Poddar Granites, Bangalore.

13. Shri R. P. Jhunjhunwala,
Grapco Granites Ltd.,
Calcutta

14. Shri Atul Sharma,
Peethambra Granites (P) Ltd.,
Jhansi, (U.P.).

15. Shri A. K. Agarwal,
Rajasthan Udyog, Jodhpur.

16. Shri Swapan Shah,
M. L. Shah (Machinery) Pvt. Ltd.
Bombay.

17. Shri Satyanarayan Khaitan,
Anil Steel & Industries Ltd.,
Jaipur, Rajasthan.

18. Shri Vivek Misra,
Precious Minerals & Industrial
Equipment Co., Pune.

19. Capt K. S. Alvares,
Alvares & Thomas, Mangalore.

20. Shri R. Dwarakanath,
Flat No. 411,
Sangam Apartments,
Ashiyana Nagar, Phase-II,
Patna-800 025.

22. Shri K. K. Lal,
Partner,
Hindustan Wax Mfrg. Co.,
12, Industrial Area Kokar,
Ranchi-834 001.

23. Shri R. C. Sinha,
Vaishal Nav Nirman Pvt. Ltd.,
Abhay Bhavan (4th Floor),
Frazer Road, Patna-800 001.

Member-Secretary

24. Shri K. K. Sil,
Desk Officer (OGC Desk),
Deptt. of Indul. Development,
Udyog Bhavan, New Delhi.
Ministry of Agriculture.

(i) To review the present status of industry region-wise and recommend necessary measures for accelerated growth.

(ii) To study the current status of technology, assess the needs of industry for technological upgradation, energy conservation, etc. and recommend necessary measures for its implementation.

(iii) To explore the export potential of the Granite products for increasing exports and also to suggest developmental activities leading to import substitutes in terms of product, raw materials, components, etc.

(iv) To make recommendations relating to R&D activities in the industry for exploring the potential of raw materials for high-tech product.

(v) Any other aspects which the Panel deems important in the interest of the growth of development of Granite industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILA BHARDWAJ,
Director

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th December 1994

F. No. 1/94/90-CTM.—The Government of India have decided to reconstitute the Cotton Advisory Board orginally set up in October, 1958 and subsequently reconstituted from time to time.

The Board, as now reconstituted, will consist of the following members :—

REPRESENTING CENTRAL GOVERNMENT

Chairman

1. Textile Commissioner,
Government of India,
Ministry of Textiles,
Bombay.

Members

2. Joint Secretary,
Incharge of Cotton in the
Ministry of Textiles,
New Delhi.

3. Joint Secretary (Trade),
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

STATE GOVERNMENTS

4 to 6.
Secretary/Director to Government
Incharge of Agriculture of the
States of Madhya Pradesh,
Punjab and Karnataka.

GROWERS

7. Shri Nagendra Singh,
Pokhran House,
PWD Road,
Jodhpur, (Rajasthan).

8. Shri Mukunda Reddy,
Peddapally,
Karimnagar (Distt.),
Andhra Pradesh.

9. Shri Shankar Lal Guru,
Oonja,
Distt. Mehsana,
(Gujarat).

INDUSTRY

10. Chairman,
Indian Cotton Mills' Federation,
Bombay.

11. President,
All India Federation of Cooperative Spinning Mills Ltd.,
Bombay.

12. Chairman-cum-Managing Director,
National Textile Corporation Ltd.,
New Delhi.

13. President,
South India Small Spinners Association, Coimbatore (TN).

TRADE

14. Chairman-cum-Managing Director,
Cotton Corporation of India Ltd.,
Bombay.

15. Managing Director,
Maharashtra State Cooperative Cotton Growers' Marketing Federation Ltd.,
Bombay.

16. President,
East India Cotton Association,
Bombay.

17. Chairman,
All India Cooperative Cotton Federation Ltd.,
Ahmedabad.

GINNING AND PRESSING SECTOR

18. President of Ginners Association/ Federation of Punjab.

HANDLOOM SECTOR

19. Sh. Manzoor Ahmed Ansari,
Chottanagpur, Bihar.

POWERLOOM SECTOR

20. Shri MKN Nagamanickam,
Chairman,
All India Powerloom Federation,
77, West Colony,
Komarapalayam-638 183,
Salem Distt.
Tamil Nadu.

COTTON RESEARCH AND DEVELOPMENT

21. Director,
Central Institute of Cotton Research,
Nagpur, (Maharashtra).

Member-Secretary

22. Joint Textile Commissioner,
Office of the Textile Commissioner,
Bombay.

2. The Board will advise the Government generally on matters pertaining to production, consumption and marketing of cotton including matters within the purview of the Cotton Control Order, 1986 and also provide a forum for liaison between the Cotton Textile Mill Industry, the cotton growers, the Cotton Trade and the Government.

3. The members of the reconstituted Board will serve on the Board up to 31st December, 1996.

4. The non-official members will be allowed TA/DA for attending the meetings of the CAB in accordance with the instructions of the Ministry of Finance.

5. The attendance in the meeting of the Board is restricted to the members only.

ORDER

ORDERED that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that it be published in the Gazette of India.

B. L. SHARMA,
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995